VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

PT 365

सरकारी योजनाएं

Classroom Study Material

www.visionias.in
+91 8468022022

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW

विषय सूची

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 11

1.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 11
1.2.यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम 12
1.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 12
1.4. नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम 13
1.5 परंपरागत कृषि विकास योजना....................13
1.6. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन 14
1.7 राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट: NAM) 15
1.8. एकीकृत बागवानी विकास मिशन 15
1.9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार (RKVY-RAFTAAR) 16
1.10. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)....................17
1.11 त्वरित चारा विकास कार्यक्रम 18
1.12 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना....................18
1.13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 18
1.14 किसान क्रेडिट कार्ड 19
1.15 राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन....................19
1.16 राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन 20
1.17 देश (भारत) में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण....................20
1.18 राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन 21
1.19. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम 21
1.20. राष्ट्रीय डेयरी योजना-1....................22
1.21. डेयरी उद्यमिता विकास योजना....................22
1.22. एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन 23
1.23. पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना....................23
1.24. जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल....................23
1.25. ब्याज अनुदान योजना 24
1.26.आर्या परियोजना- अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर 24
1.27. कृषि विज्ञान केंद्र....................25
1.28. एग्री उड़ान 25
1.29. मेरा गाँव-मेरा गौरव 25
1.30. अन्य पहलें 26

2. आयुष मंत्रालय 30

2.1 राष्ट्रीय आयुष मिशन....................30
2.2 अन्य योजनाएं 30

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 31

VISION IAS

3.1. उर्वरक विभाग 31

3.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना 31

3.1.2. अन्य योजनाएं 31

3.2. औषध विभाग 31

3.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) 31

3.2.2. सुविधा 32

3.2.3. अन्य योजनाएँ 32

3.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग 32

3.3.1. प्लास्टिक पार्क्स स्कीम 32

4. नागर विमानन मंत्रालय 33

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) : नागर विमानन मंत्रालय 33

4.2. डिजीयात्रा 34

5. कोयला मंत्रालय 34

5.1. शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांस्पैरेंटली इन इण्डिया) योजना 34

6. (वाणिज्य मंत्रालय) 35

6.1. स्टार्ट अप इंडिया 35

6.2. मेक इन इंडिया 35

6.3. ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) (निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना) 36

6.4. सरकारी ई-बाजार स्थल 36

6.5. अन्य योजनाएं 37

7. संचार मंत्रालय 38

7.1. दूरसंचार विभाग 38

7.1.1. भारत नेट परियोजना 38

7.1.2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना 38

7.2. डाक विभाग 39

7.3. अन्य योजनाएं 39

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 40

8.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग 40

8.1.1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) 40

8.1.2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) 40

8.1.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन 41

8.1.4. मूल्य स्थिरता कोष 41

8.2. उपभोक्ता मामलों का विभाग 41

9. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय 43

10. संस्कृति मंत्रालय 43

VISION IAS

10.1 प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय 43
10.2. विज्ञान नगर और विज्ञान केंद्र 43
10.3. अन्य योजनाएं 44

11. रक्षा मंत्रालय 44

11.1. वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP) 44

12. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय 45

13. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS) 47

13.1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)[SBM (G)] 47
13.2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 50

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 50

14.1. राष्ट्रीय मानसून मिशन (द्वितीय चरण 2017-2020) 50

15. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 51

15.1. डिजिटल इंडिया- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 51
15.2. जीवन प्रमाण 52
15.3 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 52
15.4 साइबर स्वच्छता केन्द्र 52
15.5. भारत BPO संवर्धन योजना 53
15.6. राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग अभियान 54
15.7. स्त्री स्वाभिमान 54
15.8. इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (EDF) 54
15.9. संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन लाभ पैकेज योजना 55
15.10. भारत इंटरफेस फॉर मनी 55
15.11. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना 55
15.12 अन्य योजनाएं 56

16. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 57

16.1. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC) 57
16.2. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट 59

17. विदेश मंत्रालय 59

17.1. भारत को जानो कार्यक्रम 59
17.2. स्टूडेंट एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम-SAMEEP 60
17.3. प्रवासी कौशल विकास योजना 60

18. वित्त मत्रांलय 60

18.1. नेशनल पेंशन स्कीम 60
18.2 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 62

VISION IAS

18.3 अटल पेंशन योजना 62
18.4 प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना 63
18.5 प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 63
18.6. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) 64
18.7. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) 64
18.8 स्टैंड अप इंडिया योजना 65
18.9 स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 65
18.10. सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना 66
18.11. स्वच्छ भारत कोष (SBK) 67

19. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 67

19.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) 67
19.2 मेगा फ़ूड पार्क 68
19.3. कोल्ड चेन, मूल्य वर्द्धन और परिरक्षण आधारभूत संरचना की योजना 68
19.4. अन्य योजनाएं 69

20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 69

20.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 69
20.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 70
20.3 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 70
20.4 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 70
20.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 71
20.6 जननी सुरक्षा योजना 71
20.7 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 72
20.8 प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 72
20.9. लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव 72
20.10 MAA - मदर्स ऐब्सल्यूट अफेक्शन 73
20.11 मिशन परिवार विकास 73
20.12 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 73
20.13 मिशन इंद्रधनुष 74
20.14 EVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) 75
20.15. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल 75
20.16. आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 75
20.17 राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) 76
20.18 स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल 76
20.19. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम 77
20.20. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा 77
20.21. अन्य योजनाएँ 77

21. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय 78

VISION IAS

21.1. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP)........78
21.2.फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स: फेम........79

22. गृह मंत्रालय........79

22.1. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS)........79
22.2. अन्य योजनाएं........80

23. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय........81

23.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)........81
23.2 दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन........82
23.3. स्मार्ट सिटी मिशन........82
23.4. अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन........83
23.5. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय)........84
23.6 स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)........84

24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय........85

24.1. इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन........85
24.1.1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)........85
24.1.2. सर्व शिक्षा अभियान........86
24.1.3.पढ़े भारत बढ़े भारत........86
24.1.4. विद्यांजली........86
24.1.5.राष्ट्रीय आविष्कार अभियान........87
24.2. मध्याह्न भोजन योजना........87
24.3.राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)........88
24.4. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष........88
24.5. उड़ान – गिविंग विंग्स टू गर्ल्स........89
24.6. उन्नत भारत अभियान........89
24.7. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम........89
24.8 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम........90
24.9 अन्य योजनाएं........90

25. श्रम और रोजगार मंत्रालय........93

25.1. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम........93
25.2. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना........93
25.3. केंद्रीय क्षेत्र की बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016........94
25.4. प्लेटफ़ॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) पोर्टल........94
25.5. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना........94
25.6. नेशनल करियर सर्विस........95
25.7. संशोधित एकीकृत आवास योजना - 2016........95

26. कानून और न्याय मंत्रालय........95

VISION IAS

26.1. प्रो बोनो लीगल सर्विस 95
26.2. न्याय मित्र 96
26.3. अन्य योजनाएँ 96

27. खान मंत्रालय 97

27.1.प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) 97

28. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 98

28.1 साइबर ग्राम 98
28.2. जियो पारसी 98
28.3. नई रोशनी-अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना 99
28.4. उस्ताद (अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट) 99
28.5. नई मंजिल 100
28.6. पढ़ो परदेश 100
28.7. नई उड़ान 101
28.8. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (MANAS) 101
28.9. हमारी धरोहर 101
28.10. सीखो और कमाओ 102
28.11. महिला समृद्धि योजना 102
28.12. अन्य योजनाएं 103

29. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 103

29.1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM) 103
29.2. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना 104
29.3. अटल ज्योति योजना - अजय 104
29.4. सौर शहरों के विकास की योजना 104
29.5. सूर्य मित्र योजना 105
29.6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट 105

30. पंचायती राज मंत्रालय 106

30.1. ग्राम स्वराज अभियान 106
30.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 106

31. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 106

31.1. प्रेरण प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल (COMMIT) 106
31.2. सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम 107

32. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 107

32.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) 107
32.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल) 108
32.3. पीडीएस केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) योजना 108

VISION IAS

32.4. प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना 109
32.5. अन्य योजनाएं 109

33. विद्युत मंत्रालय 111

33.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) 111
33.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 111
33.3. राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम 112
33.3.1. उजाला (UJALA) 112
33.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम 112
33.4. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) 112
33.5. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए) 113
33.6. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना 113
33.7. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी) 114
33.8. अन्य योजनाएं 114

34. रेल मंत्रालय 114

34.1. अवतरण 114
34.2. यात्री मित्र सेवा 115
34.3. अन्य योजनाएँ 115

35. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 116

35.1. भारतमाला परियोजना 116
35.2. अन्य योजनायें 117

36. ग्रामीण विकास मंत्रालय 118

36.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना 118
36.2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना 118
36.3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 119
36.4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 119
36.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 120
36.6. मिशन अंत्योदय 121
36.7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 122
36.8. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 122
36.9. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति 123
36.10. DAY- NRLM के अंतर्गत अन्य योजनाएं 124
36.10.1. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 124
36.10.2. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम 124
36.10.3. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 125

37. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 126

VISION IAS

37.1. नेशनल बायोफार्मा मिशन 126
37.2. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क) 126
37.3. मवेशी जीनोमिक्स योजना 127
37.4. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च) 127
37.5. इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम 128
37.6. अन्य योजनाएं 128

38. पोत परिवहन मंत्रालय 129

38.1. सागरमाला 129

39. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय 131

39.1. प्रधानमंत्री युवा योजना 131
39.2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 131
39.3. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान बढ़ाना 132
39.4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण 132
39.5. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 133

40. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 134

40.1. स्वच्छता उद्यमी योजना 134
40.2. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना 134
40.3. सुगम्य भारत अभियान 134
40.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना 135
40.5. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना 135
40.6. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) 136
40.7 अन्य योजनाएं 136

41. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 137

41.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 137

42. इस्पात मंत्रालय 138

42.1.भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन 138

43. वस्त्र मंत्रालय 139

43.1 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना 139
43.2 रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना 139
43.3 पावरटेक्स इंडिया स्कीम 140
43.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना 140
43.5 कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना 141
43.6 अन्य योजनाएं 141

44. पर्यटन मंत्रालय 142

44.1. स्वदेश दर्शन 142

VISION IAS

44.2.तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना 142
44.3. धरोहर गोद लें/'अपनी धरोहर अपनी पहचान' योजना 142
44.4. अन्य योजनाएं 143

45. जनजातीय कार्य मंत्रालय 143

45.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 143
45.2.जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना 144
45.3. वनबंधु कल्याण योजना 144

46. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय 145

46.1. नमामि गंगे योजना 145
46.2. जल क्रांति अभियान 146
46.3. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना 146
46.4. बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना 147
46.5. राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना 147
46.6. अटल भूजल योजना 148
46.7. अन्य योजनाएं 148

47. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 149

47.1.एकीकृत बाल विकास सेवाएं 149
47.1.1. राष्ट्रीय पोषण मिशन 150
47.1.2. किशोर लड़कियों के लिए योजना 150
47.1.3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 151
47.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 151
47.2.1. सुकन्या समृद्धि योजना 152
47.3. उज्ज्वला योजना 152
47.4. किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना- सक्षम 153
47.5. स्वाधार गृह योजना 153
47.6 जेंडर चैंपियंस योजना 153
47.7 सखी वन स्टॉप सेंटर 154
47.8. अन्य योजनाएं 154

48. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 155

49. नीति आयोग 156

49.1. अटल नवोन्मेष मिशन 156
49.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम (साथ) 157
49.3 आकांक्षी जिला कार्यक्रम 157

50. प्रधानमंत्री कार्यालय 158

50.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) 158

VISION IAS

50.2. अन्य योजनाएं 158

51. अंतरिक्ष विभाग 159

51.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल 159

51.2. साकार 160

52. राज्य सरकार की योजनाएं 160

53. अन्य योजनाएं 161

53.1 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस प्रोजेक्ट 161

VISION IAS

1. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE)

1.1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

(PM Fasal Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्राकृतिक आपदा, कीट और रोगों की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। • कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु किसानों की आय को स्थायित्व देना। • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।	• अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले ऐसे सभी किसान इसके लाभार्थी होंगे जिनके फसल बीमा कवरेज हेतु पात्र हैं। • ऐसे भूमिहीन किसान जो किसी दूसरे की भूमि पर खेती कर रहे हों और उन्होंने संबंधित किसानों के साथ करार कर रखा हो।	• PMFBY द्वारा पुनर्गठित मौसम-आधारित फसल बीमा योजना को छोड़कर अन्य सभी मौजूदा बीमा योजनाओं को प्रतिस्थापित किया गया है। • एक फसल एक दर। सभी खरीफ तथा रबी फसलों के लिए क्रमशः 2% तथा **1.5%** प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। • वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के सन्दर्भ में, किसानों द्वारा केवल 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। • सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसलिए किसानों को किसी भी कटौती के बिना पूरी बीमा राशि देय होगी। • किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और बीमांकिक प्रीमियम के बीच के अंतर का **50:50 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा** भुगतान किया जाता है। • किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं और शेष राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। • PMFBY अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए ऋण प्राप्तकर्ता किसानों के लिए अनिवार्य है तथा गैर-ऋण प्राप्तकर्ता किसानों के लिए स्वैच्छिक है। • **उपज हानि (Yield Losses):** प्राकृतिक अग्नि एवं तड़ित, तूफान, ओला-वृष्टि, चक्रवात, टाइफून, आंधी/झंझावात, हरिकेन, टोरनाडो आदि जैसे रोके न जा सकने वाले (non-preventable) जोखिम; तथा बाढ़ और भूस्खलन, सूखा, सूखा अवधि, कीटों / रोगों के कारण होने वाले जोखिम को भी कवर किया जाएगा। • पोस्ट हार्वेस्ट हानियों को भी कवर किया गया है। • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** किसानों के दावे के भुगतान में देरी को कम करने तथा फसल कटाई के आंकड़ों को एकत्रित करने एवं अपलोड करने के लिए स्मार्ट फोन का उपयोग किया जाएगा। रिमोट सेंसिंग का उपयोग फसल कटाई प्रयोगों की संख्या को कम करने के लिए किया जाएगा। • इस योजना को '**क्षेत्र दृष्टिकोण आधार**' (एरिया एप्रोच बेसिस) पर क्रियान्वित किया जायेगा।

VISION IAS

		• परिभाषित क्षेत्र (अर्थात्, बीमा का इकाई क्षेत्र) एक गांव या उससे अधिक क्षेत्र है जो किसी अधिसूचित फसल हेतु समान जोखिम का सामना करने वाला एक जियो-फेंस्ड/जियो-मैप्ड क्षेत्र (Geo-Fenced/Geo-mapped region) हो सकता है। • वर्तमान में, 5 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी इत्यादि) और 13 निजी बीमा कंपनियों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। • हाल ही में, राज्यों को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य बीमा कंपनियों को गठित करने की अनुमति दी गई है।

1.2.यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम

(Unified Package Insurance Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• कृषि क्षेत्र में संलग्न नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। • खाद्य सुरक्षा और खाद्य विविधीकरण सुनिश्चित करना। • कृषि क्षेत्र की संवृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करना।	• यह योजना किसानों की बीमा आवश्यकताओं का ध्यान रखेगी। इस योजना के तहत किसानों को भूमि के स्वामित्वाधिकार और बोयी गयी फसल के आधार पर उपज आधारित फसल बीमा प्रदान किया जाएगा। • इसमें निजी और कार्य सम्बन्धी, दोनों प्रकार की परिसंपत्तियां शामिल हैं और साथ ही यह योजना किसान एवं उनके परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा भी प्रदान करती है। • यह किसी किसान की दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/निःशक्तता की स्थिति में सहायता प्रदान कर, उनके स्कूल/कॉलेज जाने वाले बच्चों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान कर तथा माता-पिता की मृत्यु होने की दशा में विद्यार्थियों हेतु शिक्षा शुल्क का प्रावधान कर, किसान और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करती है।

1.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• फील्ड स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्रदान करना (जिला स्तर पर तैयारी, यदि आवश्यक हो तो उप-जिला स्तर जल उपयोग योजनाएं)। • सूक्ष्म -सिंचाई (माइक्रो ईरीगेशन) और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों (प्रति बूंद, अधिक फसल) को अपनाना। जलाशयों के पुनर्भरण में वृद्धि करना तथा सतत जल संरक्षण पद्धतियों की	• **विकेंद्रीकृत राज्य स्तरीय योजना** और कार्यान्वयन संरचना, ताकि राज्य एक डिस्ट्रिक्ट इरीगेशन प्लान (DIP) और एक स्टेट इरीगेशन प्लान (SIP) का निर्माण कर सकें।PMKSY फंड का उपयोग करने हेतु इस प्लान का निर्माण आवश्यक है। • **प्रशासन**: प्रधानमंत्री सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्रियों से निर्मित इंटर-मिनिस्ट्रीअल नेशनल स्टीयरिंग कमेटी (NSC) द्वारा इसका अधीक्षण और निगरानी की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (National Executive Committee) का गठन किया जाएगा। • PMKSY को वर्तमान में जारी निम्न योजनाओं को सम्मिलित कर तैयार किया गया है: ○ जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का त्वरित सिंचाई लाभ

VISION IAS

शुरुआत करना। • पेरी-अर्बन कृषि (peri urban agriculture) में नगरपालिका अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना। • सिंचाई में महत्वपूर्ण निजी निवेश को आकर्षित करना। • जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संयोजन तथा जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।	कार्यक्रम (एक्सेलरेटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम: AIBP); ○ भूमि संसाधन विभाग का एकीकृत जलसंभर क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम: INWMP); ○ कृषि एवं सहकारिता विभाग के तहत नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)। • **वाटर बजटिंग**: घरेलू, कृषि और उद्योग जैसे सभी क्षेत्रों हेतु वाटर बजटिंग की जाती है। • योजना के अंतर्गत खेतों के स्तर (फार्म लेवल) पर निवेश संभव होगा। अतः किसानो को घटनाक्रम की पूरी जानकारी होगी तथा वे इस सम्बन्ध में अपना फीडबैक प्रदान कर सकेंगे। • हाल ही में, PMKSY के अंतर्गत नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालीन सिंचाई निधि (LTIF) का सृजन किया गया है। यह अधूरी प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्त पोषण तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को ट्रैक करेगी।

1.4. नीरांचल वाटरशेड प्रोग्राम

(NEERANCHAL Watershed Program)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• PMKSY के वाटरशेड घटक को और अधिक मजबूत बनाना तथा तकनीकी सहायता प्रदान करना। • प्रत्येक खेत तक सिंचाई की पहुंच (हर खेत को पानी)। • जल का कुशल उपयोग (प्रत्येक बूँद अधिक फसल)।	• **विश्व बैंक** समर्थित नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। • भारत में जलसंभर और वर्षा सिंचित कृषि प्रबंधन पद्धतियों में संस्थागत परिवर्तन लाना। • ऐसी पद्धतियों का विकास करना जो यह सुनिश्चित करे कि जलसंभर कार्यक्रमों और वर्षा सिंचित सिंचाई प्रबंधन प्रणालियों पर बेहतर तरीके से फोकस किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि ये प्रणालियां आपस में समन्वित एवं मात्रात्मक रूप से अधिक परिणाम प्राप्त करने में सहायक हैं। • जलसंभर को बनाए रखने हेतु रणनीतियां तैयार करने में सहायता करना। परियोजना को प्राप्त होने वाली सहायता के समाप्त होने के बाद भी कार्यक्रम वाले क्षेत्रों का प्रबंधन कार्य। • जल-संभर प्लस दृष्टिकोण के साथ तथा फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से अधिक समतापूर्ण, आजीविका और आय में मदद करना। समावेशी मंच के साथ-साथ स्थानीय लोगों की भागीदारी भी इसमें सहायक होगी।

1.5 परंपरागत कृषि विकास योजना

(Paramparagat Krishi Vikas Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रमाणित जैविक कृषि के माध्यम से वाणिज्यिक जैविक उत्पादन को बढ़ावा देना। • उपज कीटनाशक मुक्त होगा	• जैविक कृषि में संलग्न कृषक • पूर्वोत्तर भारत जैसे सिक्किम आदि के कृषकों को	• "परम्परागत कृषि विकास योजना" एक महत्वपूर्ण परियोजना नेशनल मिशन ऑफ़ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के साइल हेल्थ मैनेजमेंट (SHM) का एक विस्तृत घटक है। • क्लस्टर एप्रोच: क्लस्टर एप्रोच में जैविक कृषि करने के लिए 50 या

VISION IAS

जो उपभोक्ता के अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में योगदान करेगा। • किसान की आय में वृद्धि और व्यापारियों के लिए संभावित बाजार का निर्माण। • उत्पादन में वृद्धि करने हेतु किसान की उर्वरकों और कृषि रसायनों पर निर्भरता में कमी करना। • उत्पादन आगत (input production) हेतु प्राकृतिक संसाधन जुटाने के लिए किसानों को प्रेरित करना। • किसानों को प्रयासों में भागीदार बनाते हुए जैविक उत्पादों तथा उनके प्रमाणीकरण में वृद्धि।	लाभ • खाद्य प्रसंस्करण उद्योग • कार्बनिक खाद्य पदार्थ - निर्यात उद्योग	अधिक किसान 50 एकड़ भूमि वाले क्लस्टर का निर्माण करते हैं। फसल की पैदावार हेतु बीज खरीदने के लिए तथा उपज को बाजार में ले जाने के लिए प्रत्येक किसान को तीन वर्ष के लिए 20000 रु प्रति एकड़ दिया जाएगा। • सरकार तीन वर्षों के दौरान जैविक कृषि के तहत 10,000 क्लस्टर बनाने की योजना बना रही है। जो 5 लाख एकड़ के क्षेत्र को कवर करेगी। **घटक-** ○ क्लस्टर पद्धति के द्वारा भागीदारी गारंटी प्रणाली (PGS) प्रमाणीकरण- किसानों को लामबंद करना, क्लस्टर निर्माण, भूमि संसाधनों की पहचान और जैविक कृषि और PGS प्रमाणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण। ○ क्लस्टर पद्धति के माध्यम से खाद प्रबंधन और जैविक नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग के लिए जैविक गांव को अपनाना:- क्लस्टर के जैविक उत्पादों की जैविक कृषि, एकीकृत खाद प्रबंधन (Integrated Manure Management), पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग के लिए एक्शन प्लान।

1.6. राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन

(National Mission on Sustainable Agriculture:NMSA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• कृषि को अधिक संधारणीय, उत्पादक, लाभकारी और जलवायु प्रत्यास्थ (climate resilient) बनाना। • समुचित मृदा एवं नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। • व्यापक मृदा प्रबंधन पद्धतियां अपनाना तथा जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।	• यह संधारणीय कृषि मिशन से अधिदेशित है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है। • NMSA संधारणीय विकास पद्धतियों को अपनाकर 'जल उपयोग दक्षता', 'पोषक-तत्व प्रबंधन' और 'आजीविका विविधीकरण' के प्रमुख आयामों की प्राप्ति हेतु सहयोग करेगा। • NMSA के मुख्य घटक हैं - - वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास - खेत (फार्म) पर जल प्रबंधन - मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन - जलवायु परिवर्तन और संधारणीय कृषि: मॉनीटरिंग, मॉडलिंग और नेटवर्किंग • 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रंखला विकास मिशन', इस मिशन के तहत एक उप-मिशन है। - इसका उद्देश्य मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन का विकास करना है, ताकि उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके तथा आगतों से लेकर एकत्रीकरण, संग्रहण, प्रसंस्करण व विपणन हेतु सुविधाओं के निर्माण तथा ब्रांड बिल्डिंग पहल तक सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास को सहायता प्रदान की जा सके।

VISION IAS

1.7 राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट: NAM)

(National Agriculture Market)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रमाणिक मूल्य के प्रकटीकरण को बढ़ावा देना; • किसानों के लिए विक्रय और बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करना • व्यापारियों / खरीदारों और कमीशन एजेंटों के लिए लिबरल लाइसेंसिंग। • एक व्यापारी के लिए एकल लाइसेंस उपलब्ध कराना जो सभी राज्यों में मान्य होगा। • कृषि उपज के गुणवत्ता मानकों का सुसंगत होना। • एकल बिंदु पर बाजार शुल्क लेना, अर्थात किसान से प्रथम थोक खरीद पर। • चयनित मंडी में या मंडी के निकट मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रावधान, जिससे मंडी में आने वाले किसानों द्वारा इस सुविधा का उपयोग आसानी से किया जा सके।	• राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में 585 नियंत्रित थोक बाजार। • किसान • स्थानीय व्यापारी • थोक क्रेता, प्रोसेसर • फार्म प्रोड्यूस एक्सपोर्टर • देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था	• NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है I यह कृषि वस्तुओं हेतु एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्माण के लिए मौजूदा APMCs और अन्य बाजार स्थलों को जोड़ने का प्रयास करता है। NAM एक "आभासी" बाजार है लेकिन साथ ही इसका एक भौतिक बाजार (मंडी) भी है। • स्माल फार्मर्स एग्रीबिज़नेस कंसोर्टियम (SAFC) को इस राष्ट्रीय ई-प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन करने हेतु प्रमुख एजेंसी के रूप में चुना गया है। • केंद्र सरकार राज्यों को नि:शुल्क सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी। इसके साथ ही संबंधित उपकरणों और अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं हेतु प्रत्येक मंडी या बाजार या निजी मंडियों को 30 लाख रुपये तक की अनुदान राशि दी जाएगी। • 14 राज्यों में 479 मंडियों को NAM से जोड़ा गया है। • मंडी / बाजार में स्थानीय व्यापारी के लिए, NAM द्वितीयक व्यापार हेतु एक अपेक्षाकृत बड़े राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। • थोक क्रेता, प्रोसेसर, निर्यातक आदि NAM प्लेटफार्म के माध्यम से स्थानीय मंडी / बाजार स्तर पर व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं जिससे उनकी मध्यस्थता लागत कम होने से लाभ होगा। • राज्यों की सभी प्रमुख मंडियों के NAM में क्रमिक एकीकरण से लाइसेंस जारी करने की सामान्य प्रक्रिया, शुल्क अधिरोपन तथा उपज की अधिक गतिशीलता सुनिश्चित होगी। • e-NAM को और बेहतर बनाने हेतु इसमें नई विशेषताओं को समाविष्ट किया गया है। जैसे: e-NAM मोबाइल ऐप, BHIM भुगतान सुविधा, बेहतर विश्लेषण और अंतर्दृष्टि के लिए MIS डैशबोर्ड, मंडी सचिवों के लिए शिकायत निवारण तंत्र तथा पंजीकरण एवं पहचान प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु किसान डेटाबेस के साथ एकीकरण से e-NAM और भी मजबूत होगा • **फंड आवंटन** - इस योजना को एग्री-टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AITF) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।

1.8. एकीकृत बागवानी विकास मिशन

(Mission for Integrated Development of Horticulture)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• प्रत्येक राज्य के तुलनात्मक लाभ और उनकी विविध कृषि-जलवायु विशेषताओं के अनुरूप क्षेत्र आधारित	• यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे 2014-15 से आरम्भ किया गया था। इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं और कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं - ○ **राष्ट्रीय बागवानी मिशन:** क्षेत्र आधारित स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के

VISION IAS

स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्रक (बांस और नारियल सहित) के समग्र विकास को बढ़ावा देना। • FPO जैसे समूहों में किसानों के समूहन को प्रोत्साहित करना। • बागवानी उत्पादन में वृद्धि, करना; किसानों की आय में वृद्धि करना और पोषण सुरक्षा को मजबूत बनाना। • जर्मप्लाज्म, रोपण सामग्री और सूक्ष्म सिंचाई के प्रयोग से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार। • कौशल विकास में सहायता करना और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना।	माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना; ○ **पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्य बागवानी मिशन:** यह एक तकनीकी मिशन है जो गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, जैविक कृषि, कुशल जल प्रबंधन इत्यादि पर फोकस करता है। ○ **राष्ट्रीय कृषि-वानिकी और बांस मिशन:** इसके लक्ष्य हैं: ▪ क्षेत्र आधारित स्थानीय रूप से विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से बांस के विकास को बढ़ावा देना। ▪ उपज बढ़ाने के लिए बेहतर किस्मों के साथ बांस के कृषि क्षेत्र में वृद्धि करना। ▪ बांस और बांस आधारित हस्तशिल्प के विपणन को बढ़ावा देना। ▪ बांस उत्पादन के सभी हितधारकों के मध्य संपर्क स्थापित करना। ○ **प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, विकसित करना और उनका प्रसार करना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना।** ○ **राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड** ○ **नारियल विकास बोर्ड** ○ **केंद्रीय बागवानी संस्था, नागालैंड।** **रणनीति-** ○ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेज के साथ एंड-टू-एंड एप्रोच अपनाना। ○ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। ○ फसलों के विविधीकरण, प्रौद्योगिकी के विस्तार और बागानों के क्षेत्रफल (एकड़ में) में वृद्धि के माध्यम से उत्पादकता में सुधार। ○ फसल पश्च प्रबंधन, मूल्य वृद्धि प्रसंस्करण और विपणन अवसंरचना में सुधार। ○ FPOs को प्रोत्साहन देना तथा बाजार समूहकों (Market aggregators) एवं वित्तीय संस्थानों के साथ FPOs के संबंधों को बढ़ावा देना। ○ कुशल रिपोर्टिंग और निगरानी; डेटा बेस का सृजन, संकलन और विश्लेषण • वित्त पोषण - केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों में 100% तथा अन्य सभी राज्यों में 85% का योगदान करती है, शेष 15% योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। • 2014 में, प्रोजेक्ट चमन आरम्भ किया गया था। इसके तहत बागवानी विकास के लिए कार्य योजनाएं बनाने हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के साथ सेटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के उपयोग की परिकल्पना की गयी है। ○ यह 12 प्रमुख राज्यों में 7 बागवानी फसलों [आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, आम, केले और नींबू वंशीय (citrus) फलों] के क्षेत्रफल और उत्पादन अनुमान के लिए डेटा भी प्रदान करता है। ○ प्रोजेक्ट चमन, बागवानी फसलों के दशा संबंधी अध्ययनों, रोग मूल्यांकन और प्रिसीजन फार्मिंग पर अनुसंधान गतिविधियों का भी संचालन करता है। ○ यह देश के सभी बागवानी क्षेत्रों (zones) की डिजिटल इन्वेंट्री का विकास सुनिश्चित करेगा। ○ यह कोल्ड स्टोरेज हबों का निर्धारण करने और खाद्य भंडार के सटीक डेटा के माध्यम से मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने में मदद करेगा।

1.9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ़्तार (RKVY-Raftaar)

(Rashtriya Krishi Vikas Yojana – Raftaar)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• किसानों के प्रयासों को सशक्त कर, जोखिमों को कम कर और	• कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अम्ब्रेला योजना के रूप में 2007 में आरम्भ

VISION IAS

कृषि-व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना। • कई उप-योजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर ध्यान देना • कौशल विकास, नवाचार और कृषि उद्यमिता आधारित बिज़नेस मॉडल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना।	की गई RKVY को हाल ही में 2017-19 एवं 2019-20 के लिए RKVY-रफ़्तार (रीन्यूमरेटिव अप्रोचेज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रीजूविनेशन) के रूप में संशोधित किया गया है। • राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में अत्यधिक लचीलापन एवं स्वायतता प्रदान करती है। • राज्यों द्वारा कृषि-जलवायु स्थितियों, समुचित प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और प्राकृतिक प्राथमिकताओं के आधार पर जिला कृषि योजना और राज्य कृषि योजना के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण आरम्भ किया गया है। • यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ाने, पोस्ट-हार्वेस्ट ढांचे को सुदृढ़ करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगा और सम्पूर्ण देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। • निधि आवंटन - निम्नलिखित माध्यमों से उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के मध्य 90:10 अनुदान अनुपात तथा शेष राज्यों के लिए 60:40 अनुदान अनुपात एवं - ○ अवसंरचना एवं परिसम्पत्तियाँ तथा उत्पादन वृद्धि ○ RKVY-रफ्तार की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली विशेष उप-योजनाएं ○ नवाचार और कृषि उद्यमी विकास • उप-योजनाओं में शामिल हैं ○ पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना ○ फसल विविधीकरण कार्यक्रम - यह हरित क्रांति के मूल राज्यों अर्थात् पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल का अत्यधिक उपयोग करने वाली फसलों की जगह अधिक फसल विविधता लाने के लिए लागू किया जा रहा है। ○ समस्याग्रस्त मृदा में सुधार ○ खुरपका और मुंहपका रोग - नियंत्रण कार्यक्रम (FMD-CP) ○ केसर मिशन ○ त्वरित चारा विकास कार्यक्रम (Accelerated Fodder Development Programme:AFDP)

1.10. पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)

(Bringing Green Revolution to Eastern India)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर चावल और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। • फसल गहनता और किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु चावल के परती क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना। • जल संभरण संरचनाओं का निर्माण करना और जल की क्षमता का कुशल उपयोग करना। • पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और विपणन समर्थन (marketing support) को प्रोत्साहन।	• यह कार्यक्रम 2010-11 में आरम्भ किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वी भारत के 7 राज्यों अर्थात् असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) और पश्चिम बंगाल में "चावल आधारित फसल पद्धति" की उत्पादकता को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना था। • इस योजना के अंतर्गत विभिन्न पहलें निम्नलिखित हैं - ○ बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी का ब्लॉक या क्लस्टर विकास ○ कृषि सुधार के लिए परिसंपत्ति निर्माण गतिविधियाँ ○ कृषि नवीनीकरण के लिए स्थान विशिष्ट गतिविधियाँ ○ बीज उत्पादन और वितरण ○ विपणन समर्थन (marketing support) और पोस्ट-हार्वेस्ट मेनेजमेंट

VISION IAS

1.11 त्वरित चारा विकास कार्यक्रम

(Accelerated Fodder Development Program: AFDP)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
वर्ष भर चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु एकीकृत प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों के प्रोत्साहन के माध्यम से चारे के उत्पादन में वृद्धि करना।	• इसे क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया जाता है, जिसमें चारा/दोहरे प्रयोजन वाली फसलों का 500 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होता है। • इस कार्यक्रम को तीन-स्तरीय संरचना यथा नियोजन-कार्यान्वयन-समीक्षा के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। • इससे हरे और सूखे चारे की उपलब्धता में वृद्धि होगी और साथ ही अल्पता या कमी की अवधि के दौरान भी चारे की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी होगी।

1.12 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

(Soil Health Card Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश के सभी किसानों को प्रत्येक 3 वर्ष पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरकों के प्रयोग के माध्यम से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए आधार उपलब्ध हो सके। • क्षमता निर्माण के माध्यम से मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (STLs) की कार्यप्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कृषि विज्ञान के छात्रों को भागीदार बनाना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)/ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना। • राज्यों में एकसमान रूप से प्रतिचयन (सैंपलिंग) की मानकीकृत पद्धतियों के माध्यम से मृदा की उर्वरता संबंधी समस्याओं पता लगाना। • पोषक-तत्व प्रबंधन पद्धतियों को प्रोत्साहन देने हेतु जिला एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों और प्रगतिशील किसानों का क्षमता निर्माण करना।	• यह 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • इसे सभी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। • इसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और साथ ही सेवा वितरण में सुधार हेतु डेटाबेस विकसित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान की जाती है। • किसानों को जारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उनके व्यक्तिगत खेतों के लिए आवश्यक पोषक-तत्वों और उर्वरकों से सम्बंधित फसल-वार अनुशंसाएँ प्रदान की जाती हैं। • विशेषज्ञ खेतों से एकत्रित मृदा की सामर्थ्य और दुर्बलताओं (सूक्ष्म पोषक-तत्वों की कमी) का विश्लेषण करते हैं और इससे निपटने के उपायों का सुझाव देते हैं। • इसके तहत मृदा की स्थिति को 12 मानदंडों अर्थात् - N,P,K (मुख्य पोषक-तत्व), S (गौण पोषक-तत्व); Zn, Fe, Cu, Mn, Bo(सूक्ष्म पोषक-तत्व); और pH, EC, OC (भौतिक मानदंड) के आधार पर मापा जाएगा।

1.13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

(National Food Security Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• **क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि** के माध्यम से **चावल, गेहूं, दालों, मोटे अनाजों और नकदी फसलों** के उत्पादन में संधारणीय रूप से वृद्धि करना। • एकल खेत (फार्म) के स्तर पर मृदा की उर्वरता और उत्पादकता पुनर्स्थापित करना। • खेत स्तर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना।	• यह 2007 में प्रारंभ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • इस योजना का दृष्टिकोण प्रौद्योगिकियों के सुधार और खेत प्रबंधन पद्धतियों के प्रसार के माध्यम से इन फसलों के उपज अंतराल को समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त उच्च क्षमता होने के बावजूद वर्तमान में अपेक्षाकृत निम्न उत्पादकता वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करना भी इसके दृष्टिकोण में शामिल है। • प्रमुख घटक - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- चावल; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-गेहूं; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दालें; राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- मोटे अनाज; और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-नकदी फसलें।

VISION IAS

1.14 किसान क्रेडिट कार्ड

(Kisan Credit Card: KCC)

उद्देश्य	कार्यान्वयन एजेंसियाँ	मुख्य विशेषताएँ
• बैंकिंग प्रणाली द्वारा सिंगल विंडो के माध्यम से पर्याप्त और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।	• वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) और सहकारी समितियाँ	• KCC के तहत वितरित ऋण का आधार व्यापक होता है और इसका उपयोग अल्पकालिक ऋण के रूप में फसलों की बुआई, फसल कटाई के पश्चात् आवश्यक व्यय, विपणन ऋण के सृजन, कृषक परिवार की उपभोग आवश्यकता आदि के लिए किया जा सकता है। • KCC योजना के तहत अधिसूचित फसलों के लिए वितरित किये गये ऋण फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। • KCC को मत्स्यपालन और पशुपालन करने वाले किसानों तक विस्तारित किया गया है ताकि मत्स्यपालन और पशुपालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता प्रदान की जा सके। • इस योजना के तहत बाह्य, हिंसक और दृश्यमान साधनों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप KCC धारकों की मृत्यु या स्थायी नि:शक्तता संबंधी जोखिम को कवर किया जाता है।

1.15 राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन

(National Mission on Oilseeds and Oil Palm)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ

वनस्पति तेलों {तिलहन, ऑयल पाम और वृक्षों से प्राप्त होने वाले तैलीय बीजों (Tree Born Oilseeds : TBOs)} के उत्पादन में वृद्धि लाना है।	• इस योजना को 2014-15 के दौरान प्रारंभ किया गया। इसके तहत तिलहन उत्पादन में वित्त वर्ष 2017 के अनुमानित 34 मिलियन टन में वृद्धि कर इसे वित्त वर्ष 2022 तक 42 मिलियन टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
	• यह तीन उप-मिशनों के तहत लागू किया गया है, ये हैं: मिनी मिशन (MM) I - ऑयलसीड्स, MM II - पाम ऑयल, MM III- TBOs।
	• रणनीति और दिशानिर्देश -
	  ○ किस्मों में बदलाव पर फोकस करते हुए बीज बदलाव अनुपात (SRR) में वृद्धि करना।
	  ○ तिलहन के तहत आने वाली फसलों के लिए सिंचित क्षेत्र 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 36 प्रतिशत करना।
	  ○ क्षेत्र की निम्न उपज वाली खाद्यान्न फसलों के स्थान पर तिलहन फसल की कृषि, खाद्यान्नों/दालों/गन्ने के साथ तिलहन का अंतर-शस्यन (intercropping)।
	  ○ धान/आलू की फसल के बाद खाली पड़ी परती भूमि का उपयोग करना।
	  ○ ऑयल पॉम और वृक्षों से प्राप्त होने वाले तैलीय बीजों की कृषि का जल सम्भर क्षेत्रों एवं बंजर भूमि तक विस्तार करना।
	  ○ बेहतर किस्म वाले पौधों की उपलब्धता बढ़ाना।
	  ○ वृक्षों से प्राप्त होने वाले तेल का प्रसंस्करण।
	• यह तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण शोध अन्तराल को भी कम करेगा।

VISION IAS

1.16 राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन

(National Mission on Agricultural Extension and Technology: NMAET)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• प्रौद्योगिकी प्रसार के लिए नई संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से कृषि विस्तार व्यवस्था को किसान-संचालित और किसान-उत्तरदायी बनाना। • किसानों को उचित प्रौद्योगिकी प्रदान करने और उन्नत कृषि पद्धतियाँ उपलब्ध कराने हेतु कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना और उसे सुदृढ़ बनाना।	• यह योजना कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (ATMA) के तत्वाधान में प्रारंभ की गई थी। • इसके तहत 4 उप-योजनाओं के माध्यम से विस्तार तंत्र को सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना की गई है: o कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE) o बीज और पौध सामग्री पर उप-मिशन (SMSP) o कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) o पौध संरक्षण और पौध संगरोध पर उप-मिशन (SMPP) • इस योजना के उद्देश्यों को व्यापक भौतिक पहुँच और सूचना प्रसार के संवादात्मक तरीकों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। • उप मिशनों को प्रशासनिक कारणों से पृथक कर दिया गया है। हालांकि ये उप-मिशन खेत के स्तर (फार्म-लेवल) पर परस्पर जुड़े हुए हैं और इन्हें एक *स्ट्रिंग एक्सटेंशन नेटवर्क* के माध्यम से किसानों और अन्य हितधारकों के बीच प्रसारित किया जाना है।

कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन	• इसका उद्देश्य कृषि मशीनीकरण का विस्तार लघु और सीमांत किसानों तक और उन क्षेत्रों में करना है जहां मशीनीकरण और विद्युत् की उपलब्धता अत्यंत कम है। • इस मिशन के घटक- o प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि मशीनीकरण का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण। o पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट (PHTM) का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और वितरण। o कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता। o कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) के लिए फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना। o उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में कृषि मशीनीकरण और उपकरणों को बढ़ावा देना।

1.17 देश (भारत) में कीट प्रबंधन दृष्टिकोण का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण

(Strengthening & Modernization of Pest Management Approach in The Country: SMPMA)

उद्देश्य	कार्यान्वयन एजेंसी	मुख्य विशेषताएँ
• न्यूनतम निवेश लागत के साथ फसल उत्पादन को अधिकतम बनाना। • कीटनाशकों के कारण मृदा, जल और वायु में होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। • रासायनिक कीटनाशकों से सम्बंधित व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को कम करना। • पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करना और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। • कीटनाशक अवशेषों को कम करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का विवेकसम्मत उपयोग।	सम्पूर्ण देश में स्थापित 35 केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (CIPMCs)	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना निम्नलिखित घटकों के साथ प्रारंभ की गई है- o **एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM)** - यह कीट संबंधी समस्याओं के प्रबंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल एक व्यापक पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण है। o **टिड्डी नियंत्रण एवं अनुसंधान (LCR)**- इसके तहत अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों (राजस्थान, गुजरात और हरियाणा) में टिड्डियों की निगरानी, पूर्वसूचना और नियंत्रण के लिए और टिड्डी एवं शलभ (ग्रासहोपर) पर शोध करने के लिए टिड्डी चेतावनी संस्थानों की स्थापना की गयी है। o **कीटनाशक अधिनियम, 1968 का कार्यान्वयन** - यह मनुष्यों, पशुओं और पर्यावरण पर कीटनाशकों के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए कीटनाशकों के आयात, उत्पादन, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को नियंत्रित करता है।

VISION IAS

1.18 राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मिशन

(National Mission on Bovine Productivity)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। • डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाना।	• इसे दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने और डेयरी उद्योग को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था। • इस मिशन को निम्नलिखित चार घटकों के माध्यम से लागू किया जा रहा है - ○ **पशु संजीवनी** - यह एक कल्याण कार्यक्रम है। इसके तहत प्रत्येक दुधारू पशु को UID के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान और एक स्वास्थ्य कार्ड (नकुल स्वास्थ्य पत्र) प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा अन्य विवरणों के साथ उसकी नस्ल, आयु और टीकाकरण के विवरण को रिकॉर्ड किया जाता है। ○ **उन्नत प्रजनन तकनीक** - उन्नत प्रजनन तकनीक के तहत 10 A ग्रेड वाले वीर्य केन्द्रों पर सेक्स सोर्टेड सीमन प्रोडक्शन फैसिलिटी (sex sorted semen production facility) का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, भारत में 'इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF)' की सुविधा वाली 50 भ्रूण स्थानांतरण प्रोद्योगिकी प्रयोगशालाएँ भी खोली जा रही हैं। ○ **ई-पशु हाट पोर्टल** - यह स्वदेशी नस्ल के प्रजनकों और किसानों में परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए एक ई-ट्रेडिंग मार्केट पोर्टल है। ○ जीनोमिक चयन के माध्यम से स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए '**स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक सेंटर' की स्थापना** की गयी है।

1.19. राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम

(National Program for Bovine Breeding and Dairy Development: NPBBDD)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• किसानों की गुणवत्तायुक्त कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं तक सुगमतापूर्ण पहुँच सुनिश्चित करना। • सभी प्रजनन योग्य मादाओं को उच्च आनुवंशिक गुणों के जर्मप्लाज्म का उपयोग करके प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम गर्भाधान (AI) के माध्यम से किये जाने वाले संगठित प्रजनन के अंतर्गत लाना। • उच्च सामाजिक-आर्थिक महत्व की चयनित स्वदेशी बोवाइन नस्लों को संरक्षित, विकसित और अधिक संख्या में उत्पन्न करना। • स्वदेशी नस्लों के ह्रास को रोकने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने हेतु महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के प्रजनन क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त प्रजनन आगतें प्रदान करना। • दूध और दुग्ध उत्पादों की खरीद, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का निर्माण करना और इसे सुदृढ़ता प्रदान करना। • डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना तैयार करना। • डेयरी सहकारी समितियों / उत्पादक कंपनियों को ग्रामीण स्तर पर सशक्त बनाना। • संभावित व्यवहार्य दुग्ध संघों/यूनियनों के पुनर्वास में सहायता करना।	• इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में *नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग* (NPCBB), *इंटेंसिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम* (IDDP), *स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी एंड क्लीन मिल्क प्रोडक्शन* (SIQ & CMP) और *असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव* (A-C) जैसी तत्कालीन योजनाओं का विलय कर की गई थी। • इस योजना के तीन घटक हैं - ○ **नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग (NPBB)**: यह प्रजनन आगतों को किसान तक पहुंचाने के लिए MAITRI (मल्टी पर्पस AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया) की स्थापना करेगा। ○ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट (NPDD) ○ राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM)

VISION IAS

राष्ट्रीय गोकुल मिशन	• 40% तक विशिष्ट नस्लों (nondescript breeds) सहित स्वदेशी नस्लों को संरक्षित और विकसित करना। • स्वदेशी नस्लों के आनुवांशिक संघटन में सुधार करने और उनकी संख्या में वृद्धि के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम। • दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि • गिर, साहीवाल, राठी, देवनी, थारपारकर, लाल सिंधी जैसी उन्नत स्वदेशी नस्लों का उपयोग कर विशिष्ट नस्लों (nondescript breeds) के आनुवांशिक संघटन को उन्नत बनाना। • प्राकृतिक रूप से प्रजनन के लिए रोग मुक्त उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले बैलों का वितरण करना। • स्वदेशी नस्लों के स्थानीय प्रजनन क्षेत्रों में एकीकृत स्वदेशी मवेशी केंद्र या **गोकुल ग्रामों** की स्थापना। • पेशेवर कृषि प्रबंधन और बेहतर पोषण के माध्यम से भारत की स्वदेशी नस्लों की उत्पादकता में वृद्धि करना।

1.20. राष्ट्रीय डेयरी योजना-1

(National Dairy Plan-I)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। • संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को सहायता प्रदान करना।	• यह 2011-12 से 2018-19 की अवधि के लिए एंड इम्प्लेमेंटिंग एजेंसी (EIA) के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लागू एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। • NDP-1 18 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश आदि पर केंद्रित होगी। • इस योजना के विभिन्न घटक निम्न हैं - **उत्पादकता में वृद्धि करना-** ▪ वीर्य उत्पादन के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले बैलों और भैंसों का प्रजनन तथा जर्सी बैलों का आयात करना; ▪ दुधारू पशुओं द्वारा उनकी आनुवंशिक क्षमता के अनुरूप दुग्ध उत्पादन करने हेतु उनके पोषण में सुधार करना और मीथेन उत्सर्जन को कम करना। • प्राप्त दूध का भार मापने, गुणवत्ता का परीक्षण करने तथा दूध उत्पादकों को भुगतान करने हेतु गांव आधारित दूध खरीद प्रणालियाँ। • परियोजना प्रबंधन और गहन अध्ययन।

1.21. डेयरी उद्यमिता विकास योजना

(Dairy Entreprenuership Development Scheme: DEDS)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• शुद्ध दुग्ध के उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना को बढ़ावा देना। • बछिया एवं बछड़ा पालन को प्रोत्साहित करना ताकि बेहतर प्रजनन स्टॉक का संरक्षण किया जा सके। • असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना ताकि दूध का प्रारंभिक प्रसंस्करण गांव के स्तर पर किया जा सके। • व्यावसायिक पैमाने पर दुग्ध संरक्षण के लिए गुणवत्ता और पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना। • मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लिए स्व-रोजगार पैदा करना तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।	• किसान, व्यक्ति, NGOs तथा SHGs, डेयरी सहकारी समितियों जैसे संगठित क्षेत्रों के समूह।	• इस योजना को दो अलग-अलग योजनाओं में विभाजित किया गया है - डेयरी वेंचर कैपिटल फंड और पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड। • यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। नोडल एजेंसी के रूप में इसका कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। • यह योजना संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के लिए खुली है।

.

VISION IAS

1.22. एकीकृत मत्स्य पालन विकास एवं प्रबंधन

(Integrated Development and Management of Fisheries)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• अंतर्देशीय और समुद्री क्षेत्र में विद्यमान देश की कुल मत्स्य क्षमता का पूर्णतया दोहन करना तथा 2020 तक उत्पादन को तीन गुना करना।
• मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक उद्योग के रूप में रूपांतरित करने के लिए विशेष प्रौद्योगिकियों और पद्धतियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।
• मछुआरों और मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ई-कॉमर्स, अन्य प्रौद्योगिकियों और वैश्विक सर्वोत्तम नवाचारों के साथ-साथ उत्पादकता वृद्धि एवं बेहतर मार्केटिंग व पोस्टहार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान केंद्रित करना।
• आय वृद्धि में मछुआरों और मत्स्य कृषकों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करना।
• सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों और अन्य संस्थाओं में संस्थागत तंत्र के माध्यम से मछुआरों और मत्स्य किसानों को लाभ प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा साथ ही 2020 तक निर्यात आय को तीन गुना करना।
• देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में वृद्धि करना।
	• यह नीली क्रांति के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
	• यह एक अम्ब्रेला योजना है जो सभी मौजूदा योजनाओं का विलय कर निर्मित की गयी है।
	• इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को 2015-16 के 107.95 लाख टन से बढ़ाकर 2019-20 के अंत तक 150 लाख टन तक करना है।
	• इसका लक्ष्य मछुआरों और मत्स्य कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए उनके लाभ में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ निर्यात आय में वृद्धि करना है।
	• इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं:
	  ○ राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) और इसके कार्य।
	  ○ अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जल कृषि विकास।
	  ○ सागरीय मत्स्यन क्षेत्रों का विकास, अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन्स।
	  ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के डेटाबेस और उसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
	  ○ मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए संस्थागत व्यवस्था।
	  ○ देख-रेख, नियंत्रण और निगरानी तथा अन्य आवश्यकता आधारित हस्तक्षेप।
	  ○ मछुआरों के कल्याण पर राष्ट्रीय योजना।

1.23. पंडित दीन दयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना

(Pandit Deen Dayal Upadhyay Unnat Krishi Shiksha Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• जैविक कृषि और संधारणीय कृषि के सन्दर्भ में राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण स्तर पर कुशल मानव संसाधन का विकास करना। • ग्रामीण भारत को जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि / ग्रामीण अर्थव्यवस्था / संधारणीय कृषि के क्षेत्र में व्यावसायिक सहायता उपलब्ध कराना।	• ICAR द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना 2016 में आरम्भ की गई थी। इसका उद्देश्य जैविक कृषि / प्राकृतिक कृषि / गाय आधारित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के प्रशिक्षित किसानों द्वारा समीपवर्ती क्षेत्रों के अन्य किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना और क्षमता निर्माण करना है। • इस योजना के तहत कृषि शिक्षा के लिए 100 प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। • **प्रशिक्षण केंद्रों** का चयन उन किसानों के आधार पर किया जाएगा जो पहले ही उन्नत भारत अभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं या अपने खेतों में प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं और प्राकृतिक कृषि के सभी मूलभूत, मौलिक, सिद्धांतों और प्रचलनों के जानकार हैं।

1.24. जलवायु समुत्थानशील कृषि पर राष्ट्रीय पहल

(National Initiative on Climate Resilient Agriculture- NICRA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• संशोधित उत्पादन और जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग के माध्यम से जलवायु परिवर्तनशीलता और जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय	• यह **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद** (ICAR) की परियोजनाओं का एक नेटवर्क है। • यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घावधि वर्षा प्रवृति का आकलन कृषि एवं बागवानी

VISION IAS

कृषि (जिसमें फसलें, पशुपालन और मत्स्यपालन सम्मिलित हैं) की प्रत्यास्थता में वृद्धि करना। • वर्तमान जलवायु जोखिमों के प्रति अनुकूलित होने के लिए किसानों के खेतों पर स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी पैकेज का प्रदर्शन करना। • जलवायु प्रत्यास्थ कृषि संबंधी अनुसंधान और उसके अनुप्रयोगों में वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण को बेहतर बनाना।	पर इसके प्रभाव को समझने हेतु करता है। • यह बड़े क्षेत्रों में ग्रीनहाउस गैसों की माप के लिए फ्लक्स टावर जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना करता है। • यह धान की कृषि की नई एवं उभरती पद्धतियों का व्यापक क्षेत्र मूल्यांकन करता है। • अनुकूलन और शमन पर शोध फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को कवर करता है। • परियोजना में निम्नलिखित चार घटक सम्मिलित हैं: **रणनीतिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, क्षमता निर्माण और प्रायोजित / प्रतिस्पर्द्धी अनुदान।**

1.25. ब्याज अनुदान योजना

(Interest Subvention Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु अल्पकालिक फसल ऋण को एक किफायती दर पर उपलब्ध कराना।	• यह किसानों को 2% प्रति वर्ष की रियायत के साथ 7% ब्याज की दर से 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण प्रदान करती है। • "समय से भुगतान करने वाले किसानों" के लिए प्रति वर्ष 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान उपलब्ध है। • ब्याज अनुदान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों तथा RRBs और सहकारी बैंकों को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए NABARD को उपलब्ध होगा। • योजना के तहत चार सेगमेंट में ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा ; ○ अल्पकालिक फसल ऋण के लिए ब्याज अनुदान। ○ पोस्ट हार्वेस्ट लोन पर ब्याज अनुदान। ○ दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत ब्याज अनुदान। ○ प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत के लिए ब्याज अनुदान।

1.26.आर्या परियोजना- अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर

(ARYA Project)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• चयनित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सतत आय और लाभकारी रोजगार के लिए विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्रक के उद्यमों को अपनाने हेतु युवाओं को आकर्षित करना एवं सशक्त बनाना। • कृषि क्षेत्र के युवाओं को प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा विपणन जैसी संसाधन एवं पूंजी गहन गतिविधियों को अपनाने हेतु नेटवर्क समूहों को स्थापित करने योग्य सक्षम बनाना। • युवाओं के सतत विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध अवसरों के अभिसरण हेतु विभिन्न संस्थानों और हितधारकों के मध्य कार्यात्मक संबंधों को प्रदर्शित करना।	• भारत सरकार ने 2015 में ARYA - "अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर" नामक परियोजना आरम्भ की। • इसे प्रत्येक राज्य के एक जिले में कृषि विकास केंद्र (KVK) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। KVKs इसके लिए कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों को प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में शामिल करेंगे। • एक जिला में, 200-300 ग्रामीण युवाओं को उद्यमशील गतिविधियों हेतु उनके कौशल विकास और संबंधित सूक्ष्म-उद्यम इकाइयों की स्थापना के लिए चिह्नित किया जाएगा। • कृषि विकास केंद्रों पर भी एक या दो उद्यम इकाइयां स्थापित की जाएंगी ताकि वे किसानों के लिए उद्यमी प्रशिक्षण इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।

VISION IAS

1.27. कृषि विज्ञान केंद्र

(Krishi Vigyan Kendras)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कृषि में फ्रंटलाइन विस्तार के लिए, और किसानों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करना। • स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और किसानों का क्षमता निर्माण। • अनुसंधान एवं कृषि विस्तार (साथ ही किसानों के मध्य) एक कड़ी के रूप में कार्य करना।	• ग्रामीण युवा, कृषक महिलाएं और किसान (कौशल विकास प्रशिक्षण)।	• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने देश में 645 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) का एक नेटवर्क स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, 106 KVKs और स्थापित किए जाएंगे। • राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार निदेशालय (Directorate of Extension) भी KVKs को इसकी गतिविधियों में सहायता करते हैं। • KVKs ग्रामीण युवाओं, कृषक महिलाओं और किसानों के कौशल विकास प्रशिक्षण पर तीव्र बल देते हैं। • ये बीज, रोपण सामग्री और जैव उत्पादों जैसे नवीनतम तकनीकी इनपुट प्रदान करते हैं। • जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों सहित फसल/उद्यम से संबंधित अनुशंसाओं के बारे में समय-समय पर किसानों को सलाह प्रदान करते हैं। • ये जिला कृषि-पारिस्थितिक तंत्र से उभरने वाली समस्याओं को चिह्नित एवं हल करते है। साथ ही, नवाचारों को अपनाने हेतु नेतृत्व प्रदान करते हैं।

1.28. एग्री उड़ान

(Agri Udaan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप क्रांति लाना (जो अभी तक अधिकांशतः सेवा क्षेत्र में ही केन्द्रित रही है)।	• यह ICAR-NAARM और IIM-A के इनक्यूबेटर केंद्रों द्वारा घोषित एक खाद्य एवं कृषि उत्प्रेरक है। • यह दृढ परामर्श, उद्योग नेटवर्किंग और निवेशकों की सहायता कर खाद्य और कृषि-व्यवसाय से संबंधित स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। • इसमें निहित मुख्य विचार ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है ताकि कृषि उत्पादों एवं किसान की उपज का मूल्य-वर्द्धन किया जा सके।

1.29. मेरा गाँव-मेरा गौरव

(Mera Gaon-Mera Gaurav)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• किसानों के साथ वैज्ञानिकों के प्रत्यक्ष संपर्क को बढ़ावा देना और प्रयोगशाला से खेत तक (लैब टू लैंड) की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। • कृषि वैज्ञानिकों में स्वामित्व की भावना का समावेश करना। • गांवों को गोद लेने के माध्यम से नियमित आधार पर किसानों को आवश्यक सूचनाएं, ज्ञान और सलाह प्रदान करना।	• ज़मीनी स्तर पर अनुभव वाले वैज्ञानिक • किसान	• इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक शामिल हैं। • इनमें से प्रत्येक संस्थान और विश्वविद्यालय में चार बहु-विषयक वैज्ञानिकों का समूह गठित किया जाएगा। प्रत्येक समूह अधिकतम 100 किमी की परिधि के भीतर पांच गांवों को "गोद लेगा"।

VISION IAS

1.30. अन्य पहलें

(Other Initiatives)

पहलें	मुख्य विशेषताएं
आपरेशन ग्रीन्स (Operation Greens)	• इसका लक्ष्य मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों को संधारणीय मूल्यों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को किफ़ायती कीमतों पर सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। • शुरू में यह तीन आधारभूत सब्जियों, अर्थात् टमाटर, प्याज और आलू (Tomatoes, Onions and Potatoes: TOP), पर ध्यान केंद्रित करेगा। • साथ ही यह किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), एग्री-लॉजिस्टिक्स, प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगा। • यह ऑपरेशन फ्लड (दूध उत्पादन में वृद्धि) की तर्ज पर 500 करोड़ रुपये की एक परियोजना है।
तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना (Integrated Scheme of Oilseeds, Pulses, Oil Palm and Maize: ISOPOM)	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का से संबंधित चार योजनाओं का एक में विलय कर दिया गया है। • इसे **कृषि एवं सहकारिता विभाग** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • ISOPOM, राज्यों को इस योजना के अंतर्गत आबंटित निधि के उपयोग के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस निधि के अधिकतम 10% हिस्से को अपनी पसंद की फसल हेतु उपयोग करने की भी छूट प्रदान करता है। • यह राज्यों को 15% की वित्तीय सीमा के साथ इस योजना के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र को शामिल करने की अनुमति भी देता है। • इसके अंतर्गत किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। • इसका उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना भी है।
त्वरित दाल उत्पादन कार्यक्रम (Accelerated Pulses Production Program)	• इसका लक्ष्य पांच प्रमुख दलहनी फसलों के लिए, प्रत्येक हेतु 1,000 हेक्टेयर की सघन इकाइयों में, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों तथा पौधों की सुरक्षा पर केंद्रित संशोधित प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन कार्यप्रणालियों का प्रदर्शन (demonstration) करना है। ये फसलें हैं: चना, उड़द, अरहर, मूंग और मसूर। • यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 100% वित्त पोषित है और NFSM-Pulses (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दाल) के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। • इसे एकीकृत पोषक-तत्व प्रबंधन (INM) और एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकियों का सक्रिय रूप से प्रसार करने हेतु परिकल्पित किया गया है। • इस कार्यक्रम को 'कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग' निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है: (i) दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशक/आयुक्त, और (ii) केंद्र सरकार की संस्था: ICAR-NCIPM.
मिशन फिंगरलिंग (Mission Fingerling)	• मिशन फिंगरलिंग को नीली क्रांति (ब्लू रेवोल्यूशन) के तहत आरंभ किया गया है। नीली क्रांति में एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की परिकल्पना की गई है। • इसमें फिशरीज के उत्पादन को 10.79 mmt (2014-15) से बढ़ाकर 2020-21 में 15 mmt करने का लक्ष्य रखा गया है। • यह योजना देश में फिश फिंगरलिंग, पोस्ट लार्वा ऑफ़ श्रिम्प एंड क्रैब के उत्पादन के एक निश्चित स्तर की सुनिश्चितता हेतु हैचरीज़ और फिंगरलिंग रिअरिंग पॉन्ड की स्थापना को बढ़ावा देगा।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	• इसमें पशुधन क्षेत्र का संधारणीय विकास सम्मिलित है। साथ ही इसमें गुणवत्तापूर्ण पशु-आहार एवं चारे की उपलब्धता में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

VISION IAS

(National Livestock Mission: NLM)	• NLM के तहत उप-मिशन: पशुधन विकास पर उप-मिशन, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सुअर विकास पर उप- मिशन, पशु-आहार तथा चारा विकास पर उप–मिशन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप-मिशन। • पशुधन विकास पर उप-मिशन के उद्यमिता विकास और रोजगार निर्माण (EDEG) घटक के तहत सब्सिडी नाबार्ड के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
"गुणवत्ता चिह्न" पुरस्कार योजना (Quality Mark Award Scheme)	• यह पुरस्कार योजना 'श्वेत क्रांति' के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू की गई है। • इसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी बाजार की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में प्रक्रिया संबंधी सुधार लाना है। यह योजना सहकारी समितियों द्वारा विपणित किए जाने वाले दूध की गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ताओं में विश्वास उत्पन्न करेगी। • गुणवत्ता चिह्न का पुरस्कार वस्तुतः गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा मानकों के रखरखाव तथा समझौते के नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन तीन वर्षों के लिए मान्य होगा। • कार्य के पर्यवेक्षण के लिए एक ग्यारह सदस्यीय समिति की संकल्पना की गई है जिसमें DADF, FSSAI आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
ई-कृषि संवाद (E-Krishi Samvad)	• यह एक ऑनलाइन इंटरफेस है, जिसके माध्यम से किसान और अन्य हितधारक अपनी समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। • विशेषज्ञों से त्वरित निदान और उपचार संबंधी उपाय प्राप्त करने के लिए हितधारक फसल रोगों, जानवरों या मछलियों की तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं। • विशेषज्ञों द्वारा SMS के माध्यम से उचित समाधान प्रदान किए जाएंगे।
ई-रकम पोर्टल (E-Rakam Portal)	• यह MSTC लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न PSU) और सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी की एक संयुक्त पहल है। • यह एक नीलामी मंच है, जो किसानों को उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता करता है और उन्हें मध्यस्थों के शोषण के साथ-साथ उत्पाद को मंडी तक पहुँचाने की समस्या से भी बचाता है। • किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।

फार्मर फर्स्ट इनीशिएटिव (Farmer First Initiative)	• इसका मुख्य फोकस किसानों के खेतों (Farms), नवाचारों (Innovations), संसाधनों (Resources), विज्ञान (Science) और प्रौद्योगिकी (Technology) पर है। इन्हें संक्षेप में FIRST से निरूपित किया जाता है।
	• यह ICAR की एक पहल है जिसमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया है:
	  ○ किसान-वैज्ञानिक संपर्क को समृद्ध बनाना;
	  ○ प्रौद्योगिकी एकत्रीकरण, उनका उपयोग और प्रतिक्रिया;
	  ○ साझेदारी और संस्थागत सुदृढ़ीकरण; तथा
	  ○ सामग्री का एकत्रीकरण।
	• इसमें विभिन्न कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों में किसानों की वर्धित आय के मॉडल के रूप में, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से स्वीकृत उद्यमशील गतिविधियों को चिन्हित और एकीकृत भी किया जाएगा।

हॉर्टिनेट - फार्मर कनेक्ट ऐप (Hortinet – Farmer	• यह कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा विकसित एक एकीकृत ट्रेसिबिलिटी सिस्टम है। यह भारत से यूरोपियन संघ को निर्यात किये जाने वाले

VISION IAS

Connect App)	अंगूरों, अनारों और सब्जियों का निर्धारित मानकों के अनुपालन के आधार पर फार्म रजिस्ट्रेशन, परीक्षण और प्रमाणीकरण करने की सुविधा के लिए इंटरनेट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान करता है। • इससे किसानों और अन्य हितधारकों के मध्य ट्रेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की सुगम्यता और पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। • यह राज्य के बागवानी/कृषि विभाग को किसानों, कृषि स्थलों, उत्पादों और निरीक्षण के विवरणों सन्दर्भ में सीधे खेतों से रियल-टाइम जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा। • ऐप की मुख्य विशेषताएं हैं: ○ राज्य बागवानी/कृषि विभाग द्वारा किसानों, खेतों और उत्पादों का पंजीकरण। ○ ऐप के माध्यम से पंजीकृत खेतों की भू-अवस्थिति (geo location) का पता लगाना। • APEDA की अधिकृत लेबोरेटरीज द्वारा नमूनों (सैंपल) की भू-अवस्थिति सहित नमूनों का संग्रहण।
ग्रामीण खुदरा कृषि बाजार (Gramin Retail Agriculture Markets : GrAMs)	• GrAMS को बजट 2017-18 में कृषि विपणन क्षेत्र में खुदरा बाजार विकसित करने के उद्देश्य से कृषि बाजार विकास कोष के तहत आरंभ किया गया है। • इस पहल के तहत 22,000 ग्रामीण हाट और 585 AMC बाजार विकसित किए जाएंगे और GrAMS में अपग्रेड किए जाएंगे। • इन GrAMs में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का उपयोग करके भौतिक अवसंरचना को मजबूत बनाया जाएगा। • उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से e-NAM से जोड़ा जाएगा और APMC नियमों से छूट दी जाएगी। • ये किसानों को उपभोक्ताओं और थोक खरीददारों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
कृषि-वानिकी - मेड़ पर पेड़ (Agro-forestry – Medh Par Ped)	• यह किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने हेतु कृषि विस्तार और किसानों के क्षमता निर्माण हेतु एक अभियान है।
कृषि विपणन सूचना नेटवर्क (एगमार्कनेट) पोर्टल {Agricultural Market Information Network (AGMARKNET) portal}	• यह एक G2C ई-गवर्नेंस पोर्टल है, जो सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करके किसानों, उद्योगों, नीति निर्माताओं और अकादमिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। • यह देश भर में फैले कृषि उपज बाजारों में वस्तुओं की दैनिक आमद और उनकी कीमतों के संबंध में वेब-आधारित सूचना प्रवाह की सुविधा प्रदान करता है।
राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (National Agriculture Higher Education Project)	• यह परियोजना कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व बैंक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से शुरू की गई है। • परियोजना का घटक हैं - ○ कृषि विश्वविद्यालयों को समर्थन; ○ कृषि से संबंधित उच्च शिक्षा में नेतृत्व के लिए ICAR में निवेश; तथा ○ परियोजना प्रबंधन और अधिगम।

VISION IAS

जीरो हंगर प्रोग्राम (Zero Hunger Program)	• कार्यक्रम का लक्ष्य क्षेत्रकीय समन्वय के माध्यम से अंतरपीढ़ीगत और बहुआयामी कुपोषण की समस्या को हल करना है। • यह भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण वाले एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा।
डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (Dairy Processing and Development Fund)	• इसे नाबार्ड के तत्वाधान में 8,000 करोड़ रुपये की निधि के साथ स्थापित किया गया है और इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रबंधित किया जाता है। • इस फंड का उपयोग पुरानी और अप्रचलित दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, विशेष रूप से वे जो सहकारी क्षेत्रक में हैं, का आधुनिकीकरण करने के लिए किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे किसानों के उत्पादन का मूल्य बढ़ेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी।

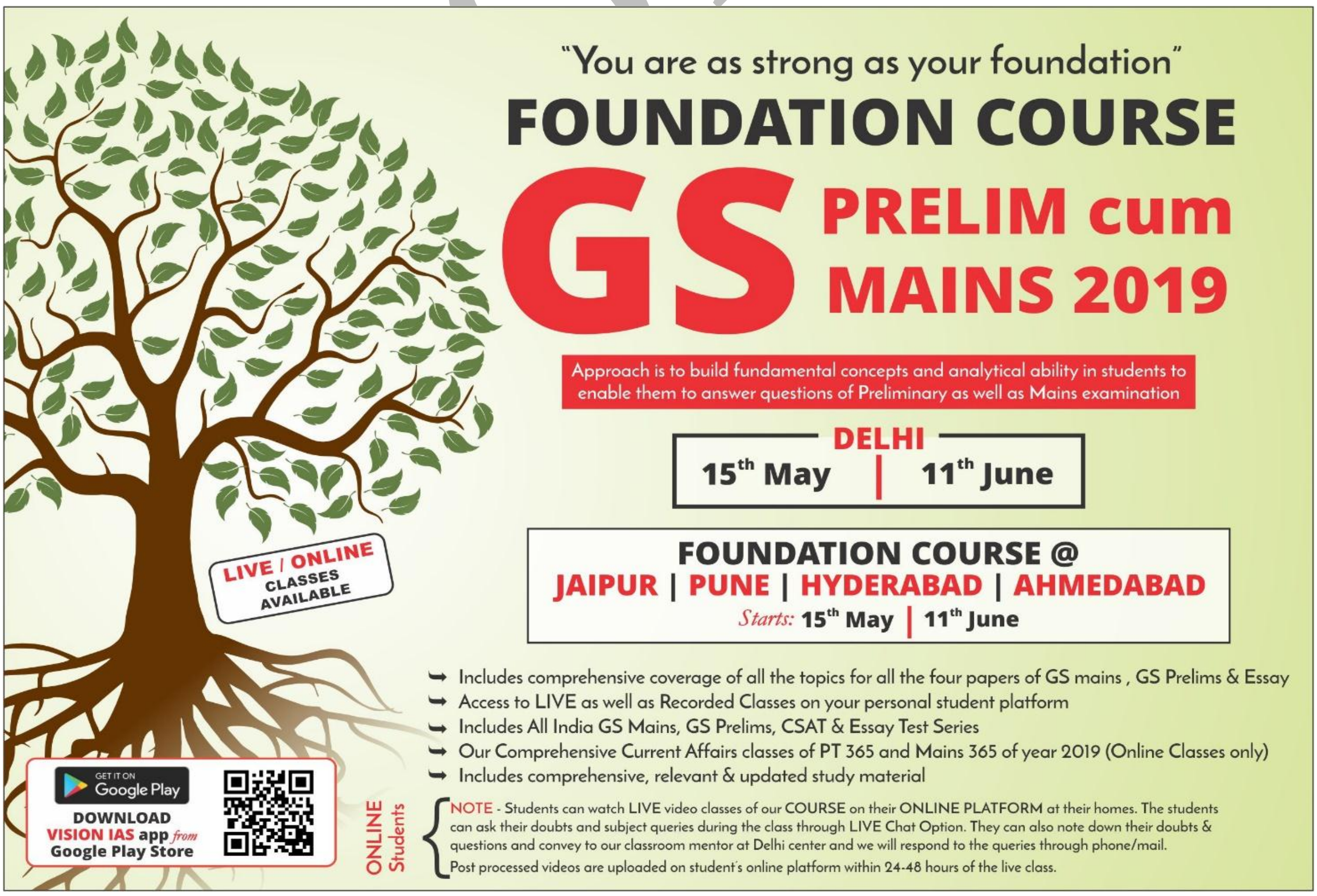

2. आयुष मंत्रालय

(MINISTRY OF AYUSH)

2.1 राष्ट्रीय आयुष मिशन

(National Ayush Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• आयुष अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन के साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना के माध्यम से एक सार्वभौमिक पहुंच के साथ लागत प्रभावी आयुष सेवाएं प्रदान करने के लिए।
• राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना।
• उत्तम कृषि पद्धतियों (गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज: GAPs) को अपनाकर औषधीय पादपों की कृषि में सहायता प्रदान करना।
• खेती, वेयरहाउसिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन के अभिसरण द्वारा समूहों की स्थापना में सहायता और उद्यमियों के लिए अवसंरचना का विकास।
	• यह 2014 में प्रारंभ की की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
	• आयुष चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल की एक परंपरागत प्रणाली है, जिसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा तथा होम्योपैथी शामिल हैं।
	• मिशन के घटक:
	  ○ अनिवार्य घटक (रिसोर्स पूल का 80%)
	    ▪ आयुष सेवाएं (आयुष सुविधाओं का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) और जिला अस्पतालों (DHs) के साथ सह-स्थापना)
	    ▪ आयुष शैक्षणिक संस्थान
	    ▪ ASU &H औषधियों का गुणवत्ता नियंत्रण
	    ▪ औषधीय पौधे
	  ○ लचीले (Flexible) घटक (रिसोर्स पूल का 20%)
	    ▪ योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित आयुष स्वास्थ्य केंद्र
	    ▪ IEC गतिविधियाँ
	    ▪ टेली-मेडिसिन
	    ▪ औषधीय पौधों के लिए फसल बीमा
	    ▪ निजी आयुष शैक्षिक संस्थानों के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी का प्रावधान और ब्याज सब्सिडी घटक।
	• निगरानी और मूल्यांकन
	  ○ केंद्र / राज्य स्तर पर समर्पित MIS निगरानी और मूल्यांकन इकाई (सेल) स्थापित की जाएगी।

2.2 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	प्रमुख विशेषताएं
मिशन मधुमेह	• गैर-संक्रामक रोग मधुमेह का नियन्त्रण एवं लागत प्रभावी उपचार प्रदान करना। • 2016 में प्रारंभ, यह योजना सम्पूर्ण देश में आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह के प्रभावी प्रबंधन हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए **राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल** के माध्यम से लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम	• गावों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना। साथ ही घरेलू परिवेश और पर्यावरण की सफाई के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। • स्वास्थ्य संवर्धन और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए रैलियों, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक प्रचार, जिसमें व्यक्तिगत, पर्यावरण और सामाजिक स्वच्छता के सम्बन्ध में जागरूकता के प्रसार पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

VISION IAS

3. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS)

3.1. उर्वरक विभाग

(Department of Fertilisers)

3.1.1. पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

(Nutrient Based Subsidy Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• किसानों को वैधानिक रूप से नियंत्रित मूल्य पर P&K युक्त उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • उर्वरकों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादकता में सुधार करना, स्वदेशी उर्वरक उद्योग के विकास को बढ़ावा देना और सब्सिडी के बोझ को कम करना।	• इस योजना के तहत उर्वरक निर्माताओं (यूरिया के अतिरिक्त) को उनके उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर वार्षिक आधार पर नियत सब्सिडी की राशि प्रदान की जाती है। • इस योजना के तहत फॉस्फेट और पोटॉश (P&K) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) को मुक्त रहने दिया गया है तथा निर्माताओं/आयातकों/विपणकों को उचित स्तर पर इन उर्वरकों के MRP नियत करने की अनुमति प्रदान की गयी है। • MRP का निर्धारण P&K उर्वरकों के अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों, विनिमय दरों और देश में इनके भंडार के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

3.1.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

सिटी कम्पोस्ट स्कीम	• इस योजना के तहत प्रति टन सिटी कंपोस्ट (शहरी कचरे से बनने वाली खाद) पर बाजार विकास सहायता के रूप में 1500 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सिटी कंपोस्ट के उत्पादन और उपयोग में वृद्धि करना है। • उर्वरक कंपनियां और विपणन संस्थाएं अपने डीलरों के नेटवर्क के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ सिटी कंपोस्ट का भी विपणन करेंगी। • गोद लेने के प्रावधान के तहत कंपनियां कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गांवों को गोद भी लेती हैं। • इस हेतु एक उचित BIS मानक/इको-मार्क यह सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्तापूर्ण उत्पाद किसानों तक पहुंचे।

3.2. औषध विभाग

(Department of Pharma)

3.2.1. प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP)

(Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadi Pariyojana)

उद्देश्य	कार्यान्वयन एजेन्सी	मुख्य विशेषताएँ
• सभी के लिए, विशेष रूप से गरीब और वंचित वर्गों हेतु वहनीय कीमतों पर गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध कराना।	• औषध विभाग की पूर्ण वित्तीय सहायता के माध्यम से ब्यूरो ऑफ़ फ़ार्मा	• यह योजना पहले जनऔषधि परियोजना के नाम से जानी जाती थी। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित कर PMBJP कर दिया गया है। • प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (PMBJKs) को जेनेरिक दवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ये दवाएँ गुणवत्ता और प्रभावकारिता में महंगी ब्रांडेड दवाओं के समान होती हैं किन्तु उनसे

VISIONIAS

• प्रति व्यक्ति उपचार की इकाई लागत (यूनिट कॉस्ट) को कम करना और उसे पुनः परिभाषित करना। • जेनेरिक दवाओं के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता का प्रसार करना और चिकित्सकों के माध्यम से इनकी मांग का सृजन करना।	PSUs ऑफ़ इंडिया (BPPI)	कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं। • PMBJK को किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा, सरकारी निकायों के स्वामित्व वाले किसी भी सरकारी भवन में खोला जा सकता है। किसी भी गैर सरकारी संगठन (NGOs) / चैरिटेबल सोसायटी / संस्थान / स्वयं-सहायता समूह / व्यक्तिगत उद्यमी / फार्मासिस्ट / डॉक्टर द्वारा भी अस्पताल परिसर के बाहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर PMBJK खोला जा सकता है। • किसी सरकारी अस्पताल परिसर में JAK की स्थापना करने वाले NGOs / एजेंसियों / व्यक्तियों को 2.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही इसकी स्थापना हेतु ऑपरेटिंग एजेंसी को सरकार द्वारा अस्पताल परिसर में नि:शुल्क स्थान भी उपलब्ध कराया जाएगा।

3.2.2. सुविधा

(Suvidha)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• सभी को वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य-देखभाल उपलब्ध कराने के सरकार के उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित करना।	• यह वहनीय मूल्य वाला सैनिटरी नैपकिन है। भारत की वंचित महिलाओं की 'स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा' सुनिश्चित करने हेतु इसे आरम्भ किया गया है। • इसका विनिर्माण ब्यूरो ऑफ़ फ़ार्मा PSU ऑफ़ इंडिया द्वारा किया गया है। • यह सैनिटरी पैड 100% ओक्सो-बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि इसमें एक विशेष योजक जोड़ा गया है जो उपयोग के बाद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके इसे बायोडिग्रेडेबल बनाता है। • विश्व महिला दिवस पर इसका शुभारंभ किया गया और वर्तमान में यह 3,200 जनऔषधि केंद्रों पर उपलब्ध है।

3.2.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

फ़ार्मा जन समाधान	• यह दवाइयों के मूल्य एवं उपलब्धता से संबंधित उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक वेब सक्षम प्रणाली है। • इसे राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा तैयार किया गया है। • यह औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त ई-गवर्नेंस उपकरण के रूप में कार्य करेगा।
'फ़ार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप	• यह NPPA द्वारा विकसित की गयी एक मोबाइल ऐप है। यह NPPA द्वारा विभिन्न अनुसूचित औषधियों के लिए निर्धारित MRP को रियल-टाइम आधार पर प्रदर्शित करती है।

3.3. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

(Department of Chemicals & Petrochemicals)

3.3.1. प्लास्टिक पार्क्स स्कीम

(Plastic Parks Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक	• इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय प्लास्टिक पार्क नीति, 2010 में की गई थी। इस नीति को 2013 में

VISION IAS

प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धात्मकता, बहुलक अवशोषण क्षमता (polymer absorption capacity) और मूल्य वर्द्धन में वृद्धि करना। • निवेश में वृद्धि करना और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय संवृद्धि प्राप्त करना। • उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक क्लस्टर आधारित विकास दृष्टिकोण को अपनाना।	संशोधित किया गया। • यह योजना आवश्यकता आधारित "प्लास्टिक पार्क्स" की स्थापना का समर्थन करती है। ये पार्क्स आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त परिवेश होंगे। • यह प्रशासनिक भवनों, सड़कों, जल आपूर्ति जैसी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। • यह प्रस्तावित पहलों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए लाभार्थी SPV (स्पेशल पर्पज़ व्हीकल) और सहभागी उद्यमों की क्षमता में सुधार सुनिश्चित करने वाले क़दमों को भी समर्थन प्रदान करेगी। • वित्त पोषण पैटर्न - केंद्र द्वारा 50% राशि का योगदान किया जाएगा और शेष योगदान राज्य सरकार या राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा सृजित SPV द्वारा किया जाएगा।

4. नागर विमानन मंत्रालय

(MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

4.1. उड़े देश का आम नागरिक (UDAN) : नागर विमानन मंत्रालय

[Ude Desh ka Aam Naagrik (UDAN)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• वर्तमान हवाई पट्टियों और विमानस्थलों के पुनरुत्थान के माध्यम से देश के सेवा रहित या कम विमानन सेवा प्रदान करने वाले स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करना।
• क्षेत्रीय विमानन बाजार को विकसित करना।
• वायु परिवहन को वहनीय बनाना।
	• UDAN वैसी उड़ानों (flights) पर लागू होगी जो 200 किमी और 800 किमी के बीच की दूरी तय करती हैं। इनमें पहाड़ी, सुदूर क्षेत्र, द्वीपों और सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिये कोई निम्न सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
	• इसमें चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को **न्यूनतम 9 और अधिकतम 40 उडान सीटें** और हैलीकॉप्टर के लिए न्यूनतम 5 और अधिकतम 13 सीटें सब्सिडी दर पर देनी होंगी।
	• इस योजना के तहत विभिन्न दूरियों/समय के अनुसार समानुपातिक मूल्य निर्धारण के साथ एक निर्धारित हवाई जहाज पर लगभग 500 किलोमीटर की एक घंटे की यात्रा अथवा किसी हैलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए अधिकतम किराया 2,500 रूपया होगा।
	• इसे प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:
	  ○ केंद्र व राज्य सरकारों और एयरपोर्ट ऑपरेटरों से मिली रियायतों के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन, और
	  ○ ऐसे हवाई हड्डों से संचालन शुरू करने में दिलचस्पी रखने वाली विमान सेवाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल राशि (Viability Gap Funding: VGF) ताकि यात्री किरायों को सस्ता रखा जा सके।
	• इस योजना के अंतर्गत VGF की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक क्षेत्रीय संपर्क कोष (Regional Connectivity Fund: RCF) बनाया जाएगा। कुछ घरेलू उड़ानों पर प्रति प्रस्थान RCF कर लागू किया जाएगा।
	• भागीदार राज्य सरकारें (पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों, जिन्हें 10 प्रतिशत योगदान देना होगा, के अतिरिक्त) इस कोष के लिए 20 प्रतिशत हिस्से का योगदान करेंगी।
	• VGF के अलावा, सरकार अन्य रियायतें भी प्रदान करेगी, जैसे- ATF पर 2 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की छूट, सेवा कर का 1/10 भाग तथा RCS हवाई अड्डों के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ उदारीकृत कोड शेयरिंग जैसी सुविधाएँ।
	• राज्य सरकारों को ATF पर मूल्य वर्धित कर यानी वैट 1 प्रतिशत तक कम करना होगा। इसके साथ ही उन्हें सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध करवानी होंगी। उन्हें बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं काफी रियायती दरों पर प्रदान करनी होंगी।

	• क्षेत्रीय कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए UDAN बाजार पर आधारित एक अनूठा मॉडल है। • **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है।

4.2. डिजीयात्रा

(DigiYatra)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• एक डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करने के लिए समग्र उड्डयन उद्योग को एक साथ लाना ताकि भारतीय ग्राहकों को उनकी यात्रा के प्रत्येक स्पर्श बिंदु पर एक निर्बाध, सुसंगत और पेपरलेस सेवा का अनुभव प्रदान किया जा सके।	• सभी विमानन हितधारक - एयरलाइंस, एयरपोर्ट ऑपरेटर, सुरक्षा और आप्रवासन एजेंसियां, कैब ऑपरेटर, खुदरा प्रतिष्ठान और अन्य मिलकर डिजिटल मानकों को तैयार करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि ये मानक डेटा और सूचना के निर्बाध विनिमय को संभव बना सकें। • इस प्लेटफार्म का विकास 4 प्रमुख स्तंभों के आधार पर किया जाएगा, ये हैं- कनेक्टेड पैसेंजर्स, कनेक्टेड एयरपोर्ट्स, कनेक्टेड फ्लाइंग और कनेक्टेड सिस्टम्स।

5. कोयला मंत्रालय

(MINISTRY OF COAL)

5.1. शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांस्पैरेंटली इन इण्डिया) योजना

(Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India :SHAKTI Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• विद्युत् क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण चुनौती यथा कोयला लिंकेज का अभाव से निपटना। • वहनीय मूल्य पर विद्युत् उपलब्ध कराना तथा कोयले तक पहुँच सुनिश्चित करना और कोयले के आवंटन में जवाबदेहिता सुनिश्चित करना।	• विद्युत कंपनियाँ (कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति) • उपभोक्ता (विद्युत लागत में कमी) • स्वदेशी कोयला क्षेत्रक (आयातित कोयले में कमी) • बैंकिंग क्षेत्रक (NPAs में कमी)	• यह कोयला लिंकेज की नीलामी और आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण नीति है। • यह नीति पहले से ही लेटर्स ऑफ़ अश्योरेन्स (LoAs) रखने वाले कोयला संयंत्रों को ईंधन आपूर्ति समझौते (FSA) से पुरस्कृत करेगी। • कोयला लिंकेज राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत् वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को आवंटित किए जाएंगे। • बदले में ये राज्य या केंद्रीय विद्युत् उत्पादन कंपनियों को आवंटन के माध्यम से, और निजी इकाइयों को नीलामी के माध्यम से लिंकेज प्रदान करेंगी। • नीलामी में भाग लेने वाले स्वतंत्र विद्युत् उत्पादक (IPPs) मौजूदा टैरिफ पर छूट के लिए बोली लगाएंगे और इसे सकल कोयला-बिलों से समायोजित किया जाएगा।

उत्तम (अनलॉकिंग ट्रांसपैरेंसी बाई थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ़ माइंड कोल) ऐप	• इस ऐप का लक्ष्य कोयले की गुणवत्ता निगरानी से संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करना और कोल गवर्नेंस को जन अनुकूल बनाना है। यह ऐप थर्ड पार्टी सैंपलिंग की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें सैंपल के तौर पर लिए गए कोयले के उत्पादन, प्रेषण और मात्रा की जानकारी शामिल होती है। इसमें गुणवत्ता मानकों यथा घोषित ग्रॉस कैलोरिफ़िक वैल्यू (GCV), विश्लेषित GCV तथा सैंपल के स्थान और मात्रा जैसे कवरेज मानकों के आधार पर सभी सहायक इकाइयों को कोयले की गुणवत्ता का समग्र कवरेज प्रदान करने के लिए एक संवादमूलक मानचित्र आधारित दृश्य उपलब्ध है।

VISION IAS

6. (वाणिज्य मंत्रालय)

(MINISTRY OF COMMERCE)

6.1. स्टार्ट अप इंडिया

(Start Up India)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश में नवाचार और स्टार्टअप्स के पोषण के लिए एक मजबूत इको-सिस्टम का निर्माण करना जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा।	**सरलीकरण और देखभाल (हैंडहोल्डिंग):** • स्टार्टअप के लिए स्व-प्रमाणीकरण आधारित सरल अनुपालन व्यवस्था का विकास। • अनुपालन और सूचना विनिमय के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल की शुरुआत। • विकास के विभिन्न चरणों के दौरान स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने हेतु **स्टार्टअप इंडिया हब** को प्रारंभ करना। • निम्न लागत पर कानूनी सहायता और शीघ्र पेटेंट जाँच की सुविधा। • स्टार्टअप के लिए सार्वजनिक खरीद हेतु आसान मानदंड। • स्टार्टअप के लिये त्वरित निकासी नियम। **अनुदान सहायता और प्रोत्साहन:** o अगले चार वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के माध्यम से सहायता प्रदान करना। o क्रेडिट गारंटी फंड- यह पहल स्टार्टअप्स के लिए एक क्रेडिट गारंटी फंड के सृजन का प्रावधान करती है। अगले चार वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक (सिडबी) के माध्यम से इस फंड का सृजन किया जाएगा। o फंड ऑफ फंड्स में निवेश करने पर पूंजीगत लाभ पर कर छूट। o 3 वर्षों के लिये स्टार्टअप को करों में छूट। **उद्योग-शिक्षा जगत सहभागिता तथा इन्क्यूबेशन** o नवाचारों को प्रदर्शित करने और एक सहयोग मंच प्रदान करने हेतु स्टार्टअप उत्सव आयोजित करना। o नीति आयोग के स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग (सेल्फ एम्पलायमेंट एंड यूटीलाईजेशन; SETU) कार्यक्रम के साथ अटल इनोवेशन मिशन (AIM) का शुभारंभ। o इनक्यूबेटरों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का दोहन। o IIT मद्रास में रिसर्च पार्क सेट-अप मॉडल के आधार पर 7 नए शोध पार्कों की स्थापना करना। o छात्रों के लिए नवाचार केंद्रित कार्यक्रमों की शुरूआत। o इनक्यूबेटर के मध्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रैंड चैलेंज का आयोजन।

6.2. मेक इन इंडिया

(Make In India)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• भारत को एक वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण हब में परिवर्तित करना।	• इसका लक्ष्य है: o एक मध्यम अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 12-14% प्रति वर्ष की वृद्धि को लक्षित करना। o 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना। o विनिर्माण क्षेत्रक में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां सृजित करना। o समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों और शहरी गरीबों में समुचित कौशल का विकास करना। o विनिर्माण क्षेत्रक में घरेलू मूल्यवर्द्धन और प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता में वृद्धि। o भारतीय विनिर्माण क्षेत्रक की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।

	○ विकास की संधारणीयता सुनिश्चित करना, विशेषकर पर्यावरण के संबंध में। • मेक इन इंडिया अभियान के लिए 2014 में एक समर्पित इन्वेस्टर फैसिलिटेशन सेल (IFC) का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य निवेश के पूर्व के चरण और निवेश की अवधि से लेकर निवेश के उपरांत तक नियामकीय अनुमोदन, स्वीकृति और देखभाल सेवाओं के लिए निवेशकों की मदद करना है। • रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों को निवेश के लिए खोला गया है। साथ ही, निवेश को सुविधाजनक बनाने और ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए विनियामकीय नीतियों में रिआयत दी गयी है। • देश के विभिन्न क्षेत्रों में छह औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। इन गलियारों के साथ औद्योगिक नगरों का भी विकास होगा।

6.3. ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) (निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना)

(Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• निर्यात अवसंरचना (बुनियादी ढाँचे) में व्याप्त अंतराल को समाप्त कर निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना, केन्द्रित निर्यात अवसंरचना का सृजन, निर्यातोन्मुख परियोजनाओं हेतु फर्स्ट माइल और लास्ट माइल (शुरू से अंत तक) कनेक्टिविटी तथा गुणवत्ता और प्रमाणीकरण मानकों का निर्धारण करना।	• यह सीमावर्ती हाटों, कोल्ड चेन, ड्राई पोर्ट्स आदि जैसे निर्यात लिंकेज के साथ नवीन अवसंरचनाओं के सृजन तथा मौजूदा अवसंरचनाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। • इस योजना के अंतर्गत, भारत सरकार की एक्ज़िम नीति के तहत मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद, कमोडिटी बोर्ड्स, SEZ प्राधिकरण और शीर्ष व्यापार निकाय सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियां वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। • केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला वित्त-पोषण अनुदान सहायता के रूप में होगा, यह सामान्यत: कार्यान्वियन एजेंसी द्वारा लगाई जा रही इक्विटी या परियोजना की कुल इक्विटी के 50% से अधिक नहीं होगा। (उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में यह अनुदान कुल इक्विटी का 80% तक हो सकता है)।

6.4. सरकारी ई-बाजार स्थल

(Government E-Marketplace: GeM)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों (CPSU और SPSU), स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों** द्वारा की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सुविधाजनक बनाना।	○ भारत सरकार द्वारा **भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल (नेशनल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल ऑफ़ इंडिया)** के रूप में इसकी कल्पना की गई है। ○ यह पूर्णतः कागजरहित, नकदीरहित और व्यवस्था आधारित ई-बाजार स्थल है जो **न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ** सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को संभव बनाता है। ○ विभिन्न चरणों पर **ई-हस्ताक्षर** के कारण यह पूर्ण सुरक्षा विशेषताओं के साथ प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है। ○ सरकारी प्रयोक्ताओं द्वारा GEM के माध्यम से की जाने वाली खरीद को वित्त मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। ○ यह सरकारी खरीददारों के लिए मेक इन इंडिया और लघु उद्योगों की वस्तुओं को आसानी से खरीदना भी संभव बनाता है। ○ PMO द्वारा इसकी सीधे निगरानी की जा रही है। ○ GeM कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत SPV सेक्शन 8 कंपनी है, जिसने आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (Directorate General of Supplies &

	Disposal: DGS&D) का स्थान ग्रहण किया है। GeM के पास इस पोर्टल का स्वामित्व है और यह इसका संचालन भी करता है। ○ हाल ही में, GEM 3.0 की घोषणा की गई थी। यह मानकीकृत और समृद्ध सूचीपत्र (कैटलॉग) प्रबंधन, शक्तिशाली सर्च इंजन, वास्तविक समय पर मूल्य की तुलना, उपयोगकर्ता रेटिंग, उन्नत MIS और विश्लेषण प्रदान करेगा।

6.5. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विशेषताएं
बागानी फसलों के लिए राजस्व बीमा योजना (Revenue Insurance Scheme for Plantation Crops)	• फसल बीमा तंत्र के माध्यम से प्रतिकूल मौसम मापदंडों, कीटों के हमलों आदि के कारण होने वाली उपज की हानि और अंतरराष्ट्रीय/घरेलू कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली आय की हानि से उत्पन्न होने वाले मौसम एवं कीमत संबंधी दोहरे जोखिम से बागान उत्पादकों की रक्षा करना। • इसे पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम और तमिलनाडु के **आठ जिलों** में चाय, कॉफी, रबर, इलायची और तंबाकू को अच्छादित करते हुए चयनित बीमा कंपनियों के माध्यम से कमोडिटी बोर्डों द्वारा **दो वर्ष** तक पायलट आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।
भारत से माल निर्यात योजना (MERCHANDISE EXPORTS FROM INDIA SCHEME)	• यह विदेश व्यापार नीति (FTP) **2015-20** के अंतर्गत आरंभ की गई एक निर्यात संवर्धन योजना है। • इसने माल के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए पिछली **FTP** की 5 अलग-अलग योजनाओं (फोकस उत्पाद योजना, बाजार संबद्ध फोकस उत्पाद योजना, फोकस बाजार योजना, कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन प्रमाणपत्र, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना) का स्थान ग्रहण किया है। उल्लेखनीय है कि इन 5 अलग-अलग योजनाओं के इस्तेमाल हेतु अलग-अलग शर्तें (क्षेत्रक विशिष्ट या केवल वास्तविक उपयोगकर्ता) निर्धारित की गयीं थीं। • अब इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाणपत्रों (scrips) से जुड़ी कोई शर्त नहीं होगी।
भारत से सेवा निर्यात योजना (Service Exports from India Scheme: SEIS)	• इसे विदेश व्यापार नीति (FTP), 2015-20 के अंतर्गत आरंभ किया गया है। इसने पूर्व की 'भारत से सेवित योजना' (Served from India Scheme) का स्थान ग्रहण किया है। • SEIS 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' के बजाय भारत में स्थित 'सेवा प्रदाताओं' पर लागू होगा। इस प्रकार, SEIS सेवा प्रदाता के संघटन या प्रोफ़ाइल से निरपेक्ष भारत से सेवाएं प्रदान करने वाले अधिसूचित सेवाओं के सभी सेवा प्रदाताओं के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान करता है। • SEIS के अंतर्गत, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को उनके निवल विदेशी मुद्रा अर्जन पर 3 या 5% की दर से ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है। ये SEIS स्क्रिप्स (प्रमाणपत्र) हस्तांतरणीय होते हैं और आधारभूत सीमा शुल्क सहित कई केंद्रीय शुल्कों/करों के भुगतान के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है।
निर्यत बंधु योजना	यह 2011 में विदेश व्यापार नीति 2009-14 के भाग के रूप में घोषित किया गया। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में पहली पीढ़ी के उद्यमियों को परामर्श देने पर केंद्रित है।
ई-बिज (eBiz)	• इसका लक्ष्य सभी व्यक्तियों, व्यवसायों और संगठनों (स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय), जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं अथवा जिनका भारत में पहले से कोई व्यवसाय चल रहा है, के लिए भारत में व्यवसाय आरंभ करने से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने एवं सेवाओं से जुड़ी विभिन्न जटिलताओं को कम करने तथा संपूर्ण व्यवसाय चक्र से संबंधित लाइसेंस और परमिट की समस्याओं से निपटने के लिए एक सुविधाजनक और कुशल ऑनलाइन G2B सेवाओं की वन-स्टॉप-शॉप (एकल संस्था) सृजित कर eBiz को (भारत में व्यवसाय के संबंध में) एक प्रवेश बिंदु बनाना है। • औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) के मार्गदर्शन और तत्वाधान में इसका कार्यान्वियन इंफोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इंफोसिस) द्वारा किया जा रहा है।

VISION IAS

7. संचार मंत्रालय

(MINISTRY OF COMMUNICATION)

7.1. दूरसंचार विभाग

(Department of Telecommunication)

7.1.1. भारत नेट परियोजना

(Bharat Net Project)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना।	• इसका लक्ष्य सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 Mbps की न्यूनतम बैंडविड्थ प्रदान करना है। • यह ग्रामीण भारत को ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, ई-बैंकिंग, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच, G2C, B2B, P2P, B2C आदि तथा मौसम, कृषि संबंधी एवं अन्य सेवाओं की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। • यह निम्नलिखित तीन चरणों में कार्यान्वित किए जा रहे NOFN (नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क) का नया ब्रांड नाम है। ○ **पहला चरण** - भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइनें बिछाकर एक लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई थी। इसके लिए 31 दिसंबर 2017 की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस प्रकार पहले चरण को निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया गया। ○ **दूसरा चरण** – यह भूमिगत फाइबर, फाइबर ओवर पावरलाइन, रेडियो और उपग्रह माध्यम का इष्टतम मिश्रण करके सभी 2,50,500 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। ○ **तीसरा चरण** - यह 2019 से 2023 तक कार्यान्वित किया जाएगा। इस दौरान रिंग टोपोलॉजी (व्यर्थ के संचरण को रोकने के लिए) के साथ जिलों और ब्लॉकों के बीच फाइबर केबल्स बिछाये जायेंगे। साथ ही इसे अत्याधुनिक और भावी अभेद्य नेटवर्क बनाया जाएगा। • इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड नामक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • BSNL, रेलटेल और पावर ग्रिड 70:15:15 के अनुपात में इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। • यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा है।

7.1.2. पंडित दीन दयाल उपाध्याय संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान योजना

(Pandit Deen Dayal Upadhayay Sanchar Kaushal Vikas Pratisthan Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• दूरसंचार क्षेत्र के विकास के लिए दूरसंचार कुशल श्रमशक्ति के सृजन की पूरक व्यवस्था करना और राष्ट्र के युवाओं के लिए आजीविका पैदा करना।	○ आरंभ में यह उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा में कौशल विकास कार्यक्रम आरंभ करने जा रहा है। पहले चरण में पायलट आधार पर 10,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आने वाले दिनों में, इसे पूरे भारत में कार्यान्वित किया जाएगा। ○ DoT 1,000 से अधिक संचार कौशल विकास प्रतिष्ठान स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) और दूरसंचार क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। ○ सरकार दूरसंचार क्षेत्र में अभिनव काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत भी करेगी।

VISION IAS

7.2. डाक विभाग

(Department of Posts)

दर्पण (DARPAN: डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ़ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) परियोजना	• इसका उद्देश्य सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना और "वित्तीय समावेशन" प्राप्त करना है। • यह सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के आधुनिकीकरण की एक परियोजना है। यह खाता धारकों को कोर बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। • इसका लक्ष्य प्रत्येक शाखा के पोस्टमास्टर (BPM) को निम्न ऊर्जा खपत वाला प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध करवाना है, जो सभी राज्यों में ग्रामीण ग्राहकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का स्तर बेहतर बनाने के लिए लगभग 1.29 लाख डाकघरों को सक्षम बनाएंगे।
सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना	• इसका उद्देश्य डाक नेटवर्क के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहनीय जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करना है। • यह देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम से कम एक गांव (जिसमें न्यूनतम 100 परिवार हों) की पहचान करेगा। साथ ही कम से कम एक RPLI (ग्रामीण डाक जीवन बीमा) पॉलिसी के साथ उस चिन्हित गाँव के सभी परिवारों को अच्छादित करने का प्रयास किया जाएगा। • संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों को उन्हें सम्पूर्ण बीमा ग्राम में बदलने के लिए इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
दीन दयाल स्पर्श योजना	• SPARSH, का आशय है- रूचि के रूप में डाक टिकटों के प्रति अभिवृत्ति और अनुसंधान के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति (Scholarship for Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby)। • यह डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई एक अखिल भारतीय योजना है। • इस योजना के अंतर्गत कक्षा VI से IX तक उन बच्चों को वार्षिक तौर पर 6000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिनका शैक्षणिक परिणाम अच्छा है और जिन्होंने डाक टिकट संग्रह (Philately) को एक रूचि के रूप में चुना है। सभी डाक सर्किलों में आयोजित होने वाली एक प्रतियोगी प्रक्रिया के आधार पर डाक टिकट संग्रह में रूचि रखने वाले छात्रों का चयन किया जाएगा।

7.3. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विशेषताएं
कूल EMS सेवा	कूल EMS (एक्सप्रेस मेल सर्विस) जापान से भारत तक एकतरफा ऐसी सेवा है जो भारत में ग्राहकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए जापानी खाद्य पदार्थों का आयात करेगी। भारतीय नियमों के तहत इसकी अनुमति दी गई है। प्रारंभ में, कूल EMS सेवा केवल दिल्ली में उपलब्ध होगी। खाद्य पदार्थों को जापान के डाक विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार ठंडे बक्सों में लाया जाएगा, जिसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए रेफ्रिजरेंट होते हैं।
तरंग संचार	• यह मोबाइल टावरों और EMF (विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र) उत्सर्जन के अनुपालन से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए PPP तरीके से विकसित एक राष्ट्रीय EMF पोर्टल है। • भारतीय मानदंडों ने वैश्विक मानकों की तुलना में विकिरण उत्सर्जन के लिए 10 गुना कठोर सीमा निर्धारित की थी। • कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन 4000/- रुपये का मामूली शुल्क भुगतान करके किसी स्थान पर EMF उत्सर्जन मापन के लिए अनुरोध कर सकता है।

VISION IAS

8. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

8.1. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(Department of Food and Public Distribution)

8.1.1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY)

[Antyodaya Anna Yojana (AAY)]

उद्देश्य	अभिप्रेत लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• निर्धनों में निर्धनतम आबादी को लक्षित करना और उन्हें भूख से राहत प्रदान करना।	BPL के 38% हिस्से को अच्छादित करने वाले 2.5 करोड़ परिवार।	• यह राज्यों के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों में से अत्यंत गरीब परिवारों को शामिल करता है और उन्हें अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त दर पर अर्थात् 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदान करता है। • AAY NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का एक अवयव भी है और AAY के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार होते हैं। • राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को वितरण लागत वहन करना होता है। इसमें डीलरों और खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन के साथ-साथ परिवहन लागत भी सम्मिलित है।

8.1.2. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS)

[Targeted Public Distribution System (TPDS)]

उद्देश्य	अभिप्रेत लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गरीब परिवारों की पहचान करना और उन्हें विशेष रूप से सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न, चावल और / या गेहूं उपलब्ध कराना।	• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए देश की 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के अखिल भारतीय अच्छादन का प्रावधान करता है। • इस प्रकार, TPDS के अंतर्गत अच्छादन को गरीबी के अनुमानों से अलग कर दिया गया है।	• केंद्र और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (UTs) की सरकारों के **सामूहिक उत्तरदायित्व** के अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। • **केंद्र सरकार** खाद्यान्नों की खरीद, आवंटन और FCI के निर्दिष्ट डिपो तक उसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। • **राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारें** राज्यों/संघ शासित प्रदेश के भीतर खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण के लिए परिचालन संबंधी उत्तरदायित्वों, पात्र लाभार्थियों की पहचान, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के कामकाज के पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं। • लक्षित परिवार 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज, 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज पाने का हकदार है।

VISION IAS

8.1.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन

(Integrated Management of Public Distribution System)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• खाद्यान्नों के वितरण में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाना।	• यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक नई योजना है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ○ केंद्रीय प्रणाली / पोर्टलों के साथ राज्यों / संघ शासित प्रदेशों की PDS प्रणाली / पोर्टलों को एकीकृत करना, ○ राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की शुरुआत: यह सुविधा PDS लाभार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पसंद की उचित मूल्य की दुकानों (FPS) से अपने हक का अनाज प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है। वर्तमान में, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ने राज्य स्तर पर पोर्टेबिलिटी आरंभ की है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने राज्य के भीतर कुछ FPS क्षेत्रों में पोर्टेबिलिटी आरंभ की है। ○ राशन कार्ड/लाभार्थी प्रतिरूपण (duplication) को समाप्त करना।

8.1.4. मूल्य स्थिरता कोष

(Price Stabilization Fund: PSF)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कृषि उपज की कीमतों में अस्थिरता को कम करना।	निम्नलिखित के माध्यम से मूल्य स्थिरता लाने के उद्देश्य से 500 करोड़ की राशि के साथ इस कोष को स्थापित किया गया था- ○ फार्म गेट (कृषि स्थल) / मंडी में किसानों / किसान संघों से सीधी खरीद को प्रोत्साहन। ○ रणनीतिक बफर स्टॉक का सृजन। यह जमाखोरी और अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करेगा। ○ स्टॉक के अंशांकित मोचन (कैलिब्रेटेड रिलीज) के माध्यम से उचित कीमतों पर ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करके उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना। • यह नष्टप्राय कृषि-बागवानी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेप का समर्थन करने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। • इस कोष का प्रबंधन मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति करेगी। यह राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के सभी प्रस्तावों को स्वीकृति देगी और स्माल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (SFAC) द्वारा एक कॉर्पस फंड के रूप में इसका अनुरक्षण किया जाएगा। **वित्त पोषण –** • राज्यों को एक रिवॉल्विंग फंड स्थापित करना होगा। इसमें केंद्र और राज्य समान रूप से 50:50 का योगदान देंगे। • उत्तर पूर्व के राज्यों में 75:25 का अनुपात होगा।

8.2. उपभोक्ता मामलों का विभाग

(Department of Consumer Affairs)

डिजिटल रूप से सुरक्षित उपभोक्ता अभियान (Digitally Safe Consumer Campaign)	• मंत्रालय द्वारा गूगल (Google) के सहयोग से जागरूकता पैदा करने और इंटरनेट पर उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह अभियान आरंभ किया गया है। • इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट पर संपन्न किए जाने वाले दिन प्रति दिन के कार्यों, यथा-वित्तीय लेनदेन, ई-मेल का उपयोग करना, ई-कॉमर्स करना या केवल जानकारी के लिए इंटरनेट सर्फ करना, के संबंध में इंटरनेट सुरक्षा संदेश को एकीकृत करना है। • Google भारत में उपभोक्ता संगठनों को शिक्षित करने और उपभोक्ता मामलों के विभाग के सदस्यों के प्रशिक्षण में सहायता करने पर कार्य करेगा। साथ ही यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में अधिकारियों के साथ भी कार्य करेगा।

VISION IAS

INGRAM	• जागरूकता पैदा करने, सलाह देने और उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (Integrated Grievance Redress Mechanism: INGRAM) का शुभारंभ किया गया है। • यह पोर्टल उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में भी कार्य करेगा। • साथ ही, यह सभी हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाएगा। • यह पोर्टल उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनके उत्तरदायित्वों के संबंध में सूचित करने के लिए जागरूकता पैदा करने में भी सहायता करेगा। • यह ऑनलाइन शिकायतें पंजीकृत कराने की भी सुविधा प्रदान करता है जिनका 60 दिनों के भीतर निवारण किया जाएगा।

9. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

(MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS)

राष्ट्रीय CSR डेटा पोर्टल	• यह अपने वित्तीय विवरण में MCA 21 रजिस्ट्री पर पात्र कंपनियों द्वारा दाखिल की गई कॉर्पोरेट सोशलय रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) से संबंधित डेटा और जानकारी को प्रसारित करने का एक मंच है। • यह राज्यों, जिलों, विकास क्षेत्रों आदि में हुए व्यय के संबंध में पूर्व-निर्धारित रिपोर्ट दे सकता है और साथ ही यह परियोजनाओं पर आवश्यक प्रतिक्रिया की भी सुविधा प्रदान करता है।
MCA21 परियोजना	• इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 1956, नवीन कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता साझेदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कानूनी आवश्यकताओं के सक्रिय प्रवर्तन और अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से स्वचालित करना है।
कॉर्पोरेट डेटा पोर्टल	• यह कंपनियों की सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी (वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक रिपोर्ट और विभिन्न घटना-आधारित फाइलिंग सहित) सार्वजनिक अवलोकन के लिए उपलब्ध कराएगा। • यह अनुसंधान और विश्लेषण के लिए अनुकूलित डेटा सेवाओं की भी आवश्यकता पूरी करेगा।

10. संस्कृति मंत्रालय

(MINISTRY OF CULTURE)

10.1 प्रोजेक्ट मौसम – संस्कृति मंत्रालय

(Project Mausam – Ministry of Culture)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• बहुआयामी हिंद महासागर को समन्वेषित (एक्स्प्लोर) करने हेतु- पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा हिन्द महासागर की सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और धार्मिक विविधता की अन्तरक्रियाओं का प्रलेखीकरण।	• इस परियोजना को सहयोगी निकायों के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय की सहायता से नोडल समन्वय एजेंसी के रूप में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। • वृहत् स्तर पर परियोजना का लक्ष्य हिंद महासागर के 39 देशों के मध्य संचार संपर्क को पुन: स्थापित करना है, जिससे सांस्कृतिक मूल्यों और आर्थिक संबंधों में और अधिक घनिष्ठता आयेगी। • सूक्ष्म स्तर पर इसका ध्यान उनके क्षेत्रीय समुद्री वातावरण में राष्ट्रीय संवर्धन को समझना है। • इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट मौसम के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची हेतु ट्रांस-नेशनल नोमिनेशन के रूप में स्थलों की पहचान करना भी है।

10.2. विज्ञान नगर और विज्ञान केंद्र

(Science City and Science Centres)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास तथा उद्योग व मानव कल्याण में उनका अनुप्रयोग दर्शाना। • जागरूकता और सार्वजनिक समझ, सराहना एवं जन-जुड़ाव पैदा करना • छात्रों और सामान्य जन के लाभ के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाना।	• विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में विज्ञान नगर और विज्ञान केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। • **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद** (संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन) इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। • इच्छुक राज्यों को भूमि प्रदान करना होगा और सुविधा की स्थापना की लागत और रखरखाव तथा अनुरक्षण के लिए कोष साझा करना होगा।

VISION IAS

10.3. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

सांस्कृतिक मानचित्रण एवं रोडमैप पर राष्ट्रीय मिशन	• यह योजना 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत शामिल है। • यह सभी कला रूपों तथा कलाकारों के विकास के लिए **'हमारी संस्कृति हमारी पहचान अभियान'** नामक देशव्यापी सांस्कृतिक जागरूकता कार्यक्रम चलाकर सांस्कृतिक मानचित्रण (यानी सांस्कृतिक संपत्तियों एवं संसाधनों का डेटाबेस) स्थापित करता है। • इसका उद्देश्य सभी कला रूपों के क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने तथा ज्ञान साझा करने आदि के लिए एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (नेशनल कल्चरल वर्किंग प्लेस: NCWP) पोर्टल स्थापित करना है।
गुरु-शिष्य परंपरा योजना	• इसका उद्देश्य दुर्लभ एवं लुप्तप्राय कला रूपों को संरक्षित करना एवं बढ़ावा देना है, वह कला चाहे शास्त्रीय हो या लोक/जनजातीय। • इसमें अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों और निपुण लोगों के मार्गदर्शन में छात्रवृत्ति के रूप में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (ZCCs) द्वारा कुछ वित्तीय सहायता के माध्यम से कला के अपने चुने हुए क्षेत्र में कौशल हासिल करने के लिए युवा प्रतिभाओं को पोषित करना सम्मिलित है। • इस योजना के अंतर्गत इच्छुक शिष्यों को प्रशिक्षित करने में सक्षम संबंधित कला के विशिष्ट रूप से निपुण लोगों (गुरुओं) की पहचान की जाती है। इस प्रकार, यह योजना बड़ी संख्या में पुराने एवं सेवानिवृत्त कलाकारों को भी सुरक्षा प्रदान करता है।
आदर्श स्मारक	• इसका उद्देश्य स्मारकों के इर्द-गिर्द अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे कि व्याख्या (भाषा रूपांतरण), ऑडियो-वीडियो केंद्र, अपशिष्ट जल व कचरा निपटान इत्यादि को व्यवस्थित करना। • इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसने हाल ही में पर्यटकों की उच्च संख्या वाले 25 स्मारकों के अतिरिक्त 75 अन्य स्मारकों की भी "आदर्श स्मारक" के रूप में पहचान की है।
राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन	• इसे वर्ष 2003 में प्रलेखन की पहचान व संरक्षण तथा भारत की पांडुलिपि विरासत को सर्वसुलभ बनाने हेतु एक अद्वितीय परियोजना के रूप में स्थापित किया गया था। • इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स (Indira Gandhi National Centre for the Arts: IGNCA) में एक राष्ट्रीय डिजिटल पांडुलिपि पुस्तकालय स्थापित करना है। • यह पुस्तक के साथ-साथ, इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी प्रकाशन के माध्यम से इन पांडुलिपियों तक लोगों की पहुंच को प्रोत्साहन देता है।

11. रक्षा मंत्रालय

(MINISTRY OF DEFENCE)

11.1. वन रैंक वन पेंशन योजना (OROP)

[One Rank One Pension Scheme]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सेवा की समान अवधि के साथ समान रैंक से सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख जो भी हो, समान पेंशन प्रदान करना।	• इस योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभ 1 जुलाई, 2014 से प्रदान किए जाएंगे। • बकाया राशि का भुगतान चार अर्ध-वार्षिक किस्तों में किया जाएगा। हालांकि, युद्ध में शहीद सैन्य कर्मियों की विधवाओं सहित सभी विधवाओं को बकाया राशि का भुगतान एक-मुस्त किया जाएगा। • सेवा की समान अवधि के साथ एक ही रैंक से सेवानिवृत्त सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन फिर से निर्धारित की जाएगी। यह 2013 में न्यूनतम तथा अधिकतम पेंशन के औसत के रूप में होगी।

VISION IAS

	• स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मियों को OROP योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। • भविष्य में, पेंशन की राशि प्रत्येक 5 वर्ष में फिर से निर्धारित की जाएगी।

12. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION)

योजना	विवरण

उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका योजना (NERLP)	• इसे **विश्व बैंक** द्वारा समर्थन प्राप्त है।
	• संधारणीय विकास को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना में **आजीविका सशक्तिकरण के त्रि-आयामी दृष्टिकोण** होंगे। ये हैं- सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी एवं संबंध।
	• **परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य** हैं-
	  • महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों (SHGs), पुरुषों व महिलाओं के युवा समूहों (YG) एवं सामुदायिक विकास समूहों (CDG) के आसपास **संधारणीय सामुदायिक संस्थानों** का सृजन।
	  • सामुदायिक संस्थानों में स्व-शासन, ऊर्ध्वगामी नियोजन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ लोकतांत्रिक कार्य पद्धति की क्षमता विकसित करना।
	  • **आर्थिक एवं आजीविका** के अवसरों को बढ़ाना।
	  • प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सूक्ष्म वित्त, बाजार संबंध एवं क्षेत्रीय आर्थिक सेवाओं के लिए **सामुदायिक संस्थानों की साझेदारी** विकसित करना।

पूर्वोत्तर विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (North East Special Infrastructure Development Scheme: NESIDS)	• यह केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त-पोषित एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य मार्च 2020 तक निर्दिष्ट क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के सृजन से सम्बंधित अंतराल को पाटना है।
	• यह योजना व्यापक तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के सृजन को शामिल करेगी:
	  ○ जलापूर्ति, विद्युत, सम्पर्क और विशेषकर पर्यटन को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं से संबंधित भौतिक बुनियादी ढांचा।
	  ○ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा।
	इस योजना के अंतर्गत कुछ मानकों पर अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों, जैसे- क्षेत्रफल, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, सड़क घनत्व आदि के आधार पर पूर्वोत्तर राज्यों के बीच धन वितरित किया जाएगा।

नॉन लैप्सबल सेंट्रल पूल ऑफ़ रिसोर्सेज (NLCPR)	• यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए उनके बजटीय आबंटन के 10% राशि को पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) पर खर्च किए जाने के अनिवार्य प्रावधान के चलते खर्च न की गयी राशि का एक संचय है। 90:10 के फंडिंग पैटर्न के साथ इसे 1997-98 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सृजित किया गया था-
	  ○ बजटीय संसाधनों के लक्षित प्रवाह को बढ़ाकर NER का तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए।
	  ○ संविधान की संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों से संबंधित सामाजिक व भौतिक अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तीयन के लिए।
	• किसी राज्य द्वारा निधि का उचित व्यय न किए जाने पर उसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा।
	• NLCPR (राज्य) योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों की प्राथमिक परियोजनाओं को

VISION IAS

	वित्त-पोषित किया जा रहा है एवं NLCPR-केंद्रीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों को फंड प्रदान किया जाता है। • हाल ही में, NLCPR-केंद्रीय के माध्यम से वित्त-पोषित **त्युरिअल जलविद्युत परियोजना** (Tuirial Hydro Electric Project) का मिजोरम में उद्घाटन किया गया।
उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना	• इस योजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उपेक्षित अंतर्राज्यीय सड़कों (सड़कों पर पुलों सहित) का पुनरूद्धार/निर्माण/उन्नयन करना है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के अन्य मानदंड निम्नलिखित प्रकार से हैं: ○ NER की सामाजिक-राजनीतिक रूप से उपेक्षित क्षेत्रों की सड़कें; ○ सुरक्षा या रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक वे सड़कें, जो किसी भी अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं; तथा ○ कृषि उपज को बाजार तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से आवश्यक सड़कें एवं आर्थिक अंतर मिटाने के दृष्टिकोण से आर्थिक महत्व की सड़कें। • योजना का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर परिषद द्वारा किया जाएगा, जबकि संविक्षा (स्क्रीनिंग), मूल्यांकन, मंजूरी एवं निगरानी एक सशक्त अंतर-मंत्रालयी समिति के माध्यम से होगी। • सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (National Highways Infrastructure Development Corporation Limited - NHIDCL) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
पूर्वोत्तर के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	• इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों के विकास की दिशा में नामित पहाड़ी क्षेत्रों को राज्य सरकारों के प्रयासों के पूरक के तौर पर **विशेष केंद्रीय सहायता** दी जाती है। • इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: ○ इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे, सड़कों की गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा इत्यादि के मामले में राज्यों के पहाड़ी तथा घाटी जिलों के मध्य अंतर को कम करना है। इस प्रकार यह कार्यक्रम, इन सभी कारकों को ध्यान में रखने वाले एक गंभीर शोध और विचार-विमर्श से प्रेरित है। ○ जिले की सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक-बहाली, पारिस्थितिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण। ○ वन व कृषि क्षेत्रों के लिए, मृदा व जल के संरक्षण के लिए, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने व अलग-थलग बसी जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए एवं साथ ही सभी विकासात्मक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भूमि उपयोग की योजना का विकास करना। ○ सभी वाटरशेड के लिए **"क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण"** अपनाया गया है एवं एकीकृत योजना तैयार की जानी है। प्रशोधन के लिए उच्च प्राथमिकता वाले वाटरशेड का चयन किया जाएगा। ○ वैज्ञानिक हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी रिमोट सेंसिंग आदि का प्रयोग। • गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी सौर, हाइड्रो, बायो-गैस इत्यादि।
पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना (North Eastern Region Community Resource	• आरंभ में इसे **तीन राज्यों** तथा छह जिलों में संचालित किया गया था, ये हैं: असम (कारबी आंगलोंग एवं नॉर्थ कछार हिल्स), मणिपुर (उखरुल एवं सेनापति) तथा मेघालय (पश्चिम गारो हिल्स एवं पश्चिम खासी हिल्स)।

VISION IAS

Management Project: NERCORMP)	• अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, तिराप एवं लोंगडींग तथा मणिपुर के चंदेल एवं चुराचंदपुर जिलों को सम्मिलित करने के लिए **NERCOMP III का आगे विस्तार किया गया।** • यह परियोजना निम्नलिखित दो व्यापक फोकस क्षेत्रों के साथ विकास के समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है: ○ जांची-परखी हुई पारंपरिक मूल्य प्रणाली एवं संस्कृति का नियोजन करके समुदायों की विशिष्ट क्षमता को पहचानने व उसे सामने लाने के लिए सामाजिक लामबंदी, संगठन तथा क्षमता निर्माण। ○ आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर मुख्य जोर देते हुए आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों एवं बुनियादी ढांचा निर्माण में हस्तक्षेप। • **प्रमुख परियोजना गतिविधियाँ:** समुदाय एवं भाग लेने वाली एजेंसियों का क्षमता निर्माण, आजीविका गतिविधियां, विस्तार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्रेडिट, सामाजिक क्षेत्र की गतिविधियां, ग्रामीण सड़कें व ग्रामीण विद्युतीकरण, सामुदाय-आधारित जैव-विविधता संरक्षण, वर्तमान सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण तथा विपणन सहायता।

13. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (MDWS)

[MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION (MDWS)]

13.1. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)[SBM (G)]

[Swachha Bharat Mission (Gramin) [SBM (G)]

उद्देश्य	रणनीति	घटक
• सफाई व स्वच्छता में सुधार तथा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना। • 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करना। • समुदायों तथा पंचायती राज संस्थानों को जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से संधारणीय स्वच्छता की प्रथाओं व सुविधाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना। • पारिस्थितिक रूप से सुरक्षित तथा संधारणीय स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी तथा	• मिशन की रणनीति इसे विशाल जन आंदोलन बनाकर 'स्वच्छ भारत' की तरफ अग्रसर होना है। • SBM (G) के प्रभावी नियोजन तथा कार्यान्वयन के उद्देश्य से, यह प्रस्तावित किया गया है कि हस्तक्षेप हेतु 'जिले' को आधार इकाई माना जाएगा। • प्रत्येक राज्य के कार्यान्वयन ढांचे को कार्यक्रम के लिए आवश्यक निम्नलिखित तीन महत्वपूर्ण चरणों को कवर करने वाली गतिविधियों की रूप-रेखा के साथ तैयार किया जाना चाहिए: ○ **नियोजन** - जिले द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राम	• **प्रारंभिक गतिविधियां-** इसमें आधारभूत सर्वेक्षणों का अद्यतन, प्रमुख कर्मियों का अभिविन्यास तथा योजना तैयार करना सम्मिलित है। • IEC (सूचना, शिक्षा एवं संचार) घटक: SBM-G का मुख्य फोकस **व्यवहार परिवर्तन संबंधी संचार** पर है। यह कोई 'एकल' पृथक गतिविधि नहीं है। सामुदायिक कार्यवाही तथा असहमत अथवा बाहरी लोगों पर शिष्टजनों या भद्रजनों द्वारा दबाव इसका एक मुख्य घटक है। • **क्षमता निर्माण।** • **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण-** SBM(G) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु योग्य परिवारों का चयन करते समय, वरीयता का अनुक्रम इस प्रकार होना चहिए - BPL के बाद SC/ST तथा APL परिवार।

उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। • ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए, जहां कहीं भी आवश्यक हो, ठोस एवं तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रण कर सामुदायिक रूप से प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना। • विशेष रूप से अधिकारहीन समुदायों के बीच स्वच्छता में सुधार करके जेंडर पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव डालना तथा सामाजिक समावेश को बढ़ावा देना।	पंचायतवार विवरण शामिल होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना में इसे संवीक्षित एवं समेकित किया जाएगा। ○ **कार्यान्वयन** - इसमें पक्ष-समर्थन एवं संवाद, वित्त पोषण तथा शौचालय निर्माण सम्मिलित है। रैपिड एक्शन लर्निंग यूनिट (RALU) की स्थापना भी इसका अंग है। ○ **स्थिरता** - इसमें ODF समुदायों को बनाए रखना तथा उनका सत्यापन सम्मिलित हैं। • राष्ट्रीय/ राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ ग्राम स्तर पर पांच-स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। • कॉरपोरेट हाउस को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के एक अनिवार्य अंग के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	• **स्वच्छता सामग्री की उपलब्धता-** ग्रामीण स्वच्छता बाजारों (RSM), उत्पादन केंद्रों (PC), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के माध्यम से। • **जिले में रिवॉल्विंग फंड का सृजन-** यह ध्यान रखना कि दिशानिर्देशों के तहत प्रोत्साहनों में न कवर हुए APL परिवारों की भी इस तक पहुँच हो सके। • **समता एवं समावेश-** इसमें रजोधर्म स्वच्छता प्रबंधन पर विशेष रूप से विद्यालयों में किशोर लड़कियों के बीच जागरूकता तथा कौशल को बढ़ाना सम्मिलित है। • **ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन।** • **प्रशासनिक शुल्क-** राज्यों को आवश्यकतानुसार इस घटक के तहत धन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। • इसका निगरानी तंत्र सामाजिक लेखा-परीक्षा जैसी मजबूत समुदाय आधारित पद्धति का उपयोग करता है। समुदाय-आधारित निगरानी तथा सतर्कता समितियां, अतिरिक्त दबाव बनाने में सहायता करेंगी। • **स्वच्छ भारत के 'फूट सोल्जर्स':** 'फूट सोल्जर्स' अथवा 'स्वच्छग्रहियों' के एक दल जिसे पहले 'स्वच्छता दूत' के नाम से जाना जाता था, को विकसित किया गया है।

नमामि गंगे	(संपूर्ण योजना के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय खंड के अंतर्गत इसे पढ़ें) • यह गंगा नदी के किनारों पर बसे गाँवों को खुले शौच से मुक्त (ODF) बनाने हेतु जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय (**MOWR, RD & GR**) की एक पहल है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने वाले पहलुओं को **MDWS** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • **उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल** के 52 जिलों में फ़ैले सभी 4,470 गांवों को राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता के साथ ODF घोषित किया जा चुका है।
गंगा ग्राम परियोजना	• इस परियोजना को गंगा नदी के किनारों पर बसे सभी **4,470 गांवों के स्वच्छता आधारित समेकित विकास** के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से 2017 में शुरू किया गया। • इस परियोजना में जल संरक्षण गतिविधियाँ, उद्यान-विज्ञान एवं औषधीय पौधों को प्रोत्साहन, पर्यटन को बढ़ावा, घाटों का विकास, दाहगृहों का आधुनिकीकरण, ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधाएं, गंगा में अशोधित तरल अपशिष्ट जल का न्यूनीकरण तथा IEC के माध्यम से बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना सम्मिलित है।

VISION IAS

स्वच्छता कार्रवाई योजना (SAP)	सभी मंत्रालयों/विभागों को 2017 से अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों में स्वच्छता को एक मूलतत्व के रूप में पेश करना, ताकि उनके तहत वे सभी तथा विभिन्न संस्थान, निगम व कार्यालय, स्वच्छ भारत को प्राप्त करने में योगदान दे सकें।
स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र	बेहतर स्वच्छता तथा वर्धित जागरूकता व स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल। स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तीन प्रमुख घटक हैं: • कायाकल्प प्रमाणीकरण (स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के उच्च मानकों के लिए प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के लिए ODF ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC) की सहायता की जाएगी। • कायाकल्प प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) की ग्राम पंचायत को ODF बनने के लिए प्राथमिकता दी गई। • CHC/PHC नामितों को WASH (जल, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य-Water, Sanitation and Hygiene) में प्रशिक्षण। • MDWS कायाकल्प पुरस्कार विजेता PHC ग्राम पंचायत में ODF गतिविधियों का संचालन करेगा तथा उन CHC और PHC के नामित को WASH प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल (SWACHH ICONIC PLACES -SIP)	यह शहरी विकास, पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालयों के साथ साझेदारी में एक पहल है, जिसमें MDWS नोडल मंत्रालय है। भारत भर में 100 स्थानों को **उनकी विरासत, धार्मिक तथा/या सांस्कृतिक महत्व के कारण "प्रतिष्ठित (Iconic) स्थल"** के रूप में पहचाना गया है। SIP पहल इन स्थानों पर स्वच्छता की स्थिति को एक सुस्पष्ट उच्च स्तर तक सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। **प्रथम दो चरणों में अब तक 20 प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है।** इन सभी 20 प्रतिष्ठित स्थलों ने **वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए पीएसयू या निगमों को नियुक्त किया है। मदुरई में श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर को देश में सबसे स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल घोषित किया गया है।**
स्वच्छ शक्ति, 2018	इसे MDWS द्वारा 2017 में लांच किया गया था। 2018 में इसकी मेज़बानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी। इसे महिला सरपंचों, स्वच्छाग्रहियों तथा वीमेन चैंपियंस के स्वच्छ भारत के प्रति योगदान को पहचानने तथा उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है।
राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK)	इसकी घोषणा 10 अप्रैल, 2017 को चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी वर्षगाँठ पर की गयी थी। यह राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि के सामने स्थित होगा। RSK को स्वच्छता मामलों तथा उन्नत शौचालय प्रौद्योगिकी पर उपलब्ध समस्त जानकारी को लोगों के मध्य प्रसारित करने के उद्देश्य से निर्मित किया जा रहा है।
दरवाजा बंद मीडिया अभियान	यह व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्य से MDWS द्वारा एक सशक्त मास मीडिया अभियान है। विश्व बैंक द्वारा 'दरवाज़ा बंद' अभियान को समर्थन प्रदान किया गया है। **यह उन पुरुषों में व्यवहार परिवर्तन को** प्रोत्साहित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है**, जिनके पास शौचालय हैं, परन्तु वे उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।**
स्वच्छता ही सेवा अभियान	यह, स्वच्छता पहल 'स्वच्छ भारत मिशन' के प्रचार हेतु पखवाड़े भर चलने वाला स्वच्छता अभियान है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के लिए संगठित करना तथा जन आंदोलन को मजबूत बनाना है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक तथा पर्यटन स्थलों की योजनाबद्ध तरीके से सफाई की जाएगी।

VISION IAS

13.2. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

(National Rural Drinking Water Program)

उद्देश्य	फोकस क्षेत्र	मुख्य विशेषताएं
• **पीने योग्य होने, पर्याप्तता, सुविधा, वहनीयता तथा साम्यतापूर्ण वितरण की दृष्टि से पानी की संधारणीय उपलब्धता (स्रोत)** को सुनिश्चित करना। • SDG के एक घटक - '**हर घर जल**' को 2030 तक प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त, **यथोचित दूरी के भीतर** सुरक्षित व पर्याप्त पेयजल तक पहुँच। • उन ग्राम पंचायतों को पेयजल सुविधा, विशेषकर पाइप वाली जल आपूर्ति प्रदान करना, जिन्होंने प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच से मुक्ति प्राप्त कर ली है; • सभी **सरकारी विद्यालयों व आंगनवाड़ियों** में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना; • जानकारी को सार्वजनिक प्रक्षेत्र (डोमेन) में प्रदान करने के साथ **ऑनलाइन सूचना तंत्र के माध्यम से सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करना** ताकि पारदर्शिता तथा सूचित निर्णयन प्राप्त किया जा सके।	• **पाइपों द्वारा जल आपूर्ति,** • खुले में शौच-मुक्त **(ODF) घोषित गांवों, SAGY-GPs** (सांसद आदर्श ग्राम योजना की ग्राम पंचायतों), **गंगा** ग्राम पंचायतों , **एकीकृत कार्य योजना (IAP) वाले जिलों तथा सीमावर्ती चौकियों (BOP)** को पाइप से जल-आपूर्ति के लिए कवर करना तथा जल आपूर्ति-परिसंपत्तियों आदि के उचित परिचालन और रख-रखाव के लिए संस्थागत स्थापना आदि।	• **यह 2009 में आरंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (50:50) है।** • इस पुनर्गठित योजना ने **राज्यों को विभिन्न घटकों के तहत निधि जारी करने के लिए और अधिक लोचशीलता** प्रदान की है। • **इस योजना को** 14वें वित्त आयोग चक्र अर्थात 2017-18 से 2019-20 **के साथ-साथ जारी रखा जाएगा।** • निधियों को उत्तर-पूर्वी राज्यों, मरुभूमि विकास कार्यक्रम (DDP), राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्राकृतिक आपदाओं के तहत सहायता प्रदान करने, रासायनिक रूप से प्रदूषित एवं प्रभावित गुणवत्ता वाले आवासीय क्षेत्रों वाले राज्यों को गुणवत्तापूर्ण जल के आवंटन तथा जीवाणु संदूषण वाले जापानी इन्सेफेलाइटिस (JE)/ एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के लिए निर्धारित किया गया है। • मार्च 2021 तक देश के लगभग 28,000 प्रभावित निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए **आर्सेनिक और फ्लोराइड पर राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप मिशन (NWQSM)** का शुभारंभ किया गया है।

जलमणि कार्यक्रम	इस कार्यक्रम के तहत 2008 से **ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली** की स्थापना की जा रही है। इसमें जल शोधन प्रणाली का स्वामित्व विद्यालय अधिकारियों के पास होता है, जबकि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्य सरकारों द्वारा धन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।

14. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(MINISTRY OF EARTH SCIENCES)

14.1. राष्ट्रीय मानसून मिशन (द्वितीय चरण 2017-2020)

National Monsoon Mission (Phase II 2017-2020)

उद्देश्य	भाग लेने वाले संस्थान	विशेषताएं
• मौसमी तथा अंतर-मौसमी मानसून पूर्वानुमानों में सुधार • मध्यम अवधि पूर्वानुमानों में सुधार • समय के अलग-अलग	• **पुणे में स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान** (IITM), मौसमी तथा अंतर-मौसमी पैमानों पर पूर्वानुमानों को सुधारने के प्रयासों का	• लंबी अवधि के पूर्वानुमानों (एक ऋतू तक) के लिए, **जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली (CFS)** नामक अमेरिकी मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो कि एक **युग्मित-महासागर पूर्वानुमान प्रणाली** है अर्थात् यह महासागर, वातावरण तथा भूमि से लिए गये आंकड़ों को जोड़ती है।

VISIONIAS

सभी पैमानों के लिए अर्थात् छोटी अवधि से लेकर मौसमी अवधि तक, **मानसून वर्षा के लिए अत्याधुनिक गतिशील पूर्वानुमान तंत्र** का विकास।	समन्वय एवं नेतृत्व करेगा। • नोएडा में स्थित **राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र** (NCMRWF), मध्यम अवधि के पैमाने से दो सप्ताह तक के पूर्वानुमानों में सुधार लाने के प्रयासों का नेतृत्व एवं समन्वय करेगा। • इन्हें **भारत मौसम विज्ञान विभाग** (IMD), नई दिल्ली द्वारा परिचालित कराया जाएगा।	• लघु से मध्यम अवधि तक (20 दिनों तक) के पूर्वानुमानों के लिए यूके द्वारा विकसित **एकीकृत मॉडल (UM)** का उपयोग किया जाता है। • इस मिशन के पहले चरण में, IMD **हाई रेजोल्यूशन-कपल्ड डायनैमिकल प्रेडिक्शन सिस्टम** (मौसमी तथा विस्तारित समय पैमाने के लिए) को विकसित करने में सक्षम रहा था। **IMD ने पहली बार मानसून मिशन गतिशील मॉडल का उपयोग भारत में 2017 की मानसून वर्षा के सम्बन्ध में प्रचालनात्मक (ऑपरेशनल) मौसमी पूर्वानुमान को तैयार करने के लिए किया था।** • मंत्रालय ने अब **अगले 3 वर्षों (2017-2020) के लिए मानसून मिशन कार्यक्रम के द्वितीय चरण** का शुभारंभ किया है जिसमें मानसून की चरम सीमाओं के पूर्वानुमान पर तथा मानसून के पूर्वानुमानों पर आधारित अनुप्रयोगों के विकास पर बल दिया गया है।

SAFAR	• विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा **वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (System of Air Quality and Weather Forecasting and Research -SAFAR)** का शुभारम्भ किया गया।

15. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(MINISTRY OF ELECTRONICS & IT)

15.1. डिजिटल इंडिया- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(Digital India- Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करना।	• **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम निम्नलिखित तीन मुख्य दृष्टिकोणों पर आधारित है:**प्रत्येक नागरिक को एक यूटिलिटी (utility) के तौर पर डिजिटल अवसरचना; मांग आधारित गवर्नेंस और सेवाएं; एवं डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक। • **इसका उद्देश्य विकास क्षेत्रों के उन नौ स्तंभों पर अधिक बल देना है जिन्हें इसकी आवश्यकता है, नामतः**ब्रॉडबैंड हाई-वे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुँच,सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई-गवर्नेंस: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार करना, ई-क्रान्ति: NeGP 2.0, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT, और अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। • ई-गवर्नेंस से संबद्ध परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जहां भी संभव हो, **सार्वजनिक निजी भागीदारी** को प्राथमिकता दी जाएगी। • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन हेतु इसके कार्यक्रम प्रबंधन संरचना में निम्नलिखित शामिल होंगे: **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली डिजिटल इंडिया निगरानी समिति**, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में एक डिजिटल इंडिया सलाहकार समूह और कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति (Apex Committee)। • कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी (CIO) के पद का सृजन किया जाएगा, ताकि ई-गवर्नेंस की विभिन्न परियोजनाओं का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन हो सके।

VISION IAS

15.2. जीवन प्रमाण

(Jeevan Pramaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की ऑन-लाइन सुविधा उपलब्ध कराना; तथा • जीवन प्रमाण पत्र पाने की प्रक्रिया को आसान और बाधा रहित बनाना।	• केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा किसी अन्य सरकारी संगठन के पेंशन भोगी।	• यह पेंशनभोगियों के लिए आधार बॉयोमीट्रिक प्रमाणन आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (Digital Life Certificates: DLCs) है। • CSCs, बैंकों, सरकारी कार्यालयों द्वारा संचालित विभिन्न जीवन प्रमाण केंद्रों के माध्यम से DLC प्राप्त किया जा सकता है, अथवा PC/मोबाइल/टैबलेट पर क्लाइंट (ग्राहक) एप्लिकेशन का उपयोग करके भी इसे (DLC) प्राप्त किया जा सकता है। • इस डिजिटल प्रमाणन से पेंशनभोगियों के लिए यह अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी जिसमें उन्हें प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में स्वयं जाकर अपना जीवन प्रमाण पत्र पेश करना पड़ता है, ताकि उनके खाते में पेंशन की राशि आने का क्रम जारी रहे।

15.3 प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

(Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• 31 मार्च 2019 तक पात्र परिवारों से एक सदस्य को शामिल करके लगभग 40% ग्रामीण परिवारों तक पहुंच स्थापित करते हुए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना।	• **14 से 60 वर्ष** के आयु समूह के भारतीय नागरिक। • इसमें निम्नलिखित को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी: नॉन-स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता, अंत्योदय परिवार, कॉलेज छोड़ने वाले, व्यस्क साक्षरता मिशन के भागीदार तथा कक्षा 9-12 के वैसे डिजिटल रूप से असाक्षर स्कूली छात्र जिनके स्कूल में कंप्यूटर/ICT प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हैं।	• यह नागरिकों को कंप्यूटर अथवा डिजिटल उपकरणों को संचालित करने में सशक्त बनाएगा। इस प्रकार यह उन्हें IT तथा इससे संबद्ध सेवाओं, **विशेष रूप से डिजिटल भुगतान** के लिए सशक्त बनाएगा। • इसका लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें हाशिये पर स्थित वर्ग (SC, ST, BPL, महिलाएं, नि:शक्तजन और अल्पसंख्यक) शामिल हैं, उन्हें लक्षित करके **डिजिटल डिवाइड (अंतराल) को कम करना** है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)। • जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी, ग्राम पंचायतों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से CSC-SPV द्वारा लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।

15.4 साइबर स्वच्छता केन्द्र

(Cyber Swachhta Kendra- Department of Electronics and IT)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• बॉटनेट/मालवेयर के खतरों के बारे में सूचना प्रदान कर और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देकर डिजिटल इंडिया के IT	• इसे **बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर** के नाम से भी जाना जाता है। • यह डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70B के प्रावधानों के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम (CERT-In) द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है।

VISION IAS

इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना।	• इसे 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति' के उद्देश्यों के मद्देनजर स्थापित किया गया है। यह नीति देश में एक सुरक्षित साइबर पारिस्थितिक तंत्र के सृजन की परिकल्पना करती है। • यह केंद्र, दूरसंचार विभाग, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स: ISPs), एंटीवायरस कंपनियों और उद्योगों के साथ समन्वय कर कार्य करता है। इसका उद्देश्य अंतिम उपयोगकर्ताओं को उनके सिस्टम में हुए संक्रमण के बारे में सूचित करना और उन्हें निःशुल्क ई-टूल्स के माध्यम से अपने सिस्टम को स्वच्छ करने में सहायता प्रदान करना है। • यह बॉटनेट एवं मालवेयर संक्रमण के संबंध में नागरिकों के बीच जागरूकता को भी बढ़ाएगा और साथ ही नागरिकों के उपकरणों को सुरक्षित करने के उपायों की जानकारी प्रदान करेगा।

CSK के अंतर्गत प्रदत्त टूल्स	प्रकार्य
M कवच	• यह एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों से संबंधित विभिन्न खतरों को दूर करने के लिए स्वदेश में विकसित एक व्यापक सुरक्षा समाधान है।
USB प्रतिरोध	• यह USB, मेमरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जैसे विभिन्न एक्सटर्नल स्टोरेज (बाह्य संग्रह) डिवाइस को साफ करने में सहयोगी एक USB रक्षक है।.
AppSamvid (एप्पसंविद)	• यह एक प्रकार का डेस्कटॉप समाधान है, जो व्हाइट लिस्टिंग के माध्यम से वास्तविक एप्लीकेशन को इन्स्टॉल करने की अनुमति देकर सिस्टम की सुरक्षा करता है। यह हानिकारक एप्लीकेशन से संबद्ध खतरों को रोकने में मदद करता है।

15.5. भारत BPO संवर्धन योजना

(INDIA BPO PROMOTION SCHEME)

उद्देश्य	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रमुख विशेषताएं
• BPO कंपनियों की स्थापना को लाभप्रद बनाना तथा टियर 2 और टियर 3 शहरों तक उनका विस्तार कर वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर 1.45 लाख रोज़गार सृजित करना। ये रोज़गार विभिन्न राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में वितरित हैं।	• MeitY के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी सोसाइटी भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क।	• 1 लाख प्रति सीट की ऊपरी सीमा के साथ, पूंजीगत व्यय और/या परिचालन संबंधी व्यय के लिए वित्तीय सहायता के रूप में खर्च का 50%। • महिलाओं या दिव्यांग-जनों को रोज़गार प्रदान करने, लक्ष्य से अधिक रोज़गार का सृजन करने तथा राज्य में व्यापक स्तर पर प्रसार करने पर राज्यों के लिये विशेष प्रोत्साहन राशियाँ। • स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देना तथा पहाड़ी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन राशियों का प्रावधान।

पूर्वोत्तर BPO प्रोत्साहन योजना	• इस योजना को 31 मार्च, 2019 तक 50 करोड़ की लागत से पूर्वोत्तर में BPO/ITES ऑपरेशन्स की 5000 सीटों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिए 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम के अंतर्गत आरम्भ किया गया था। इसे STPI द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • यह परियोजना कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रोत्साहन राशि तथा रोज़गार प्रदान करने में विविधता तथा समावेशन एवं महिलाओं, दिव्यांग-जनों आदि को रोज़गार उपलब्ध कराने पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है।

15.6. राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग अभियान

(National Supercomputing Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• भारत को सुपर कम्प्यूटिंग में विश्व के अग्रणी देशों में एक बनाना, तथा भारत को राष्ट्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने में सक्षम बनाना। • वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा हासिल करना तथा सुपरकम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी के रणनीतिक क्षेत्र में आत्म-निर्भरता सुनिश्चित करना।	• इस अभियान को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बंगलुरु नामक दो एजेंसियों के माध्यम से संयुक्त रूप से विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (DST) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DeitY) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। • इस अभियान के अंतर्गत 70 उच्च क्षमता युक्त कंप्यूटिंग सुविधाओं वाली एक विशाल सुपरकम्प्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर पूरे देश में फैले हमारे राष्ट्रीय अकादमिक तथा शोध और विकास संस्थानों को और अधिक सक्षम बनाने पर विचार किया जा रहा है। • इन सुपरकम्प्यूटरों को नेशनल नॉलेज नेटवर्क (इसी मंत्रालय के अंतर्गत अकादमिक संस्थानों तथा शोध और विकास प्रयोगशालाओं को तीव्र-गति वाला नेटवर्क प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम) पर राष्ट्रीय सुपर कम्प्यूटिंग ग्रिड से भी जोड़ा जाएगा। • इस अभियान में उच्च निष्पादन-क्षमता युक्त कम्प्यूटिंग (HPC) से सुपरिचित अत्यधिक पेशेवर मानव संसाधन का विकास करना भी सम्मिलित है।

15.7. स्त्री स्वाभिमान

(Stree Swabhiman)

उद्देश्य	लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सम्पूर्ण समाज को वृहत स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण करना ताकि वे अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC's) के माध्यम से न केवल सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाएं बल्कि महिलाओं को इस सामाजिक वर्जना से बाहर निकलने हेतु शिक्षित कर सकें तथा सैनिटरी पैडों के उपयोग को प्रोत्साहन भी दे सकें।	ग्रामीण तथा अर्द्ध-शहरी महिला उद्यमी	• इस परियोजना के अंतर्गत पूरे भारत में, ख़ास तौर से महिला उद्यमियों द्वारा संचालित CSC's पर, छोटी सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाइयां (अर्द्ध-स्वचालित एवं हाथ से चलाई जाने वाली उत्पादन इकाई) स्थापित की जा रही हैं। • इस उत्पाद (सैनिटरी नैपकिन) को 'स्वाभिमान ब्रांड' के नाम से बेचा जाएगा तथा संगठन ग्रामीण स्तर की उद्यमियों (VLE's) तथा SHG समूहों की सहायता से सैनिटरी नैपकिन को अनुदानित दर पर बेचने के लिए व्यापार संबंधी लाइसेंस प्राप्त करेगा। • इसमें मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता जागरुकता सृजन से जुड़ा हुआ घटक भी सम्मिलित है तथा इसका उद्देश्य 7वीं से 12वीं तक की 1000 छात्राओं को उनके ग्राम के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हुए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन के उपयोग को बढ़ावा देना है। • CSC SPV देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए वित्त की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।

15.8. इलेक्ट्रॉनिकी विकास निधि (EDF)

(Electronics Development Fund: EDF)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• डिजिटल भारत योजना में परिकल्पित - 2020 तक "सकल शून्य आयात" का लक्ष्य प्राप्त करना।	• इसे व्यावसायिक रूप से प्रबंधित "डॉटर फ़ंड्स" का समर्थन करने हेतु "फ़ंड ऑफ़ फ़ंड्स " के रूप में स्थापित किया गया है। बदले में डॉटर फ़ंड्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्म-इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूँजी प्राप्त हो सकेगी। • EDF शोध तथा विकास के लिए उद्यम निधि (venture funds), एंजेल फंड्स तथा प्रारंभिक निधि को

VISION IAS

	आकर्षित करने में सहायता करेगा तथा विशिष्ट क्षेत्रों में नवोन्मेष को आकर्षित करने में सहायता करेगा। • इससे डॉटर फ़ंड्स तथा फ़ंड मैनेजर्स (निधि प्रबंधकों) की पूरी श्रृंखला का निर्माण हो सकेगा जो अच्छे स्टार्ट-अप्स (संभावित विजेताओं) का पता लगा कर व्यावसायिक पैमानों पर उनका चयन कर पाएंगे। • कैनबैंक उद्यम पूँजी निधि लिमिटेड (CANBANK Venture Capital Funds Ltd.-CVCFL) EDF का निधि प्रबन्धक है।

15.9. संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन लाभ पैकेज योजना

(Modified Special Incentive Package Scheme: M-SIPS)

उद्देश्य	पात्रता	प्रमुख विशेषताएं
• अक्षमता को हटा कर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करना	यह योजना नवीन तथा विस्तारक, दोनों ही प्रकार की परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है।	• यह योजना SEZ में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में संलग्न इकाइयों को 20% पूँजी अनुदान (गैर-SEZ में 25%) प्रदान करती है। • यह गैर-SEZ इकाइयों के लिए पूंजीगत उपकरणों की काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) / उत्पाद कर की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराती है। • कुछ अधिक निवेश वाली योजनाओं यथा fabs के लिए यह केन्द्रीय करों तथा सीमा शुल्कों की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करती है। • इस योजना की अवधि को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। • इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली इकाई इस बात का शपथ पत्र प्रदान करेगी कि वह कम से कम 3 वर्षों तक व्यावसायिक उत्पादन में बनी रहेगी।

15.10. भारत इंटरफेस फॉर मनी

(Bharat Interface for Money : BHIM)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• मोबाइल फोन के माध्यम से तीव्र, सुरक्षित व भरोसेमंद गैर-नकदी भुगतान संभव बनाना।	• यह एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) का उपयोग कर भुगतान को सुगम, आसान तथा तीव्र बनाने वाला एक ऐप है। यह बैंक से बैंक को किये जाने वाले त्वरित भुगतान को संभव बनाता है तथा एक मोबाइल नंबर या भुगतान पते का प्रयोग कर पैसा प्राप्त करता है। • इसे RBI के मार्गदर्शन के अंतर्गत भारत में खुदरा भुगतान प्रणालियों को उपलब्ध कराने वाली एक गैर-लाभकारी कंपनी 'भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)' द्वारा विकसित किया गया है। • इसे अन्य UPI ऐप्स तथा बैंक खातों के साथ भी संचालित किया जा सकता है। • कोई भी भारतीय नागरिक बायोमीट्रिक रीडर युक्त स्मार्ट फोन जैसे किसी व्यापारी के बायोमीट्रिक-युक्त उपकरण पर अपने बायोमीट्रिक आंकड़ों यथा अपने अंगूठे के निशान का उपयोग कर डिजिटल रूप से भुगतान कर सकता है। प्रयोक्ताओं के पास आधार से संबद्ध एक बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर /क्रेडिट/डेबिट कार्ड होना चाहिए। कोई भी नागरिक फोन, इंटरनेट या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के बिना भी BHIM आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग कर डिजिटल रूप से वित्तीय लेन-देन कर सकता है।

15.11. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना

(Software Technology Park Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• संचार संपर्कों (communication links) या भौतिक माध्यमों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात समेत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विकास तथा	• यह शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी योजना है जिसमें 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों (EOU), निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZ) तथा साइंस पार्कों / टेक्नोलॉजी पार्कों को एकीकृत किया जाता है। • यह विशिष्ट प्रकृति का है क्योंकि यह केवल एक उत्पाद/क्षेत्रक, अर्थात् कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर बल देता है। • इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: ○ सदस्य इकाइयों के लिए एकल-बिंदु संपर्क सेवाओं की व्यवस्था।

VISIONIAS

निर्यात के लिए	○ कोई कंपनी भारत में कहीं भी STP इकाई स्थापित कर सकती है। ○ 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी की अनुमति। ○ STP इकाइयों में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के सभी आयात पूरी तरह कर मुक्त होते हैं। साथ ही, सेकेंड हैंड पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति है। ○ पूंजीगत माल के पुनः निर्यात की भी अनुमति है। ○ घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया : DTA) में निर्यात के 50 प्रतिशत मूल्य तक की बिक्री की अनुमति होगी।

15.12 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विशेषता
डिजिशाला	• इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नोटबंदी-उपरांत नकदी रहित लेन-देन को प्रोत्साहित करना है। • डिजिशाला डीडी फ्री डिश डीटीएच सेवा के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाला एक फ्री-टू-एयर चैनल है। • इसे 'डिजीधन' अभियान के हिस्से के रूप में आरंभ किया गया था जिसका लक्ष्य डिजिटल संव्यवहार (लेन-देन) संबंधी जागरूकता फैलाना है।
साइबर सुरक्षित भारत पहल	• इसे MeitY द्वारा राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) और उद्योग जगत के सहयोग से आरंभ किया गया था। • यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी साझेदारी है एवं यह साइबर सुरक्षा में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। • इसके संस्थापक साझेदारों में आईटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो आदि सम्मिलित हैं। इसके *नॉलेज पार्टनर्स* में Cert-In, NIC, NASSCOM तथा कंसल्टेंसी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां Deloitte और EY आदि हैं। • इसका संचालन जागरूकता, शिक्षा एवं सक्षमता के तीन सिद्धांतों पर किया जाएगा। • इसका लक्ष्य सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) एवं अग्रिम पंक्ति के आईटी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण करना एवं साइबर अपराध के बारे में जागरूकता का प्रसार करना है।
ई-संपर्क	• इसका लक्ष्य अभियानों का डिजिटलीकरण कर अग्रसक्रिय संचार स्थापित करना है तथा मेल, आउटबाउंड डायलिंग एवं एसएमएस अभियानों के माध्यम से सरकार को सीधे भारत भर के नागरिकों से जोड़ना है। • यह नोडल अधिकारियों, प्रतिनिधियों और नागरिकों के संपर्कों का एक डेटाबेस का भी प्रबंध करता है जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
ई-अपशिष्ट जागरूकता कार्यक्रम	• इसका लक्ष्य वर्कशॉप/सेमिनारों के निर्माण के लिए MeitY समुदाय, अकादमिक संस्थाओं, उद्योग संघों और व्यावसायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और ई-अपशिष्ट के कुप्रभावों पर व्यापक जागरूकता प्रसार हेतु अभियान सामग्री का निर्माण करना है।
राष्ट्रव्यापी हैकेथॉन #OpenGovDataHack	• इसे NIC और IAMAI द्वारा स्टार्टअप इको सिस्टम (पारितंत्र) विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया जायेगा। • पेयजल और स्वच्छता, परिवहन, शिक्षा, अपराध और स्वास्थ्य विषयों पर आधारित 24 घंटे का एक हैकथॉन सात शहरों में आयोजित होगा।
सेवा के रूप में सुरक्षित (SECURE),	• यह एक वेबसाइट निर्माण तथा परिचालन उत्पाद है जिसे NIC के राष्ट्रीय क्लाउड पर होस्ट किया गया है। यह कस्टमाइज़ किए जा सकने की उच्च क्षमता वाले टेम्पलेट का

VISION IAS

मापनीय (SCALABLE) और सुगम्य वेबसाइट (S3WAAS)	प्रयोग कर सुरक्षित वेबसाइट बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध कराएगी। इन वेबसाइटों को स्केलेबल सॉफ्टवेर द्वारा परिभाषित अवसंरचना पर निर्बाध रूप से परिनियोजित किया जा सकता है।
GI क्लाउड – मेघराज	• इसका लक्ष्य क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग करना एवं उन्हें काम में लाना है, जिसमें सरकार के ICT के व्यय को अनुकूलित बनाते हुए देश में ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। • GI क्लाउड की वास्तुशिल्प की परिकल्पना में मौजूदा या नए (उन्नत) अवसंरचना पर निर्मित कई स्थानों पर फैले अलग-अलग क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक समुच्चय सम्मिलत है जो भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य प्रोटोकॉलों, दिशा-निर्देशों और मानकों के समुच्चय का अनुपालन करता है।
डिजीलॉकर	• यह डिजिटल रूप से दस्तावेज और प्रमाण पत्र जारी करने और उनका सत्यापन करने का एक मंच है, इस प्रकार यह कागज-रहित शासन को बढ़ावा देता है। • डिजीलॉकर खाते के लिए साइन-अप करने वाले भारतीय नागरिकों को उनके आधार (यूआईडीएआई) नंबर से जुड़ा एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्रदान किया जाता है। • डिजिटल लॉकर के साथ पंजीकृत संस्थाएं दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, स्कूल प्रमाणपत्र) की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ सीधे नागरिक लॉकर में डाली सकती हैं। • नागरिक अपने खातों में अपनी वसीयत (विरासत) के दस्तावेजों की स्कैन की गयी प्रतियां भी अपलोड कर सकते हैं जिन्हें ई-साइन सुविधा का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है।
ई-ताल	• यह मिशन मोड प्रोजेक्ट्स सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स के ई-संव्यवहारों के आंकड़ों के लगभग रियल-टाइम प्रसार के लिए एक वेब-पोर्टल है।
उमंग (Unified Mobile Application for New-age Governance : UMANG)	• भारत में मोबाइल गवर्नेंस के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और राष्ट्रीय ई-शासन विभाग (NeGD) द्वारा **यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस** (UMANG) विकसित किया गया है। • यह केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों और निजी संगठनों की अन्य उपयोगिता सेवाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां नागरिक कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही एप्लीकेशन इंस्टाल कर सकते हैं। • इसकी सेवाएं कई चैनल पर उपलब्ध कर दी गयी हैं जैसे मोबाइल एप्लीकेशन, वेब, आईवीआर और एसएमएस जिन्हें स्मार्टफ़ोन, फीचर फ़ोन, टेबलेट और डेस्कटॉप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

16. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE)

16.1. नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (NAPCC)

National Action Plan On Climate Change (NAPCC)

उद्देश्य	मिशन	विशेषताएं
• एक ऐसा सतत विकास मार्ग प्राप्त करना जो आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को एक साथ आगे बढ़ाता है। • पेरिस समझौते के तहत	इसके अंतर्गत शामिल मिशन हैं: 1. **राष्ट्रीय सौर मिशन** (नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत)	• यह **जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद द्वारा तैयार** एक नीति दस्तावेज है। NAPCC निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया होता है- • **संरक्षण-** समावेशी विकास रणनीति के

UNFCCC इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रिब्यूशन (INDC) को पूरा करना। • जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास रणनीति के माध्यम से समाज के कमजोर और निर्धन वर्गों की सुरक्षा करना। • कुशल और लागत प्रभावी रणनीतियों का निर्माण करना।	2. **परिष्कृत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन** (विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत) 3. **सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन** (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत) 4. **राष्ट्रीय जल मिशन** (जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (MoWR) के अंतर्गत) 5. **सतत हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन** (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के अंतर्गत) 6. **हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत)** 7. **सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन** (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत) 8. **जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन** (MoS&T के अंतर्गत	माध्यम से समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों का संरक्षण। • **राष्ट्रीय विकास को प्राप्त करना-** पारिस्थितिकीय स्थिरता को बढ़ावा देने वाले गुणात्मक परिवर्तन और आर्थिक दिशा के माध्यम से। • **मांग पक्ष प्रबंधन** • **बेहतर प्रौद्योगिकी-** जो शमन या अनुकूलन के पहलुओं को देखती है, • **बाजार प्रणाली-** जो सतत विकास को पुरस्कृत करती है, • **समावेशिता-** जो नागरिक समाज और स्थानीय सरकारी संस्थानों के साथ सम्बद्धता स्थापित करती है • जलवायु परिवर्तन से जोखिम वाले अधिकांश क्षेत्रों जैसे जल और कृषि आदि का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसलिए सभी राज्यों को एक SAPCC का विकास करना है जो अपनी विशिष्ट सुभेद्यताओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन करे। • भारत सरकार देश भर में सुभेद्य क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों का क्रियान्वयन करने के लिए एक समर्थित **नेशनल एडाप्टेशन फण्ड फॉर क्लाइमेट चेंज (NAFCC)** भी स्थापित कर रही है।

हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन (GIM)	• यह NAPCC के अंतर्गत 8 मिशनों में से एक है जिसका क्रियान्वयन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है। मिशन **सार्वजनिक और निजी दोनों** भूमियों का उपयोग करता है और नियोजन, निर्णय लेने एवं निगरानी आदि में स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करता है। हरित भारत मिशन के लक्ष्य हैं: • **वन/वृक्ष आवरण** को 5 मिलियन हेक्टेयर (mha) तक **बढ़ाना** और अन्य 5 mha वन/गैर-वन भूमि के वन/वृक्ष आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना; • **कार्बन प्रच्छादन और भंडारण** (वनों और अन्य पारिस्थितिक तंत्रों में), जलविद्युत सेवाओं एवं जैव विविधता जैसी **पारिस्थितिकी सेवाओं** के साथ ईंधन, चारा, काष्ठ और गैर-काष्ठ वन उत्पादन (NTFPs) जैसी प्रोविजनिंग सेवाओं में सुधार/वृद्धि करना तथा • लगभग 3 मिलियन परिवारों की **वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि** करना।

फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से किसानों में जलवायु सुदृढ़ता निर्माण (CLIMATE RESILIENCE BUILDING AMONG FARMERS	• यह **NAFCC के अंतर्गत** जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय संचालन समिति (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) के द्वारा अनुमोदित एक **क्षेत्रीय परियोजना** है। • परियोजना का लक्ष्य **जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना** और **अनुकूलन क्षमता में वृद्धि करना** तथा **पराली जलाने** से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों से निपटना भी है। • परियोजना **चरणबद्ध दृष्टिकोण** के अनुसार लागू की जाएगी। परियोजना के प्रथम चरण को

THROUGH CROP RESIDUE MANAGEMENT)	लगभग 100 करोड़ रु की लागत के साथ **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान** राज्यों के लिए अनुमोदित किया गया है। • किसानों द्वारा वैकल्पिक व्यवहारों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **जागरुकता सृजन और क्षमता निर्माण** गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा। इससे किसानों के आजीविका विकल्पों के विविधिकरण में सहायता मिलेगी और किसानों की आय बढ़ेगी। • मौजूदा मशीनों के प्रभावी उपयोग के अतिरिक्त फसल अवशेषों का समय पर प्रबंधन करने हेतु **तकनीकी उपाय** किए जाएंगे। • सफल पहलों और नवाचारी पहलों को बढ़ाते (upscaling) हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने योग्य और सतत उद्यमिता मॉडलों का सृजन किया जाएगा। • प्रथम चरण के कार्य निष्पादन के आधार पर, इसके दायरे को बढ़ाया जा सकता है और अन्य गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है।

16.2. सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट

(Secure Himalaya Project)

उद्देश्य	विशेषताएं
चार राज्यों यथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम में **विस्तृत उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण** जैव विविधता, भूमि और वन संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना।	• इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम** (UNDP) के सहयोग से पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्रारंभ किया गया है। • यह परियोजना **6 वर्ष तक जारी रहेगी** रहेगी। यह परियोजना चांगथांग (जम्मू और कश्मीर), लाहौल-पंगी और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), गंगोत्री - गोविंद और दर्मा - पिथौरागढ़ में ब्यान घाटी (उत्तराखंड) और कंचनजंघा- ऊपरी तीस्ता घाटी सहित विशिष्ट भू-दृश्यों के लिए है। • इस परियोजना में **हिम तेंदुआ और अन्य एंडेंजर्ड स्पीशीज तथा उनके आवासों का संरक्षण** और क्षेत्र में लोगों की आजीविका को सुरक्षित करना साथ ही **वन्यजीव अपराध को कम** करने के लिए प्रवर्तन को बढ़ाना भी सम्मिलित है। • इसके अंतर्गत, इन परिदृश्यों में सर्वाधिक थ्रेटेंन्ड स्पीशीज में से **कुछ औषधीय और सुगंधित पौधों के अवैध व्यापार को रोकने** के लिए प्रवर्तन प्रयासों और निगरानी को बढ़ाया जाएगा।

17. विदेश मंत्रालय

(MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS)

17.1. भारत को जानो कार्यक्रम

(Know India Programme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• भारतीय मूल के युवाओं (18-30 वर्ष) को उनकी भारतीय जड़ों और समकालीन भारत के साथ परिचित कराना।	• यह प्रवासी युवाओं के लिए तीन सप्ताह का अभिविन्यास कार्यक्रम है। यह भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं और देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे आर्थिक, औद्योगिक, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, संस्कृति में की गई प्रगति पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। • यह भारतीय मूल के छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए भारत की यात्रा करने, उनके विचारों, अपेक्षाओं और अनुभवों को साझा करने और समकालीन भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करता है।

VISION IAS

17.2. स्टूडेंट एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम-SAMEEP

SAMEEP - Students and MEA Engagement Programme

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश भर के छात्रों को भारतीय विदेश नीति और इसकी वैश्विक गतिविधियों से अवगत कराना। • एक करियर विकल्प के रूप में कूटनीति में रुचि बढ़ाना।	• सभी मंत्रालय के अधिकारियों जैसे उप सचिव और उच्च अधिकारियों को उनके गृह नगर, विशेष रूप से उनके मातृ शिक्षा संस्थानों (alma maters) में जाने के लिए कहा जाएगा। • उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों के साथ विदेश मंत्रालय के कार्य के बारे में, उसकी नीति के बुनियादी तत्वों के बारे में संवाद करेंगे। साथ ही वे यह भी बताएँगे कि कूटनीति कैसे संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त वे विद्यार्थियों को MEA में करियर की संभावनाओं के बारे में परामर्श देंगे।

17.3. प्रवासी कौशल विकास योजना

(Pravasi Kaushal Vikas Yojana)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
विदेशी रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने हेतु अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप चयनित क्षेत्रों और नौकरियों में विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छुक भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करना।	• ब्लू कॉलर वर्कर्स • भारतीय राष्ट्रीयता का कोई भी उम्मीदवार जो पात्र प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा किसी पात्र क्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहा हो • RPL और पारंपरिक कौशल धारक	• यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की साझेदारी के साथ विदेश मंत्रालय की एक कौशल विकास पहल है। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा किया जाएगा। • यह अल्पावधिक कार्यक्रम (2 सप्ताह से 1 माह) उम्मीदवारों को विभिन्न देशों में आत्मविश्वास के साथ चुनौतीपूर्ण असाइनमेंट लेने और अंतर्राष्ट्रीय कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से तैयार करेगा। • इसमें उन्हें उपयुक्त कौशल समूह में प्रशिक्षण देना सम्मिलित है जो सांस्कृतिक अभिविन्यास के साथ संचार, व्यापार विशिष्ट ज्ञान और कौशल में आवश्यकताओं का समाधान करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे।

18. वित्त मत्रांलय

(MINISTRY OF FINANCE)

18.1. नेशनल पेंशन स्कीम

(National Pension Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करना। • पेंशन सुधारों को संस्थागत करना और नागरिकों में सेवानिवृत्ति	NPS निम्नलिखित के लिए लागू है: • 18-60 वर्ष की आयु वाले सभी भारतीय नागरिक। • केंद्र सरकार की सेवाओं (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और केंद्रीय स्वायत्त निकायों	• इसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority: PFRDA) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। • NPS के तहत, एक व्यक्ति अपने सेवानिवृत्ति खाते में योगदान देता है और उसका नियोक्ता भी सह-योगदान दे सकता है। • इसे परिभाषित अंशदान के आधार पर तैयार किया गया है, जहाँ

VISION IAS

संबंधी बचत की आदत डालना।	के सभी नए कर्मचारियों के लिए, जो 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। • राज्य सरकारों और राज्य स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि के उपरांत सेवाओं में शामिल हुए हैं। • कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी जो अनिवार्य रूप से NPS के तहत शामिल नहीं है, वह भी NPS से जुड़ सकता है। • सभी नागरिक, अर्थात् निजी कर्मचारी और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी। • भारत में बैंक खाता धारी NRIs (नॉन रेजिडेंट इंडियन)।	अभिदाता (subscriber) अपने खाते में योगदान देता है।इसके तहत किसी भी परिभाषित हितलाभ का वर्णन नहीं किया गया है जो इससे (NPS) बाहर निकलने के समय उपलब्ध होगा। इसके अंतर्गत संचित धन वस्तुतः अभिदाताओं के योगदान और ऐसे धन के निवेश से सृजित आय पर निर्भर करता है। • NPS के सभी अभिदाताओं के लेखा-जोखा, प्रशासन और ग्राहक सेवा कार्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (NSDL) द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो NPS के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्डकीपर (लेखा-जोखा रखने वाला) के रूप में कार्य कर रहा है। • अभिदाता को एक अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number: PRAN) आवंटित किया जाएगा, जो कि पोर्टेबल है और इसका उपयोग भारत के किसी भी स्थान से किया जा सकता है। • PRAN निम्नलिखित दो व्यक्तिगत खातों तक पहुँच प्रदान करेगा: ○ **टियर I खाता (Tier I Account)**: यह एक गैर-आहरण योग्य (non-withdrawable) खाता है, अर्थात् यह सेवानिवृत्ति के लिए किया गया बचत है। टियर I खाते में किया गया अंशदान EET (Exempted-Exempted-Taxed) (छूट-छूट-कर) की श्रेणी में शामिल हैं। ○ **टियर II खाता (Tier II Account)**: साधारण भाषा में कहें तो यह एक प्रकार की स्वैच्छिक बचत सुविधा है। जब भी अभिदाता चाहे तो वह इस खाते से बचत को आहरित करने के लिए स्वतंत्र है। इस खाते पर कोई भी कर लाभ उपलब्ध नहीं है। • सरकार के 'स्वावलंबन योजना NPS लाइट' के सभी मौजूदा सदस्य स्वतः अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। यह अब स्वावलंबन योजना का स्थान ग्रहण करेगा। • NPS रिटर्न्स (प्रतिफल) बाजार से जुड़े हुए हैं। यह अभिदाताओं को निम्नलिखित 3 प्रकार के फंड प्रदान करता है: इक्विटी (शेयर), कॉरपोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां। • अभिदाता NPS में शामिल होने (खाता खोलने) के 10 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, के उपरांत इससे बाहर निकल सकता है। कुल राशि (कॉर्पस) में से केवल 40% की एकमुश्त निकासी को ही कर-मुक्त रखा गया है। • PFRDA ने हाल ही में घोषणा की है कि NPS के अभिदाता के पास अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने अथवा नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आंशिक रूप से अपने खाते से पैसा वापस निकालने का विकल्प होगा। उल्लेखनीय है 3 वर्ष के सब्सक्रिप्शन के उपरांत NPS खाते से पैसा वापस निकालने की अनुमति है। हालांकि अभिदाता को केवल उसके द्वारा किए गए योगदानों में से अधिकतम 25% राशि निकालने की ही अनुमति है।

VISION IAS

18.2 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

(Pradhan Mantri MUDRA Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक वित्त की पहुँच बढ़ाना। • अंतिम वित्तपोषकों (last Mile Financers) से अनौपचारिक क्षेत्रक के अधिकांश सूक्ष्म/लघु उद्यमों को प्रदत्त वित्त की लागत में भी कमी लाना।	• कोई भी भारतीय नागरिक जिसके पास विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवा क्षेत्रक जैसे गैर-कृषि क्षेत्रक के लिए एक व्यवसाय की योजना हो और जिसकी ऋण संबंधी आवश्यकताएं 10 लाख रुपये से कम हों।	• बैंकों, NBFCs, MFIs और MUDRA लिमिटेड द्वारा अधिसूचित अन्य अर्ह वित्तीय मध्यस्थों को मुद्रा (MUDRA) ऋण प्रदान करने की अनुमति है। • मुद्रा बैंक विनिर्माण, प्रसंस्करण, ट्रेडिंग या सेवा गतिविधियों में संलग्न सूक्ष्म/लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने वाले NBFCs, सोसाइटीज, ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनियों, सहकारी समितियों, छोटे बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे सभी अंतिम वित्तपोषकों को पुनर्वित्तीयन (refinancing) के लिए उत्तरदायी होगा। • 20,000 करोड़ रुपये के एक पुनर्वित्त राशि से मुद्रा बैंक का गठन किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण (PSL) प्रदान करने में असफल रहने वाले बैंकों से पैसा लेकर RBI राशि को आबंटित करेगा। • मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) बैंक द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के ऋण आबंटित किए जाएंगे: ○ **शिशु**: 50,000 रूपये तक के ऋण; ○ **किशोर**: 50,000 से 5 लाख रूपये तक के ऋण; और ○ **तरुण**: 5 लाख से 10 लाख रूपये तक के ऋण। • PMMY योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। • RBI ने बैंकों को सूक्ष्म व लघु उद्यम क्षेत्रक की इकाइयों को दिए जाने वाले 10 लाख रूपये तक के ऋणों के लिए कोलैटरल (जमानत) हेतु जोर न देने का आदेश दिया है। • प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत निर्धारित 5000 रूपये के अधिनिकासी (ओवरड्राफ्ट) को भी PMMY के अंतर्गत ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

18.3 अटल पेंशन योजना

(Atal Pension Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• अभिदाता (subscribers) 60 वर्ष की आयु के उपरांत अपने अंशदान (contributions) के आधार पर एक न्यूनतम	• 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिक इससे जुड़ सकते हैं। • यह मुख्य रूप से	• केंद्र सरकार 1 जून, 2015 और 31 दिसंबर, 2015 की अवधि के बीच NPS से जुड़ने वाले प्रत्येक पात्र अभिदाता, जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं हैं तथा करदाता नहीं हैं, उनको 5 वर्ष तक की अवधि के लिए उसके (प्रत्येक अभिदाता) कुल अंशदान का 50% अथवा प्रति वर्ष 1000

VISION IAS

निर्धारित पेंशन प्राप्त करेंगे।	असंगठित क्षेत्र के नागरिकों पर केंद्रित है।	रुपया, जो भी कम हो, का सह-अंशदान करेगी। • यह योजना स्वावलंबन योजना का स्थान लेगी। • लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पूर्व इस योजना से अलग नहीं हो सकते हैं। • इस योजना के तहत अभिदाता को न्यूनतम 20 वर्षों या अधिक के लिए योगदान करना होगा। • अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में उसका जीवन साथी समान राशि की पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा/होगी। • अभिदाता और उसके जीवन साथी, दोनों की मृत्यु के उपरांत जमा/संचित राशि (जो भी 60 वर्ष की आयु तक जमा हो गयी थी) अभिदाता के द्वारा नामित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी। • इसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। APY के अंतर्गत अभिदाता को नामांकित करने (enrol) हेतु NPS की संस्थागत संरचना का उपयोग किया जाएगा।

18.4 प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• यह एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है, जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) कराना होगा। यह दुर्घटना के कारण मृत्यु या अक्षमता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।	• 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के बचत बैंक खाता धारक नागरिकों (NRIs सहित) के लिए उपलब्ध।	• इस हेतु प्रति सदस्य प्रति वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम देय है। • दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रूपये का जोखिम कवरेज उपलब्ध होगा। • कोई भी व्यक्ति जो इस योजना से किसी भी समय खुद को अलग कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है। • यह योजना पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज (PSGICs) तथा अन्य जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के माध्यम से प्रदान/प्रशासित की जा रही है।

18.5 प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

(Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• एक वर्षीय जीवन बीमा योजना है। • इसे प्रति वर्ष नवीनीकृत (रिन्यू) किया जा सकता है। • यह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज उपलब्ध कराता है।	• 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के नागरिकों (NRIs सहित) के लिए उपलब्ध। • इसे प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। इसके अंतर्गत प्रदत्त लाभ 55 वर्ष की आयु तक हीं उपलब्ध हैं। हालांकि, 50 वर्ष की आयु के उपरांत इस योजना से जुड़ने की अनुमति नहीं है।	• यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का बीमा कवरेज प्रदान करता है। इसके तहत 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम की राशि चार्ज की जाती है। • इसे LIC तथा अन्य भारतीय निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रदान/प्रशासित किया जा रहा है।

VISION IAS

18.6. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)

[Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)]

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण वृद्ध व्यक्तियों की ब्याज आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना।	• 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति	• यह योजना 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत की गारंटी दर के रिटर्न के आधार पर निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। • इस योजना को एकमुश्त क्रय मूल्य का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। इसकी राशि 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन के लिए कम से कम 1,50,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति माह की अधिकतम पेंशन के लिए अधिकतम 7,50,000 रुपये हो सकती है। • हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपये से दोगुना कर 15 लाख रुपये करने के साथ-साथ इसकी सदस्यता की समय सीमा को 4 मई, 2018 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। • इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। • LIC द्वारा सृजित रिटर्न और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के आश्वासित रिटर्न में अंतर को LIC को प्रदत्त सब्सिडी से वहन किया जाएगा। • इस योजना में स्वयं या पति/पत्नी की किसी भी गंभीर/टर्मिनल बीमारी के उपचार के लिए समयपूर्व निकासी की अनुमति भी है। • 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनधारक की मृत्यु पर लाभार्थी को क्रय मूल्य का भुगतान किया जाएगा। • तीन पॉलिसी वर्ष के पश्चात् ऋण लेने की सुविधा उपलब्ध होगी। क्रय मूल्य के अधिकतम 75% तक ऋण दिया जा सकता है।

18.7. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)

(Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana: PMJDY)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करके देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करना।	• खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। • PMJDY योजना के तहत विशेष लाभ में सम्मिलित हैं: ○ एक लाख रुपए के दुर्घटना बीमा कवर के साथ रूपे डेबिट कार्ड। ○ खाते में न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य नहीं। ○ योजना लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर 30,000 रूपये का जीवन बीमा उपलब्ध कराती है जो सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। ○ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त होगा। ○ खाते के 6 माह के संतोषजनक संचालन के पश्चात् प्रति परिवार, अधिमानतः परिवार की स्त्री के लिए केवल एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

VISION IAS

18.8 स्टैंड अप इंडिया योजना

(Stand up India scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।	• 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले SCs/STs और/अथवा महिला उद्यमी।	• यह कम से कम एक अनुसूचित जाति (SC) अथवा एक अनुसूचित जनजाति (ST) उधारकर्ता तथा कम से कम एक महिला उधारकर्ता को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यह उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र किसी से भी संबद्ध हो सकता है। • गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रण हिस्सेदारी (controlling stake) SC/ST अथवा महिला उद्यमी द्वारा धारित होनी चाहिए। • उधारकर्ता को किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के मामले में डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। • इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। • उधारकर्ता को अपने योगदान के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 10% निवेश करने की आवश्यकता होगी। • ब्याज दर संबंधित निर्धारित श्रेणी (रेटिंग श्रेणी) के लिए बैंक द्वारा प्रयोज्य न्यूनतम ब्याज दर होगा, जो आधार दर {(MCLR) + 3% + आशय (tenor) प्रीमियम)} से अधिक नहीं होगा। • बैंकों के निर्णय के अनुसार, प्राथमिक जमानत (primary security) के अतिरिक्त, ऋण को संपार्श्विक जमानत (collateral security) द्वारा अथवा स्टैंड-अप इंडिया ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (ऋण गारंटी निधि योजना) की गारंटी से प्रत्याभूत किया जाएगा। • अधिकतम 18 माह की ऋण स्थगन (moratorium) की अवधि सहित ऋण की वापसी 7 वर्षों में की जाएगी। • उधारकर्ता की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा।

18.9 स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

(Gold Monetization Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश के परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गये सोने को एकत्रित करना और इसके उपयोग को उत्पादक उद्देश्यों हेतु सुगम बनाना, और • दीर्घकाल तक सोने के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना • बैंकों से ऋण पर कच्चे माल के रूप में सोने को उपलब्ध करा के देश में रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना।	• यह लोगों को पहले से ही मौजूदा दो योजनाओं, अर्थात् **संशोधित स्वर्ण जमा योजना (GDS) और संशोधित स्वर्ण धातु ऋण (GML)** को संशोधित करके सोने का मौद्रीकरण करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करती है। • **सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (RRBs को छोड़कर) को इस योजना का क्रियान्वयन करने की अनुमति दी गई है। • **संशोधित स्वर्ण जमा योजना (R-GDS)**: यह सोने के जमाकर्ताओं, बेहतर बुनियादी ढांचे (जमा करने में सुगमता, तीव्र प्रसंस्करण 'पारदर्शिता के मामले में) और जमा की शर्तों और अवधि में अधिक लचीलापन प्रदान करेगी। • **किसी भी समय न्यूनतम जमा 30 ग्राम कच्चा सोना** (पत्थरों और अन्य धातुओं को छोड़कर आभूषण, छड़ें, सिक्के) होगा। योजना के तहत जमा के लिए **कोई अधिकतम सीमा निर्धारित**

VISION IAS

	नहीं की गई है। • ग्राहक द्वारा स्वर्ण बचत खाता किसी भी समय खोला जा सकता है। इस खाते में ग्राम के हिसाब से सोना रखा जाएगा। यहाँ तक कि संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्रों में सोने को जमा करने से पूर्व भी खाता खोला जा सकता है। • बैंक शोधकों और संकलन एवं शुद्धता जांच केंद्रों के साथ एक त्रिपक्षीय वैधानिक समझौता करेंगे। उन्हें बैंक अपने साझीदार के रूप में चुनेंगे। • संशोधित योजना के तहत स्वर्ण 1 से 3 वर्ष की अल्पावधि, 5 से 7 वर्षों की मध्यकालीन अवधि और 12 से 15 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि के लिए जमा किया जा सकता है। • अल्पावधि जमा पर मूलधन और ब्याज सोने में अंकित किया जाएगा। मध्यम और दीर्घकालिक जमा के मामले में, मूलधन सोने में अंकित किया जाएगा। हालांकि, जमा के समय सोने के मूल्य के संदर्भ में MLTGD पर ब्याज की गणना भारतीय रुपये में की जाएगी। • **स्वर्ण भंडार निधि:** मध्यम/दीर्घकालीन जमा के अंतर्गत सरकार की मौजूदा उधार लागत और सरकार द्वारा देय ब्याज दर के मध्य अंतर को स्वर्ण भंडार निधि में जमा किया जाएगा। इस निधि का उपयोग सोने के मूल्य जोखिम को समाप्त करने के लिए किया जाएगा और जमाकर्ता के कारण प्रचलित सोने की दरों के आधार पर राशि का भुगतान करना होगा। • GMS के अंतर्गत कर छूट में सोना जमा करने पर अर्जित ब्याज की छूट और व्यापार या छूट के माध्यम से पूंजीगत लाभ से छूट सम्मिलित है। • **संशोधित स्वर्ण धातु ऋण (GML) योजना**: बैंक स्वर्णकारों के लिए स्वर्ण धातु ऋण खाता खोलेगा जो सोने के वजन ग्राम के आधार पर होंगे।

18.10. सार्वभौमिक स्वर्ण बांड योजना

(Sovereign Gold Bond Scheme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• स्वर्ण धातु का क्रय करने के विकल्प के रूप में एक वित्तीय परिसम्पत्ति विकसित करना	• सार्वभौमिक स्वर्ण बांड नकद भुगतान पर जारी किया जाएगा और ग्राम आधारित सोने के वजन के अनुरूप होगा। • भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक बांड जारी करेगा। बांड की सार्वभौमिक गारंटी होगी। • बांड की बिक्री केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को की जाएगी। • निवेश सीमा में प्रति वित्तीय वर्ष में व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए 4 किलो और ट्रस्ट के लिए 20 किलो तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित समान स्थिति में वृद्धि हुई है। • सरकार एक ब्याज दर पर बांड जारी करेगी जो निवेश के समय सोने के मूल्य के अनुरूप तय की जाएगी। • बांड डीमैट या कागज दोनों रूपों में उपलब्ध होंगे। • बांड की अवधि न्यूनतम 5 से 7 वर्षों की होगी जिससे सोने की कीमतों के मध्यकालीन उतार-चढ़ाव से निवेशकों की सुरक्षा हो सके। ये बांड सार्वभौमिक उधार का भाग हैं इसलिए उन्हें वर्ष 2015-16 और उसके आगे की अवधि के संदर्भ में वित्तीय घाटे के दायरे में रखे जाने की आवश्यकता है। • इन बांडों का ऋण के लिए कोलैटरल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। • बांडों को एक्सचेजों में सरलता से बेचा जा सकेगा और उसका कारोबार किया जा सकेगा जिससे निवेशक अपनी इच्छा से बाजार से निकल सकें।

VISION IAS

	• बांड के परिपक्व हो जाने पर उसकी वापसी केवल रुपये में होगी। यह निश्चित राशि नहीं होगी, किंतु सोने की कीमतों से जुड़ी होगी। • · जमा को रोक कर नहीं रखा जाएगा तथा सोने की कीमत और मुद्रा से सम्बद्ध जोखिम को सरकार द्वारा स्वर्ण भंडार निधि से वहन किया जाएगा।

18.11. स्वच्छ भारत कोष (SBK)

(Swachh Bharat Kosh: SBK)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वर्ष 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कॉर्पोरेट क्षेत्र से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड और व्यक्तियों व परोपकारी लोगों के योगदान को आकर्षित करना।	• इसे सचिव (व्यय विभाग) की अध्यक्षता में एक शासी परिषद् द्वारा प्रशासित किया जाएगा। • "स्वच्छ भारत कोष" के लिए दी गई राशि के अतिरिक्त "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी" के मद में खर्च की गई रकम, दान आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80G के तहत 100% कटौती हेतु पात्र हैं। यह निर्धारण वर्ष 2015-16 और आगामी वर्ष पर लागू है।

19. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

(MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES)

19.1. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं

• इस योजना का उद्देश्य कृषि न्यूनता पूर्ण करना (supplement), प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि-बर्बादी को कम करना है।	• यह 20 लाख किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वितकरेगा तथा 2019-20 तक देश में 5,30,500 प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करेगा।	• इसे पहले SAMPADA (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) (कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) के नाम से जाना जाता था, जिसे "प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना" (PMKSY) के रूप में पुनर्नामकरण कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग के समयावधि में इस केंद्रीय क्षेत्रक की योजना को 2016-20 की समयावधि हेतु अनुमोदित किया गया है।
		• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्तमान में चल रही योजनाओं को शामिल करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना है। इसके परिणामस्वरूप फार्म गेट (कृषि स्थल) से लेकर रिटेल आउटलेट (खुदरा विक्री केंद्र) तक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आधारभूत संरचना का सृजन होगा।
		• PMKSY के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं:
		  ○ मेगा फूड पार्क;
		  ○ एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना

		○ (Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure); ○ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी सुविधा (Food Safety and Quality Assurance Infrastructure); ○ खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार; ○ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए बुनियादी सुविधा; ○ बैकवार्ड तथा फॉरवार्ड लिंकेज का सृजन; तथा ○ मानव संसाधन और संस्थान। • इस योजना के तहत अंतिम तीन योजनाएं नई शुरू की गई योजनाएं हैं, जबकि शुरू की 4 योजनाएं पहले से चल रहीं थी।

19.2 मेगा फ़ूड पार्क

(Mega Food Park)

उद्देश्य	क्रियान्वयन एजेंसी	मुख्य विशेषताएं
• देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए आधुनिक आधारभूत संरचना प्रदान करना तथा डेयरी, मत्स्य पालन इत्यादि सहित कृषि उत्पादों की मूल्यवर्द्धन प्रक्रिया को सुनिश्चित करना। • क्लस्टर के अंतर्गत धारणीय कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना। • प्लग एंड प्ले (त्वरित रूप से कार्य आरम्भ करना) सुविधाएं प्रदान कर छोटे एवं सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।	• इस परियोजना का कार्यान्वयन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कॉर्पोरेट निकाय है।	• यह योजना एक **"क्लस्टर" दृष्टिकोण** पर आधारित है तथा इसमें सुगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर सुपरिभाषित कृषि/बागवानी क्षेत्र में अत्याधुनिक अवसंरचना के सृजन की परिकल्पना की गई है। • आपूर्ति श्रृंखला में विशेषतः संग्रहण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र,केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, कोल्ड चेन एवं लगभग 30-35 पूर्ण विकसित भू-खंड सम्मिलित हैं ताकि उद्यमी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा सके। • **फंडिंग-** स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों को परियोजना लागत का 50% तथा दुर्गम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को 75% परंतु अधिकतम 50 करोड़ रुपये/प्रति परियोजना का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

19.3. कोल्ड चेन, मूल्य वर्द्धन और परिरक्षण आधारभूत संरचना की योजना

(Scheme of Cold Chain, Value Addition & Preservation Infrastructure)

उद्देश्य	क्रियान्वयन एजेंसी	मुख्य विशेषताएं
• खेत से उपभोक्ता तक, बिना किसी अवरोध के एकीकृत कोल्ड चेन और परिरक्षण आधारभूत संरचना सम्बंधी सुविधाएं प्रदान करना।	• एकीकृत कोल्ड चेन परियोजना साझेदारी / स्वामित्व फर्मों, कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, SHGs, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), NGOs आदि द्वारा स्थापित की गई है।	• इसका उद्देश्य एक मज़बूत कोल्ड चेन की स्थापना को सुविधाजनक बनाना है जिससे प्रभावी भंडारण और परिवहन उपलब्ध कराया जा सके। • घटक -खेत के स्तर पर न्यूनतम प्रसंस्करण केंद्र, बहु-उत्पादों और बहु-नियंत्रित वातावरण में वितरण केंद्र, मोबाइल प्री-कूलिंग वैन एवं रीफर ट्रक तथा विकिरण सुविधा (इरैडीएशन फैसिलिटी)।

19.4. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	मुख्य विशेषताएं
• निवेश बंधु	• यह एक निवेशक सुविधा पोर्टल है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की निवेशक अनुकूल नीतियों, कृषि उत्पादक क्लस्टर, आधारभूत संरचनाओं और खाद्य तथा प्रसंस्करण के निवेश संभावित क्षेत्रों पर सूचना प्रदान करेगा।

20. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE)

20.1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

National Health Mission (NHM)

उद्देश्य	घटक

• बाल मृत्यु-दर और मातृ मृत्यु-दर में कमी लाना
• संचारी तथा गैर-संचारी रोगों (जिनमें स्थानीय स्तर के स्थानिक रोग भी शामिल हैं) की रोकथाम एवं नियंत्रण
• एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच प्रदान करना
• जनसंख्या स्थिरीकरण, लैंगिक एवं जनांकिकीय संतुलन स्थापित करना
• स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को पुनर्जीवित करना तथा आयुष (AYUSH) को मुख्यधारा में लाना
• भोजन और पोषण, स्वच्छता एवं आरोग्य हेतु सार्वजनिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को संबोधित करने वाली सेवाओं पर विशेष बल देने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच स्थापित करना तथा सार्वभौमिक टीकाकरण
• स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहन
	• यह सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्रों और स्वास्थ्य देखभाल के वितरण को सशक्त बनाने के लिए राज्यों के वित्तपोषण और समर्थन का एक प्रमुख साधन है। राज्यों के लिए यह वित्तपोषण राज्य की **कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान: PIP) पर आधारित होता है।**
	• इसके अंतर्गत 2 उप-योजनाएं हैं:
	  ○ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
	  ○ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
	• जो राज्य मुख्य परिणामों/आउटपुट यथा IMR, MMR, टीकाकरण, गुणवत्ता प्रमाणित स्वास्थ्य सुविधाओं आदि में उल्लेखनीय प्रगति प्रदर्शित करते हैं, उन्हें **प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त वित्त प्रदान किया जाता है।**
	• यह "प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य (RMNCH+A)" एवं संचारी तथा गैर-संचारी रोगों पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

20.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

(National Rural Health Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सुलभ,सस्ती, जवाबदेह और प्रभावी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए। • सभी स्तरों पर अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण(inter-sectoral convergence) के साथ एक संपूर्ण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्व वाली, विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना • जल, स्वच्छता, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों की एक विस्तृत श्रृंखला पर एक साथ कार्रवाई सुनिश्चित करना	**राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत किए गए पहल:** • मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा कार्यकर्ता) • जननी सुरक्षा योजना • मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ • जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम • राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम • माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड • RMNCH+A - प्रजननशील मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (Reproductive Maternal Newborn Child and Adolescent Health)। • नि:शुल्क दवाएं और मुफ्त नैदानिक सेवा • जिला अस्पताल और ज्ञान केंद्र(District hospital and knowledge center: DHKC) • स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुन: जीवित करके **आयुष को मुख्य धारा में लाना** NRHM के अंतर्गत 50,000 से कम आबादी वाले शहर एवं कस्बों को सम्मिलित किया जाना जारी रहेगा।

20.3 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

(National Urban Health Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवायें उपलब्धता सुनिश्चित कर शहरी आबादी, विशेष रूप से शहरी गरीब और झुग्गी-झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों, की स्वास्थ्य जरूरतों की पूर्ति करना • उनके द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर किये जाने वाले खर्च को कम करना	• आवश्यकता आधारित शहर विशिष्ट शहरी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली • समुदाय, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी • जिला स्वास्थ्य कार्य योजना • सभी राज्यों के लिए केंद्र-राज्य फंडिंग पैटर्न 75:25 एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 रहेगा। • कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ संकेतकों से संबंधित प्रगति के आधार पर एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। • सेवा वितरण बुनियादी ढांचे के लिए यह शहरी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (U-CHC) तथा रेफरल हॉस्पिटल और आउटरीच सेवाएं प्रदान करता है। • सामुदायिक प्रक्रिया हेतु इसमें महिला आरोग्य समिति और आशा/लिंक कर्मचारी(Link Worker)सम्मिलित हैं।

20.4 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram)

लक्ष्य	मुख्य विशेषताएं
• देश के किशोरों(10-19 वर्ष) की स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना एवं उन्हें पूरा	• विद्यालय में छात्रों की जांच की जाती है तथा उसके तत्पश्चात बीमारियों के शुरुआती दौर में विशेष रूप से गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में भेजा जाता है। • RKSK के अंतर्गत निर्धारित छह प्रमुख क्षेत्रों- पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य , नशाखोरी

करना।	(ड्रग्स), गैर-संक्रामक रोगों, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा। • योजना के तहत सहकर्मी शिक्षक (साथिया) सामाजिक प्रक्रिया के अनुरूप योजना संबंधी जानकारी किशोरों को उपलब्ध कराएंगे। • **साथिया रिसोर्स किट:** सहकर्मी शिक्षक की सहायता के लिए, विशेष रूप से गांवों में संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने तथा सूचित तरीके (informed manner) से अपने समुदाय के किशोरों के प्रश्नों का उत्तर देने हेतु साथिया रिसोर्स किट। • इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन करने हेतु, MOHFW ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के सहयोग से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति विकसित की है। • **मासिक धर्म स्वच्छता योजना (MHS)** ○ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ○ इसके तहत प्राथमिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली किशोरियों को सब्सिडी प्राप्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाता है। ○ लक्ष्य: 10 से 19 वर्ष की 15 मिलियन किशोरियों और 20 राज्यों के 152 जिलों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

20.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

(Rashtriya Bal Swasthya Karyakram: RBSK)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 4 D – जन्म के समय किसी प्रकार के विकार (Defects at birth), बीमारी (Diseases), कमी (Deficiencies) और विकलांगता सहित विकास में रूकावट (Development Delays) • नि:शुल्क उपचार तथा चिकित्सीय सहायता।	• ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले 0-6 वर्ष आयु समूह तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। • 18 वर्ष तक के बच्चे जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्रा हैं।	• यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहल (NRHM के तहत बच्चे की स्वास्थ्य जांच और *अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज* (प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं) का एक घटक है। • बीमार बच्चों को तृतीयक स्तर पर सर्जरी सहित राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत निः शुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ। • RBSK के तहत बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में स्क्रीनिंग, प्रारंभिक पहचान और मुफ्त प्रबंधन के लिए 30 चयनित स्वास्थ्य परिस्थितियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। • RBSK के तहत बाल स्वास्थ्य स्क्रीनिंग के दो स्तर हैं :समुदाय एवं सुविधा।

20.6 जननी सुरक्षा योजना

(Janani Suraksha Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना	• गर्भवती महिला • नवजात शिशु	• यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • पात्र गर्भवती महिलाएं सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में बच्चे को जन्म देने पर **नकद सहायता** की हकदार हैं। इस योजना में माँ की उम्र और बच्चों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है। • निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत गरीब गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान।

VISION IAS

		• गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्ता के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। • घर पर होने वाले प्रसव की स्थिति में कुछ नकद सहायता भी प्रदान की जाती है।

20.7 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

(Janani Shishu Suraksha Karyakram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• संस्थागत प्रसव में अधिक खर्च की समस्या को कम करना, जो गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव न कराने का प्रमुख कारण है। • गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।	• गर्भवती महिलाएं जिनकी प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच हैं।	• **मुफ्त प्रसव:** इस योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाएँ एवं खाद्य पदार्थ, मुफ्त इलाज, आवश्यकता पड़ने पर मुफ्त रक्त आधान, सामान्य प्रसव के मामले में तीन दिनों एवं सी-सेक्शन के मामले में सात दिनों तक मुफ्त पोषाहार दिया जाता है। • इसमें घर से स्वास्थ्य केंद्र तक जाने एवं वापसी के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। • यह जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत गर्भवती महिला को दी जाने वाली नकद सहायता के पूरक के रूप में कार्य करता है।

20.8 प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना

(Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyaan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना	• सभी गर्भवती महिलाएं जो अपनी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी त्रैमासिक अवधि में हैं।	• उच्च जोखिम वाले गर्भधारण से बचने के लिए प्रत्येक महीने की 9 वीं तारीख को लगभग 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं को विशेष निःशुल्क प्रसवपूर्व देखभाल प्रदान करना। • अभियान के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक उच्च जोखिम वाले गर्भधारण की पहचान एवं उनकी जांच करना है। • निजी क्षेत्र के डॉक्टर भी सरकार की इस पहल में सहयोग प्रदान करेंगे। • यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है।

20.9. लक्ष्य - लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव

(Laqshya- Labor Room Quality Improvement Initiative)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• प्रसूति गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना। • प्रसूति गृह तथा मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल से सम्बंधित, रोकथाम योग्य मातृ और नवजात मृत्यु, रुग्णता तथा मृत जन्मे शिशुओं की संख्या में कमी लाना। साथ ही सम्मानपूर्ण मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना।	• इस पहल का क्रियान्वयन जिला अस्पतालों (DHs), अत्यधिक प्रसव भार वाले उप-जिला अस्पतालों (SDHs) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) के साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों (MCs) में भी किया जाएगा। • इस पहल के अंतर्गत प्रसूति गृहों का गुणवत्ता प्रमाणन करने तथा रेखांकित लक्ष्यों को पूरा करने वाले सुविधा केंद्रों को प्रोत्साहन प्रदान

	करने की योजना भी बनाई गयी है।

20.10 MAA - मदर्स ऐब्सल्यूट अफेक्शन

(MAA - Mother Absolute Affection)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएँ
• यह आरंभिक अवस्था में कुपोषण की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने तथा इससे संबंधित परामर्श प्रदान करने हेतु एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम है।	• सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना; • आशा (ASHA) के माध्यम से अंतर-वैयक्तिक संचार को मजबूत करना; • सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के वितरण बिंदुओं पर स्तनपान को बढ़ावा देने हेतु विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना; • विभिन्न स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना तथा इस स्वस्थ परंपरा के लिए उन्हें पुरस्कार अथवा मान्यता प्रदान करना।

20.11 मिशन परिवार विकास

(Mission Parivar Vikas)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• एक अधिकार आधारित फ्रेमवर्क (ढांचे) के अंतर्गत सूचना, विश्वसनीय सेवा और आपूर्ति आधारित उच्च गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन विकल्पों तक पहुंच को त्वरित करना। • 2025 तक 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी (प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता अर्थात् TFR) लक्ष्य की प्राप्ति।	• इस पहल का मुख्य रणनीतिक फोकस सुनिश्चित सेवाओं की प्रदायगी, नई प्रोत्साहन योजनाओं के साथ जुड़ना,कमोडिटी सुरक्षा की सुनिश्चितता, सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण, कारगर माहौल के सृजन के साथ कड़ी निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से गर्भनिरोधकों तक पहुंच में सुधार करना है। • **राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना (National Family Planning Indemnity Scheme: NFPIS)**, इसके अंतर्गत सेवा ग्राही के बंध्यीकरण करवाने के बाद मृत्यु, जटिलताओं तथा विफलता की संभावित घटनाओं हेतु बीमा किया जाता है। प्रदायक/प्रत्यायित संस्थान (providers/ accredited institutions) उन संभावित घटनाओं में अभियोग के संबंध में क्षतिपूर्ति करते हैं। • इसके तहत नव-विवाहित दम्पतियों के बीच परिवार नियोजन और व्यक्तिगत स्वच्छता के उत्पादों वाले किट (नई पहल) का भी वितरण किया जाएगा। • यह बंध्याकरण सेवाओं में वृद्धि करेगा, विभिन्न उपकेंद्रों पर इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक उपलब्ध करायेगा और कंडोम एवं गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। • इसके तहत सात उच्च कुल प्रजनन दर (TFR) वाले राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के 145 उच्च प्रजनन जिलों पर फोकस होगा।

20.12 सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

(Universal Immunization Programme)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश भर के सभी बच्चों को 12 टीका निवारण योग्य रोगों (Vaccine Preventable Diseases: VPD) से सुरक्षित रखने हेतु निःशुल्क टीके उपलब्ध कराना।	• केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित। • UIP के अंतर्गत, भारत सरकार 12 VPD के लिए निःशुल्क टीकाकरण प्रदान कर रही है। ये हैं: ○ **डिप्थीरिया, परट्यूसिस (Pertussis), टिटनेस, पोलियो;**

• प्रतिरक्षण कवरेज में तीव्रता से वृद्धि करना। • स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर एक विश्वसनीय कोल्ड चेन सिस्टम की स्थापना करना। • टीका उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। • VPD और ऐडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन (AEFI) के लिए मजबूत निगरानी प्रणाली को सशक्त करना और उसे बनाए रखना। • UIP में नए और अप्रयुक्त टीकों व प्रौद्योगिकी की शुरुआत एवं और उनके उपयोग में वृद्धि करना।	○ **खसरा** {खसरा-रूबेला (Measles-Rubella: MR) टीका - खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरी सुरक्षा के लिए एकल टीका}; ○ बाल्यावस्था TB के गंभीर रूप; ○ **हेपेटाइटिस बी;** ○ संपूर्ण देश में हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला **मेनिनजाइटिस और निमोनिया**; {हाल ही में निमोनिया और मेनिनजाइटिस के लिए न्यूमोकोकल कोंजूगेट वैक्सीन (PCV) लांच किया गया है।} ○ **रूबेला, जापानी इंसेफेलाइटिस** और **रोटावायरस डायरिया** → ये 3 केवल चयनित राज्यों में।

20.13 मिशन इंद्रधनुष

(Mission Indradhanush)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• दिसम्बर 2018, तक 90% से अधिक लक्षितों के लिए पूर्ण टीकाकरण। • इसका मुख्य लक्ष्य दो वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है।	• आंशिक टीकाकरण वाले अथवा टीकाकरण से वंचित बच्चे तथा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित गर्भवती महिला।	• सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम" के तहत सभी टीके नि:शुल्क उपलब्ध हैं। • इसके अंतर्गत निम्नलिखित 7 टीका निवारण योग्य रोगों (Vaccine Preventable Diseases: VPD) के लिए टीकाकरण किया जाता है - **डिप्थीरिया, काली खांसी (whooping cough), टिटनेस, पोलियो, टीबी, ख़सरा और हेपेटाइटिस-बी**। • जहाँ बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया है वहां पूर्ण टीकाकरण के लिए "कैच अप" अभियान। • इस मिशन के प्रथम चरण में देश के उन 201 जिलों को लक्षित किया गया जहाँ आंशिक टीकाकरण वाले अथवा टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा थी। • इस हेतु WHO, UNICEF, रोटरी इंटरनेशनल इत्यादि द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। • इसके अतिरिक्त, देश के कुछ चयनित राज्यों में जापानी इंसेफेलाइटिस, हेमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी, इनएक्टिवेटिड (निष्क्रिय) पोलियो, रोटावायरस और खसरा-रूबेला के लिए भी टीका उपलब्ध कराई जा रही हैं। **सघन मिशन इंद्रधनुष (Intensified Mission Indradhanush)** • ख़राब प्रदर्शन वाले देश के कुछ चयनित जिलों और शहरी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अक्टूबर 2017 में इसे लॉन्च किया गया। • असेवित अथवा अल्प कवरेज वाले उप-केंद्रों और प्रवासी जनसंख्या वाली शहरी झुग्गियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन** National Urban Health Mission: NUHM) के अंतर्गत चिन्हित शहरी बस्तियों और नगरों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

VISION IAS

20.14 EVIN (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क)

EVIN (Electronic Vaccine Intelligence Network)

लक्ष्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका प्रमुख लक्ष्य राज्य सरकारों को अवसंरचना, निगरानी और मानव संसाधन जैसी बाधाओं पर विजय पाने में सहायता कर टीका कवरेज में निहित व्यापक असमानताओं को दूर करना है।	• इसका उद्देश्य भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन करना है। • यह भारत में विकसित एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो वैक्सीन भण्डार का डिजिटलीकरण करती है और स्मार्टफोन एप्लिकेशन के जरिए कोल्ड चेन के तापमान पर निगरानी रखती है। • यह सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक और प्रवाह तथा भंडारण तापमान से लेकर मोबाइल और वेब आधारित डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए राज्य, जिला और स्वास्थ्य केन्द्रों में वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट्स के सन्दर्भ में रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। • **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के साथ साझेदारी में, UNDP वर्तमान में 12 राज्यों में eVIN का संचालन कर रहा है।

20.15. राष्ट्रीय कृमि मुक्ति पहल

(National Deworming Initiative)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• मृदा संचरित हेल्मिन्थिस (STH) संक्रमण के नियंत्रण हेतु निवेश को प्राथमिकता प्रदान करना।	• 1-19 वर्ष तक की आयु के सभी प्री-स्कूल तथा स्कूल योग्य आयु के (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत) बच्चों को कृमि मुक्त करना।	• इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समन्वित प्रयासों से क्रियान्वित किया जा रहा है। • यह स्कूलों और आँगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। • यह **अल्बेंडाज़ोल टैबलेट** के माध्यम से किये जाने वाले सबसे प्रभावी और कम लागत वाले STH उपचार के बारे में जन जागरूकता उत्पन्न करेगा। • स्वच्छता, आरोग्य (hygine), शौचालयों के उपयोग, जूते/चप्पल पहनने, हाथ-धोने आदि से सम्बंधित **व्यवहार परिवर्तन प्रथाओं** का उपयोग किया जाता है। • STH की मैपिंग हेतु नोडल एजेंसी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है। • यह कार्यक्रम 1-19 वर्ष तक के सभी बच्चों में आँतों के कृमि संक्रमण का उपचार करने हेतु वर्ष में एक नियत तिथि (प्रतिवर्ष 10 फरवरी) को आयोजित किया जाता है।

20.16. आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन

Ayushman Bharat -National Health Protection Mission (AB-NHPM)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार	• यह BPL परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के	• यह केंद्र प्रायोजित योजनाओं- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (SCHIS) का विलय करता है।

VISION IAS

को पांच लाख रुपये तक का चिकित्सा कवर प्रदान करना। • राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (NHA)- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के प्रबंधन हेतु स्थापित किया जाएगा।	श्रमिकों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है।	• JAM का प्रयोग: यह एक कैशलेस और आधार-सक्षम पहल होगी ताकि लाभार्थियों को बेहतर ढंग से लक्षित किया जा सके। • यह **सम्पूर्ण देश में** वहनीय (**पोर्टेबल)** होगा और इस योजना के तहत कवर किये गए किसी लाभार्थी को पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक/निजी सूचीबद्ध अस्पताल से कैशलेस लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी। • NHPS के साथ ही आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक अन्य घटक, **स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर)** है। • स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की परिकल्पना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में की गयी है। इसके अंतर्गत 1.5 लाख केन्द्रों के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को लोगों के घरों के निकट लाया जाएगा। ये केंद्र व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करेंगे जिनमें गैर-संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा।

20.17 राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)

(Rashtriya Arogya Nidhi)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। .	• जानलेवा रोगों से पीड़ित, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले मरीज़।	• RAN को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। • वित्तीय सहायता **'वन टाइम ग्रांट'** (एकमुश्त अनुदान) के रूप में प्रदान की जाती है। • RAN के तहत सीधे मरीजों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है, अपितु जिस अस्पताल में चिकित्सा की जा रही है उसके अधीक्षक को यह सहायता दी जाती है। **सरकारी अस्पताल** में इलाज करवाने पर ही सहायता स्वीकार्य की जाती है। • निम्नलिखित 4 विंडो के माध्यम से इसे परिचालित किया जा रहा है - रिवॉल्विंग फंड, डायरेक्ट फाइनेंसियल असिस्टेंस (प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता), स्टेट इलनेस असिस्टेंस फंड और हेल्थ मिनिस्टर्स कैंसर पेशेंट फंड। • हाल ही में मंत्रिमंडल ने RAN को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है।

20.18 स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल

(IT Initiatives in Health)

योजना	अपेक्षित लाभार्थी
ANM ऑनलाइन एप्लीकेशन अर्थात् अनमोल (ANMOL)	• यह एक टेबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो ANMs को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के डेटा को अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह आधार सक्षम होगा।
किलकारी	• इसके तहत सीधे परिवार के मोबाइल फोनों पर गर्भावस्था, बच्चे के जन्म, बच्चों की देखभाल से जुड़े 72 ऑडियो संदेश गर्भावस्था की दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के एक वर्ष का होने तक भेजे जाते हैं।

VISION IAS

20.19. एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

Integrated Diseases Surveillance Program (IDSP)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• इसका मुख्य उद्देश्य महामारी-प्रवण रोगों (एपिडेमिक प्रोन डिज़ीज़) के लिए विकेंद्रीकृत, प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना/बनाये रखना है। इससे रोग के रुझानों की निगरानी की जा सकेगी तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पॉन्स टीम (RRT) द्वारा महामारी के प्रसार के प्रारंभिक चरण में ही उसका पता लगाकर उचित अनुक्रिया की जा सकेगी।	• यह एक **केंद्रीय रोग निगरानी इकाई** तथा प्रत्येक राज्य में राज्य निगरानी इकाई की स्थापना का प्रावधान करता है। इन इकाइयों में डेटा एकत्रित और विश्लेषित किया जाता है। • समय पर निवारक कदम उठाने के लिए एक **पूर्व चेतावनी प्रणाली** स्थापित की गई है। • IDSP के अंतर्गत साप्ताहिक आधार पर महामारी-प्रवण रोगों पर डाटा एकत्र किया जाता है। • किसी भी क्षेत्र में किसी रोग में वृद्धि के रुझान देखे जाने पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम द्वारा उसकी जाँच की जाती है ताकि उसका निदान (डायग्नोसिस) और उसके प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके। • यह कार्यक्रम संचारी तथा गैर-संचारी रोगों, दोनों को कवर करता है तथा पशुजन्य (ज़ूनोटिक) रोगों के लिए अंतर-क्षेत्रीय सहयोग पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता है।

20.20. सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा

(Intensified Diarrhea Control Fortnight : IDCF)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ
• सम्पूर्ण देश में डायरिया से प्रभावित बच्चों में ORS और जिंक के प्रयोग के सन्दर्भ में उच्च कवरेज सुनिश्चित करना। • पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम तथा प्रबंधन हेतु देखभालकर्ताओं में उचित व्यवहार का समावेश करना। • उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा सुभेद्य समुदायों पर विशेष ध्यान देना।	• इसमें तीन कार्यवाही फ्रेमवर्क शामिल हैं- o **एकजुट करना (Mobilize):** स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों (NGO) को एकजुट करना। o **निवेश को प्राथमिकता:** सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों से इस प्रयोजन हेतु निवेश को प्राथमिकता में रखना। o **जन जागरूकता का प्रसार:** राज्य, जिला तथा ग्राम स्तर पर ORS तथा जिंक थेरेपी का प्रदर्शन (demonstration) किया जाएगा। • IDCF रणनीति के तीन पहलू हैं, जो इस प्रकार हैं: o समुदाय स्तर पर ORS और जिंक की बेहतर उपलब्धता तथा उपयोग। o डीहाइड्रेशन के मामलों को प्रबंधित करने के लिए सुविधा केंद्र स्तर पर सुदृढीकरण। o IEC अभियान के माध्यम से डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के समर्थन तथा इस सन्दर्भ में संचार में वृद्धि।

20.21. अन्य योजनाएँ

(Other schemes)

पहल	विशेषताएँ
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB)	• इसे दृष्टिहीनता के प्रसार को 1.4% से घटा कर 0.3% के स्तर तक लाने के उद्देश्य से 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 1976 में आरम्भ किया गया था। • वर्तमान में इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गैर-संचारी रोगों सम्बन्धी घटक का एक भाग बना दिया गया है।

VISION IAS

	• NPCB का वर्तमान लक्ष्य 2020 तक दृष्टिहीनता के प्रसार को कम करके 0.3 प्रतिशत तक ले आना है।
प्रोजेक्ट सनराइज	• यह पूर्वोत्तर भारत के लिए AIDS की रोकथाम हेतु एक विशेष कार्यक्रम है। इसे आठ राज्यों के 20 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य 2020 तक 90% HIV ग्रस्त नशे के आदी व्यक्तियों की पहचान करना तथा उन्हें उपचार के अंतर्गत शामिल करना है। • यह राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अंतर्गत वित्तपोषित है। इसे राज्य एड्स नियंत्रण संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से क्रियान्वित किया जाएगा।
मिशन सम्पर्क	इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है जिनका फॉलो अप नहीं हो पाया है तथा जिन्हें एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी (ART)सेवाओं के अंतर्गत लाया जाना अभी शेष है। इसके तहत HIV ग्रस्त व्यक्तियों की शीघ्र पहचान हेतु समुदाय-आधारित परीक्षण किया जाएगा। **टारगेट 90-90-90 ट्रीटमेंट फॉर आल** • 2020 तक, HIV से प्रभावित लोगों में से 90 प्रतिशत को उनके HIV संक्रमण की जानकारी हो जाएगी। • 2020 तक, कुल व्यक्ति जिनके HIV संक्रमण की पहचान कर ली गयी है, में से 90 % व्यक्ति नियमित एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त करने लगेंगे। • 2020 तक, एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे लोगों में से 90 % व्यक्तियों में वायरल सप्रेशन (रक्त में मौजूद वायरसों की संख्या का इस स्तर तक गिर जाना कि परीक्षण के माध्यम से उसका पता न लगाया जा सके) हो जाएगा।
अमृत योजना	• अमृत फार्मेसी के नाम से स्थापित रिटेल आउटलेटों से **अत्यधिक रियायती कीमतों पर** कैंसर तथा हृदय रोग की दवाइयों की बिक्री की जा रही है। • यह योजना सरकार के स्वामित्व वाली HLL लाइफकेयर लिमिटेड के सहयोग से संचालित की जा रही है। HLL लाइफकेयर लिमिटेड को सम्पूर्ण देश में अमृत फार्मेसियों की श्रृंखला स्थापित करने और उनके संचालन के लिए नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	यह योजना **किफायती स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक** करेगी। इसके साथ ही यह भारत के विभिन्न भागों के AIIMS स्थापित करके और सरकारी मेडिकल कॉलेजों को उन्नत बनाकर अल्प-सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाएगी।

21. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES)

21.1. नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP)

(National Electric Mobility Mission Plan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पूर्ण राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करना है।	• इसका लक्ष्य 2020 तक सालाना 6-7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। • सरकार का लक्ष्य इस नई प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिसे एक कुशल और प्रभावी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली/पोर्टल के माध्यम से प्रशासित किया जाएगा। • यह निम्नलिखित विभिन्न पॉलिसी-लीवर्स (नीति-उत्तोलकों) का उपयोग करके वाली एक

VISION IAS

	समग्र योजना है: ○ हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिग्रहण को सुगम बनाने हेतु मांग पक्ष को प्रोत्साहन प्रदान करना ○ बैटरी प्रौद्योगिकी, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर्स, सिस्टम इंटीग्रेशन, बैटरी प्रबंधन प्रणाली व परीक्षण अवसंरचनाओं सहित प्रौद्योगिकियों में शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और इसमें उद्योगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। ○ चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (वाहनों की चार्जिंग हेतु आवश्यक अवसंरचना) को प्रोत्साहन प्रदान करना। ○ आपूर्ति पक्ष को प्रोत्साहन प्रदान करना। ○ हाइब्रिड किट के साथ सड़क पर चलने वाले वाहनों (on -road vehicles) में रेट्रो-फिटमेंट को बढ़ावा देना।

21.2.फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स: फेम

(Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles: FAME)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य देश में पर्यावरण अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देना है। • देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकी वाले वाहनों को अपनाने और बाजार निर्माण करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना।	• योजना का **क्रियान्वयन 2020 तक** किये जाने का प्रस्ताव है। • इसे **नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020** के अंतर्गत किया गया है। • दो-पहिया वाहनों, तीन-पहिया वाहनों, चार पहिया यात्री वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों सहित **सभी प्रकार के वाहनों को प्रोत्साहित किया जाएगा**। • निर्माता विक्रय मूल्य को कम रखेगा जिसकी **प्रतिपूर्ति उन्हें सरकार द्वारा की जाएगी।** • इस योजना में चार फोकस क्षेत्र हैं जैसे - **प्रौद्योगिकी विकास, मांग सृजन, पायलट परियोजनाएँ और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर**। • हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों, टैक्सियों और तीन पहिया वाहनों को आरम्भ करने के लिए FAME इंडिया के अंतर्गत 11 शहरों को सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है।

22. गृह मंत्रालय

(MINISTRY OF HOME AFFAIRS)

22.1. अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS)

(Crime and Criminal Tracking Network and Systems)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका लक्ष्य ई-गवर्नेंस के सिद्धांत को अपनाकर पुलिस की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना तथा अपराध की जांच और अपराधियों की पहचान हेतु 'आईटी-सक्षम-अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के	• CCTNS इस प्रकार से लागू किया जाएगा कि इसमें राज्य और केंद्रशासित प्रदेश एक प्रमुख भूमिका निभाएं। • राज्यों के पुलिस नेतृत्व के सहयोग से गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) कार्यक्रम के नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। • **CCTNS परियोजना के अंतर्गत डिजिटल पुलिस पोर्टल आरम्भ किया गया है:** यह नागरिकों को ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा। पोर्टल प्रारम्भ में 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 7 सार्वजनिक वितरण सेवाएं प्रदान करेगा जैसे व्यक्ति और

विकास के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग अवसंरचना का निर्माण करना है।	पते का सत्यापन उदाहरण के लिए कर्मचारियों, किरायेदारों, नर्सों आदि का सत्यापन, सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति, खोई तथा पायी गयी वस्तुओं से सम्बंधित कार्यवाहियां तथा वाहन की चोरी आदि। • इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) का लक्ष्य प्रथम चरण में CCTNS प्रोजेक्ट को ई-कोर्ट और ई-जेल डेटाबेस के साथ और तत्पश्चात् एक चरणबद्ध तरीके से इसे आपराधिक न्याय प्रणाली के अन्य स्तम्भों जैसे फोरेंसिक, अभियोजन, बाल-सुधार गृह तथा अपराधियों के देशव्यापी फिंगर प्रिंट डाटाबेस के साथ एकीकृत करना है।

22.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	विशेषता
मादक द्रव्य नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता	• इसका उद्देश्य उन राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना है जो मादक द्रव्यों की अंतरराज्यीय और सीमा-पार तस्करी को नियंत्रित करने में योगदान कर रहे हैं। इसके तहत सभी एंटी-नारकोटिक्स एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • मादक पदार्थ प्रशासन के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) राज्य सरकारों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा।
UDAAN	• यह जम्मू-कश्मीर (J&K) के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा क्रियान्वित की जा रही एक विशेष उद्योग पहल है। • यह J&K के उन युवाओं के लिए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है जो स्नातक, स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियर हैं। साथ ही, इसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा पूल तक कॉर्पोरेट भारत को पहुँच प्रदान करना भी है।
भारत के वीर	• यह एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य इच्छुक दानदाताओं को उस वीर सैनिक के परिवार की सहायता करने में सक्षम बनाना है जिसने अपने कर्तव्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। दान की गई राशि को उस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल/केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बल के सैनिक के 'निकटतम संबंधी' के खाते में जमा किया जाएगा।
पुलिस बल का आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Forces-MPF)	• मंत्रिमंडल ने 'पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF)' की वृहद अम्ब्रेला योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। • इस योजना के तहत आतंरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियारों की उपलब्धता, पुलिस बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हेलिकॉप्टरों को किराये पर लेना, पुलिस वायरलेस का उन्नयन, नेशनल सेटेलाइट नेटवर्क, CCTNS परियोजना आदि सम्मिलित हैं। • इस अम्ब्रेला योजना में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों एवं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आतंरिक सुरक्षा संबंधी व्यय हेतु 10,132 करोड़ रुपये के केन्द्रीय बजट का प्रावधान भी सम्मिलित है। • वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों में अल्पविकास के मुद्दे से निपटने हेतु 3000 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता (SCA) योजना का प्रावधान किया गया है।

VISION IAS

23. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS)

23.1 प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

(Pradhan Mantri Awas Yojana)

PMAY (शहरी) & PMAY (ग्रामीण) का मुख्य लक्ष्य → सभी के लिए वर्ष 2022 तक आवास मिशन

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 2022 तक संपूर्ण देश में 2 करोड़ घरों का निर्माण करना। • 3 चरणों में 500 क्लास-1 शहरों पर प्रारंभिक रूप से ध्यान देते हुए पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करना जिसमें 4041 वैधानिक कस्बें सम्मिलित होंगे।	• इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं: आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (Economically weaker section: EWS), निम्न आय समूह (Low-Income Groups: LIGs) तथा मध्यम आय समूह (Middle Income Groups: MIGs) • EWS के लिए वार्षिक आय सीमा 3 लाख रूपये, LIGs के लिए 3-6 लाख रूपये तथा MIGs के लिए 6 लाख रुपये से अधिक किंतु 18 लाख रूपये कम निर्धारित की गयी हैं। • देश के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।.	• इसके तहत राज्यों/UTs के माध्यम से निम्नलिखित हेतु शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी: ○ निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का इस्तेमाल कर मूल स्थान पर ही मौजूदा झुग्गी वासियों का पुनर्वासन; ○ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (Credit Linked Subsidy Scheme: CLSS); ○ सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक के साझेदारी में वहनीय आवास; ○ लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर के निर्माण के लिए सब्सिडी। • जहाँ CLSS घटक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme: CSS) के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, वहीं अन्य तीनों घटकों का कार्यान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme: CSS)के रूप में किया जाएगा। • जहाँ EWS श्रेणी के लाभार्थी इस मिशन के उपरोक्त चारों घटकों के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र होंगे, वहीं LIG तथा MIG श्रेणी के लाभार्थी केवल मिशन के CLSS घटक के लिए ही पात्र होंगे। • इस मिशन के अंतर्गत केंद्रीय सहायता से निर्मित/अधिगृहित घर वस्तुतः परिवार की महिला मुखिया (head) अथवा के घर के पुरुष मुखिया व उसकी पत्नी के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है। • अपने राज्यों में आवास की मांग को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम विकल्पों का चयन करने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है। • झुग्गी पुनर्वासन कार्यक्रम के तहत प्रति घर औसतन एक लाख रूपये केंद्रीय अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। • CLSS के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) को केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

VISION IAS

		• इस योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी हेतु जिओ-टैगिंग का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पूंजी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) को अपनाया गया है। निर्माण संबंधी नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाये जाने के लिए टेक्नोलॉजी सब-मिशन प्रारंभ किया गया है।

सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को "अवसंरचना का दर्जा" (infrastructure status) प्रदान किया है, इससे PMAY को बढ़ावा मिलेगा।

23.2 दीन दयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

(Deen Dayal Antyodaya Yojana/National Urban Livelihoods Mission)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबों की स्थिति में सुधार लाना।	• शहरी गरीब: ○ स्ट्रीट वेंडर, ○ झुग्गीवासी, ○ बेघर, ○ कूड़ा उठाने वाले, • बेरोजगार, • निःशक्तजन।	इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं: • **कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (Placement) के माध्यम से रोजगार:** इसे शहर आजीविका केंद्रों के जरिए पूरा किया जाएगा। • **सामाजिक गतिविधि और संस्थागत विकास:** इसे सदस्यों के प्रशिक्षण तथा उन्हें सहारा प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHG) के गठन के माध्यम से हासिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक समूह को 10,000 रुपये का प्रारंभिक समर्थन दिया जाता है। • **शहरी गरीबों को सब्सिडी:** 2 लाख रुपये तक के ऋण वाले व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो-इंटरप्राइजेज) तथा 10 लाख रुपये तक के ऋण वाले समूह उद्यमों (ग्रुप-इंटरप्राइजेज) की स्थापना हेतु 5-7% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। • **शहरी बेघरों के लिए आश्रय:** इस योजना के तहत शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत पूर्णतः वित्त पोषित है। • **अन्य साधन:** वेंडर्स के लिए बाज़ारों का विकास करना तथा बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से वेंडर्स के कौशल को बढ़ावा देना। साथ ही, कूड़ा उठाने वालों और दिव्यांगों आदि के लिए विशेष परियोजनाएं।.

23.3. स्मार्ट सिटी मिशन

Smart Cities Mission

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो मूल अवसंरचनाएँ (core infrastructure) उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें, एक स्वच्छ व संधारणीय पर्यावरण का विकास करें तथा	• मिशन में **100 शहरों को सम्मिलित** किया जाएगा और इसकी अवधि पांच वर्ष होगी (वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019- 20 तक)। • स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र-आधारित विकास के **रणनीतिक घटक हैं -** शहर में सुधार (रेट्रोफिटिंग), शहर नवीनीकरण (पुनर्विकास) और शहर विस्तार (ग्रीनफील्ड विकास) तथा एक शहर-व्यापी (पैन-सिटी) पहल है जिसमें शहर के अधिकांश भाग पर स्मार्ट समाधान लागू किये जाएँगे।

VISION IAS

'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग को प्रोत्साहन दें। • इसका उद्देश्य संधारणीय एवं समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऐसे उदाहरण स्थापित करना भी है जिनका स्मार्ट सिटी के अंदर और बाहर, दोनों जगह अनुकरण किया जा सके ताकि देश के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में इसी प्रकार की स्मार्ट सिटीज़ के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके। • विशेष रूप से निर्धनों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए जीवन को सरल बनाना।	• स्मार्ट सिटी मिशन को एक **केन्द्र प्रायोजित योजना** (CSS) के रूप में संचालित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मिशन को पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये अर्थात् प्रति वर्ष प्रति शहर लगभग 100 करोड़ रुपये की औसत **वित्तीय सहायता** देने का प्रस्ताव है। **इसमें राज्य/शहरी स्थानीय निकाय (ULB) को, केंद्र द्वारा दी गयी राशि से संगत समान राशि का योगदान करना होगा।** • राज्यों को एक '**सिटी चैलेंज प्रतियोगिता**' हेतु अपने शहरों का नाम देने के लिए कहा जाता है। इसमें चयनित शहरों को केंद्रीय निधि प्राप्त होगी। • शहरों द्वारा अपने **स्मार्ट सिटी प्रस्ताव** (SPV) को तैयार किया जायेगा। इसमें संसाधन जुटाने की योजना तथा अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट अनुप्रयोगों के सन्दर्भ में लक्षित परिणाम सम्मिलित होंगे। • शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन एक **स्पेशल पर्पज़ व्हीकल** (SPV) द्वारा किया जाएगा, जिसका प्रमुख एक CEO होगा और इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और ULBs द्वारा नामित सदस्य होंगे। इसके प्रवर्तक (प्रमोटर) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULB होंगे एवं इनकी इक्विटी शेयरधारिता 50:50 होगी। • भारत सरकार द्वारा SPV को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदत्त निधियां सशर्त अनुदान के रूप में होंगी और इन्हें एक पृथक अनुदान कोष में रखा जाएगा।

23.4. अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन

(Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation: AMRUT)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

यह मिशन निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
• जलापूर्ति,
• सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन,
• बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले,
• पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल;
• विशेष रूप से बच्चों के लिए हरे-भरे स्थानों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण तथा उनका उन्नयन करके शहरों की ऐमेनिटी वैल्यू को बढ़ाना अर्थात् उन्हें अधिक सुविधाजनक बनाना।
.
	• अमृत के तहत पांच सौ शहरों को शामिल किया जाएगा। इनमें सम्मिलित हैं:
	  ○ छावनी बोर्ड (नागरिक क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं वाले ऐसे सभी शहर और कस्बे जिनकी जनसंख्या एक लाख से अधिक है;
	  ○ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे सभी राजधानी शहर/कस्बे जो उपर्युक्त बिंदु में शामिल नहीं हैं;
	  ○ HRIDAY योजना के तहत आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा विरासत शहरों के रूप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे,
	  ○ मुख्य नदियों पर स्थित 13 शहर और कस्बे जिनकी आबादी 75,000 से अधिक और 1 लाख से कम है; और
	  ○ पर्वतीय राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों से दस शहर (प्रत्येक राज्य से एक से अधिक नहीं)।
	• AMRUT के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए कुल व्यय 50,000 करोड़ रुपये है और मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा।
	• वार्षिक बजट आवंटन का दस प्रतिशत पृथक रखा जाएगा और इसे प्रत्येक वर्ष राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सुधार करने पर प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा।
	• राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं में उल्लिखित उपलब्धि के आधार पर केंद्रीय सहायता 20:40:40 के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी।
	• केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरण के 7 दिनों के भीतर राज्य शहरी स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरित करेंगे और धनराशि का इस्तेमाल किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होगा।
	• यह परियोजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में राज्यों को समान भागीदार बनाता है।

VISION IAS

	इस प्रकार MoHUA द्वारा परियोजना-दर-परियोजना स्वीकृति को वर्ष में एक बार राज्य वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति से प्रतिस्थापित कर, यह सहकारी संघवाद की भावना को वास्तविक स्वरुप प्रदान करता है। वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति के उपरांत राज्य परियोजनाओं का अनुमोदन और उनकी स्वीकृति अपने स्तर से कर सकते हैं। • इसके अंतर्गत मिशन में शामिल शहरों और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) की व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमता का निर्माण भी शामिल है। • हाल ही में, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने AMRUT के अंतर्गत शामिल ULBs को म्यूनिसिपल बांड जारी करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। • मंत्रालय 10 ULBs को अधिकतम 26 करोड़ तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगा।

23.5. राष्ट्रीय विरासत शहर विकास व संवर्धन योजना (हृदय)

(National Heritage City Development and Augmentation Yojana: HRIDAY)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। सुंदरतापूर्ण, सुलभ, शिक्षाप्रद और सुरक्षित वातावरण को प्रोत्साहित करके शहर के अद्वितीय चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए विरासत शहर की आत्मा को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करना।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें 100% वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। • समयावधि 4 वर्ष (नवंबर, 2018 में पूर्ण) और 500 करोड़ रुपये का कुल व्यय, • इसे 12 शहरों अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में लागू किया जा रहा है। यह योजना मिशन मोड के रूप में लागू की गई है। • योजना व्यापक रूप से चार विषयगत क्षेत्रों (theme areas) पर ध्यान केंद्रित करेगी, ये हैं: भौतिक अवसंरचना, संस्थागत अवसंरचना, आर्थिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना। • चिह्नित किये गये शहरों/कस्बों को योजना के तहत सहायक सहायता प्राप्त करने हेतु शहर/कस्बे के लिए विरासत प्रबंधन योजना (HMP) तैयार करनी होगी तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को विकसित और निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।

23.6 स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)

(Swachh Bharat Mission)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• खुले में शौच से मुक्ति। • अस्वास्थ्यकर शौचालयों का फ्लश शौचालयों में रूपांतरण, हाथ से मैला ढोने की प्रथा (मैनुअल स्केवेंजिंग) का उन्मूलन, • नगर निगम के ठोस अपशिष्ट का 100% संग्रहण और वैज्ञानिक प्रसंस्करण/निपटान, पुन: उपयोग /पुनर्चक्रण। • स्वस्थ स्वच्छता प्रथाओं के संबंध में लोगों में एक व्यवहारिक परिवर्तन लाना। • स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर स्वच्छता	• मिशन 2 अक्टूबर 2019 तक लागू रहेगा। • मिशन के निम्नलिखित घटक हैं: - ○ घरेलू शौचालयों का निर्माण, ○ समुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय, ○ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ○ सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) तथा जन जागरूकता, ○ क्षमता निर्माण एवं प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (A&OE) • केंद्र सरकार और राज्य सरकार / शहरी स्थानीय निकायों (ULB) के बीच फंडिंग पैटर्न है- 75%: 25% (उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए

प्रभावों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करना। • डिजाइन, निष्पादन और व्यवस्था को संचालित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाना। • पूंजीगत व्यय और संचालन एवं रखरखाव (O&M) लागत में निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु समर्थकारी वातावरण का सृजन।	90%: 10%)। • उक्त घटकों के वित्त पोषण में अंतराल की भरपाई लाभार्थी योगदान, निजी वित्त पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक उतरदायित्व (CSR) के तहत निजी कंपनियों से प्राप्त धन और **वित्त मंत्रालय के स्वच्छ भारत कोष** से की जा सकती है।

24. मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

24.1. इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन

[Integrated Scheme for School Education]

- इस योजना को हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है (1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए)। यह निम्नलिखित तीन योजनाओं को समन्वित करती है-
  - सर्व शिक्षा अभियान
  - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और
  - शिक्षक शिक्षण हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना- इसका उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के सेवा से पूर्व (प्री सर्विस) और सेवा के दौरान (इन-सर्विस) प्रशिक्षण हेतु तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान करने हेतु एक उत्कृष्ट संस्थागत आधारभूत संरचना का निर्माण करना है।

24.1.1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)

(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan: RMSA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि सुनिश्चित करना तथा गुणवत्ता में सुधार करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाना, लैंगिक, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच आदि लक्ष्यों को पूरा करना।	• इस योजना के तहत प्रदान की गई महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाएं हैं: अतिरिक्त क्लास रूम, प्रयोगशालाएं, शौचालय खंड, दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय होस्टल आदि। • 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने और 2020 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इस योजना में किसी भी आवासीय क्षेत्र से 5-7 किमी के भीतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के माध्यम से नामांकन में वृद्धि की परिकल्पना की गई है। • इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण गुणात्मक प्रयासों में शामिल है: छात्र:शिक्षक अनुपात को 30:1 तक कम करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; विज्ञान, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पर ध्यान केंद्रित करना। • इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण समता मूलक प्रयास हैं: उन्नयन के लिए आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता, विद्यालय खोलने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यकों के संकेंद्रण वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता आदि। • सुभेद्य समूहों (ST/SC समूहों, अल्पसंख्यक बालिकाओं इत्यादि) पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त, यह दिव्यांग बच्चों के लिए भी समावेशी शिक्षा का लक्ष्य रखता है।

VISION IAS

24.1.2. सर्व शिक्षा अभियान

(Sarva Shiksha Abhiyaan)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्राथमिक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और शिक्षा से जोड़े रखना। • शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग अंतरालों को भरना; और • बच्चों के सीखने के स्तर का संवर्धन करना।	• 6-12 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे।	• एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया गया है जैसे नए विद्यालय की स्थापना, शौचालयों निर्माण (स्वच्छ विद्यालय योजना - सभी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय), समय-समय पर शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक संसाधन सहायता आदि। • SSA के अंतर्गत उप-कार्यक्रम: ○ 'पढ़े भारत बढ़े भारत' (PBBB) ○ राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (RAA) ○ विद्यांजली ○ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय - शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।

24.1.3.पढ़े भारत बढ़े भारत

(Padhe Bharat Badhe Bharat)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• भाषा विकास में सुधार लाने और गणित में रुचि पैदा करने पर विशेष ध्यान। • घर से विद्यालय के अवस्थांतर में सामाजिक परिप्रेक्ष्य को मान्यता देना।	• अधिगम निष्पादन (लर्निंग परफॉर्मेंस) में सुधार करने के लिए कक्षा 1 और 2 के बच्चों पर ध्यान। • रीडिंग इनिशिएटिव: कक्षा 8 तक	• इसे 2014 में लॉन्च किया गया था और यह संपूर्ण देश में लागू है। • 'पढ़े भारत बढ़े भारत' के दो घटक हैं: अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन (ERWC) और अर्ली मैथमेटिक्स (EM)। • आगे की कार्रवाई के रूप में: नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव को प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बीच पढ़ने की आदत विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिससे यह कार्यक्रम कक्षा 8 तक विस्तारित किया जा सके।

24.1.4. विद्यांजली

(Vidyanjali)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• ऐसे परिवेश का सृजन करना, जहां शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना और अधिगम परिणाम (लर्निंग आउटपुट) में सुधार करना हो।	• सरकारी विद्यालयों, तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थी आदि।	• सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में समुदायिक भागीदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाएगा (स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने के इच्छुक NRIs, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सरकारी अधिकारियों, रक्षा कर्मियों, पेशेवरों आदि को सम्मिलित करके)। साथ ही बच्चों को सह-शैक्षिक गतिविधियों जैसे पढ़ने, रचनात्मक लेखन, पब्लिक स्पीकिंग, नाटकों में अभिनय, कहानी की किताबें तैयार करने आदि में लगाना। • आरंभिक तौर पर इस कार्यक्रम को 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

24.1.5.राष्ट्रीय आविष्कार अभियान

(Rashtriya Avishkar Abhiyan)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कक्षा से बाहर के परिवेश में विज्ञान, गणित एवं तकनीक सीखने की क्षमता को बढ़ाना। • स्कूलों को नवाचार के प्राथमिक केन्द्र बनने के लिए प्रोत्साहित और पोषित करना।	• 6-18 आयु वर्ग के छात्र • सरकारी स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, विशेष स्कूल, विशेष ट्रेनिंग केंद्र इत्यादि	• अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों, छात्र आदान-प्रदान, छात्र भ्रमण, प्रदर्शनी, आदि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने के प्रति एक प्राकृतिक भावना का विकास करने हेतु **विभिन्न संस्थानों जैसे** IITs/ IIMs/ IISERs एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संगठनों से परामर्श प्राप्त करना। • यह **अनुच्छेद 51 (A) के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्य** "वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना के विकास" को बढ़ावा देने हेतु एक कदम है।

24.2. मध्याह्न भोजन योजना

(Mid-Day Meal Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण (retention) एवं उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए • बच्चों में पोषण के स्तर को बढ़ाना।	• सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चे {2007 में प्राथमिक स्तर की उच्च कक्षाओं (यानी कक्षा VI से VIII) के बच्चों को सम्मिलित करने हेतु विस्तारित} • यह योजना सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के विद्यालयों, शिक्षा गारंटी स्कीम (EGS) के अधीन आने वाले विद्यालयों और वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा (AIE) केंद्रों के साथ-साथ सर्व शिक्षा अभियान (SSA) के तहत सहायता पाने वाले मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों/मकतबों के लिए भी लागू है।	• न्यूनतम 200 दिनों के लिए प्रति दिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8-12 ग्राम प्रोटीन दिये जाने का प्रावधान है। • उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन निर्धारित है। • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है**(60:40)**, जो केंद्र द्वारा पूर्णतया प्रायोजित किया जाएगा। • **आधार लिंकिंग**; विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों को लाभार्थी बच्चों के आधार नंबर संग्रहित करने के लिए कहा गया है। **स्वचालित निगरानी प्रणाली (Automated Monitoring System)** • यह मिड डे मील स्कीम की रियल टाइम निगरानी के लिए एक डेटा संग्रहण प्रणाली है। • इस व्यवस्था के तहत, राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों ने स्कूलों से दैनिक आधार पर डेटा संग्रहण की एक उपयुक्त प्रणाली {अर्थात् इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (IVRS)/SMS/मोबाइल एप्लिकेशन/वेब एप्लिकेशन) स्थापित की है। इसका उपयोग निगरानी और समय पर फॉलो अप कार्यवाही के लिए किया जा रहा है।

VISION IAS

24.3.राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

(Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• राज्य स्तर पर योजना निर्माण और मॉनीटरिंग के लिए सुविधाजनक सांस्थानिक ढांचे का निर्माण करके, राज्य विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता को प्रोत्साहित करके और संस्थाओं के अभिशासन में सुधार करके, **राज्य की उच्चतर शिक्षा प्रणाली** में **रूपांतरणकारी सुधार** करना। • उच्चतर शिक्षा में पहुंच बनाने में क्षेत्रीय असंतुलनों को संतुलित करना। • ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिसमें उच्चतर शैक्षिक संस्थान स्वयं को अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित कर सकें। • विद्यमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर तथा नए संस्थानों की स्थापना के द्वारा सांस्थानिक आधार को विस्तार प्रदान करना। • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को उच्चतर शिक्षा के पर्याप्त अवसर प्रदान करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समानता में वृद्धि करना।	• यह 2013 में प्रारम्भ की गयी एक केंद्र प्रायोजित फ्लैगशिप योजना है। • इसका केंद्रीय वित्त पोषण मापदंड आधारित और परिणामों के अधीन होगा। • सकल नामांकन अनुपात को **वर्तमान 19% से 2020 तक 30%** लाने का लक्ष्य। • यह योजना नीति आयोग द्वारा चिह्नित 'आकांक्षी जिलों (Aspirational Districts) को प्राथमिकता देगी। • राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में **परिवर्तनकारी सुधार**: a) मानदंडों एवं मानकों तथा **मान्यता** को एक अनिवार्य गुणवत्ता निर्धारण फ्रेमवर्क के रूप में अपनाना। b) राज्य विश्वविद्यालयों में **स्वायत्तता** को बढ़ावा देना और संस्थाओं के शासन में सुधार। c) संबद्धता (affiliation), शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधारों को सुनिश्चित करना। d) उच्च गुणवत्ता प्राप्त शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।

24.4. माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष

(Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh: MUSK)

उद्देश्य	कोष के बारे में	कोष का उपयोग
इसका उपयोग सम्पूर्ण देश में माध्यमिक और उच्च शिक्षा की योजनाओं के लिए किया जाएगा।	• "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" से प्राप्त सम्पूर्ण आय इसमें जमा की जाएगी। वित्त अधिनियम, 2007 के माध्यम से केंद्रीय करों पर 1% उपकर (जिसे "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" कहा जाता है) आरोपित किया गया था। • स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग की योजनाओं पर व्यय, आरम्भ में सकल बजटीय समर्थन (Gross Budgetary Support :GBS) से किया जाएगा और GBS के समाप्त होने के उपरांत आने वाले व्यय को MUSK से वित्तपोषित किया जाएगा। • यह कोष प्रारम्भिक शिक्षा कोष (PSK) के तहत मौजूदा व्यवस्था के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। वर्तमान व्यवस्था में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सर्व शिक्षा अभियान (SSA) और मिड डे मील (MDM) योजनाओं के लिए उपकर की आय का उपयोग किया जाता है। • MUSK को भारत की लोक लेखा के गैर-ब्याज वाले अनुभाग में एक आरक्षित कोष के रूप में रखा जाएगा।	माध्यमिक शिक्षा के लिए • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना • राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता (मीन्स कम मेरिट) छात्रवृत्ति; और • राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा की प्रोत्साहन योजना उच्च शिक्षा के लिए • ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधियों में योगदान, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की वर्तमान में चल रही योजनाएं • राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान • छात्रवृत्ति (ब्लॉक अनुदान से संस्थानों तक) और राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण मिशन

VISION IAS

24.5. उड़ान – गिविंग विंग्स टू गर्ल्स

(UDAAN-Giving Wings To Girls)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• इंजीनियरिंग कॉलेजों में बालिकाओं के निम्न नामांकन की समस्या का समाधान करना। • विद्यालयी शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रवेश प्रणाली के बीच व्याप्त अंतराल को कम करना। • उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित के शिक्षण और सीखने को समृद्ध बनाना और उसका संवर्द्धन करना ।	• भारत में KVs/ NVs/ किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों / CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों की केवल कक्षा XI में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए ।	• मानव संसाधन मंत्रालय के मार्गदर्शन में CBSE द्वारा शुरू की गयी। • यह शीर्ष संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं के लिए छात्राओं को प्रशिक्षित करता है और उन्हें ट्यूटोरियल, वीडियो क्लास आदि के माध्यम से प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। • प्रति वर्ष 1,000 चयनित वंचित बालिकाओं को सहायता प्रदान करता है।

24.6. उन्नत भारत अभियान

(Unnat Bharat Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• उच्च शिक्षा संस्थानों को संधारणीय विकास की गति बढ़ाने हेतु विकास चुनौतियों की पहचान करने और उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करने में ग्रामीण भारत के लोगों के साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाना है।	• राष्ट्रीय आवश्यकताओं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत हेतु प्रासंगिक अनुसंधान और प्रशिक्षण में उच्च शिक्षा के संस्थानों में **संस्थागत क्षमता का निर्माण** करना। • **ग्रामीण भारत को उच्च शिक्षा के संस्थानों से पेशेवर संसाधन समर्थन** प्रदान करना, विशेष रूप से विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वालों को। • उन्नत भारत अभियान (2.0) के दूसरे संस्करण के अंतर्गत संस्थानों का चयन एक चुनौती मोड पर किया गया है और इस योजना का विस्तार देश के 750 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा संस्थानों (सार्वजनिक और निजी दोनों) तक कर दिया गया है। • इन शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा गांवों को गोद लिया जाएगा और ये छात्र वहाँ लोगों की जीवनशैली एवं उनके समक्ष आने वाली समस्याओं से परिचित होने के लिए उनसे मिलेंगें।

24.7. एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम

[Ek Bharat Shrestha Bharat programme]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के मध्य अधिक पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके बीच अंतर्क्रियाओं को सक्रिय रूप से बढ़ाना।	• इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र को पारस्परिक अंतर्क्रिया हेतु भारत में किसी अन्य राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के साथ युग्मित किया जाएगा। • युग्मित राज्य / संघ राज्यक्षेत्र 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के अंतर्गत उभयनिष्ठ गतिविविधियों के लिए एक-दूसरे के साथ MoU पर हस्ताक्षर करेंगे। • केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन किया जाता है।

VISION IAS

24.8 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम

(Technical Education Quality Improvement Programme: TEQIP)

उद्देश्य	कार्यक्रम के बारे में
• कम आय वाले राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों (SCS) में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। • TEQIP चरण 3 के एक भाग के रूप में 3 वर्षों की अवधि के लिए पिछड़े जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाने हेतु IIT, NIT आदि प्रमुख कॉलेजों से स्नातकों को नियोजित करना।	• केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू की गई यह परियोजना, 10-12 वर्षों का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है। इसे विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ किया गया है। • योजनाओं के वर्तमान तीसरे चरण में केंद्रीय, पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा पर्वतीय राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। TEQIP के अंतर्गत किये जा रहे उपायों में शामिल हैं: • **संस्थान आधारित:** राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के माध्यम से पाठ्यक्रमों का प्रत्यायन, प्रशासन सुधार, प्रक्रियाओं में सुधार, डिजिटल पहल तथा महाविद्यालयों के लिए स्वायत्तता सुनिश्चित करना। • **छात्र आधारित:** शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, कक्षाओं को साधन सुसज्जित बनाना; पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण, उद्योगों के साथ अंतर्क्रिया, छात्रों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप, छात्रों को उद्योगों के लिए प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षण देना, छात्रों को GATE परीक्षा आदि के लिए तैयार करना।

24.9 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

योजना	मुख्य विशेषताएँ
वित्तीय साक्षरता अभियान:विसाका	• इसका उद्देश्य धनराशि हस्तांतरण के लिए डिजिटल रूप से सक्षम कैशलेस आर्थिक प्रणाली का उपयोग करने के लिए सभी प्रदाताओं और प्राप्तकर्ताओं को प्रोत्साहित, प्रेरित और जागरूक करना है। • इसके तहत कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया है और उच्च शिक्षण संस्थानों के संकाय से अपने परिसर को कैशलेस बनाने की अपील की गयी है। • NCC/NSS के स्वयंसेवकों द्वारा निकटतम बाजारों में दुकानदारों एवं वेंडरों को लेनदेन के डिजिटल माध्यमों के संबंध में जागरूक करने का कार्य सौंपा गया है।

भारत में बालिका शिक्षा की प्रगति के लिए डिजिटल जेंडर एटलस	• विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग जैसे हाशिए पर स्थित समुदायों की बालिकाओं के संदर्भ में,निम्नस्तरीय प्रदर्शन करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करना। यह पहचान विशिष्ट लैंगिक संकेतकों के आधार पर की जाती है। • डिजिटल जेंडर एटलस के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं: 1. **कंपोजिट जेंडर रैंकिंग** 2. लैंगिक संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण 3. शैक्षिक संकेतकों पर आधारित सुभेद्यताएं • यह भिन्न समयावधियों में भिन्न लैंगिक मापदंडों की प्रवृतियों के विश्लेषण एवं निरीक्षण को संभव बनाती है। • इसे UNICEF के सहयोग द्वारा विकसित किया गया है।
शाला गुणवत्ता (शगुन) पोर्टल	यह SSA (सर्व शिक्षा अभियान) के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पद्धतियों को चिन्हित करने और साझा करने के लिए एक ट्विन ट्रैक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। **पोर्टल में दो भाग हैं:** ○ ऑनलाइन मॉनिटरिंग कार्यान्वयन की प्रगति को निर्धारित करेगी। ○ SSA रिपॉजिटरी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रारम्भ की गई नवीन पद्धतियों, सफल उदाहरणों, मूल्यांकन रिपोर्ट और हस्तक्षेपों का एक संग्रह है।

VISION IAS

दीक्षा (डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग) पोर्टल	• यह शिक्षकों के लिए **राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना** के रूप में कार्य करेगा। • यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उपायों को सक्षम, तीव्र और विस्तारित करेगा। यह शिक्षकों की सीखने और प्रशिक्षित होने में सहायता करेगा जिसके मूल्यांकन हेतु संसाधन भी उपलब्ध होंगे। • यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, रूपरेखा, इन-क्लास रिसोर्स, मूल्यांकन सहायता, समाचार एवं घोषणा और शिक्षक समुदाय से जुड़ने में सहायता करेगा।
ईशान विकास	• छात्रों को प्रमुख संस्थानों जैसे- [IITs, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NITs) और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISERs) से जुड़ने के अवसर प्रदान करना। • उपर्युक्त शीर्ष स्तर के संस्थानों के सामान्य पाठ्यक्रम, तकनीकी और पेशेवर पाठ्यक्रमों (मेडिकल और पैरा-मेडिकल कोर्स सहित) के अंतर्गत पूर्वोत्तर (8 राज्यों) के स्कूली छात्रों हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना।

ईशान उदय	• देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार करना • इस योजना में उत्तर पूर्वी क्षेत्र (8 राज्यों) के ऐसे छात्रों, जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो, को प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी।
शाला अस्मिता (आल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस) योजना	• निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्रों की शैक्षिक प्रगति की निगरानी। • अस्मिता एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों की उपस्थिति एवं नामांकन, लर्निंग आउटकम, मध्यान्ह भोजन और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी शामिल होगी। • छात्रों को उनकी आधार संख्या के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा ।
स्वयं	• उन विद्यार्थियों के लिये डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना जो डिजिटल क्रांति के प्रभाव से अछूते रह गये और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होने में सफल नहीं रहें है। • एक स्वदेशी रूप से विकसित IT प्लेटफार्म जो कक्षाओं में पढाये जाने वाले 9वीं कक्षा से स्नातकोतर तक के सभी पाठ्यक्रमों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है जिसे कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय किसी भी स्थान से निशुल्क प्राप्त कर सकता है। • स्वयं पर प्रारंभ किए गए पाठ्यक्रम 4 भागों में विभक्त हैं - (1) वीडियो व्याख्यान, (2) विशेष रूप से तैयार अध्ययन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है (3) परीक्षण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आत्म-मूल्यांकन परीक्षण और (4) शंकाओं के निवारण हेतु ऑनलाइन परिचर्चा मंच।
साक्षर भारत कार्यक्रम	इसके **4 व्यापक** उद्देश्य हैं- • गैर-साक्षर और गैर-संख्यात्मक साक्षर वयस्कों को **कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान** प्रदान करना • नव साक्षर वयस्क (neo-literate adults) को बुनियादी शिक्षा के बाद भी अपनी शिक्षा जारी रखने और 10 वर्ष की औपचारिक शिक्षा के समकक्ष बुनियादी शिक्षा हासिल करने में सक्षम बनाना। • अपने जीवन-स्तर और आजीविका की स्थिति में सुधार हेतु वयस्कों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना • नव साक्षर वयस्क को आजीवन अध्ययन करने हेतु अवसर प्रदान करके एक अध्ययनरत समाज की स्थापना करना। **योग्यता मानदंड:** 2001 की जनगणना के अनुसार, एक जिला (इसमें किसी पूर्व जिले से पृथक होकर बना एक नया जिला भी शामिल है) जिसमें वयस्क महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत या उससे कम हो।

VISION IAS

	इसके अतिरिक्त, सभी वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिले (उनकी साक्षरता दर के बावजूद) कार्यक्रम के तहत योग्य हैं। • इच्छुक लाभार्थी - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के गैर-साक्षर वयस्क
शैक्षणिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (ज्ञान: GIAN)	यह स्थानीय छात्रों/संकाय और अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के मध्य अधिक सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है।
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड	• इसका लक्ष्य रूचिकर अध्ययन के अनुभव के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक आवश्यक निर्देशक उपकरण (जैसे स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो-विजुअल वीडियो, एडुकोम्प एवं टाटा क्लास एज इत्यादि जैसे शिक्षा प्रदाता) के रूप में कार्य करने के लिए डिजिटल रूप से सक्षम कक्षाओं को प्रारंभ करना है। • इसे केंद्र और राज्य सरकारों, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और सामुदायिक समर्थन की भागीदारी के साथ प्रारंभ किया जाएगा।
राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (NAD)	• यह अकादमिक संस्थानों/बोर्डों/पात्रता मूल्यांकन निकायों द्वारा जारी एवं सत्यापित सभी अकादमिक अवार्ड्स जैसे प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, डिग्री, मार्क शीट इत्यादि का एक 24X7 ऑनलाइन स्टोर हाउस है। • यह अकादमिक पुरस्कारों तक सरल पहुंच और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करता है साथ ही इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि तथा गारंटी और सुरक्षित भंडारण प्रदान करता है।
सक्षम	इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिये आयोजित अर्हता परीक्षा (qualifying examination) में मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

25. श्रम और रोजगार मंत्रालय

(MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

25.1. दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम

(Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Karyakram)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• श्रम कानूनों में सुधार, अनुपालन में सुधार करना। • भारत में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना। .	• **एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल:** ○ लगभग 6 लाख इकाईयों को श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number: LIN) आवंटित करना और उन्हें 44 कानूनों में से 16 के अनुपालन को ऑनलाइन फाईल करने की अनुमति प्रदान करना। • **निरीक्षण के लिए इकाइयों (units) के यादृच्छिक चयन हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना** ○ निरीक्षण के लिए इकाईयों के चयन में मानव विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ○ निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। • **यूनिवर्सल अकाउंट नंबर:** ○ भविष्य निधि खाता पोर्टेबल है और सार्वभौमिक रूप से अभिगम्य है • **प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना:** ○ प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों की अवधि में प्रशिक्षु को दिए गये वेतनमान के 50% की प्रतिपूर्ति करना। • **पुनर्निर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना:** ○ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्मार्ट कार्ड प्रारम्भ करना जिसमें दो और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विवरण सम्मिलित हो।

25.2. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

(Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ (सोशल सिक्यूरिटी बेनिफिट्स) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना।	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EFPO) के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठानों के पास एक वैध LIN (श्रम पहचान संख्या) होनी चाहिए।	• इस योजना के तहत, सरकार नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में दिए जाने वाले अंशदान का 8.33% प्रदान करती है। वस्त्र, चमड़ा और जूता उद्योग के मामले में सरकार का यह अंशदान 12% है। सरकार द्वारा यह लाभ उन नए कर्मचारियों के लिए दिया जाता है जिन्होंने 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद ज्वाइन किया है, जिनके पास एक नयी यूनिवर्सल खाता संख्या (UAN) हो तथा उनका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक हो। • यह दोहरे लाभ वाली योजना है - अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा और नियोक्ता को प्रतिष्ठान में श्रमिकों के रोजगार आधार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। **हाल में हुए बदलाव** • **इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है** - भारत सरकार अब सभी क्षेत्रकों के नए कर्मचारियों हेतु, उनके पंजीकरण की तिथि से प्रथम तीन वर्षों के लिए नियोक्ता के पूर्ण स्वीकार्य अंशदान (12%) का भार वहन करेगी। इसके साथ ही सभी क्षेत्रकों के मौजूदा लाभार्थियों के मामले में भी शेष अवधि (तीन वर्षों में से) के लिए भारत सरकार पूर्ण अंशदान (12%) प्रदान करेगी।

25.3. केंद्रीय क्षेत्र की बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016

(Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers, 2016)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को उनके निवास स्थान से बाहर निकाले जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना। • मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना।	यह मुक्त किये गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। • **1 लाख रूपये** प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी; • महिलाओं और बच्चों जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए **2 लाख रूपये; तथा** • दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं एवं बच्चों और ट्रांसजेंडर जैसे सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर स्थित व्यक्तियों को (या ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिलाधिकारी इसे उपयुक्त मानते हो) **3 लाख रुपये**। यह प्रत्येक राज्य द्वारा कम से कम रु 10 लाख के स्थायी कोष के साथ जिला स्तर पर **बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि** के निर्माण का प्रावधान करता है। • बंधुआ मजदूरी करवाने के मुख्य आरोपियों की दोषसिद्धि पर उनसे प्राप्त किये गए सम्पूर्ण अर्थदंड को इस विशेष कोष में जमा किया जा सकता है । • इस निधि का उपयोग बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

25.4. प्लेटफ़ॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर (पेंसिल) पोर्टल

[Platform for Effective Enforcement for No Child Labour (PENCIL) Portal]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• केंद्र, राज्य, जिला सरकारों, सिविल सोसायटी और सामान्य व्यक्तियों को बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में संलग्न करना।	• यह बाल श्रम और तस्करी के खतरों से निपटने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है। • इसके विभिन्न घटक हैं - शिकायत कोना, बाल और किशोर श्रम ट्रैकिंग प्रणाली, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) एवं राज्य संसाधन केंद्र। • राज्य सरकार के स्तर पर राज्य श्रम विभाग में स्थापित राज्य संसाधन केंद्र द्वारा निगरानी की जानी है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारियों (DNO) को उनके जिलों से सम्बंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नामांकित किया गया है।

25.5. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

(National Child Labour Project Scheme)

उद्देश्य	इच्छुक लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• बाल श्रम के सभी रूपों का उन्मूलन करना • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं से सभी किशोर श्रमिकों को बाहर निकालने, उनके कौशल निर्माण एवं उचित व्यवसायों में उनके एकीकरण में योगदान करना। • हितधारकों और लक्षित समुदायों के बीच जागरुकता बढ़ाना • बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण करना	• पहचाने गए लक्षित क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक • खतरनाक व्यवसायों/प्रक्रियाओं में संलग्न 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिक • बाल श्रमिकों के परिवार	• इस योजना का प्रारम्भ एक अनुक्रमिक दृष्टिकोण (sequential approach) के साथ बाल श्रमिक के पुनर्वास के लिए किया गया था। • इस योजना के अंतर्गत बाल श्रम में संलग्न बच्चों की पहचान की जाती है और उन्हें पहचाने गए क्षेत्रों से मुक्त कराया जाता है। • तत्पश्चात उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ मुख्यधारा की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है तथा बच्चों एवं परिवार के लाभ के लिए सेवाओं का अभिसरण सुनिश्चित किया जाता है। • यह योजना राज्य, जिला प्रशासन और सिविल सोसायटी के साथ समन्वित रूप से क्रियान्वित की जाती है।

VISION IAS

25.6. नेशनल करियर सर्विस

(National Career Service)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
○ नौकरी तलाशने वालों एवं नौकरी देने वालों के मध्य तथा करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की मांग करने वालों एवं परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के मध्य व्याप्त अंतराल को भरना।	• इसे जुलाई 2017 में आरम्भ किया गया था। इसने 978 रोजगार एक्सचेंजों के नेटवर्क वाली राष्ट्रीय रोजगार सेवा को प्रतिस्थापित किया। • इसमें एक ICT आधारित पोर्टल, करियर केंद्रों की एक देशव्यापी व्यवस्था, बहुभाषी कॉल सेंटर और करियर सलाहकारों का नेटवर्क शामिल है। • **राष्ट्रीय ICT पोर्टल** मुख्य रूप से नौकरी तलाशने वालों, नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, करियर सलाहकारों आदि के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। • इसमें 100 मॉडल करियर केंद्र शामिल हैं जो करियर परामर्श पर प्राथमिक रूप में केन्द्रित होने के साथ ही विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं।

25.7. संशोधित एकीकृत आवास योजना - 2016

(Revised Integrated Housing Scheme - 2016)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• नए घरों के निर्माण के लिए श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	• इसे 1989 में आरम्भ किया गया और तबसे इसमें कई संशोधन किये गए हैं। • यह लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे तीन किश्तों में प्रति श्रमिक 1,50,000 रुपये की आवास सब्सिडी प्रदान करती है। • लाभार्थियों में बीड़ी/लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान (IOMC) / चूना पत्थर अयस्क खान, डोलोमाइट अयस्क खान (LSDM) / अभ्रक (mica) खान और सिने उद्योग (Mines and cine industries) में संलग्न श्रम कल्याण संगठन के साथ पंजीकृत श्रमिक शामिल हैं।

26. कानून और न्याय मंत्रालय

(MINISTRY OF LAW AND JUSTICE)

26.1. प्रो बोनो लीगल सर्विस

(Pro Bono Legal Service)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• वकीलों और कानूनी पेशेवरों को प्रो बोनो लीगल सर्विस (निःशुल्क एवं स्वैच्छिक विधिक सेवा) प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। • वकीलों और कानूनी पेशेवरों द्वारा प्रदान किये जाने वाले प्रो बोनो लीगल वर्क की पहचान करना।	• हाशिए पर स्थित समुदायों (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, निम्न आय वाले व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों सहित) के याचिकाकर्ता।	• पहल एक वेब आधारित प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके माध्यम से इच्छुक वकील वंचित वर्गों की याचिकाकर्ताओं के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रो बोनो सर्विस प्रदान करने के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। • इसका उद्देश्य वकीलों की महत्वपूर्ण जानकारी को संग्रहित कर एक डेटाबेस का निर्माण करना है ताकि प्रासंगिक क्षेत्र में आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होने पर इनका प्रयोग किया जा सके।

VISION IAS

26.2. न्याय मित्र

(Nyaya Mitra)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 10 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए चयनित जिलों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना।	• वे याचिकाकर्त्ता जिन्हें न्याय प्राप्ति में अत्यधिक विलम्ब का सामना करना पड़ रहा है।	• न्याय मित्र एक सेवानिवृत्त न्यायिक या कार्यकारी अधिकारी (कानूनी अनुभव युक्त) होंगे। **न्याय मित्र के कार्य** • याचिकाकर्ता के, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), CSC टेली लॉ और अन्य सरकारी एजेंसियों तथा सिविल सोसायटी संगठनों से जुड़ाव को सुगम बनाना। • जेल सुधारों की दिशा में सहायता प्रदान करना।

26.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजना	विवरण
ई- कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट	• यह देश के उच्च न्यायालयों और जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में लागू **ई-गवर्नेंस परियोजनाओं** में से एक है। • इस परियोजना की परिकल्पना 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति-2005' के आधार पर की गई। यह पोर्टल याचिकाकर्ताओं के लिए ऑनलाइन सेवाएं -जैसे मुकदमे के पंजीकरण, कारण सूची (Cause List), केस स्टेटस, दैनिक आर्डर और अंतिम निर्णय-के विवरण प्रदान करता है।
उपेक्षित वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच [एक्सेस टू जस्टिस फॉर मार्जिनलाइज्ड पीपल (2008-2017)]	• इस परियोजना में गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए जागरुकता अभियान, क्षमता निर्माण और न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए निर्देशित कार्रवाई शामिल है। • यह **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा न्याय विभाग (DoJ) की साझेदारी में** संचालित की जा रही है। • यह परियोजना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एक्शन फ्रेमवर्क के आठ राज्यों- बिहार,छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा तक विस्तृत है। • इसके मुख्य घटक हैं - विधिक सेवा प्राधिकरणों की क्षमता का सुदृढीकरण, राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन को तकनीकी सहायता, विधिक सशक्तिकरण और न्यायिक प्रशिक्षण एवं न्याय वितरण पर नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए एकत्रित नए साक्ष्य।
टेली-लॉ इनिशिएटिव	• यह एक पोर्टल है जिसका शुभारम्भ हाशिये पर स्थित समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तक कानूनी सहायता की पहुँच को सुलभ बनाने के लिए किया गया है। • यह CSC नेटवर्क पर उपलब्ध होगा। यह लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वकीलों से कानूनी सलाह लेने में सक्षम बनाता है। • प्रत्येक CSC एक पैरा लीगल वालंटियर (PLV) को संलग्न करेगी, जो ग्रामीण नागरिकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होगा।

VISION IAS

लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS)	• इसका लक्ष्य विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और भारत सरकार के अन्य निकायों द्वारा संचालित; न्यायालयों / न्यायाधिकरणों के मामलों से संबंधित जानकारी को एक वेब-बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराना है। • इस प्रकार के विवादों के समाधान हेतु **सरकार हस्तक्षेप करेगी एवं ऑनलाइन विधिक सलाह प्रदान करेगी।**

27. खान मंत्रालय

(MINISTRY OF MINES)

27.1.प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

(Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojana : PMKKKY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना। • खनन के दौरान और उसके पश्चात , खनन जिलों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करना;	• जिन क्षेत्रों में खुदाई, खनन, विस्फोट, अपशिष्ट निपटान जैसी प्रत्यक्ष गतिविधियाँ संचालित होती हैं, वहां निवास करने वाले तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग। • खनन संबंधी गतिविधियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के कारण **परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र** • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2013 के तहत परिभाषित **प्रभावित और विस्थापित व्यक्ति एवं परिवार**	• खान एवं खनिज (विकास व नियमन) संशोधन आधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्मित डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फाउंडेशन (DMFs) में एकत्र धन के उपयोग से खनन सम्बन्धी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों के कल्याण का प्रबंध करना। • राज्य सरकार खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित हर जिले में एक DMF स्थापित करेगी। • **उच्च प्राथमिकता क्षेत्र–** PMKKKY निधि के कम से कम 60% भाग का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में करना होगा: ○ पेय जल आपूर्ति ○ पर्यावरण सरंक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण उपाय ○ स्वास्थ्य देखभाल ○ शिक्षा ○ महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण ○ कौशल विकास ○ स्वच्छता • PMKKKY के तहत प्रदत्त राशि के 40% तक का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा: ○ भौतिक अवसंरचना ○ सिंचाई ○ ऊर्जा और वाटरशेड डेवलपमेंट ○ खनन जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता के संवर्धन हेतु कोई अन्य उपाय • अनुसूचित क्षेत्रों के गांवों में PMKKKY के अंतर्गत लागू की जाने वाली सभी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए ग्रामसभा की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

ताम्र **(ट्रैन्स्पेरन्सी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रीसोर्स ऑग्मेन्टेशन :** TAMRA)	• ताम्र (TAMRA) एक वेब पोर्टल और मोबाइल एप है। इसे उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विकसित किया गया है।यह नीलामी में शामिल किये जाने वाले ब्लॉकों के लिए ब्लॉक-वार, राज्यवार और खनिज-वार जानकारी प्रदर्शित करता है।

प्रोजेक्ट सुदूर दृष्टि	• यह IBM (भारतीय खान ब्यूरो) और अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के मध्य एक समझौता ज्ञापन है। भुवन-आधारित सेवाओं (Bhuvan-based services) का उपयोग खनन पट्टे की सीमा के भीतर खनन क्षेत्रों के आवधिक परिवर्तनों की निगरानी के लिए किया जाएगा।

28. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

(MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS)

28.1 साइबर ग्राम

(Cyber Gram)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को कंप्यूटर का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें आधारभूत ICT कौशल प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाना ताकि उन्हें निम्नलिखित कार्यों हेतु सशक्त बनाया जा सकें- • डिजिटल रूप से साक्षर बनने हेतु • ज्ञान आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु • वित्तीय, सामाजिक और सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु • संचार के लिए इंटरनेट का उपयोग करने हेतु 30 घंटे के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान कर प्रशिक्षित लाभार्थियों के अधिगम (लर्निंग) को सुदृढ़ बनाना।	• मान्यता प्राप्त मदरसों/स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, जिन्हें कंप्यूटर शिक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं हैं। • ऐसे संस्थानों के कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र • कोई भी अन्य छात्र जो अल्पसंख्यक-बहुल क्षेत्रों में रहता है एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है।	• साइबर ग्राम पहल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP) का एक घटक है। • इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का योगदान 75:25 के अनुपात में होगा (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)। • सामान्य सेवा केंद्र ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC SPV) प्रशिक्षण हेतु 39 घंटे का बेसिक कंप्यूटर कांसेप्ट (BCC) पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा। • इस पहल के अंतर्गत क्रियान्वयन संरचना के निम्नतम स्तर पर मदरसों/स्कूलों के समीप स्थित ग्राम स्तर के उद्यमी (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स) अर्थात VLE (जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट उपलब्ध हो) अवस्थित होंगे। ये VLEs इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बेहतर करना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में असंतुलन को कम करने हेतु बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है।

28.2. जियो पारसी

(Jiyo Parsi)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• एक वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरचित हस्तक्षेप (इन्फर्टिलिटी ट्रीटमेंट) को अपनाकर भारत में पारसी आबादी की गिरावट की प्रवृत्ति को व्युत्क्रमित करना, पारसी आबादी को स्थिर करना और भारत में पारसी आबादी में वृद्धि करना।	संतानोत्पत्ति के अनुकूल आयु वाले पारसी दम्पति	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • 2017 में जियो पारसी पब्लिसिटी फेज-2 आरंभ किया गया था (2013 में चरण-1)। • इस योजना के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं- ○ **समर्थन:** परामर्श, कार्यशालाएं आदि। ○ **समुदाय का स्वास्थ्य:** क्रेच/बाल संरक्षण समर्थन, बच्चों की देखभाल के लिए वरिष्ठ नागरिक मानदेय, बुजुर्गों को

VISION IAS

• समुदाय के स्वास्थ्य के संबंध में व्यवहारगत परिवर्तन लाना।		सहायता। ○ **चिकित्सीय सहायता:** IVF और सरोगेसी सहित सहायक प्रजनन तकनीक के लिए वित्तीय सहायता ○ गोपनीयता ○ आउट-रीच प्रोग्राम/सूचना, शिक्षा और संचार

28.3. नई रोशनी-अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना

(Nai Roshni-For Leadership Development of Minority Women)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• अल्पसंख्यक महिलाओं तथा उनके गांव/ क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदायों की, उनकी पड़ोसी महिलाओं को सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना। • प्रशिक्षु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।	• सभी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाएं • समान इलाके/क्षेत्र की गैर-अल्पसंख्यक महिलाएं (परियोजना के 25% से अधिक नहीं) • इसके अतिरिक्त, एक प्रतिनिधिमूलक मिश्रण (जिसमे अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक महिलाओं का उचित अनुपात हो) के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। ○ SC/ST/OBC /PH महिलाएं (समूह का 25%) ○ पंचायती राज संस्थाओं (पंचायत) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधि	• स्थानीय निकायों के स्तर पर गांव/शहरी इलाकों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण। • प्रशिक्षण गैर-आवासीय और आवासीय, दोनों प्रकार का होगा। • यह समस्त देश में चयनित गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से लागू किया जाता है। • प्रशिक्षण, विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूलों पर प्रदान किया जाता है जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दे जैसे निर्णयन में भागीदारी के माध्यम से महिलाओं का नेतृत्व, महिलाओं के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, महिलाओं के कानूनी अधिकार, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वच्छ भारत, जीवन कौशल तथा सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन हेतु समर्थन; आदि शामिल होंगे।

28.4. उस्ताद (अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स-क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट)

(USTTAD- Upgrading the Skill and Training in Traditional Art craft for Development)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• विशेषज्ञ शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण और उनके माध्यम से युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देना। • अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला/शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण और परंपरागत शिल्पकारों/कारीगरों का क्षमता निर्माण करना। • अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ पारंपरिक कौशल का संबंध स्थापित करना • मौजूदा श्रमिकों की नियोजनीयता में सुधार करना। • श्रम की गरिमा सुनिश्चित करना। • बढ़ते बाजार के लाभों को प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को सक्षम बनाना।	• अल्पसंख्यक समुदाय • गैर-अल्पसंख्यक समुदाय (25% BPL) • शारीरिक विकलांगता (PH) श्रेणी से संबंधित अल्पसंख्यक (3% आरक्षण) • अल्पसंख्यक महिलाएं (33% सीटें) • गैर-PH (निःशक्तता की श्रेणी के बाहर के) लाभार्थियों के लिए आयु 14-45 वर्ष की और न्यूनतम योग्यता 5वीं कक्षा तक होनी चाहिए।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से पारंपरिक कला/शिल्प में प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम द्वारा कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण। • सॉफ्ट स्किल, स्पोकन इंग्लिश और IT पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। • इस योजना में परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। • R&D के लिए उस्ताद अप्रेंटिसशिप प्रदान की जाएगी। • हुनर हाट और शिल्प उत्सव के माध्यम से उनके उत्पादों का प्रदर्शन/विपणन किया जाएगा। • प्रतिभाशाली विशेषज्ञ शिल्पकार/कारीगर को चिह्नित और सम्मानित किया जाएगा।

VISION IAS

हुनर हाट (HUNAR HAAT)	• उस्ताद योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। ये हाट अल्पसंख्यक समुदायों के विशेषज्ञ कारीगरों, शिल्पकारों और पाककला विशेषज्ञों के उत्पादों हेतु विपणन के लिए मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार, ये अल्पसंख्यक समुदायों के रोजगार और आय उत्पादन के अवसरों को बढ़ाते हैं। मंत्रालय देश के सभी राज्यों में "हुनर हब" स्थापित करने हेतु इच्छुक है, जहां वर्तमान आवश्यकता के अनुसार कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

28.5. नई मंजिल

(Nai Manzil)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएँ
• इसका उद्देश्य **अल्पसंख्यक समुदायों के,पढाई पूरी किये बिना बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले (ड्रॉप-आउटस) युवाओं को संगठित करना** और उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) या अन्य स्टेट ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से 8वीं या 10वीं तक औपचारिक शिक्षा और प्रमाणीकरण प्रदान करना है। • बाजार संचालित कौशल में युवाओं को एकीकृत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना • प्रशिक्षित युवाओं के कम से कम 70% को नियोजित (प्लेसमेंट प्रदान) करना • स्वास्थ्य और जीवन कौशल में जागरूकता और सक्रिय बनाना।	• 17 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के अल्पसंख्यक BPL युवा, जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया या मदरसे जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त की है। • अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं	• यह शिक्षा और कौशल की एक एकीकृत योजना है। • इसके अंतर्गत बेसिक ब्रिज प्रोग्राम (कक्षा आठवीं या दसवीं के लिए) सहित 9-12 महीने की अवधि का एक गैर-आवासीय कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है। • अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए न्यूनतम 30% सीटें निर्धारित की गई हैं। • यह योजना समस्त देश को कवर करती है। • विश्व बैंक, इस योजना का समर्थन करता है। • नई रोशनी योजना, जो कि अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना है, के अंतर्गत प्रशिक्षित अल्पसंख्यक महिलाओं को भी इस योजना के लिए संगठनकर्ता (mobilizers) के रूप में शामिल किया जाएगा।

28.6. पढ़ो परदेश

(Padho Pardesh)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करना। इससे उन्हें विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे तथा उनकी नियोजनीयता में वृद्धि की जा सकेगी।	• विदेशों में परास्नातक, एम. फिल और पीएचडी के कोर्स के लिए पंजीकृत छात्र-छात्राएँ • छात्राएँ	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • ब्याज सब्सिडी को भारतीय बैंक संघ (IBA) की मौजूदा शैक्षणिक ऋण योजना से जोड़ा जाएगा। • छात्राओं के लिए 35% सीटें निर्धारित की जाएंगी। • यह योजना योग्य छात्र-छात्राओं को केवल एक बार या तो परास्नातक या एम.फिल अथवा पीएचडी के लिए उपलब्ध होगी। • यह एक ब्याज सब्सिडी योजना है और उम्मीदवार को ऋण स्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि) के पश्चात मूल किश्त और ब्याज का वहन करना होगा।

VISION IAS

28.7. नई उड़ान

(Nai Udaan)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। • सिविल सेवा और ग्रुप A और B सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाना।	• UPSC, SPSC या SSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले केवल वे अभ्यर्थी जो अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हों। • आय आधारित पात्रता मानदंड (6 लाख रुपये/वर्ष)।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष देश भर में पात्रता मानदंड प्राप्त करने पर अधिकतम 2000 अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता तब तक प्रदान की जाएगी जब तक कि इस योजना हेतु उपलब्ध बजटीय आवंटन समाप्त न हो जाए। • अभ्यर्थी को वित्तीय सहायता केवल एक बार प्रदान की जाएगी। • अभ्यर्थियों का चयन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा। • विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए स्लॉट का वितरण जनगणना, 2011 के आंकड़ों पर आधारित है।

28.8. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (MANAS)

(Maulana Azad National Academy for Skills: MANAS)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• इसका उद्देश्य स्किल इंडिया के विजन को पूरा करना तथा सबका साथ-सबका विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना है। • अल्पसंख्यकों को लाभकारी रोजगार/स्व-रोजगार प्रदान करना। • भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की सभी कौशल उन्नयन/कौशल विकास आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका उद्देश्य उन्हें उन सभी कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करना है जो वर्तमान और भविष्य में बाजार मांग द्वारा निर्धारित हों। यह प्राथमिक रूप से अल्पसंख्यकों के व्यापार उद्यमों की स्थापना/उन्नयन करके उनकी स्व-रोजगार क्षमता में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित करती है। • मानस, वैश्वीकरण के कारण मृतप्राय होते जा अल्पसंख्यक समुदाय के कला और शिल्प को सहायता प्रदान करने के लिए 'रिसर्च चेयर्स' स्थापित करेगा। इस प्रक्रिया में 'हमारी धरोहर' के संरक्षण को सहायता मिलेगी।	• अल्पसंख्यक समुदायों के हाशिए पर स्थित वर्ग • मदरसे/मकतबे • अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएँ/बालिकाएँ	• यह एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल और एक अभिनव योजना (समुदाय के कर्ज को चुकाने जैसी) है। इसके अंतर्गत कौशल विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न कौशल समूहों में अग्रणी हस्तियों के प्रभाव का प्रयोग उनके संबंधित क्षेत्रों में मुख्य बल के रूप में किया जाएगा। • इसने विभिन्न मदरसों और अन्य पारंपरिक शैक्षिक संस्थानों (TEI) की पहचान कर कौशल विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। • यदि प्रशिक्षित उम्मीदवार स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक हैं तो उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

28.9. हमारी धरोहर

(Hamari Dharohar)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के तहत	• **फैलोशिप के लिए:** 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। • संस्कृति मंत्रालय की सहायता से अल्पसंख्यक कार्य

VISION IAS

अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। • साहित्य/दस्तावेजों आदि का संरक्षण करना। • कैलीग्राफी की सहायता एवं संवर्धन करना। • अनुसंधान और विकास (R&D) को बढ़ावा देना।	उत्तीर्ण अल्पसंख्यक अभ्यर्थी और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित लड़की/महिला उम्मीदवार।	मंत्रालय द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत मौखिक परम्पराओं और कला रूपों का दस्तावेज़ीकरण, नृजातीय संग्रहालयों, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रदर्शनियों को सहयोग तथा अनुसंधान एवं विकास आदि के लिए फैलोशिप प्रदान की जाएगी। • इसका वित्तपोषण, परियोजना आधारित है, राज्य/जिलावार नहीं। • गणित और चिकित्सा संबंधी मध्ययुगीन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है।

28.10. सीखो और कमाओ

(Learn And Earn)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं

• अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित युवाओं को रोजगार आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
• अल्पसंख्यक समुदायों की बेरोजगारी दर को कम करना।
• अल्पसंख्यकों के पारंपरिक कौशलों का संरक्षण एवं उन्नयन करना तथा उन्हें बाजार के साथ जोड़ना।
• मौजूदा कर्मियों रोजगारपरकता को बेहतर बनाना तथा उनका नियोजन (प्लेसमेंट) सुनिश्चित करना तथा बीच में पढाई छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना।
	• न्यूनतम कक्षा 5 की योग्यता के साथ 14-35 वर्ष के आयुवर्ग के अल्पसंख्यक व्यक्ति।
	• अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं (33%)।
	• दिव्यांग व्यक्ति और गैर-अल्पसंख्यक BPL भी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
		• यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
		• इसके दो घटक हैं:
		  ○ आधुनिक व्यापार हेतु प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		  ○ पारंपरिक कला शैलियों/शिल्प/व्यापार के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम।
		• आधुनिक कौशल के लिए कौशल प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप 75% प्लेसमेंट होना चाहिए, जिनमें से 50% संगठित क्षेत्र में होने चाहिए।
		• यह एक PPP आधारित योजना है और इसमें प्राथमिकता उन संस्थानों को दी जाएगी जो 75% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं।
		• स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का सृजन किया जायेगा।

28.11. महिला समृद्धि योजना

(Mahila Samriddhi Yojana)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• प्रशिक्षु महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना ताकि वे अंततः आत्मनिर्भर बने और अपने घरों की दहलीज से बाहर निकल सकें तथा देश के विकास से लाभ प्राप्त सकें।	• महिलाएँ • अल्पसंख्यक महिलाएँ	• इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) द्वारा किया जा रहा है। • लगभग 20 महिलाओं के समूह को किसी भी उपयुक्त महिला अनुकूल शिल्प गतिविधि जैसे सिलाई, कटाई और कढ़ाई आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। • इस समूह को एक SHG का गठन करना पड़ता है। • प्रशिक्षण के पश्चात्, निर्मित SHG के सदस्यों को सूक्ष्म ऋण (7% ब्याज पर अधिकतम 1 लाख रूपये) प्रदान किया जाता है।

VISION IAS

28.12. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

गरीब नवाज़ कौशल विकास केंद्र	• ये केंद्र देश के 100 जिलों में स्थापित किए जाएंगे तथा अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं के रोजगार उन्मुख कौशल विकास को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करेंगे। ये वस्तु एवं सेवा कर लेखा/प्रोग्रामिंग और अन्य संबंधित विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स भी प्रदान करेंगे। ऐसा प्रथम केंद्र हैदराबाद में खोला गया था।
बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	• यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी लड़कियों के लिए आरम्भ की गई है। इसे मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
तहरीक-ए-तालीम योजना	• इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों की अल्पसंख्यक समुदायों तक पहुँच सुनिश्चित करने और मदरसों एवं अल्पसंख्यक संस्थानों को मुख्यधारा में लाने के लिए देश के 100 जिलों में प्रारम्भ किया गया। इन संस्थानों के शिक्षकों को गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही महिला शिक्षकों (50%) को भी इस योजना से लाभ मिलेगा।

29. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY)

29.1. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)

(Jawaharlal Nehru National Solar Mission: JNNSM)

उद्देश्य	लक्ष्य	विशेषताएं
• सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना।	• मिशन का लक्ष्य 2022 तक 100 गीगावाट (पुराना लक्ष्य 20 गीगावाट) सौर ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। • इस लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावाट ऊर्जा रूफटॉप और 60 गीगावाट ऊर्जा *लार्ज एंड मीडियम स्केल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स* के माध्यम से प्राप्त करना सम्मिलित है। • इसके लक्ष्य में प्रतिवर्ष सौर सेलों की लगभग 2 गीगावाट क्षमता का निर्माण करने के लिए पॉली सिलिकॉन मैटेरियल हेतु समर्पित विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना भी सम्मिलित है। • ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों के लिए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा 2022 तक 20 मिलियन सोलर लाइटिंग सिस्टम सहित 2000 मेगावाट का लक्ष्य प्राप्त करना। • 2022 तक 2 करोड़ वर्गमीटर का सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र सुनिश्चित करना।	• मिशन में 3 चरण हैं: चरण 1 (2010-13), चरण II (2013-15) और चरण III (2017-22)। • यह पूँजी सब्सिडी विभिन्न शहरों और कस्बों में रूफटॉप सौर परियोजनाओं; भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के माध्यम से विकसित व्यवहार्यता अंतराल निधि (VGF) आधारित परियोजनाओं; और लघु सौर परियोजनाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकृत उत्पादन के लिए प्रदान की जाएगी। • इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं के साथ-साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड से संपर्क कर सकती है।

भारत में सौर रूपान्तरण के लिए सतत रूफटॉप कार्यान्वयन-सृष्टि (SUSTAINABLE ROOFTOP IMPLEMENTATION FOR	• यह रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक **प्रस्तावित योजना** है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत **2022 तक 40 गीगावाट** के राष्ट्रीय सौर रूफटॉप के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

VISION IAS

SOLAR TRANSFIGURATION OF INDIA-SRISTI)	• इस योजना के तहत प्रस्तावित है कि **केंद्रीय वित्तीय सहायता** केवल **आवासीय क्षेत्रों** में रूफटॉप इंस्टालेशन हेतु प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सोलर प्लांट के परिनियोजन (deployment) में तीव्रता लाने के लिए **डिस्कॉम** को उनके **निष्पादन** के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

29.2. सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना

(Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रोजेक्ट डेवलपर्स और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन सुविधा (डेमन्स्ट्रेशन फैसिलिटी) के रूप में कार्य करके सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। • राज्यों को इनके सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व अधिदेश को पूरा करने और स्थानीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने हेतु प्रोजेक्ट डेवलपर्स से महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त करने में सक्षम बनाना। • परंपरागत विद्युत् संयंत्रों के लिए महंगे जीवाश्म ईंधनों की खरीद को रोककर राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में योगदान देना। • **कार्बन उत्सर्जन** और कार्बन फुटप्रिंट में **कमी** कर पारिस्थितिक रूप से संधारणीय विकास को बढ़ावा देना।	• इस योजना के अंतर्गत 2019-20 तक **40 GW सौर ऊर्जा क्षमता** का निर्माण किया जाएगा। • यह देश के विभिन्न भागों में **500 मेगावॉट** और इससे अधिक की क्षमता वाले कम से कम **50 सौर पार्कों** की स्थापना सुनिश्चित करेगी। • हिमालय क्षेत्र में छोटे पार्कों और दुर्गम क्षेत्रों वाले अन्य **पहाड़ी राज्यों** को भी इस योजना के अंतर्गत माना जाएगा। • इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र** पात्र हैं। • MNRE के निर्देशन में **भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)** योजना को प्रशासित करेगा। अनुमोदित अनुदान SECI द्वारा जारी किया जाएगा। • राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के लिए सौर पार्कों के विकास और रखरखाव के लिए सोलर एनर्जी पार्क डेवलपर (SPPD) का चयन करना आवश्यक है।

29.3. अटल ज्योति योजना - अजय

(Atal Jyoti Yojana-Ajay)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
सार्वजनिक उपयोग के लिए **सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम** प्रदान करना और सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाना।	5 राज्यों के लोग- असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश	• यह नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की **ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग योजना** के तहत एक उप-योजना है। • ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। • इस योजना के अंतर्गत ऐसे **ग्रामीण, अर्द्धशहरी और शहरी क्षेत्रों** में **सौर LED लाइट्स** स्थापित किए जाने हैं जिन्हें विद्युत का पर्याप्त कवरेज प्राप्त नहीं होता है।

29.4. सौर शहरों के विकास की योजना

(Development Of Solar Cities Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएं
• **स्थानीय सरकारों** को नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने हेतु	• सौर शहरों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के द्वारा आपूर्ति में वृद्धि करके और ऊर्जा दक्षता उपायों के माध्यम से पाँच वर्षों (2012-17) के अंत तक **परम्परागत ऊर्जा की अनुमानित माँग में न्यूनतम 10% की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।** • यह कार्यक्रम **प्रत्येक शहर/कस्बा को 50 लाख से अधिक वित्तीय सहायता** और तकनीकी

VISIONIAS

प्रेरित करना।	सहायता प्रदान करके शहरी स्थानीय सरकारों की सहायता करता है। • कुल 60 शहरों/कस्बों को सौर शहर के रूप में विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना प्रस्तावित है।

29.5. सूर्य मित्र योजना

(Surya Mitra Scheme)

उद्देश्य	लाभार्थी	विशेषताएं
• सौर ऊर्जा संयंत्रों और उपकरणों के स्थापना संचालन रखरखाव और प्रबंधन हेतु कुशल श्रमशक्ति का सृजन करना।	• ग्रामीण और शहरी युवा- **मार्च 2020 तक 50,000 सोलर फोटोवोल्टिक टेकनीशियनों को प्रशिक्षित किया जाएगा।**	• MNRE इसका प्रायोजक (100%) है, और **राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)** इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। • यह **600 घंटे या 90 दिनों** की अवधि का एक कौशल विकास कार्यक्रम है। • SC/ST/OBC श्रेणियों से संबंधित युवाओं के कौशल पर विशेष बल दिया जाता है। • इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता **ITI (इलेक्ट्रिकल एंड वायरमैन)/इंजीनियरिंग में डिप्लोमा** (इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल) है। B.Tech आदि जैसे उच्चतर योग्यता प्राप्त प्रतिभागी इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं। • इसके अतिरिक्त इसमें लघु जल विद्युत, उद्यमिता विकास, सौर ऊर्जा उपकरणों के संचालन और रखरखाव तथा सह-उत्पादन संयंत्रों में बॉयलर संचालन के लिए **अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** भी आयोजित किए जाते हैं।

29.6. ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट

(Green Energy Corridor Project)

उद्देश्य	विशेषताएं
• नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन बिंदु से लोड सेंटर तक पहुँचाना अर्थात् नेशनल ग्रिड नेटवर्क में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह को सक्षम बनाना।	• ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवाह हेतु ग्रिड कनेक्टेड नेटवर्क है। • इस गलियारे में दो ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स की परिकल्पना की गयी है: 1. **ग्रीन कॉरिडोर I**: नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों को जोड़ने के लिए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क का निर्माण किया गया है। इसका कार्यान्वयन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (PGCIL) द्वारा किया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने इस हेतु ऋण सहायता प्रदान की है। 2. **ग्रीन कॉरिडोर II**: यह संबंधित राज्यों द्वारा कार्यान्वित इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क है और विभिन्न राज्यों में सौर पार्कों को जोड़ता है। • इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क **आठ नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों** (तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। • इस कार्यक्रम के प्रथम चरण को 33 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा में सहायता प्रदान करने हेतु डिजाईन किया गया है जबकि द्वितीय चरण 22 गीगावाट क्षमता को जोड़ेगा। • इसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता जर्मनी द्वारा प्रदान की जा रही है।

VISION IAS

30. पंचायती राज मंत्रालय

(MINISTRY OF PANCHYATI RAJ)

30.1. ग्राम स्वराज अभियान

(Gram Swaraj Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना, सरकार की निर्धनता सम्बन्धी पहलों के सन्दर्भ में जागरुकता का प्रसार करना तथा निर्धन परिवारों तक पहुंच स्थापित करना।	• यह अभियान "सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास" के नाम से आरम्भ किया गया है। • यह पिछड़े जिलों में सात योजनाओं का एक विशेष केंद्रित हस्तक्षेप है। • **ये सात योजनाएं हैं**: प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सौभाग्य, उजाला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिशन इंद्रधनुष।

30.2. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)

(Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• पंचायतों और ग्राम सभा की क्षमताओं और प्रभावशीलता में वृद्धि करना।	• यह **राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान** का संशोधित संस्करण है।
	• संविधान और PESA अधिनियम के अनुसार पंचायतों तक **शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण** को बढ़ावा देना।
	• जिन क्षेत्रों में पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, वहां लोकतांत्रिक स्थानीय स्व-शासन का गठन करना और जहाँ पंचायतें विद्यमान हैं वहां उन्हें सुदृढ़ करना।
	• ग्राम सभा को पंचायत प्रणाली के अंतर्गत लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए सुदृढ़ बनाना।
	• वे घटक जिनके लिए कार्यक्रम के तहत सहायता में वृद्धि की गई है, निम्नलिखित हैं:
	  ○ पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षमता निर्माण
	  ○ प्रशिक्षण के लिए संस्थागत क्षमता का विकास
	  ○ PESA का कार्यान्वयन
	  ○ ई-गवर्नेंस समर्थित संरचनाएं

31. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS)

31.1. प्रेरण प्रशिक्षण पर व्यापक ऑनलाइन संशोधित मॉड्यूल (COMMIT)

(Comprehensive Online Modified Modules on Induction Training: COMMIT)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र में सुधार करना और नागरिकों से दैनिक संवाद करने वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण के माध्यम से नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करना।	• इसे **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से** कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा विकसित किया गया है। • इसे प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) के **माध्यम से लागू** किया जाएगा। • यह राज्य सरकार के नए अधिकारियों के लिए 2014-15 में प्रारंभ किए गए मौजूदा 12-दिवसीय प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूरक की भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन अधिकारियों में सामान्य और क्षेत्र विशिष्ट दक्षताओं का विकास करना है।

VISION IAS

31.2. सेन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम

(Central Staffing Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• राज्य स्तर पर **क्षमताओं का निर्माण** करने में सहायता करना; तथा • निर्णय लेने के स्तर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों का विकास करने में योगदान करना।	• राज्य सरकार में 9 वर्ष की न्यूनतम सेवा वाले कर्मचारी (अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य हो सकते हैं)।	• यह केंद्र सरकार में उप सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव के स्तर पर प्रतिभागी सेवाओं के **योग्य अधिकारियों के चयन और नियुक्ति हेतु एक व्यवस्थित क्रम** प्रदान करती है।

पोर्टल	विवरण

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली **(CPGRAMS)**	• यह वेब प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्लेटफॉर्म है जिसका **प्रमुख उद्देश्य व्यथित नागरिकों को कहीं से भी और किसी भी समय शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम** बनाना है।
	• प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DAR&PG) और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DP&PW) इस पोर्टल में शिकायत से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है।
	• इस पोर्टल पर प्रणालीजनित विशिष्ट पंजीकरण संख्या के माध्यम से **शिकायतों की निगरानी** की सुविधा भी दी गई है।
	• निम्नलिखित मुद्दों को CPGRAMS पोर्टल के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है:
	  ○ विचाराधीन मामले अथवा ऐसे मामले जो किसी न्यायालय के अधिनिर्णय से संबंधित हों।
	  ○ व्यक्तिगत और पारिवारिक विवाद।
	  ○ RTI मामले।
	  ○ ऐसी कोई अन्य शिकायत जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता अथवा अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हों।
	  ○ सुझाव।

32. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS)

32.1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• 2020 (पहले लक्ष्य वर्ष 2019 था) तक **8 करोड़** (पहले लक्ष्य 5 करोड़ था) BPL परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क (deposit free) LPG कनेक्शन प्रदान करना।	• **गरीबी रेखा से नीचे स्थित कोई भी परिवार** जिसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा तैयार जिला BPL सूची में सम्मिलित हो। • इस योजना का शुभारंभ **'मेक इन इंडिया'** अभियान को भी प्रोत्साहित करेगा क्योंकि सिलेंडरों, गैस स्टोव, रेगुलेटरों और गैस पाइप आदि का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जायेगा। • **असामयिक मौतों** में कमी होगी चूंकि युवाओं और महिलाओं में	• **इस योजना की टैग लाइन 'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' है।** • **LPG कनेक्शन BPL परिवार की वयस्क महिला के नाम पर** जारी किया जाएगा; बशर्ते घर के किसी भी परिवार के सदस्य के नाम पर कोई LPG कनेक्शन मौजूद न हो। • केंद्र सरकार प्रत्येक LPG कनेक्शन के लिए **1600 रुपये** की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। • पात्रता की पुष्टि के लिए **सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना** (SECC) आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। • **इस योजना को SECC द्वारा पहचाने गए परिवारों के साथ ही SC/ST परिवारों, अंत्योदय अन्न योजना (AAY), PMAY (ग्रामीण) के लाभार्थियों, वनवासियों, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (MBC), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियाँ**

VISION IAS

	तीव्र श्वसन रोगों (acute respiratory illness) की एक बड़ी संख्या के लिए इनडोर वायु प्रदूषण उत्तरदायी है।	और द्वीप समूह और नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों आदि को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। • **उपभोक्ताओं** के पास LPG सब्सिडी के माध्यम से प्राप्त **गैस स्टोव और रिफिल को EMI** (शून्य ब्याज) पर खरीदने का विकल्प होगा। प्रारंभिक 6 रिफिल के लिए ऋण की वसूली प्रभावी नहीं होती है।

32.2. प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (पहल)

(Pratyaksh Hanstantrit Labh: PAHAL)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• व्यपवर्तन (diversion) को कम करना और नकली या फर्जी LPG कनेक्शन को समाप्त करना। • सब्सिडी में कटौती के बजाय सब्सिडी के लीकेज में कटौती के दृष्टिकोण से सब्सिडीज़ को युक्तियुक्त बनाना। • सब्सिडी के लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण को प्रारंभ करना।	• LPG सिलेंडरों का उपयोग करने वाले उपभोक्ता। • सरकार, चूँकि लीकेज में कमी आएगी। साथ ही सार्वजनिक धन की बचत की जाएगी। • तेल विपणन कंपनियां, क्योंकि मध्यस्थ समाप्त हो जायेंगे।	• प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के अंतर्गत यह **विश्व की सबसे बड़ी नकद सब्सिडी** (गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल) है। • LPG उपभोक्ताओं को पूरे देश में घरेलू LPG सिलेंडरों को बाजार निर्धारित मूल्य (सब्सिडी के बिना) पर बेचा जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा पहला सिलेंडर बुक करते ही अतिशीघ्र अग्रिम भुगतान किया जायेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पास बाजार मूल्य पर सिलेंडर खरीदने के लिए पर्याप्त धन है। • इस प्रकार LPG सिलेंडर पर लागू कुल नकद लाभ CTC (नकद हस्तांतरण अनुपालक) उपभोक्ता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह उपभोक्ता की पात्रता के अनुसार प्रदत्त प्रत्येक सब्सिडी वाले सिलेंडर (निश्चित सीमा तक) के लिए मान्य होगा। • वे LPG उपभोक्ता जो LPG सिलेंडरों के लिए LPG सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, सब्सिडी छोड़ने का विकल्प चुन सकते हैं। • **उपभोक्ताओं** के पास सब्सिडी प्राप्त करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है। यह सुविधा जन धन द्वारा प्रदान की जाती है। लाभ प्राप्त करने के लिए आधार के साथ खाते को जोड़ना भी अनिवार्य है।

32.3. पीडीएस केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBTK) योजना

[Direct Benefit Transfer In PDS Kerosene (DBTK) Scheme]

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• PDS के आवंटन और वितरण में सुधार लाना। • बेहतर सब्सिडी प्रबंधन करना। • सब्सिडी वाले केरोसिन के व्यपवर्तन (diversion) को रोककर सब्सिडी व्यय को कम करना।	9 राज्य सरकारों यथा छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और गुजरात द्वारा पहचाने गए 33 जिलों के **केरोसीन उपभोक्ता।**	• PAHAL के समान उपभोक्ता, खरीद के समय केरोसिन की गैर-सब्सिडी वाली कीमत का भुगतान करेगा। • सब्सिडी की राशि प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। • प्रारंभिक गैर-सब्सिडी वाली खरीद के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की प्रारंभिक राशि जमा कराई जाएगी। • यह योजना लागू करने वाले राज्यों को पहले दो वर्षों में बची सब्सिडी के 75%, तीसरे वर्ष में बची सब्सिडी के 50% और चौथे वर्ष में बची सब्सिडी के 25% के बराबर **राजकोषीय प्रोत्साहन** प्रदान किया जायेगा। • इसके अतिरिक्त, सभी परिवारों को LPG के तहत लाकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **'केरोसिन मुक्त' बनने के लिए प्रोत्साहित** किया जाता है। • अब तक 5 केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली और पुदुचेरी तथा **तीन राज्य-** हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब

		'केरोसिन मुक्त' बन गए हैं। **दिल्ली के बाद, चंडीगढ़ केरोसिन मुक्त होने वाला दूसरा शहर था।**

32.4. प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना

(Pradhan Mantri LPG Panchayat Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के क्रियान्वयन हेतु पंचायतों का उपयोग बैकअप प्रदान करने के रूप में किया जाएगा। • उन ग्रामीण क्षेत्रों में LPG कनेक्शन वितरित करना जहाँ घरेलू उद्देश्यों हेतु पारंपरिक ईंधन का उपयोग किया जाता है। • तेल क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों तथा NGOs,आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से लोगों में फैली शंकाओं और पारंपरिक भ्रांतियों का निवारण करना।	• यह ग्रामीण LPG उपयोगकर्ताओं के लिए LPG के सुरक्षित उपयोग, पर्यावरण सम्बन्धी लाभ, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों से सम्बन्धित एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म का उपयोग उपभोक्ताओं को नियमित रूप से स्वच्छ ईंधन के रूप में LPG के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा। • अगले एक से डेढ वर्ष में देश भर में ऐसी करीब एक लाख LPG पंचायत आयोजित होंगी। एक पंचायत के अंतर्गत आस-पास के क्षेत्रों के लगभग 100 LPG ग्राहक सम्मिलित होंगे। • इस मंच का उद्देश्य ऐसी चर्चाओं को आरम्भ करना है जिसमे लोग पारंपरिक ईंधन जैसे-गोबर, चारकोल, या लकड़ी की तुलना में स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के व्यक्तिगत अनुभव एक दूसरे से साझा कर सकें और इसके उपयोग के लिए प्रेरित हों।

32.5. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

स्टार्ट-अप संगम इनिशिएटिव (START-UP SANGAM INITIATIVE)	इस योजना का उद्देश्य **वैकल्पिक ईंधनों में नवाचार द्वारा ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करना है।** इसके अंतर्गत नए बिजनेस मॉडल एवं मार्केटिंग प्लान विकसित किए जाएंगे तथा 30 स्टार्ट-अप्स के सहयोग से भारी तेल और गैस उद्योग क्षेत्रक में नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। चयनित स्टार्ट-अप विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रों में कार्य करेंगे जैसे- अपशिष्ट प्लास्टिक को पेट्रोलियम ईंधन में परिवर्तित करना, सोलर स्टोव, कृषि अपशिष्ट बायोमास से बहुउद्देश्यीय ईंधन प्राप्त करना और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) सिलेंडरों हेतु प्रयोग किये जा रहे लीकेज डिटेक्टर आदि। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न PSUs जैसे- IOCL, ONGC, BPCL, GAIL और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा 320 करोड़ की एक निधि (कॉर्पस) का सृजन किया गया है।
प्रधानमन्त्री ऊर्जा गंगा/ राष्ट्रीय गैस ग्रिड (PRADHAN MANTRI URJA GANGA/ NATIONAL GAS GRID)	• यह एक गैस पाइपलाइन परियोजना है, जिसका उद्देश्य गैस आधारित अर्थव्यवस्था एवं ऊर्जा बॉस्केट में गैस की हिस्सेदारी को 15 प्रतिशत तक बढ़ाना है। **इस परियोजना के अंतर्गत पूर्वी भारत में 15,000 किलोमीटर अतिरिक्त गैस पाइपलाइन नेटवर्क विकसित किया जाएगा।** इस परियोजना के अंतर्गत पाइपलाइन **जगदीशपुर** (उत्तर प्रदेश) से प्रारंभ होकर **हल्दिया (पश्चिम बंगाल) और धामरा (ओडिशा)** तक जाएगी। इस प्रकार पाइपयुक्त रसोई गैस (piped cooking gas) सर्वप्रथम वाराणसी में रहने वाले लोगों को उपलब्ध होगी तत्पश्चात उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थित लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस परियोजना को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी GAIL द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

VISION IAS

सक्षम (संरक्षण क्षमता महोत्सव)-2018 [SAKSHAM (SANRAKSHAN KSHAMTA MAHOTSAV)-2018]	• यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA) का वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। एक माह तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य इस दौरान नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण एवं उनके बेहतर उपयोग के प्रति जागरुक बनाने के प्रयासों में सक्रियता लाना है। ईंधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही इसका लक्ष्य वाहनों के उत्सर्जन को कम करना, यातायात प्रवाह (traffic flow) में सुधार करना एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नागरिकों को जागरूक बनाना है। इस कार्यक्रम को व्यापक मीडिया कवरेज भी प्राप्त हुआ है।

33. विद्युत मंत्रालय

(MINISTRY OF POWER)

33.1. उदय (उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)

[UDAY (Ujwal DISCOM Assurance Yojana)]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• उदय का लक्ष्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरूत्थान करना, • दीर्घ काल में सभी के लिए सस्ती और सुलभ 24x7 विद्युत आपूर्ति ।	• 2018-19 तक सभी वितरण कंपनियों को लाभदायक बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य।परिणाम दो संकेतकों के माध्यम से मापे जायेंगे अर्थात 2018-19 तक AT&C हानि में 15% की कमी और 2018-19 तक शून्य के लिए वास्तविक आपूर्ति और औसत राजस्व की औसत लागत के मध्य अन्तराल में कमी। • इस लक्ष्य की प्राप्ति चार पहलों के माध्यम से होगी (i) डिस्कॉमों की परिचालन क्षमता में सुधार; (ii) ऊर्जा लागत में कमी करना; (iii) डिस्कॉमों की ब्याज लागत में कटौती करना; (iv)राज्य वित्त के समान डिस्कॉमों में भी वित्तीय अनुशासन लागू किया जाए। • राज्यों को 30 सितम्बर 2015 से 2 वर्षों में अर्थात 50% 2015-2016 में एवं 25% 2016-17 में डिस्कॉम का 75% ऋण का भुगतान स्वयं करेगा; • भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में संबंधित राज्यों के राजकोषीय घाटे (FRBM के लिए) की गणना में उपरोक्त योजना के अनुसार राज्यों द्वारा उठाए गए ऋण शामिल नहीं करेगी। योजना 31-03-2017 से अप्रभावी हो गई है। • राज्य, बाजार में या सीधे संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्थानों (जिनका डिस्कॉम पर कर्ज है) को SDL सहित गैर –SLR बांड जारी करेंगे। • डिस्कॉम के जिस ऋण का भुगतान राज्य नहीं करेंगे उसे बैंक / FIs द्वारा लोन या बांड में परिवर्तित कर दिया जाएगा • पश्चिम बंगाल और ओडिशा केवल दो राज्य हैं जो इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं। ओडिशा पहले शामिल हो गया था किन्तु फिर इस योजना से बाहर निकल गया। समग्र रूप से 27 राज्य इस योजना में शामिल हो चुके हैं।

33.2. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana: DDUGJY)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• 2022 तक देश भर में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 24×7 निर्बाध बिजली की आपूर्ति। • नई परिभाषा के अनुसार सभी गांवों एवं बस्तियों का विद्युतीकरण। • गरीबी रेखा के नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान	• **DDUGY के घटक:** ○ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही विद्युत आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टरिंग को सुविधाजनक बनाने हेतु **कृषि एवं गैर-कृषि फीडरों को पृथक** करना; ○ ग्रामीण क्षेत्रों में **ट्रांसफार्मर / फीडरों / उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण एवं वितरण (ST&D) अवसंरचनाओं** का सुदृढ़ीकरण एवं संवर्द्धन; ○ **ग्रामीण विद्युतीकरण,** CCEA के अनुमोदन के अनुसार RGGVY (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) को DDUGJY में सम्मिलित करना तथा RGGVY के अंतर्गत

VISION IAS

करना।	निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना। इसके अतिरिक्त DDUGJY के अंतर्गत RGGVY के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेषित करना; • **माइक्रो ग्रिड और ऑफ ग्रिड वितरण** नेटवर्क को भी सुदृढ़ किया जाएगा। • DDUGJY के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन एक नोडल एजेंसी है।

33.3. राष्ट्रीय एलईडी कार्यक्रम

(National LED Programme)

इस कार्यक्रम को 2005 में, सस्ती दरों पर अत्यधिक कुशल लाइटिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं:

- उन्नत ज्योति बॉय अफ़ोर्डेबल LED फॉर ऑल (UJALA) और
- राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम (Street Lighting National Program: SLNP)

33.3.1. उजाला (UJALA)

[UJALA (Unnat Jyoti By Affordable Leds For All (UJALA)]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• कुशल प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना। • बिजली के बिल को कम करने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करना।	• यह योजना LEDs के माध्यम से भारत में 77 करोड़ इन्केन्डेसन्ट बल्बों को प्रतिस्थापित करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। • EESL (एनर्जी इफिशिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड) परिवारों को 10 रुपये की सस्ती दर पर LED लाइट्स खरीदने में सक्षम बनाता है। यह योजना शेष राशि का उनके बिजली बिल से आसान किस्तों पर भुगतान करने की व्यवस्था करता है। • बचत लैंप योजना (इस योजना ने इन्केन्डेसेन्ट बल्ब की कीमत पर CFL बल्ब प्रदान करने का प्रस्ताव किया) को DELP योजना (घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम - जिसके तहत LED बल्ब प्रदान किए जा रहे हैं) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस योजना को वर्तमान में उजाला नाम से जाना जाता है।

33.3.2. राष्ट्रीय सड़क प्रकाश कार्यक्रम

(Street Lighting National Program: SLNP)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• इसका उद्देश्य मार्च 2019 तक भारत की 14 मिलियन (1.34 करोड़) पारंपरिक स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा दक्ष LEDs से प्रतिस्थापित करना है।	• यह विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। • ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL), नगर पालिकाओं को पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर LED को बिना किसी अग्रिम लागत (अपफ्रंट कॉस्ट) पर उपयोग करने में सक्षम बनाता है। • ऊर्जा बचत का मौद्रीकरण कर नगर पालिकाओं के माध्यम से शेष लागत वसूल की जाती है। • ULB अनुबंध की अवधि सामान्यतः 7 वर्ष होती है, जिसमें न्यूनतम ऊर्जा बचत (आमतौर पर 50%) सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, EESL द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लागत पर इन लाइट्स का निः शुल्क प्रतिस्थापन एवं रखरखाव किया जाता है।

33.4. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

[Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (Saubhagya)]

उद्देश्य	लाभार्थी	विशेषताएं
• दिसंबर, 2018 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू	• निम्नलिखित क्षेत्रों में गैर-विद्युतीकृत आवास:	• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) इस योजना के क्रियान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है।

VISION IAS

विद्युतीकरण लक्ष्य को प्राप्त करना। • सुदूर और दुर्लभ क्षेत्रों में अविद्युतीकृत आवासों के लिए सोलर फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंडअलोन सिस्टम प्रदान करना।	○ ग्रामीण क्षेत्रों, ○ सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों, तथा ○ शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों के गैर-विद्युतीकृत आवास (गैर-निर्धन शहरी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है)। • निजी क्षेत्र की विद्युत् वितरण कंपनियों (DISCOMs) सहित सभी DISCOMs • कुशल मानवशक्ति (Skilled manpower)	• निजी क्षेत्र के DISCOMs, राज्य विद्युत विभाग और RE सहकारी समितियों सहित सभी विद्युत वितरण कम्पनियाँ, DDUGJY के साथ इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। • सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के अंतर्गत कम से कम एक वंचित व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों सहित सभी को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराएगी। यद्यपि अन्य लोगों से, बिल के साथ दस बराबर किस्तों में प्रति परिवार 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। • लाभार्थी परिवारों को पांच LED लाइट, एक DC फैन और एक DC पावर प्लग प्रदान किया जाएगा। इसमें 5 वर्ष के लिए मरम्मत और रखरखाव (R&M) की सुविधा भी शामिल है। • सुदूर और दुर्लभ क्षेत्रों में स्थित अविद्युतीकृत आवासों के लिए सोलर फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के साथ LED लाइट, फैन, पावर प्लग इत्यादि प्रदान किया जाएगा।

33.5. एकीकृत विद्युत विकास योजना (शहरी क्षेत्रों के लिए)

[Integrated Power Development Scheme (For Urban Areas)]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय 24x7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	• सभी DISCOMs (इसमें निजी क्षेत्र के DISCOMs भी सम्मिलित हैं) को **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी। • इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किया गया अधिकतम अनुदान 75% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90%) है। • यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आरम्भ की गई है- ○ शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाना। ○ शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर / फीडर्स / उपभोक्ता के लिए मीटर लगाना। ○ वितरण क्षेत्र को IT सक्षम बनाना और वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करना। • इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों (वैधानिक नगरों) के लिए तैयार की जाएंगी। • इस योजना हेतु PFC (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) एक नोडल एजेंसी है।

33.6. किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना

[Kisan Urja Surksha evam Utthaan Mahaabhiyan (KUSUM) Scheme]

उद्देश्य	विशेषताएं
• इसका लक्ष्य किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के	• किसानों द्वारा **10,000 मेगावाट** सौर विद्युत् उत्पन्न करने हेतु **बंजर भूमि का उपयोग** तथा इसका ग्रिड तक विक्रय। इसके लिए DISCOMs को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन हेतु

VISION IAS

उद्देश्य से सौर कृषि जल पम्पों के उपयोग करने तथा सौर विद्युत् उत्पन्न करने के लिए बंजर भूमि का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना है।	किसानों से पांच वर्षों के लिए विद्युत क्रय के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की सहायता दी जाएगी। • सरकार किसानों को **17.5 लाख ऑफ ग्रिड सौर कृषि पम्पों** के क्रय हेतु **सब्सिडी** प्रदान करेगी। केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक सौर पंप पर 30% सब्सिडी प्रदान करेंगी। अन्य 30% ऋण के माध्यम से प्राप्त होगा जबकि लागत का 10% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। • **ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाना** जिसमें 7,250 मेगावॉट क्षमता शामिल है। • **सरकारी विभागों के ग्रिड से जुड़े जल पंपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाना।** • इस योजना के तहत कुल लागत 1.14 लाख करोड़ रूपए होगी, जिसमें से केंद्र सरकार 48,000 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

33.7. सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ़ इफिशन्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्माल इंडस्ट्रीज (साथी)

[Sustainable and Accelerated Adoption of efficient Textile technologies to Help small Industries (SAATHI)]

उद्देश्य	विशेषताएं
ऊर्जा एवं लागत बचत द्वारा लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों की क्षमता में वृद्धि करना।	• **वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत् मंत्रालय की एक संयुक्त पहल।** • **EESL ऊर्जा सक्षम पॉवरलूम, मोटर तथा रैपियर किट का थोक में** क्रय करेगी तथा उन्हें लघु और मध्यम पॉवरलूम इकाइयों को **बिना किसी अग्रिम कीमत** के उपलब्ध कराएगी। • दक्ष उपकरणों का उपयोग इकाई के स्वामी के लिए ऊर्जा और लागत की बचत के रूप में सामने आएगा और वह 4 से 5 वर्षों की अवधि के दौरान EESL को किश्तों के रूप में पुनर्भुगतान किया जायेगा। • **क्लस्टरवार प्रदर्शन आधारित** परियोजनाओं तथा कार्यशालाओं को संगठित किया जाएगा।

33.8. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

ऊर्जा (अर्बन ज्योति अभियान) ऐप URJA (Urban Jyoti Abhiyan) APP	• ऊर्जा ऐप -उपभोक्ता शिकायत निवारण, नए सेवा कनेक्शन प्रदान करना, उपभोक्ताओं के लिए विद्युत् कटौती की औसत संख्या, उपभोक्ताओं के लिए विद्युत् कटौती की औसत अवधि, उपभोक्ता द्वारा किए गए ई-भुगतान, ऊर्जा क्षति/बिजली चोरी इत्यादि पर- सूचना उपलब्ध करवाता है।
मेरिट (आय एवं पारदर्शिता के कायाकल्प के लिए बिजली का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच) वेब पोर्टल	• राज्यों द्वारा पारदर्शी रूप से डिस्पैच्ड जनरेशन (dipatched generation) के वास्तविक आंकड़ों को प्रदर्शित करता है तथा राज्यों को उनके विद्युत् खरीद पोर्टफोलियो में सुधार के लिए अवसर प्रदान करता है।

34. रेल मंत्रालय

(Ministry of Railways)

34.1. अवतरण

(Avataran)

उदेश्य	महत्वपूर्ण विशेषताएं
सात मिशन मोड गतिविधियों के माध्यम	इसे 2016-17 के बजट में आरम्भ किया गया था तथा इसके अंतर्गत निम्नलिखित मिशन शामिल हैं: • **मिशन 25 टन-** इसका लक्ष्य ढुलाई क्षमता में वृद्धि के द्वारा राजस्व में बढ़ोत्तरी करना है। इसकी प्राप्ति

से भारतीय रेल का रूपांतरण।	हेतु 2016-17 में 25 टन एक्सल लोड वैगनों (डब्बों) द्वारा 10 से 20% माल (वस्तुओं की) ढुलाई की जाएगी। वित्त वर्ष 2019-20 तक 70% माल ढुलाई परिवहन को उच्च एक्सल लोड वाले वैगनों में स्थानांतरित किया जाएगा। • **मिशन जीरो एक्सीडेंट:** इसमें दो उप-मिशन शामिल होंगे- 1. मानवरहित लेवल क्रासिंग्स को समाप्त करना: इस मिशन के तहत आगामी 3-4 वर्षों में बड़ी लाईन (ब्रॉड गेज) के सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग्स को समाप्त कर दिया जाएगा। 2. TCAS (रेल टक्कररोधी प्रणाली): गाड़ियों की आमने-सामने की टक्कर की रोकथाम हेतु तथा एवरेज सेक्शनल स्पीड बढ़ाकर थ्रूपुट (throughput) में सुधार हेतु स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। • **मिशन PACE (खरीद और खपत में कुशलता):** इस मिशन का लक्ष्य वस्तु एवं सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर कर हमारी खरीद और खपत कार्यप्रणालियों में सुधार करना है। • **मिशन रफ्तार:** इस मिशन के तहत माल गाड़ियों की औसत रफ्तार दोगुनी की जाएगी तथा सुपरफ़ास्ट मेल/एक्सप्रेस आदि गाड़ियों की रफ्तार को अगले 5 वर्षों में 25 किमी प्रति घंटा तक बढ़ाया जाएगा। आगामी पांच वर्षों में लोको चालित पैसेंजर गाड़ियों को DEMU/MEMU द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। यह रेल प्रणाली की आवागमन क्षमता में वृद्धि हेतु मिशन 25 टन की पूरक होगी। • **मिशन हंड्रेड:** इस मिशन के अंतर्गत रेलवे द्वारा अगले 2 वर्षों में कम से कम 100 साइडिंग्स (रेल की दूसरी छोटी पटरी) को प्रारम्भ किया जायेगा। • **मिशन बियॉन्ड बुक कीपिंग:** इसके अंतर्गत एक लेखाकंन प्रणाली का उपयोग किया जायेगा जहाँ परिणामों से आगतों (inputs) तक पहुंचा जा सकता है। यह भारतीय रेलवे में बदलाव लाएगा क्योंकि सही लेखांकन से उचित लागत निर्धारित होगा और इस प्रकार उचित मूल्य निर्धारण एवं सही परिणाम प्राप्त होंगे। • **मिशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन:** इसका उद्देश्य नवीन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने हेतु एक रूपरेखा का निर्माण करना है जिसको दिल्ली-मुंबई तथा दिल्ली-कोलकाता के मध्य दो समर्पित फ्रेट गलियारों के माध्यम से विकसित किया जायेगा। इन गलियारों को 2019 तक चालू कर दिया जाएगा।

34.2. यात्री मित्र सेवा

(Yatri Mitra Sewa)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• वृद्ध एवं नि:शक्तजन यात्रियों (जिन्हें स्टेशनों पर सहायता की आवश्यकता होती है) को सहायता उपलब्ध करवाना।	• यात्री मित्र, या तो एक सहायक अथवा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) द्वारा उपलब्ध करवाया गया कोई अन्य व्यक्ति या IRCTC द्वारा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किया गया सेवा प्रदाता हो सकता है। • IRCTC यह सेवा निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अंतर्गत NGO, PSUs इत्यादि के माध्यम से नि:शुल्क उपलब्ध करवाएगी। यदि वहां उचित मदद उपलब्ध नहीं होती है तो IRCTC एक सेवा प्रदाता के माध्यम से या स्वयं, इस सेवा का भुगतान द्वारा प्रबंध कर सकती है। • नि:शक्तजनों, रुग्ण तथा वृद्ध व्यक्तियों को यात्री मित्र द्वारा व्हील चेयर सह कुली सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएँगी।

34.3. अन्य योजनाएँ

(Other Schemes)

योजनाएँ	विशेषताएं
स्फूर्ति	• स्फूर्ति या स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन एंड रियल टाइम इन्फॉर्मैशन माल प्रबंधकों हेतु एक ऐप है जो GIS व्यूज और

(SFOORTI)	डैशबोर्ड का प्रयोग करते हुए माल ढुलाई व्यवसाय की निगरानी और प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है।
प्रोजेक्ट सक्षम	• इस योजना के तहत प्रत्येक रेलवे जोन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को अगले एक वर्ष में उनके कार्य-क्षेत्र के अनुरूप कौशल एवं ज्ञान अर्जन हेतु साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
प्रोजेक्ट स्वर्ण	• इस योजना को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों की स्थिति में उन्नयन हेतु प्रारंभ किया गया है। • प्रोजेक्ट स्वर्ण का उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से यात्री अनुभवों में सुधार करना है जिसमें 9 आयाम शामिल हैं। इसके अंतर्गत कोच की आन्तरिक साजसज्जा, शौचालय,ऑनबोर्ड सफाई, कर्मचारी व्यवहार, खानपान, लिनेन, समय-पाबंदी, सुरक्षा तथा ऑनबोर्ड मनोरंजन शामिल हैं।
निवारण-शिकायत पोर्टल	• रेलक्लाउड पर आरम्भ किया गया यह पहला आईटी (IT) ऐप है। यह सेवारत तथा पूर्व रेलवे कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान हेतु एक प्लेटफार्म है।

35. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(Ministry of Road Transport and Highways)

35.1. भारतमाला परियोजना

(Bharatmala Pariyojna)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
राजमार्ग क्षेत्रक (हाईवे सेक्टर) हेतु यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतरालों को समाप्त कर सम्पूर्ण देश में माल और यात्री आवागमन क्षमता के बेहतर उपयोग पर केन्द्रित है।	• भारतमाला के चरण-1 में लगभग 24,800 कि.मी. सड़क निर्माण प्रस्तावित है, जिसे 2017-18 से 2021-22 की पांच वर्षों की अवधि में क्रियान्वयित किया जाएगा। • इसके अतिरिक्त भारतमाला परियोजना चरण-1 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के तहत 10,000 कि.मी. के शेष सड़क कार्य भी शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 34,800 कि.मी. है। • भारतमाला परियोजना श्रेणी: ○ आर्थिक गलियारा ○ शाखापथ (feeder) मार्ग या आन्तरिक गलियारा ○ राष्ट्रीय गलियारा क्षमता सुधार ○ सीमा सड़क तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क ○ बन्दरगाह सम्पर्क तथा तटीय सड़क ○ हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे ○ शेष NHDP कार्य • उत्तर-पूर्व में कनेक्टिविटी सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना तथा अंतर्देशीय जलमार्गों के सहयोग से लाभ प्राप्त करना। • पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों, आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों, धार्मिक और पर्यटन रुचि के स्थलों, पड़ोसी देशों के साथ व्यापार मार्गों आदि कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना। • भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा **लॉजिस्टिक्स इफिशिएन्सी एन्हैन्स्मेंट प्रोग्राम (LEEP)** प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम का

VISION IAS

	लक्ष्य अवसंरचना, प्रक्रियात्मक और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) हस्तक्षेपों के माध्यम से वस्तुओं की कंसाइनमेंट लागत, समय, ट्रैकिंग एवं स्थानान्तरणीयता में सुधार करना तथा भारत में माल ढुलाई में वृद्धि करना है। • राजमार्ग परियोजनाओं में घरेलू और विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से NHAI द्वारा एक **राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश संवर्द्धन प्रकोष्ठ (National Highways Investment Promotion Cell: NHIPC)** का गठन किया गया है। • प्रकोष्ठ, सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश सहभागिता के निर्माण हेतु वैश्विक संस्थागत निवशकों, निर्माण कंपनियों, विकासकर्ताओं तथा निधि प्रबंधकों के साथ सहयोग प्राप्त करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा। यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आवश्यक 5,35,000/- करोड़ रूपए के निवेश हेतु निधि जुटाने में भी सहयोग प्रदान करेगा।

35.2. अन्य योजनायें

(Other Schemes)

सेतु भारतम	• राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध यात्रा हेतु सेतुओं (पुलों) का विकास और सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना। • इस कार्यक्रम के अंतर्गत 20,800 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर 208 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB)/रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) का निर्माण किया जाएगा। • साथ ही लगभग 30,000 करोड़ रुपये की लागत से करीब 1500 पुराने और जीर्ण-शीर्ण पुलों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करके/चौड़ा करके या मजबूत करके सुधारा जायेगा।
चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट	• सरकार ने ऋषिकेश से चारधाम की ओर (केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, जिसमें टनकपुर और पिथौरागढ़ क्षेत्र भी शामिल हैं) जाने वाले राजमार्ग को दो लेन में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इसको 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भूस्खलन प्रबंधन और अन्य सड़क सुरक्षा उपायों के प्रावधान भी शामिल हैं जिससे तीर्थयात्रियों और रक्षा बलों के सुगम आवागमन हेतु सभी मौसमों में सड़क संपर्क संभव हो सकेगा।
इन्फ्राकॉन (INFRACON)	• यह इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्मों और प्रमुख कार्मिकों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल है। यह सड़क इंजीनियरिंग तथा निर्माण क्षेत्र में काम कर रही कंसल्टेंसी फर्मों तथा परियोजना तैयार करने और पर्यवेक्षण हेतु तैनात किए गए डोमेन विशेषज्ञों एवं प्रमुख कर्मियों के बीच एक प्रकार के सेतु का कार्य करता है।
इनाम प्रो (INAM PRO)	• यह एक प्रकार का वेब-आधारित बाजार स्थल (मार्केट प्लेस) है जो सामग्री प्रदाताओं और संभावित खरीदारों को एक साथ एक उभयनिष्ठ प्लेटफार्म पर लाता है। • इसका उद्देश्य केंद्र/राज्य द्वारा वित्तपोषित सड़कों, राजमार्गों तथा पुलों के निर्माण की परियोजनाओं के निष्पादन में संलग्न ठेकेदारों एवं सीमेंट खरीदारों हेतु पंजीकृत सीमेंट कंपनियों को सीमेंट के लिए ऑनलाइन ऑर्डर देने की सुविधा प्रदान करना है। ये कम्पनियाँ परियोजना स्थल के निकट ही प्रतिस्पर्द्धी दर पर सीमेंट बिक्री के प्रस्ताव रखती हैं। • सीमेंट के साथ INAM PRO की सफलता को देखते हुए, स्टील और स्टील स्लैग जैसी अन्य सामग्रियों को भी इस मंच पर लाया गया है ताकि इसे अवसंरचना प्रदाताओं के लिए व्यापक ई-मार्केट प्लेस के रूप में स्थापित किया जा सके।

VISION IAS

36. ग्रामीण विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT)

36.1. सांसद आदर्श ग्राम योजना

[Saansad Adarsh Gram Yojana (SAANJHI)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उन प्रक्रियाओं में तेजी लाना जो चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास को बढ़ावा देती हैं। • निम्नलिखित उपायों के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार- ○ उन्नत बुनियादी सुविधाएँ ○ उच्चतर उत्पादकता ○ संवर्द्धित मानव विकास ○ बेहतर आजीविका के अवसर ○ असमानता में कमी ○ अधिकारों और दावों तक पहुंच ○ व्यापक सामाजिक गतिशीलता ○ समृद्ध सामाजिक पूंजी • स्थानीय स्तर के विकास और प्रभावी स्थानीय शासन के मॉडल को विकसित करना जो निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को सीखने और उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकें।	• इसके तहत मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य है।जिनमें से एक आदर्श गौण को 2016 तक विकसित किया जाना था। तत्पश्चात, प्रति वर्ष एक का चयन करके 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का विकास किया जाना है। • विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। इसकी आबादी मैदानी क्षेत्रों में 3000-5000 और पहाड़ी, आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी। • इसके तहत संसद के प्रत्येक सांसद एक ग्राम पंचायत को तत्काल चुनेंगे तथा दो अन्य को कुछ समय पश्चात् चुना जाएगा। • लोकसभा सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र से और राज्यसभा सांसद को जहां से वह चुना गया है वहां अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण इलाके से ग्राम पंचायत का चयन करना है। • मनोनीत सांसद देश के किसी भी जिले के ग्रामीण इलाके से ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं। • शहरी निर्वाचन क्षेत्रों (जहां ग्राम पंचायत नहीं हैं) के मामले में, सांसद निकट के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे। • इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम विकास योजना के माध्यम से किया जाएगा जो प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के लिए तैयार किया जाएगा। • विकास रणनीति का मॉडल आपूर्ति-संचालित न होकर मांग-संचालित होगा। • SAANJHI का लक्ष्य कुछ मूल्यों को बढ़ावा देना है, जैसे कि ○ जन भागीदारी, ○ अंत्योदय, ○ लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, ○ सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा की भावना, ○ स्वच्छता, पर्यावरण हितैषी, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, ○ शांति और सद्भाव, पारस्परिक सहयोग, ○ आत्मनिर्भरता, स्थानीय स्व-शासन , ○ सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही, आदि

36.2. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

(Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• ऐसे योग्य एवं असम्बद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी मौसमों हेतु सड़कों की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, जिनकी जनसंख्या: ○ मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक हो।	• पूर्णरूपेण वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना। • इस योजना के वित्तीयन हेतु हाई स्पीड डीजल पर प्रति लीटर 75 पैसे का उपकर (सेस) आरोपित किया गया है। • इस कार्यक्रम के लिए राजस्व गांव की जगह अधिवास (habitation) को प्राथमिक इकाई बनाया गया है। • इसका एक घटक उन्नयन (अपग्रेडेशन) भी है जिसका लक्ष्य खेत से बाजार की पूर्ण कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ग्रामीण सड़कों को उन्नत (अपग्रेड) करना है। PMGSY-II का उद्देश्य सड़क नेटवर्क को जीवंत बनाने के लिए एक मानदंड के आधार पर

PT 365 - सरकारी योजनाएं

○ पहाड़ी राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछड़े जिलों में 250 या उससे अधिक हो।	मौजूदा चयनित ग्रामीण सड़कों के उन्नयन को कवर करना है। • PMGSY ग्रामीण सड़कों के निर्माण में "हरित तकनीक" और गैर-परंपरागत सामग्री जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स, जिओ-टेक्सटाइल, फ्लाई-ऐश, आयरन और कॉपर स्लैग इत्यादि को व्यापक रूप से प्रोत्साहित कर रही है।

36.3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

(Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और सुनियोजित रुर्बन क्लस्टर निर्मित करना	• इसका उद्देश्य देश भर में 300 ग्रामीण विकास समूहों (रूरल ग्रोथ क्लस्टर) का निर्माण करना है, जिसका लक्ष्य: ○ आर्थिक, तकनीकी और सुविधाओं एवं सेवाओं से संबंधित **ग्रामीण-शहरी विभाजन** को समाप्त करना ○ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का प्रसार। ○ ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना। ○ ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी में कमी के साथ स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। • एक 'रुर्बन क्लस्टर', भौगोलिक दृष्टि से समीपवर्ती गांवों का समूह होगा। मैदानी और तटीय क्षेत्रों में इसकी जनसंख्या लगभग 25000 से 50000 तथा रेगिस्तान, पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्रों में यह 5000 से 15000 होगी। • राज्य सरकारों द्वारा क्लस्टर का चयन किया जाएगा। • राज्य सरकार क्लस्टर के विकास के लिए प्रासंगिक वर्तमान केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की योजनाओं की पहचान करेगी और एक एकीकृत और समयबद्ध तरीके से उनके कार्यान्वयन को अभिसरित (converge) करेगी। • केंद्र सरकार परिणामों को प्राप्त करने में विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध वित्त पोषण में कमी की पूर्ति हेतु क्लस्टर को क्रिटिकल गैप फंडिंग (CGF) प्रदान करेगी। • यह योजना क्लस्टर के इष्टतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए 14 अनिवार्य घटकों के साथ कार्य करेगी। इसमें आर्थिक गतिविधियों से सम्बंधित कौशल विकास प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य इकाई और अंतर-गांव सड़क संबद्धता शामिल हैं।

36.4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

[Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
MGNREGS के मुख्य उद्देश्य हैं: • मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में एक गारंटीशुदा रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिनों का अकुशल मैन्युअल कार्य उपलब्ध कराना, जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थायित्व की उत्पादक	• इसके लक्ष्य : ○ मजदूरी के माध्यम से रोजगार के अवसरों की गारंटी प्रदान कर **ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा।** ○ स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण कार्य को बढ़ावा देकर रोजगार अवसरों के निर्माण के माध्यम से **ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।** ○ ग्रामीण क्षेत्रों के **प्राकृतिक संसाधन आधार का कायाकल्प।** ○ **एक स्थायी और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्ति आधार** का निर्माण। ○ अधिकार-आधारित कानूनों की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से वंचित वर्गों, विशेष रूप से, महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजातियों

संपत्तियों का निर्माण हो; • गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना; • अग्रसक्रिय रूप से सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; तथा • पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ बनाना।	(ST) का सशक्तिकरण। ○ विभिन्न गरीबी और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत, सहभागितापूर्ण आयोजन को सुदृढ़ करना। ○ पंचायती राज संस्थानों को सशक्त कर जमीनी स्तर पर **लोकतंत्र को सुदृढ़ करना**। • ग्राम पंचायत जांच के बाद परिवारों (हाउसहोल्ड) को पंजीकृत करती है और जॉब कार्ड जारी करती है। • मनरेगा के कार्यों का **सामाजिक लेखापरीक्षा** अनिवार्य है। • कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी। • रोजगार 5 किमी के दायरे में प्रदान किया जाएगा और यदि दूरी 5 किमी से अधिक है तो अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। • जब तक कि केंद्र मजदूरी दर को अधिसूचित न करे,राज्य में कृषि मजदूरों को भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अनुसार किया जायेगा। • यदि आवेदन करने या कार्य मांगे जाने के पंद्रह दिनों के अन्दर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो आवेदनकर्ता बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी होता है। बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। • मजदूरी और निर्माण सामग्री (wage and material ratio) में 60:40 के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए। कोई ठेकेदार और मशीनरी अनुमन्य नहीं है। • केंद्र सरकार कुशल और अर्द्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित अकुशल मैनुअल श्रम की 100 प्रतिशत मजदूरी लागत और भौतिक लागत के 75 प्रतिशत का वहन करती है। • सरकार ने विभिन्न राज्यों में अधिसूचित सूखा प्रभावित जिलों में 100 दिनों से अधिक दिनों (150 दिनों तक) के लिए अतिरिक्त रोजगार को मंजूरी दे दी है। • GeoMGNREGA मनरेगा के तहत निर्मित संपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से MoRD का एक अनूठा प्रयास है।

36.5. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

[Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• 2022 तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी बेघर गृहस्वामियों तथा कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों वाले परिवारों को एक पक्का घर उपलब्ध कराना। • तात्कालिक उद्देश्य 2016-17 से 2018 -19 तक तीन वर्षों में ऐसे 1 करोड़ परिवारों को कवर करना है जो कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे हैं।	• मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और IAP जिलों में 1.30 लाख रूपये प्रति यूनिट की सहायता। लाभार्थी वित्तीय संस्थानों से 7000 रुपये तक के ऋण का लाभ भी उठा सकते हैं। • **शौचालयों के निर्माण के लिए** स्वच्छ भारत ग्रामीण, MGNREGS या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत के अभिसरण के माध्यम से सहायता (12000 रुपये)। • यूनिट सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकार के मध्य मैदानी क्षेत्रों में 60:40 और उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है। • लाभार्थियों के चयन हेतु सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), 2011 में आवास वंचन मानकों का उपयोग किया जाना है जिन्हें ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किया जायेगा। • लाभार्थी, MGNREGS के माध्यम से 90/95 दिवस के अकुशल श्रम के हकदार हैं। • यह **स्थानीय सामग्रियों और स्थानीय घर के डिजाइनों का उपयोग** करके आवास निर्माण की अनुमति देता है। लाभार्थी को घर के डिजाइन के साथ घर के डिजाइन के प्रकार, जो आपदा प्रत्यास्थ (resiilient)सुविधाओं सहित उनकी स्थानीय भू-जलवायु स्थितियों के लिए उपयुक्त हैं,

VISION IAS

	के सम्बन्ध में सहायता प्रदान की जाती है। • राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में राजगीरों के अखिल भारतीय प्रशिक्षण और प्रमाणन का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। • कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी समुदाय भागीदारी (सामाजिक लेखा परीक्षा), संसद सदस्य (DISHA समिति), केंद्रीय और राज्य सरकार के अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरिंग आदि के माध्यम से की जानी है।

36.6. मिशन अंत्योदय

(Mission Antyodaya)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आजीविका की विविधता और विभिन्न साधन विकसित करके परिवारों को गरीबी से बाहर लाने के लिए **तीव्र ग्रामीण परिवर्तन,** जो मापनीय परिणामों के माध्यम से जीवन और आजीविका को परिवर्तित कर देगा। • संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से समयबद्ध रूप में गरीबी के विभिन्न आयामों को संबोधित करने के लिए, वित्तीय और मानवीय, दोनों तरह के परिवर्तनकारी बदलावों को अवसर प्रदान करना।	• यह वास्तविक ग्रामीण परिवर्तन के लिए मापनीय परिणाम पर आधारित **राज्य की अगुवाई वाला उत्तरदायित्व एवं अभिसरण (एकाउंटेबिलिटी एंड कंवर्जेंस) फ्रेमवर्क है,** जो 5,000 ग्रामीण क्लस्टर अथवा 50 हजार ग्राम पंचायतों में निवास करने वाले 1 करोड़ परिवारों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए 1000 दिनों का लक्ष्य निर्धारित करता है। • ग्राम पंचायत (GP) परिवर्तन की निगरानी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों (objective criteria) के आधार पर रैंकिंग के लिए मूल इकाई है। • केंद्रीय और राज्य सरकारों के 25 से अधिक विभाग और मंत्रालय इस मिशन में अपने विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से भाग लेंगे। **अभिकल्पित किये गए प्रमुख परिणाम** • ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDPs) / क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करके चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टर्स के लिए सुदृढ़ अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करना। • GP/क्लस्टर में व्यापक हितधारकों को आकर्षित करने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक पूंजी में वृद्धि हेतु सहभागितापूर्ण योजना निर्माण। • गैर-कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं का कौशल विकास, मूल्य श्रृंखलाओं (वैल्यू चैन) का विकास और उद्यमों को प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न आजीविकाओं के सृजन के माध्यम से आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना। • पंचायती राज्य संस्थाओं (PRIs) की क्षमता के विकास, सार्वजनिक प्रकटीकरण, ग्राम पंचायत स्तर के औपचारिक और सामाजिक जवाबदेही उपाय (जैसे सामाजिक लेखापरीक्षा) के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना। **मिशन अंत्योदय के तहत प्रमुख प्रक्रियाएँ** • परिवारों का बेसलाइन सर्वेक्षण करना और समय-समय पर प्रगति की निगरानी करना। • ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्षित कार्यक्रमों/योजनाओं के समेकन को सुनिश्चित करना। • PRIs, सामुदायिक संगठनों, NGOs, स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संस्थानों और विभिन्न विभागों (जैसे ASHA कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि) के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं के मध्य ग्राम पंचायत/क्लस्टर साझेदारी को संस्थागत बनाना। • संस्थानों और पेशेवरों के साथ भागीदारी के माध्यम से उद्यमों को बढ़ावा देना। • राज्य सरकारों की साझेदारी के साथ, ग्रामीण विकास विभाग ने भौतिक अवसंरचना, मानव विकास और आर्थिक गतिविधियों के मानकों पर 50,000 ग्राम पंचायतों की रैंकिंग पूरी की है।

VISION IAS

36.7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(National Social Assistance Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और एकमात्र अर्जक व्यक्ति की मृत्यु से प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए।	वर्तमान में इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** (IGNOAPS): IGNOAPS के लिए पात्रता आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष और 79 वर्ष के बीच के लोगों के लिए पेंशन 200 रुपये है तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए प्रति माह 500 रुपये है। • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** (IGNWPS): पात्रता आयु 40 वर्ष है और पेंशन 300 रुपये प्रति माह है। 80 वर्ष की उम्र के बाद, लाभार्थी को प्रति माह 500 रुपये मिलेंगे। • **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना** (IGNDPS): पेंशन के लिए पात्रता आयु 18 वर्ष और उससे अधिक तथा विकलांगता का स्तर 80% होना चाहिए। पेंशन की राशि प्रति माह 300 रुपये है और 80 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माह मिलेगा। इस पेंशन के लिए बौनापन भी एक योग्य पात्र श्रेणी होगी। • **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS):** परिवार के एकमात्र अर्जक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्रभावित परिवार को 20000 रुपये की एकमुश्त राशि सहायता के रूप में दी जाएगी। • **अन्नपूर्णा योजना**: प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह 10 किलो अनाज (गेहूं या चावल) दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन योग्य वृद्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो IGNOAPS के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

36.8. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

[Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• गरीब परिवारों की लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी के रोजगार अवसरों तक पहुंच को सक्षम बना कर ग्रामीण गरीबी को कम करना • 2024-25 तक 10-12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूहों में संगठित करना। • सशक्त समुदाय संस्थानों के निर्माण के माध्यम से गरीबों की आजीविका में सतत सुधार लाना। • ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म	• **यूनिवर्सल सोशल मोबिलाईज़ेशन-** प्रत्येक चिह्नित गरीब ग्रामीण परिवार में से कम से कम एक महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्वयं सहायता समूह (SHG) नेटवर्क के अंतर्गत लाया जाना है। सुभेद्य समुदायों पर विशेष बल दिया जाता है। • **निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण-** NRLM द्वारा लक्षित परिवारों (NTH) की पहचान हेतु BPL के बजाय निर्धनों की पहचान के लिये सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण (Participatory Identification of Poor: PIP) अपनाया जाता है। PIP एक समुदाय संचालित प्रक्रिया है जहां CBOs स्वयं सहभागितापूर्ण ढंग से गांव में गरीबों को चिह्नित करते हैं। CBOs द्वारा पहचाने गए गरीबों की सूची का निरीक्षण ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। • यह **रिवॉलविंग फंड (RF)** और **सामुदायिक निवेश कोष (CIF)** के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है, जिससे उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया जा सके और मुख्यधारा के बैंक वित्त को आकर्षित करने के लिए अपना ट्रैक रिकॉर्ड निर्मित कर सकें। • **वित्तीय समावेशन-** यह गरीबों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है तथा SHGs और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है • **आजीविका-** NRLM कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबों के मौजूदा आजीविका पोर्टफोलियो को स्थिर करने और प्रोत्साहित करने; बाह्य आजीविका बाजारों के लिए कौशल निर्माण; और स्व-नियोजित एवं उद्यमियों को पोषित करने (सूक्ष्म उद्यमों के लिए) पर ध्यान केंद्रित करता है।

VISION IAS

स्थापित करना जो उन्हें आजीविका में वृद्धि तथा वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाते हैं। • 7.0 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुँच स्थापित करना जिनमें से 4.5 करोड़ अभी भी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से जोड़े नहीं जा सके हैं।	• यह **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP)** को क्रियान्वित करता है। इस उद्देश्य के लिए NRLM कोष का 25% भाग निर्धारित है। ASDP ग्रामीण युवाओं के कौशल और अर्थव्यवस्था के बढ़ते क्षेत्रों में अपेक्षाकृत उच्च वेतन रोजगार में नियुक्ति की सुविधा प्रदान करता है। • NRLM, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को **ग्रामीण विकास स्व-रोजगार संस्थान (RUDSETI) मॉडल** के आधार पर देश के सभी जिलों में **ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। • NRLM, **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम से** सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता को बढ़ाती है। MKSP का लक्ष्य निर्धन तथा निर्धनतम के लिए घरेलू भोजन और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। • **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना** को NRLM के उप-समुच्चय (सब-सेट) के रूप में डिजाइन किया गया है। इससे **'अवधारणा का प्रमाण' (प्रूफ ऑफ़ कॉन्सेप्ट)** बनाया जा सकेगा, केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का निर्माण किया जा सकेगा तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को NRLM में स्थानांतरित (transit) करने हेतु एक सक्षम वातावरण बनाया जा सकेगा। NRLM को देश में लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों के लिए 13 उच्च निर्धनता वाले राज्यों में लागू किया जाएगा।

36.9. जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति

[District Development Coordination And Monitoring Committee (DIsHA)]

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• जिलों के कुशल और समयबद्ध विकास के लिए संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय शासन (पंचायती राज संस्थानों / नगर निकायों) के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना।	• DISHA का अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नामित, जिले से निर्वाचित संसद सदस्य (लोकसभा) होना चाहिए। • जहां जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक सांसद (लोकसभा) हैं, वहां वरिष्ठ सदस्य (लोकसभा) को अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। • जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सांसदों (लोकसभा) को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। • ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा के एक सांसद, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है और उस जिले की जिला स्तरीय समिति (पहले आओ पहले पाओ) के साथ सम्बद्ध होने का विकल्प चुनता है, को सह-अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। • इस समिति के पास समन्वय और निगरानी की शक्तियां होंगी।इसकी भूमिका अनुमोदित परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की है। साथ ही इसके पास विचार-विमर्श के दौरान उठाए गए मुद्दों के प्रभावी रूप से अनुपालन (follow-up) की शक्तियां भी होंगी। • जिलाधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा तथा अनुशंसाओं पर समयबद्ध रूप से आगे की कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा। • वरिष्ठता क्रम में DISHA, जिला सतर्कता और निगरानी समिति से ऊपर है। • DISHA के अंतर्गत भारत सरकार की सभी गैर-सांविधिक योजनाओं को शामिल किया जाएगा जिनका प्रशासन सामान्य रूप से किया जाता है। हालाँकि, किसी विधान के तहत विशेष रूप से आवंटित योजनाओं के कार्यों को निगरानी के लिए किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा जा सकता है।

VISION IAS

36.10. DAY- NRLM के अंतर्गत अन्य योजनाएं

(Other Schemes under DAY- NRLM)

36.10.1. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

(Aajeevika Grameen Express Yojana: AGEY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्यों द्वारा चिह्नित किये गए पिछड़े ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने की सुविधा देकर DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सदस्यों को आजीविका का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना। • DAY-NRLM के ढांचे के भीतर उपलब्ध साधनों का उपयोग करके प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं के साथ दूरस्थ गांवों को जोड़ने के लिए सुरक्षित, किफायती और सामुदायिक निगरानी युक्त ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करना।	• कार्यक्रम के तहत, DAY-NRLM योजना के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत समुदाय आधारित संगठनों (CBOs) को प्रदान किए गए सामुदायिक निवेश कोष (CIF) का उपयोग SHG के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को संचालित करने के लिए किया जाएगा। • यह कार्यान्वयन के लिए दो विकल्प प्रदान करता है। **विकल्प I:** • CBOs द्वारा वाहन को CIF कॉर्पस (CIF corpus) से वित्त पोषित किया जाएगा। CBO वाहन को खरीदेंगे और उसका स्वामित्व उनके पास ही होगा तथा SHG सदस्य को यह पट्टे पर दिया जायेगा। • लाभार्थी SHG सदस्य वाहन को चयनित मार्ग पर संचालित करेगा और CBO को पट्टे का मासिक किराया देगा। • पट्टा किराये के माध्यम से वाहन लागत के पूर्ण भुगतान के बाद वाहन के स्वामित्व के विषय में निर्णय CBO द्वारा लिया जाएगा। **विकल्प II:** • CBO वाहन की खरीद के लिए SHG सदस्य को अपने CIF कॉर्पस से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। • SHG सदस्य अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में ऋण का भुगतान करेगा और वाहन के संचालन से जुड़े सभी खर्चों का वहन करेगा, जिसमें बीमा की वार्षिक लागत, सड़क कर, परमिट लागत, रख-रखाव लागत और वाहन की अन्य सभी लागतें शामिल हैं (जैसे, ईंधन, तेल, आदि)। • ऋण चुकाने के पश्चात् ,वाहन का स्वामित्व SHG सदस्य को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

36.10.2. स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम

(Startup Village Entrepreneurship Programme: SVEP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उद्यम सलाहकार सेवाओं, बैंक/SHG एवं फेडरेशन से ऋण प्रदान कर तथा ICT तकनीकों और उपकरणों के एकीकरण के माध्यम से ग्राम उद्यमिता संवर्द्धन के लिए टिकाऊ मॉडल विकसित करके ग्रामीण गरीबों को अपने उद्यम स्थापित करने में सक्षम	• यह व्यापक रूप से वित्तीय संपर्कों, क्षमता निर्माण, विकास प्रक्रियाओं एवं उद्यम-ट्रैकिंग के तंत्र तथा प्रत्यास्थ (resilient) ग्रामीण उद्यमों के निर्माण के लिए समुदाय आधारित सलाहकारी समर्थन/सेवाएं प्रदान करने पर आधारित है। • इसमें शामिल हैं- ○ बाजार संभाविता मूल्यांकन और उद्यमों के प्रदर्शन की ट्रैकिंग के लिए एक IT-सक्षम प्लेटफ़ॉर्म की डिज़ाइन।

VISION IAS

बनाना। • ग्राम स्तरीय सामुदायिक कैडर (CRP EP) के पूल को प्रशिक्षण देकर स्थानीय संसाधनों को विकसित करना और CRP EP के कार्य की निगरानी और निर्देशन करने के लिए NRLM और SHG संघों में क्षमता निर्माण करना। • ग्रामीण उद्यमियों को अपने उद्यमों को शुरू करने के लिए वित्त हेतु NRLM SHG संघों एवं बैंकिंग तंत्र तक पहुंच स्थापित करने में सहायता करना।	○ एक ब्लॉक संसाधन केंद्र (BRC) का निर्माण। यह सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करने और ग्रामीण उद्यमियों के लिए बैंक के साथ संपर्क के साथ महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए एक उत्तरदायी स्थानीय संस्थान के रूप में कार्य करेगा। ○ एक समर्पित सामुदायिक उद्यम निधि (CEF) जो नए और वर्तमान उद्यमियों को सुलभ प्रारंभिक पूँजी प्रदान करती है। ○ कृषि उपज, कलात्मक उत्पादों, गैर-काष्ठ वन उत्पादन तथा अन्य वस्तुओं और सेवाओं में अपेक्षित उप-क्षेत्रीय हस्तक्षेप • यह प्रारम्भ में 5 वर्षों 2014 -15 से 2018-19 की अवधि के दौरान देश के 24 राज्यों के 125 ब्लाकों में 1,82,200 ग्राम उद्यमों के निर्माण और वृद्धि का समर्थन कर रहा है।

36.10.3. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

(Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• **कौशल अंतराल** को भरना। यह अंतराल भारत के ग्रामीण गरीबों को आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है, उदाहरणार्थ: औपचारिक शिक्षा और विपणन योग्य कौशल का अभाव।	• ग्रामीण युवा: 15 - 35 वर्ष • SC/ST/महिला/PCTG/PWD: 45 वर्ष तक	• **प्लेसमेंट से सम्बद्ध कौशल निर्माणकारी परियोजनाओं (placement linked skilling projects) के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान करता है। • ग्रामीण गरीबों को **मांग आधारित** नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण • **सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (SC/ST 50%; अल्पसंख्यक 15%; महिला 33%) • नौकरी में बने रहने (job retention), करियर प्रगति और विदेशी नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। • कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए **प्लेसमेंट की गारंटी** • प्लेसमेंट के बाद समर्थन, प्रव्रजन (माइग्रेशन) में समर्थन और एलुमिनाई नेटवर्क • नए प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं को पोषित करना और उनके कौशल को विकसित करना • जम्मू-कश्मीर (हिमायत), उत्तर-पूर्व क्षेत्र और 27 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों (रोशनी) में गरीब ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक बल देना • स्वतंत्र तृतीय पक्षीय मूल्यांकन और प्रमाणन को अनिवार्य करता है। • 3-स्तरीय कार्यान्वयन मॉडल: ○ MoRD में DDU-GKY नेशनल यूनिट नीति निर्माण, तकनीकी सहायता और सुविधा प्रदाता एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ○ DDU-GKY राज्य मिशन कार्यान्वयन समर्थन प्रदान करते हैं; तथा ○ परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (PIAs), कौशल निर्माणकारी (स्किलिंग) और प्लेसमेंट परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करती हैं।

VISION IAS

37. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

37.1. नेशनल बायोफार्मा मिशन

(National Biopharma Mission)

उद्देश्य	योजना का फोकस	प्रमुख विशेषताएं
• बायो-फार्मास्यूटिकल्स में भारत की तकनीकी और उत्पाद विकास क्षमताओं को तैयार करने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र को सक्षम और पोषित करना। यह अगले दशक में **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी होगा और सस्ते उत्पाद विकास** के माध्यम से भारतीय जनसंख्या के स्वास्थ्य मानकों को रूपांतरित कर देगा। • इस क्षेत्रक में उद्यमिता और **स्वदेशी विनिर्माण** को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षमकारी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण। • अन्य उद्देश्यों में शामिल हैं- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बौद्धिक संपदा प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण और विकास, मानव पूंजी का निर्माण तथा उत्पाद खोज सत्यापन और विनिर्माण, दोनों, के लिए साझा आधारभूत संरचना सुविधाएं स्थापित करना।	• बीमारियों के बढ़ते बोझ को दूर करने के लिए नए टीकों, जैव-चिकित्सा शास्त्र, नैदानिकी और चिकित्सा उपकरणों को विकसित करना। • **उत्कृष्टता (अकादमिक) के** अलग-अलग केंद्रों को एक साथ लाने, **क्षेत्रीय क्षमताओं को बढ़ाने और क्षमता निर्माण के साथ-साथ संख्या और गुणवत्ता के संदर्भ में वर्तमान बायो-क्लस्टर नेटवर्क** को मजबूत बनाना। • कार्यक्रम अगले पांच वर्षों में 6-10 नए उत्पादों को विकसित करने में सहायता करेगा एवं साथ ही उन्नत कौशल के लिए कई समर्पित सुविधाएं तैयार करेगा। • प्रारंभिक फोकस HPV, डेंगू के लिये वैक्सीन तथा कैंसर, मधुमेह तथा रूमेटोइड गठिया, के लिए बायोसिमिलर्स (biosimilars) और चिकित्सा उपकरणों तथा निदान प्रक्रियाओं के विकास पर होगा। • यह मिशन **उत्पाद सत्यापन** के लिए प्लेटफार्म प्रौद्योगिकियों का विकास करेगा, क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए संस्थाओं को जोड़ेगा, नवाचारी उत्पादों के लिए आंशिक गैर -जोखिम को बढ़ावा देगा, और उभरते क्षेत्रों जैसे ट्रांसलेशन बायो-इन्फार्मेटिक्स, बायोएथिक्स आदि में क्षमता निर्माण करेगा।	• NBM बायो-टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया एक उद्योग-अकादमिक सहयोगी मिशन है। • यह मिशन BIRAC (बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल) द्वारा लागू किया जाएगा। • इसमें इस क्षेत्र में उद्यमशीलता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिक तंत्र निर्माण हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त **इनोवेट इन इंडिया** (i3) कार्यक्रम शामिल होगा। • निजी क्षेत्र, सरकार और अकादमिक क्षेत्र (Academia) को एक साथ चिकित्सा नवाचार के ट्रिपल हेलिक्स के रूप में जाना जाता है। यह बायोफार्मा के विकास को को बढ़ा सकता है जोकि अत्यावश्यक है।

37.2. बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क)

[Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science Application Network)]

उद्देश्य	योजना के घटक	विशेषताएं
• सर्वप्रथम स्थानीय किसानों की जल, मृदा, बीज और विपणन से संबंधित समस्याओं को समझने और उन समस्याओं का समाधान प्रदान करके **उपलब्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी को खेतों से जोड़ना।** • वैज्ञानिकों और किसानों का निकट संयोजन के साथ मिलकर काम करना जोकि	कार्यक्रम तीन घटकों को समर्थन प्रदान करेगा: • **हब: 15 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक चैंपियन के नेतृत्व में** बायोटेक-KISAN हब स्थापित किया जाएगा। यह चैम्पियन एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। क्षेत्र में अग्रणी गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक संस्थानों/कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs)/अन्य किसान संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क विकसित किया जाएगा और अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्थान विकसित किए जाएंगे।	• समस्या को समझने और समाधान खोजने के लिए वैज्ञानिक, किसानों के साथ समन्वित रूप से कार्य करेंगे। • **महिला KISAN बायोटेक-** महिला किसानों के लिए कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण और शिक्षा के लिए फैलोशिप। • यह योजना छोटे उद्यमों के विकास में भी महिला किसानों का समर्थन करेगी। • बायोटेक KISAN देश के 15 **कृषि-जलवायु क्षेत्रों में** विज्ञान के साथ किसानों

PT 365 - सरकारी योजनाएं

छोटे और सीमांत किसानों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करने का एकमात्र तरीका है। • **वैज्ञानिक हस्तक्षेप के माध्यम से** बेहतर कृषि उत्पादकता के लिए **छोटे और सीमांत किसानों विशेष रूप से महिला किसानों** के साथ काम करना और **भारतीय संदर्भ में सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों** का विकास करना।	बायोटेक-KISAN हब में एक टिंकरिंग प्रयोगशाला (tinkering laboratory) होगी। • अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण: किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों/विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी में DBT द्वारा लघु अवधि प्रशिक्षण (STT) कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। • **साझेदारी संस्थान:** वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों की प्रयोगशालाओं में किसानों के लिए और कृषि क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। • **अनुसंधान परियोजनाएं:** अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए।	को इस प्रकार से सम्बद्ध करेगा, कि समस्याओं को नियमित रूप से समाधानों से जोड़ा जाये। • यह वैज्ञानिकों और संस्थानों के साथ किसानों को जोड़ने के लिए **हब्स एंड स्पोक्स मॉडल** का उपयोग करेगा। • **हब को** (प्रारंभिक 2 वर्षों के लिए 60 लाख प्रति वर्ष और अतिरिक्त 3 वर्षों के लिए समीक्षा के आधार पर) और साझेदारी संस्थानों को (5 लाख प्रति वर्ष) **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।**

37.3. मवेशी जीनोमिक्स योजना

(Cattle Genomics Scheme)

उद्देश्य	विशेषताएं
• प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ डीएनए स्तर की जानकारी का उपयोग करके पशुओं के प्रजनन मूल्यों का सटीक अनुमान लगाने तथा प्रारंभिक आयु में पशुओं (विशिष्ट पशु) के आनुवांशिक मूल्य की पहचान करने हेतु। • भारत की सभी पंजीकृत पशु नस्लों से **स्वदेशी मवेशी नस्लों का जीनोम अनुक्रमण** (Genome sequencing)। • पशुधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की पहचान करने और पशु खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग से लाभ प्राप्त करने के लिए।	• उच्च परिणाम, रोग प्रतिरोधी, लचीले पशुधन के उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पशुधन का जीनोमिक चयन। • **उच्च-उत्पादकता वाले डीएनए चिप** का विकास। यह भविष्य में प्रजनन कार्यक्रम की लागत और समय के अंतराल को कम करेगा तथा स्वदेशी पशुओं में (मवेशी की) उत्पादकता को बढ़ाएगा। • **राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान** इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है।

37.4. इंस्पायर योजना (इनोवेशन इन साइंस पर्स्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च)

[INSPIRE SCHEME (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research)]

उद्देश्य	विशेषताएं
• युवा छात्रों को विज्ञान का अध्ययन करने और शोध क्षेत्र में करियर बनाने हेतु आकर्षित करना। • रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और बच्चों के मध्य नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना। • अनुसंधान एवं विकास की नींव और उसके आधार को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिभाशाली युवा मानव संसाधन को आकर्षित करना, संलग्न करना, बनाए रखना तथा उन्हें विकसित करना।	**INSPIRE के तीन घटक हैं:** • प्रतिभा के प्रारंभिक आकर्षण के लिए योजना **(Scheme For Early Attraction Of Talent:SEATS)**: इसमें इंस्पायर पुरस्कार (MANAK) और इंस्पायर इंटर्नशिप शामिल हैं। • उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति **(Scholarship for higher education:SHE)** • अनुसंधान में करियर बनाने के लिए निश्चित अवसर **(Assured Opportunity For Research Careers:AORC)** • SEATS का लक्ष्य 5 हज़ार रुपये का इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के माध्यम से 10-15 वर्ष की आयु वर्ग के 10 लाख प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान के अध्ययन की ओर आकर्षित करना है, ताकि वे नवाचारों के आनंद का अनुभव कर सकें। इंस्पायर इंटर्नशिप के माध्यम से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले लगभग 50,000 विद्यार्थियों

VISION IAS

	को विज्ञान क्षेत्र के वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं से संपर्क के उद्देश्य से 100 से अधिक स्थानों पर वार्षिक ग्रीष्मकालीन/ शीतकालीन शिविर आयोजित किये जाएंगे। • SHE के अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा के लिए, 17-22 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवाओं हेतु प्रत्येक वर्ष 0.80 लाख रूपये/वर्ष की 10,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। इस योजना की मुख्य विशेषता प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान किया गया मेंटरशिप सपोर्ट (शिक्षक द्वारा विद्यार्थी का व्यक्तिगत स्तर पर मार्गदर्शन) है। • AORC के दो उप-घटक हैं। पहला घटक अर्थात **इंस्पायर फैलोशिप** (22-27 वर्ष का आयु समूह) प्रत्येक वर्ष इंजीनियरिंग और चिकित्सा सहित बेसिक एवं एप्लाइड साइंस दोनों में शोध (डॉक्टरेट डिग्री) के लिए 1000 फैलोशिप प्रदान करता है। दूसरा घटक, अर्थात **इंस्पायर फैकल्टी स्कीम,** प्रत्येक वर्ष बेसिक और एप्लाइड साइंस दोनों क्षेत्रों के 27-32 वर्ष के आयु वर्ग के 1000 पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं हेतु 5 वर्ष के लिए संविदात्मक और टेन्योर ट्रैक पदों के माध्यम से निश्चित अवसर प्रदान करता है। • यह किसी भी स्तर पर प्रतिभा की पहचान के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने में विश्वास नहीं करता है। यह प्रतिभा की पहचान के लिए मौजूदा शैक्षणिक संरचना की प्रभावकारिता पर विश्वास करता है और उसी पर निर्भर रहता है।

37.5. इंटीग्रेटेड साइबर फिजिकल सिस्टम्स प्रोग्राम

(Integrated Cyber Physical Systems Program)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• शैक्षणिक गतिविधियों में अंतर्विषयक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना। • विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और उद्योगों के मध्य अधिक तालमेल को बढ़ावा देना।	• कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान के व्यापक विषयगत क्षेत्र निम्नलिखित हैं: ○ इंटरडिसीप्लीनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स रिसर्च (ICPSR) ○ डेटा साइंस रिसर्च (DSR) ○ इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स रिसर्च (IOTR) ○ साइबर सिक्योरिटी रिसर्च (CSR) ○ इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस (IHDS) ○ एपिडेमिक साइंस डेटा एंड एनालिटिक्स (EDA) • जल, स्वास्थ्य, कृषि, अवसंरचना, परिवहन तथा भौतिक प्रणालियों की सुरक्षा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुप्रयोगों के लिए तंत्र विकसित किए जाएंगे। • साइबर फिजिकल सिस्टम (CPS) एक अंतर्विषयक क्षेत्र है। यह भौतिक विश्व में कार्य निष्पादन के लिए कंप्यूटर-आधारित सिस्टम की तैनाती से संबंधित है। उदाहरणार्थ - स्व-चालित कार, स्वायत्त चालक रहित वाहन (AUVs) और एयरक्राफ्ट नैविगेशन सिस्टम। • IIT और विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता के केंद्र विकसित किए जाएंगे। • रोबोटिक्स, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल विनिर्माण, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम संचार और IoTs का प्रयोग किया जाएगा।

37.6. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

TARE (टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस) मोबिलिटी स्कीम	• इसका उद्देश्य उन कॉलेज व राज्य विश्वविद्यालयों में **छिपी हुई और अप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास क्षमता** को सक्रिय करना है जहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और संस्कृति की कमी है। TARE योजना विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में नियमित रूप से कार्य कर रहे **अध्यापकों को,** उसी शहर में स्थित IIT, IISc, IISERs, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि जैसे अकादमिक संस्थानों से एकीकृत करके **अंशकालिक शोध**

VISION IAS

	करने की अनुमति प्रदान करेगी जिस शहर में वे वर्तमान में कार्यरत हैं।
अवसर: ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (Augmenting Writing Skills for Articulating Research:AWSAR)	• इस योजना का उद्देश्य युवा शोधार्थियों और पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यर्थियों द्वारा अपने उच्च अध्ययन और शोध गतिविधियों के दौरान समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉगों, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से लोकप्रिय विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करना है। AWSAR के तहत प्रत्येक वर्ष शोधार्थियों में से 100 और पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यर्थियों में से 20 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी और प्रशंसा पत्र (Certificate of Appreciation) के साथ-साथ मास मीडिया में उनकी कहानी भी प्रकाशित/प्रस्तुत की जाएगी।
पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना	• इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड में **गांवों के कुछ क्लस्टर** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा गोद लिए जाएंगे और उन्हें **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (S&T) के उपकरणों के माध्यम से समयबद्ध तरीके** से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यह परियोजना पर्यावरण-अनुकूल तरीके से **कृषि, कृषि आधारित कुटीर उद्योगों और पशुपालन गतिविधियों** के संचालन पर बल देगी।
आवासीय ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु पहल (Initiative to Promote Habitat Energy Efficiency: I-PHEE)	• इमारतों और शहरों के ऊर्जा निष्पादन में सुधार हेतु नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम। यह भवनों की डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में ऊर्जा के संरक्षण के लिए ज्ञान और कार्यप्रणाली में वृद्धि का समर्थन करेगा।
निधि : नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDHI:National Initiative for Development and Harnessing Innovations)	• निधि (NIDHI) **ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित विचारों** और नवाचारों को सफल **स्टार्ट-अप** में बदलने की दिशा में काम करती है। • इसका उद्देश्य **समाज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए तकनीकी समाधान** प्रदान करना और पूंजी निर्माण तथा रोज़गार सृजन के लिए नए मार्ग प्रशस्त करना है। • निधि के घटक जो उभरते हुए स्टार्ट-अप के प्रत्येक चरण का समर्थन करते हैं: o **PRAYAS** (युवा एवं महत्वाकांक्षी नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना तथा उन्हें गति प्रदान करना) o **सीड सपोर्ट सिस्टम** जो प्रति स्टार्ट-अप एक करोड़ रुपए तक की राशि प्रदान करता है और इसे टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर्स के माध्यम से लागू किया जाता है।
वज्र (Visiting Advanced Joint Research :VAJRA) फैकल्टी योजना	• SERB (साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड) द्वारा यह योजना **भारतीय शैक्षिक और अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रणाली को निरंतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी शोध के लिए सर्वोत्तम वैश्विक विज्ञान और वैज्ञानिकों के साथ** जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। • वज्र फैकल्टी को **एक विदेशी अग्रणी अकादमिक / अनुसंधान / औद्योगिक संगठन में कार्यरत एक सक्रिय शोधकर्ता** होना चाहिए जिसने **अनुसंधान एवं विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हों।**

38. पोत परिवहन मंत्रालय

(MINISTRY OF SHIPPING)

38.1. सागरमाला

(Sagarmala)

उद्देश्य	**अपेक्षित लाभार्थी**	**प्रमुख विशेषताएं**
• भारत के 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय समुद्र तट,	• बंदरगाह क्षेत्र में सम्मिलितबंदरगाह और श्रमिक	• सागरमाला कार्यक्रम के घटक हैं: o बंदरगाह आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास o **पोर्ट कनेक्टिविटी में वृद्धि:** भीतरी क्षेत्रों से बंदरगाहों की

VISION IAS

14,500 किलोमीटर के संभावित जलमार्ग और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर रणनीतिक अवस्थिति का उपयोग करके देश में बंदरगाह-उन्मुख विकास को बढ़ावा देना है। • इसका लक्ष्य है: ○ मोडल-मिक्स (विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों के मिश्रित प्रयोग) को इष्टतम करके घरेलू कार्गो परिवहन की लागत को कम करना ○ भावी औद्योगिक क्षमताओं को तट के निकट स्थापित करके थोक वस्तुओं की लॉजिस्टिक लागत को कम करना ○ बंदरगाह के निकट विनिर्माण क्लस्टर विकसित कर, निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना ○ आयात-निर्यात हेतु प्रयुक्त कंटेनर आवाजाही के समय / लागत को इष्टतम करना।	• उन तटीय क्षेत्रों की जनसंख्या जिन्हें CEZs के रूप में विकसित किया जाएगा। • परिवहन क्षेत्र के रोज़गार	कनेक्टिविटी बढ़ाना, घरेलू जलमार्गों (अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय नौवहन) सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक समाधानों के माध्यम से कार्गो परिवहन की लागत और समय को इष्टतम करना ○ **बंदरगाह-संबद्ध औद्योगीकरण:** आयात-निर्यात और घरेलू माल की लॉजिस्टिक लागत व समय को कम करने के लिए पोर्ट के समीप औद्योगिक क्लस्टर्स और तटीय आर्थिक क्षेत्रों (CEZs) का विकास करना। ○ **तटीय सामुदायिक विकास:** कौशल विकास एवं आजीविका सृजन के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना। • सागरमाला कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए विचार की गयी परियोजनाओं को या तो सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (राज्य / क्षेत्र स्तरीय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स की सहायता के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित) से इक्विटी समर्थन (SPV मार्ग) प्रदान किया जाएगा अथवा जहाज़रानी मंत्रालय के बजट से वित्त पोषित (इक्विटी समर्थन के अतिरिक्त) किया जाएगा। • आतंरिक क्षेत्र तक अंतिम बिंदु कनेक्टिविटी हेतु रेल कनेक्टिविटी और बड़े बंदरगाहों की आंतरिक रेल परियोजनाओं को प्रभावी एवं कुशलता पूर्ण ढंग से निष्पादित करने के लिए एक SPV - **भारतीय पोर्ट रेल निगम (IPRC)** को जहाज़रानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किया गया है । • नौवहन मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सागरमाला सर्वोच्च समिति समग्र नीति मार्गदर्शन प्रदान करेगी और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजनाओं को मंजूरी देगी। • केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ-साथ शिपिंग, बंदरगाहों आदि से संबंधित निजी क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गयी है। • **समुद्री और जहाज निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (CEMS):** यह सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत सीमेंस (Siemens) और भारतीय जहाज पंजीकरण (IRS) के सहयोग से जहाज़रानी मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जा रहा है। • CEMS के परिसर विशाखापत्तनम और मुंबई में अवस्थित होंगे। यह उद्योग-प्रासंगिक कौशल विकास प्रदान करेगा तथा छात्रों को बंदरगाह और समुद्री व्यापार में रोजगार प्राप्त करने योग्य इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल प्रदान करेगा। • **सागरमाला के तहत कोस्टल बर्थ स्कीम (तटीय घाट योजना):** इसका लक्ष्य बंदरगाहों या राज्य सरकारों को समुद्री अथवा राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा कार्गो और यात्रियों के आवागमन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

इससे जुड़ी एक और परियोजना **सेतुसमुद्रम परियोजना** है: इसका उद्देश्य पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ना और इसके माध्यम से समुद्री व्यापार की सुविधा प्रदान करना है।

VISION IAS

39. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP)

39.1. प्रधानमंत्री युवा योजना

(Pradhan Mantri Yuva Yojana)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारितंत्र का निर्माण करना; उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क का पक्षसमर्थन और आसान पहुँच तथा समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना।	• यह 3050 संस्थानों; उच्च शिक्षा के 2,200 संस्थानों (विश्वविद्यालय, कॉलेज, प्रीमियर संस्थान और पॉलिटेक्निक समेत AICTE संस्थान); 300 स्कूलों (10 + 2); 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और 50 उद्यमिता विकास केंद्रों (EDC) के माध्यम से 5 वर्षों (2020-21 तक) में 7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। **इसके अन्य उदेश्यों में :** ○ वृहत ओपन ऑन-लाइन पाठ्यक्रम (MOOCs) और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से सभी नागरिकों में उद्यमिता शिक्षा को विकसित और वितरित करके संभावित एवं **प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को शिक्षित करना तथा समर्थ बनाना।** ○ उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का समन्वय और समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यमिता संसाधन तथा समन्वय केंद्र स्थापित करके **उद्यमिता केंद्र (ई-हब्स) के माध्यम से उद्यमियों को समर्थन देना।** ○ एक वेब आधारित ऑनलाइन बाजार के माध्यम से सहकर्मियों, सलाहकारों, फंड और बिजनेस सेवाओं के समर्थनकारी नेटवर्क से उद्यमियों को सम्बद्ध करना। ○ उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए संस्कृति में परिवर्तन को उत्प्रेरित करना।

39.2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को सक्षम करना जो उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में सहायक होगा।	• पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का भी मूल्यांकन और पूर्व शिक्षा की पहचान (RPL) के तहत प्रमाणित किया जाएगा। • PMKVY ट्रेनिंग सेंटर (TC) में दिए गए लघु-अवधि प्रशिक्षण से उन उम्मीदवारों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है **जो या तो स्कूल/ कॉलेज बीच में ही छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं।** प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुसार प्रदान किया जाएगा। • इस योजना के विशेष परियोजना घटक के तहत एक ऐसे प्लेटफॉर्म के निर्माण की परिकल्पना की गयी है जो विशिष्ट क्षेत्रों और/या सरकारी निकायों, निगमों या उद्योग निकायों के परिसर में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही यह उन विशिष्ट कार्य भूमिकाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है जिन्हें उपलब्ध योग्यता पैक (QP)/ राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOS) के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। • उम्मीदवारों के मूल्यांकन के सफल समापन पर उन्हें प्रशिक्षण भागीदारों (TP) द्वारा नियुक्ति में सहायता प्रदान की जाएगी। • प्रशिक्षण और मूल्यांकन का सम्पूर्ण शुल्क सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। • यह कौशल प्रमाणन योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के माध्यम से लागू की जाएगी। • **पुनःप्रारंभ PMKVY** के तहत, प्लेसमेंट ट्रैकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। PMKVY 2 अक्टूबर, 2016 में प्रारंभ की गयी थी। • जिलों में प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKK) नामक मॉडल कौशल केंद्र स्थापित करने हेतु भी एक

VISION IAS

	पहल की गई है। • **युवा (YUVA)** - यह एक कौशल विकास कार्यक्रम है और PMKVY के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ मिलकर युवाओं की सामर्थ्य के अनुसार उनके कौशल को अपग्रेड करके युवाओं से जुड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की एक पहल है।

39.3. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान बढ़ाना

(Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: SANKALP)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

इसमें चार उद्देश्य हैं:
• बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण की योजना, वितरण और निगरानी के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर **संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाना**।
• कौशल विकास कार्यक्रमों की **बेहतर गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता**।
• महिला प्रशिक्षुओं और अन्य वंचित समूहों के लिए कौशल प्रशिक्षण तक बेहतर पहुंच और पूर्ण कौशल प्रशिक्षण।
• **सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPP)** के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण का विस्तार करना।
	• यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित परिणाम-उन्मुख परियोजना है
	• इसे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत उप-मिशनों को कार्यान्वित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
	• इसमें निम्नलिखित को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है:
	  ○ राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन निकाय
	  ○ राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड तथा राष्ट्रीय कौशल अनुसंधान प्रभाग।
	  ○ श्रम बाजार सूचना प्रणाली का विकास
	  ○ **कौशल मार्ट** एक स्किलिंग रिसोर्स मार्केट प्लेस के रूप में विभिन्न प्रकार के कौशलयुक्त संसाधनों के आदान-प्रदान के लिए एक विश्वसनीय मंच प्रदान करता है।
	  ○ **तक्षशिला:** प्रशिक्षकों और आंकलन कर्ताओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल
	• उद्योग के मार्गदर्शन में और रोज़गार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के उद्देश्य से SANKALP के तहत एक **कौशल निधि** का प्रावधान किया गया है। इसे प्रतिस्पर्धी चुनौती निधि (competitive challenge fund) के रूप में स्थापित किया जाएगा जो स्थानीय समुदाय/ प्रांत/ राष्ट्रीय स्तर पर एक दीर्घकालिक, सतत प्रभाव के लिए अनुदान (प्रति परियोजना अधिकतम सीमा के अधीन) का सत्यापन योग्य और विश्वसनीय उपयोग सुनिश्चित करेगा।
	• विदेशी प्लेसमेंट के लिए प्रशिक्षित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र (IISC) की स्थापना की जा रही है।

39.4. औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण

(Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDMs) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs), ITIs और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) आदि जैसे संस्थानों को मजबूत करके गुणवत्तायुक्त कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करना।	• यह 2,200 करोड़ रुपये की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें योजना के आधे हिस्से की पूर्ति विश्व बैंक की ऋण सहायता के माध्यम से की जाएगी। • यह एक परिणाम केंद्रित योजना है जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में बदलाव को दर्शाती है। इसमें सरकार ने इनपुट के स्थान पर परिणाम केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाया है। • · यह SMEs, बिजनेस एसोसिएशन और उद्योग क्लस्टरों को सम्मिलित करके ITIs को प्रशिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) समेत संपूर्ण प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोत्साहित करेगा।

VISION IAS

39.5. नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम

(National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षु) ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करना करना जो प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहते हैं। • 2020 तक प्रशिक्षुओं की संख्या को 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना।	• NAPS में प्रशिक्षु को प्रशिक्षण और वजीफा (stipend) प्रदान करने में किए गए व्यय को साझा करने के लिए प्रावधान हैं। • प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सभी नियोक्ताओं को निर्धारित वजीफे के 25% (अधिकतम 1500 रु प्रति माह प्रति प्रशिक्षु) की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी। • फ्रेशर प्रशिक्षुओं (जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के सीधे प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए आते हैं) के संबंध में बुनियादी प्रशिक्षण की लागत साझा की जाएगी जोकि 500 घंटे / 3 माह की अधिकतम अवधि के लिए प्रति प्रशिक्षु 7500 रु होगी। • इसे प्रशिक्षण महानिदेशक (DGT) द्वारा लागू किया जाएगा।

VISION IAS

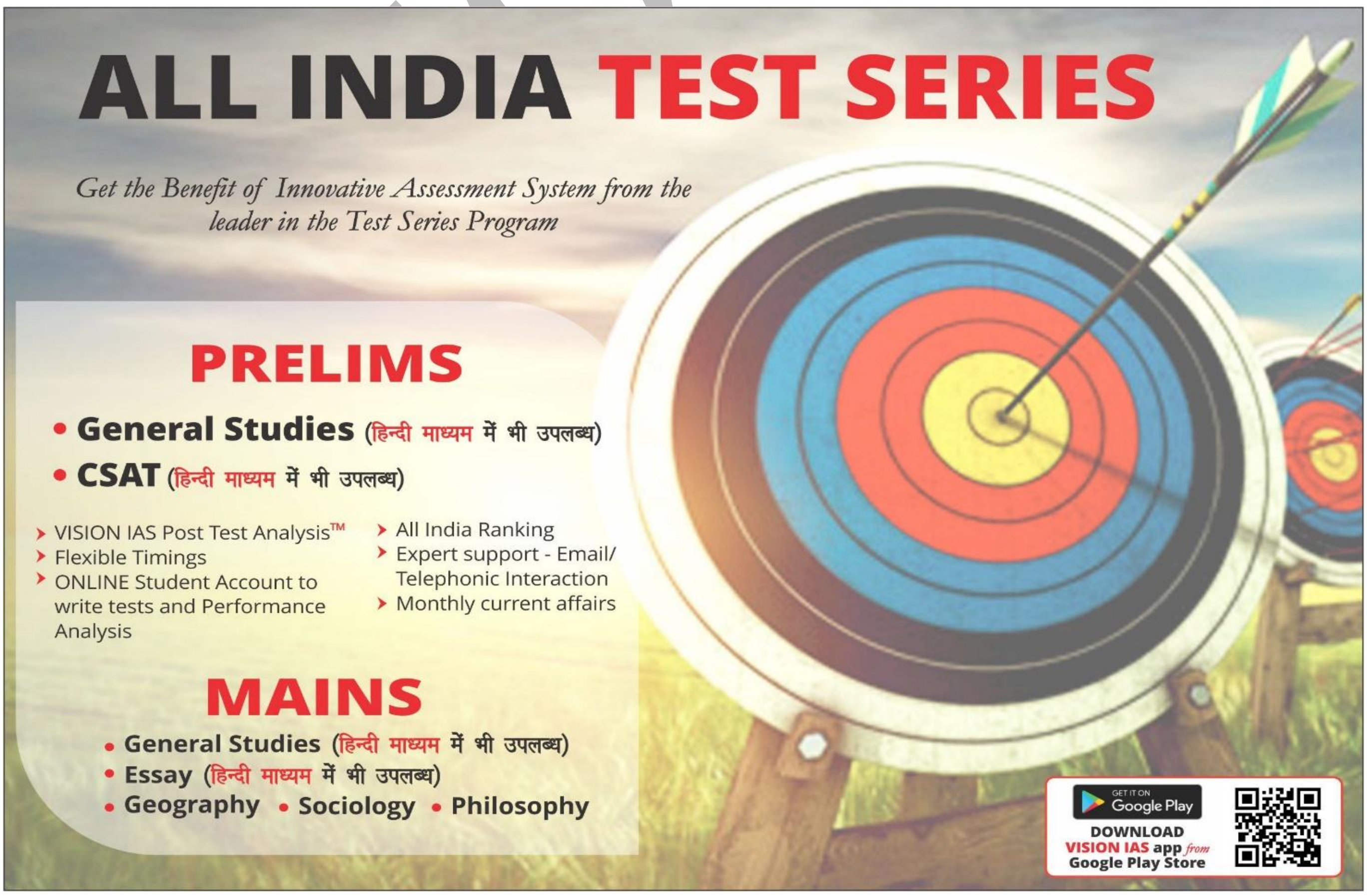

40. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

(MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

40.1. स्वच्छता उद्यमी योजना

(Swachhta Udyami Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
• इस योजना के दोहरे उद्देश्य हैं: स्वच्छता तथा सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त कराए गए मैनुअल स्केवेंजर्स (हाथ से मैला ढ़ोने वाले लोगों) को आजीविका प्रदान करना। इन दोहरे उद्देश्यों के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए "स्वच्छ भारत अभियान" के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।	• **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)** इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। • सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में भुगतान और उपयोग आधारित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए तथा स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। • 'स्वच्छ भारत अभियान' के उद्देश्यों को साकार करने के लिए जारी प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए व्यावहारिक सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं और कचरा इकट्ठा करने वाले स्वच्छता से संबंधित वाहनों के लिए रियायती ऋण प्रदान किया जायेगा। • सफाई कर्मचारी और चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स के बीच में से निकलने वाले उद्यमी प्रति वर्ष 4% ब्याज की रियायती दर पर परिभाषित सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। महिला लाभार्थियों के मामले में ब्याज दर में 1% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

40.2. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना

(Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दिव्यांग जनों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए और उनके सशक्तिकरण हेतु समर्थकारी परिवेश सृजित करना। • विकलांगजन (समान अवसर और अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1995 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना।	• स्वैच्छिक कार्यों को बढ़ावा देना: माता-पिता/अभिभावकों और स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। • दिव्यांग जनों के पुनर्वास हेतु सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। गैर सरकारी संगठनों (NGOs) को अनुदान। • दिव्यांग जनों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सभी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित उपाय करना o प्रारंभिक हस्तक्षेप, o दैनिक जीवन कौशल का विकास और शिक्षा o रोजगार-प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करने वाला कौशल-विकास o प्रशिक्षण और जागरूकता विकसित करना।

40.3. सुगम्य भारत अभियान

(Accessible India Campaign)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• दिव्यांग जनों (PWD) के लिए सार्वभौमिक पहुंच का लक्ष्य प्राप्त करना।	• दिव्यांग जनों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, अभियान को तीन भागों में विभाजित किया गया है: निर्मित वातावरण सुगम्यता; परिवहन प्रणाली सुगम्यता तथा सूचना एवं संचार

VISION IAS

	पारितंत्र सुगम्यता। • इस योजना के तहत अन्य पहलें ○ सार्वजनिक और निजी दोनों संगठनों को सुगम अवसंरचना के निर्माण के लिए उनकी कार्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। ○ विभिन्न उद्योगों द्वारा अपने कार्यस्थल को दिव्यांग जनों (PWD) के लिए तैयार करने के प्रयासों का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा **'समावेशी और सुगम्यता सूचकांक'** का उपयोग किया जाएगा। ○ **"सुगम्य पस्तकालय"** सुगम्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में प्रिंट अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। • **दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप-** इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारियों जैसे विभिन्न नियमों, दिशा-निर्देशों, योजनाओं, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारी उपलब्ध कराना है।

40.4. राष्ट्रीय वयोश्री योजना

(Rashtriya Vayoshri Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• वरिष्ठ नागरिकों की उनकी आयु से संबंधित शारीरिक दुर्बलताओं को दूर करने तथा देखभाल करने वाले एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता को न्यूनतम करके एक गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन जीने में उनकी सहायता करना।	• आयु संबंधी बीमारियों (कम दृष्टि, सुनने में कठिनाई, दांतों का टूट जाना एवं लोकोमोटर डिसेबिलिटी आदि) का सामना कर रहे बीपीएल श्रेणी से संबद्ध बुज़ुर्गों को शारीरिक सहायता और जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना। • एक ही व्यक्ति में अनेक विकलांगता/दुर्बलता पाए जाने की स्थिति में, प्रत्येक विकलांगता/दुर्बलता के लिए अलग-अलग उपकरण प्रदान किए जाएंगे। • भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) बुज़ुर्गों को दी जाने वाली इस सहायता एवं जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देखरेख करेगा। • इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान "वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष" से प्राप्त होगा।

40.5. हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना

(Self Employment Scheme for the Rehabilitation of Manual Scavengers: SRMS)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स की वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हेतु सहायता करना।	• मैनुअल स्केवेंजर्स ("हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के तहत प्रदत्त परिभाषा के अनुसार) और उनके आश्रित, उनकी आय पर ध्यान दिए बिना, योजना के तहत सहायता हेतु पात्र हैं।	• संशोधित योजना के अनुसार, चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को एक बार नकद सहायता प्रदान की जाती है। • चिह्नित मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके आश्रितों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: ○ एक बार नकद सहायता। ○ रियायती ब्याज दरों पर परियोजना लागत के लिए ऋण। ○ क्रेडिट लिंक्ड बैक-एन्ड कैपिटल सब्सिडी। ○ वजीफे (स्टाइपेन्ड) सहित दो वर्ष तक का कौशल विकास प्रशिक्षण।

VISION IAS

40.6. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

(Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
अनुसूचित जाति की 50% से अधिक जनसंख्या वाले चयनित 1000 गांवों का "आदर्श ग्राम" के रूप में समेकित विकास सुनिश्चित करना, ताकि: • उनके पास उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनाएं विद्यमान हों; • सामान्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों (जैसे साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की दर, IMR/MMR, लाभप्रद संपत्तियों का स्वामित्व इत्यादि) के संदर्भ में अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता समाप्त करना; • अनुसूचित जाति के विरुद्ध अस्पृश्यता, भेदभाव, अलगाव और अत्याचार समाप्त करना, तथा अन्य सामाजिक बुराई जैसे लड़कियों/महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, शराब की लत और मादक पदार्थों (ड्रग्स) के दुरूपयोग आदि को समाप्त करना।	• अनुसूचित जाति (SC) बाहुल्य गाँव जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 50% से अधिक है	• **आदर्श ग्राम का विकास करना:** इन गांवों में गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। • इस योजना के महत्वपूर्ण घटकों में - भौतिक अवसंरचना, स्वच्छता और पर्यावरण, सामाजिक अवसंरचना, मानव विकास और सामाजिक सामंजस्य और आजीविका सम्मिलित हैं। • निम्नलिखित के माध्यम से अनुसूचित जाति (SC) बाहुल्य गांवों का समेकित विकास : ○ संगत केंद्रीय और राज्य योजनाओं का सम्मिलित कार्यान्वयन। ○ इन गांवों को अन्तराल पूर्ति निधि के रूप में प्रति गांव 20 लाख रूपए तक की केंद्रीय सहायता प्रदान करना, जिसे राज्य द्वारा समान अंशदान करने की स्थिति में 5 लाख रूपये तक और बढ़ाया जा सकता है। ○ उन कार्यकलापों को आरंभ करने के लिए अंतराल-पूर्ति घटक की उपलब्धता कराना, जो केन्द्र एवं राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के तहत कवर नहीं होते हैं और उन्हें 'अंतराल-पूर्ति' घटक के अंतर्गत आरंभ किया जाना हो।

40.7 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

पहल	मुख्य विशेषताएं
वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम	• **उद्देश्य-** आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। साथ ही सरकारी/गैर सरकारी संगठनों (NGO)/पंचायती राज संस्थानों (PRI)/स्थानीय निकायों और समग्र रूप से समुदाय की क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करके लाभप्रद और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना।
समावेशी भारत पहल	• बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में तथा सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं यथा शिक्षा, रोजगार और समुदाय में शामिल करना। • समावेशी भारत पहल के तीन मुख्य क्षेत्र हैं: ○ समावेशी शिक्षा, ○ समावेशी रोजगार ○ समावेशी सामुदायिक जीवन • नेशनल ट्रस्ट इस पहल हेतु नोडल एजेंसी होगी।

VISION IAS

अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ अम्बेडकर योजना	• प्रत्येक जोड़े को दो किश्तों में 5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। • लाभार्थी जोड़े में पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए। • ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री तथा डॉ अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष का विवेकाधिकार होगा।
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना	• वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और बाजार की अनिश्चित परिस्थितियों के कारण वृद्ध व्यक्तियों को ब्याज से प्राप्त होने वाली आय में भविष्य में होने वाली गिरावट के विरुद्ध 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा करना। • इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की रिटर्न की गारंटी दर पर एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। • इसके तहत LIC को जो रिटर्न मिलेगा और प्रति वर्ष 8 प्रतिशत के निश्चित रिटर्न के बीच जो अंतर होगा, उसकी भरपाई के लिए सरकार वार्षिक सब्सिडी देगी।

41. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

(MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION)

41.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

(Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों इत्यादि के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण कार्यों हेतु सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों को सक्षम बनाना।	सामान्य तौर पर आम जनता और विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग	• MPLADS पूर्णतया भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हेतु वार्षिक MPLADS निधि 5 करोड़ रूपये अधिकृत की गयी है, यह गैर-व्यपगत निधि है। • लोकसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन राज्य (चुनिंदा अपवादों के अतिरिक्त) के भीतर कार्यों की संस्तुति कर सकते हैं। • राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्य की संस्तुति कर सकते हैं। • सांसदों को प्रत्येक वर्ष **अधिकृत** MPLADS राशि का **कम से कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति द्वारा अधिवासित क्षेत्रों में और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए** व्यय करने की संस्तुति करनी होती है। • यदि लोकसभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय आबादी है, तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए इस राशि की संस्तुति कर सकते हैं लेकिन अपने निर्वाचन राज्य के भीतर। • किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति (ST) अधिवासित क्षेत्र

VISION IAS

		नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। इसी प्रकार, किसी राज्य में अनुसूचित जाति (SC) अधिवासित क्षेत्र नहीं होने पर इस राशि का उपयोग अनुसूचित जनजाति अधिवासित क्षेत्रों में किया जा सकता है। • देश के किसी भी हिस्से में "गंभीर प्राकृतिक आपदा" की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की संस्तुति कर सकता है। आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं इसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। • यदि संसद के किसी निर्वाचित सदस्य को राज्य/संघ शासित प्रदेश के बाहर, या राज्य के भीतर परन्तु उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर, या दोनों ही में, MPLADS निधि का योगदान करने की आवश्यकता महसूस होती है,तो सांसद अधिकतम 25 लाख रुपये तक के उपयुक्त कार्यों की संस्तुति कर सकता है।

42. इस्पात मंत्रालय

(MINISTRY OF STEEL)

42.1.भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन

(Steel Research And Technology Mission Of India: SRTMI)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• लौह और इस्पात में राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान एवं विकास का नेतृत्व करना • अनुसंधान में अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना और मानव संसाधन में वृद्धि करना सम्मिलित है • राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुसार उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग विकसित करना • वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी साथ ही संधारणीय इस्पात उद्योग को विकसित करना।	• भारत का लौह और इस्पात क्षेत्र • मेक इन इंडिया • निर्माण क्षेत्र • अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से मानव संसाधन विकास • निर्यात क्षेत्र	• यह एक उद्योग आधारित पहल है जिसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया है। **इस्पात मंत्रालय इसका सुविधा प्रदाता** है। • आवश्यक निधि का 50% इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि प्रतिभागी इस्पात कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएगी। • इस मिशन के तहत स्वदेशी कच्चे माल से **गुणवत्तापूर्ण इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए** उचित प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। इसमें पर्यावरण अनुकूल विधि से **निम्न स्तरीय संसाधनों** का उपयोग किया जाना भी सम्मिलित है। • राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान और विकास कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे तथा इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश को चरणबद्ध ढंग से कुल टर्नओवर के 1% तक बढ़ाया जाएगा। • इस्पात प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु नेशनल **"इंस्टिट्यूट्स ऑन स्टील टेक्नोलॉजी"** की स्थापना की जाएगी।

PT 365 - सरकारी योजनाएं

43. वस्त्र मंत्रालय

(MINISTRY OF TEXTILE)

43.1 एकीकृत वस्त्र पार्क योजना

(Scheme For Integrated Textile Park: SITP)

उद्देश्य	विशेषताएं
• उद्यमियों के समूह को अंतरराष्ट्रीय परिवेश और सामाजिक मानकों के अनुरूप वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु एक क्लस्टर में अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस प्रकार इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना तथा रोजगार के नवीन अवसर सृजित करना।	• यह योजना उच्च विकास क्षमता युक्त औद्योगिक समूहों और स्थानों को लक्षित करती है, जहाँ विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। • इस योजना के तहत एक ITP में अधिमानत: 25 एकीकृत इकाईयां होनी चाहिए। इन इकाइयों में निम्नलिखित घटक शामिल होने चाहिए- भूमि (SPV के नाम पर पंजीकृत), सामान्य अवसंरचना (मैदान, सड़क, जल निकासी, विद्युत् आदि), सामान्य सुविधाओं के लिए भवन (क्रेच, कैंटीन, प्रयोगशालाएं आदि) और उत्पादन उद्देश्यों के लिए कारखाने। • परियोजना की कुल लागत का वित्त पोषण वस्त्र मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य औद्योगिक विकास निगम, उद्योग, परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की इक्विटी/अनुदान तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। • भारत सरकार द्वारा प्रदत अनुदान या इक्विटी परियोजना लागत के 40% (पूर्वोतर राज्यों और जम्मू-कश्मीर में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए 90%) तक सीमित होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 40 करोड़ रूपये होगी। • यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/राज्य औद्योगिक विकास निगम इक्विटी धारण करते हैं, तो इनकी संयुक्त इक्विटी हिस्सेदारी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए। • SPV को भारत सरकार की सहायता नियम और शर्तों की पूर्ति के आधार पर 30:40:30 के अनुपात में तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी। • प्रत्येक परियोजना सामान्य रूप से सरकारी अनुदान की पहली किश्त के जारी होने की तिथि से 3 वर्ष में पूरी की जाएगी। (विलंब होने पर परियोजना को रद्द किया जा सकता है और जुर्माना आरोपित किया सकता है)। • ITP को संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), समर्थ (SAMARTH) इत्यादि से लाभ भी प्राप्त हो सकता हैं।

43.2 रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना

(Integrated Scheme For Development Of Silk Industry)

उद्देश्य	विशेषताएं

• अनुसन्धान एवं विकास संबंधी हस्तक्षेप के माध्यम से रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना।
• बेहतर संकर किस्म (crossbreed) के रेशम और आयात प्रतिस्थापन के लिये बाइवोल्टाइन रेशम को बढ़ावा देना ताकि भारत में बाइवोल्टाइन रेशम उत्पादन इस स्तर तक बढ़ाया जाए कि
	• यह केन्द्रीय सिल्क बोर्ड के माध्यम से वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
	• इस योजना में चार घटक हैं
	    ○ अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और IT पहलें
	    ○ बीज संगठन और किसान विस्तार केंद्र
	    ○ बीज, धागे और रेशम उत्पादों के लिए बाजार विकास और समन्वय
	    ○ गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (QCS)
	• इसकी कार्यान्वयन रणनीति लाभ को अधिकतम करने के लिए राज्य स्तर पर अन्य

VISION IAS

कच्चे रेशम का आयात 2022 तक शून्य हो जाए तथा भारत रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। • 2020 तक लाभकारी रोजगारों की संख्या 85 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करना।	मंत्रालयों की योजनाओं जैसे कृषि मंत्रालय की RKVY और PMKSY, ग्रामीण विकास की मनरेगा के साथ अभिसरण पर आधारित है। • भारत के IITs, CSIR, IISc जैसे प्रतिष्ठित संगठन और जापान, चीन, बुल्गारिया आदि देशों के रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) से संबंधी अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी प्रगति में सहयोग करेंगे। • भारतीय रेशम का ब्रांड प्रमोशन, घरेलू और निर्यात बाजार में **सिल्क मार्क** द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

43.3 पावरटेक्स इंडिया स्कीम

(PowerTex India Scheme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा लो-एंड (low-end) वाली पावरलूम इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। • उत्पादित कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना और उन्हें घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना। • क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देना। • पावरलूम उत्पाद हेतु बाजार को प्रोत्साहन देने के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन और रिवर्स क्रेता-विक्रेता सम्मेलन। • धागे की बिक्री पर मध्यस्थ/स्थानीय आपूर्तिकर्ता ब्रोकरेज चार्ज से बचना। • नवीकरणीय ऊर्जा (सौर) पर बल देना।	• इसमें नौ प्रमुख घटक शामिल हैं: इनसीटू अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावरलूम; ग्रुप वर्क्सशेड स्कीम (GWS); यार्न बैंक स्कीम; PM क्रेडिट स्कीम; सोलर एनर्जी स्कीम; जन सुविधा केंद्र (CFC); टेक्स वेंचर कैपिटल फंड; पावरलूम योजनाओं के लिए सरलीकरण, आईटी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार; तथा पावरलूम सर्विस सेंटर (PSCs) का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन और सहायक अनुदान। • दो प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं: 1. पावरलूम बुनकरों के लिए प्रधान मंत्री क्रेडिट योजना (PMCS) और 2. पावरलूम के लिए सौर ऊर्जा योजना। • **पावरलूम के लिए PMCS**: वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी सब्सिडी और ब्याज प्रतिपूर्ति सहित), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया के तहत विकेंद्रीकृत पॉवरलूम इकाइयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / महिला उद्यमियों को प्रदत्त क्रेडिट सुविधा की तरह दी जाएगी। • प्राकृतिक मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु और दुर्घटना के कारण आंशिक / स्थायी विकलांगता के मामले में पावरलूम कर्मचारियों (18-59 वर्ष की आयु के) के लिए सार्वभौमिक बीमा का प्रावधान भी शामिल किया गया है।

43.4 संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

(Amended Technology Upgradation Fund Scheme: ATUFS)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना और विनिर्माण में मेक इन इंडिया और जीरो इफ़ेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करना। • वस्त्र उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता,	• यह केंद्रीय क्षेत्र की एक क्रेडिट-लिंक्ड योजना है। • इस योजना के तहत इकाइयों / संस्थाओं को नोडल वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सब्सिडी दी जाती है, न कि राज्य सरकार के माध्यम से। • इसके तहत निर्धारित मानदंड के आधार पर पात्र मशीनरी के लिए 5 वर्ष की अवधि में एक बार पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है। • इसमें पूंजी निवेश सब्सिडी (CIS) शामिल है, जबकि TUFS की पूर्व योजनाओं में ब्याज प्रतिपूर्ति और पूंजी सब्सिडी दोनों से संबंधित प्रावधान थे।

VISION IAS

रोजगार और निर्यात वृद्धि को सुगम बनाना तथा अप्रत्यक्ष रूप से वस्त्र मशीनरी विनिर्माण में निवेश में वृद्धि करना।	• ATUFS को परिधान निर्माण जैसे केंद्रित क्षेत्रों की ओर लक्षित किया जाता है तथा कताई (spinning) जैसे आधुनिकीकरण के वांछित स्तर को प्राप्त कर चुके क्षेत्रों को लक्षित नहीं किया गया है।

43.5 कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना

(Scheme For Capacity Building In Textile Sector: SAMARTH)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित कपड़ा क्षेत्र और इससे सम्बद्ध क्षेत्रों के प्रोत्साहन हेतु मांग आधारित, रोजगार उन्मुख NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क) के अनुरूप कोशल कार्यक्रम की व्यवस्था करना। • हैंडलूम, हस्तशिल्प, रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) और जूट के पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास और कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना। • वेतन या स्व-रोज़गार के माध्यम से सम्पूर्ण देश में समाज के सभी वर्गों को सतत आजीविका प्रदान करना।	• 10 लाख व्यक्ति (संगठित क्षेत्र में 9 लाख और पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख)। • कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्ग महिला, ग्रामीण, सुदूर, वामपंथ चरमपंथी प्रभावित क्षेत्र, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर।	• यह एक कौशल विकास योजना है। यह योजना कताई और बुनाई को छोड़कर संगठित क्षेत्र में कपड़ा क्षेत्र की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करती है। इसे 2017-18 से 2019-20 तक लागू किया जाना है। • इसके तहत कौशल अन्तराल और कौशल आवश्यकताओं का आकलन किया जाएगा और तदनुसार आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। • कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र विशिष्ट हार्ड स्किल के अतिरिक्त, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल (soft skills) भी प्रदान करेगा। • प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन एक अधिकृत मूल्यांकन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। • 70% सफल प्रशिक्षुओं के नियोजन (प्लेसमेंट) की गारंटी प्रदान की जाएगी (संगठित क्षेत्र के लिए, सभी 70% को वेतन परक रोजगार में रखा जाएगा, जबकि पारंपरिक क्षेत्र के लिए कम से कम 50% को वेतन परक रोजगार दिया जाएगा) • योजना के तहत पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग अनिवार्य है।

43.6 अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

साथी (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण)	यह योजना लघु एवं मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम कीमत के ऊर्जा कुशल पावरलूम, मोटर और रीपेयर किट (rapier kits) प्रदान करने के लिए वस्त्र मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गयी। (अधिक जानकारी के लिए, विद्युत मंत्रालय के तहत योजनाएं देखें)।
दीनदयाल हस्तकला संंकुल	यह वाराणसी में प्रथम अत्याधुनिक व्यापार केंद्र और शिल्प संग्रहालय है। यह बुनकरों और कारीगरों को विश्व स्तरीय विपणन सुविधाएं प्रदान करेगा और वाराणसी की पर्यटन क्षमता में भी वृद्धि करेगा।
पुश्तैनी हुनर विकास योजना	यह पारंपरिक कालीन बुनने वाले परिवारों के बुनकरों को तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण देने के लिए बदोही के कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू की गई।

VISION IAS

44. पर्यटन मंत्रालय

(MINISTRY OF TOURISM)

44.1. स्वदेश दर्शन

(Swadesh Darshan)

उद्देश्य	लाभार्थी	विशेषताएं
• पर्यटन को **आर्थिक विकास** एवं रोजगार सृजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण **साधन के रूप में स्थापित करना।** • योजनाबद्ध रूप से और प्राथमिकता के आधार पर उन **सर्किट्स को विकसित** करना जिनमें पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है; • पहचाने गए क्षेत्रों में आजीविका के सृजन हेतु देश के **सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को** बढ़ावा देना; • सर्किट/गंतव्य स्थलों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण** को बढ़ाना; • **समुदाय आधारित विकास और निर्धनों के अनुकूल पर्यटन दृष्टिकोण** का पालन करना • आय के बढ़ते स्रोतों, बेहतर जीवन स्तर और क्षेत्र के समग्र विकास के संदर्भ में स्थानीय समुदायों के मध्य पर्यटन के महत्व के संबंध में **जागरूकता का प्रसार करना।** • स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से **रोजगार के अवसरों का सृजन करना।**	• इन शहरों और कस्बों के निवासी • देश की प्राचीन विरासत • पर्यटक और पर्यटन क्षेत्र	• इस योजना के तहत विकास हेतु पंद्रह **थीम आधारित पर्यटन सर्किट्स** को चिह्नित किया गया है। • ये सर्किट्स हैं- पूर्वोत्तर भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालय सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्ण सर्किट, मरुस्थल सर्किट, जनजातीय सर्किट, इको सर्किट, वन्यजीव सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, धरोहर सर्किट, सूफी सर्किट और तीर्थंकर सर्किट। • **पर्यटक सर्किट को, ऐसे मार्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनमें कम से कम तीन विशिष्ट तथा भिन्न पर्यटन स्थल उपस्थित हों।**

44.2.तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- प्रसाद योजना

[National Mission on Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive (PRASAD) Scheme]

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• **पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव** प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक नियोजित और धारणीय तरीके से **तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास।** • रोजगार सृजन और आर्थिक विकास पर **प्रत्यक्ष और गुणक प्रभाव हेतु तीर्थ यात्रा का उपयोग करना।** • धार्मिक गंतव्यों में विश्व स्तरीय अवसंरचना को विकसित करके **धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ाना;** • **स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन** इत्यादि को बढ़ावा देना।	• प्रसाद योजना के तहत विकास के लिए **25 स्थलों की पहचान की गई है।** • सार्वजनिक वित्त पोषण के अंतर्गत शामिल घटकों के लिए, **केंद्र सरकार 100% वित्त प्रदान करेगी।** • परियोजना के बेहतर स्थायित्व के लिए, **PPP और CSR को** शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।

44.3. धरोहर गोद लें/'अपनी धरोहर अपनी पहचान' योजना

Adopt A Heritage/Apni Dharohar Apni Pehchan Project

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• धरोहर स्मारकों में और इनके आस-पास बुनियादी पर्यटन ढांचे	• धरोहर स्थल • निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों और	• **यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** के निकट सहयोग में पर्यटन

VISION IAS

का विकास करना। • विरासत स्थल/स्मारक या पर्यटक स्थल के लिए समावेशी पर्यटक अनुभव। • संबंधित विरासत स्थल/स्मारक/पर्यटक स्थल के स्थानीय समुदायों की आजीविका सृजन हेतु देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्य को बढ़ावा देना। • धारणीय तरीके से पर्यटक आकर्षण को बढ़ावा देना। • स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से रोजगार सृजन। • **रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास में इसके गुणक प्रभावों** के संदर्भ में पर्यटन क्षमता का उपयोग। • संधारणीय पर्यटन अवसंरचना का विकास।	कॉर्पोरेट से संबंधित व्यक्ति • 14 अपनाए गए स्मारक हैं: ○ जंतर मंतर, पुराना किला, सफदरजंग का मकबरा, अग्रसेन की बावली, और कुतुब मीनार (दिल्ली), ○ हम्पी (कर्नाटक) ○ अजंता की गुफाएं (महाराष्ट्र) ○ सूर्य मंदिर, राजा रानी मंदिर और रत्नागिरी स्मारक (ओडिशा) • लेह पैलेस और माउंट स्टोक कंगरी (जम्मू और कश्मीर), • मट्टनचेरी महल संग्रहालय (केरल) • गंगोत्री मंदिर क्षेत्र और गोमुख ट्रेल (उत्तराखंड)	मंत्रालय का एक अद्वितीय प्रयास है। • इस योजना के तहत, निजी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट से संबंधित व्यक्ति किसी भी स्थल को गोद ले सकते हैं और संरक्षण एवं विकास के माध्यम से धरोहर तथा पर्यटन को और अधिक संधारणीय बनाने का उत्तरदायित्व ले सकते हैं। • यह परियोजना मुख्यत: **विश्व स्तरीय पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं** के विकास एवं रखरखाव पर केंद्रित है। • हाल ही में, इस योजना के तहत 14 स्मारकों के लिए **सात सूचीबद्ध कंपनियों को** आशय पत्र (लेटर्स ऑफ़ इंटेंट) प्रदान किए गए थे। • ये कंपनियां भविष्य की 'स्मारक मित्र' होंगी, जो अपनी CSR गतिविधियों के साथ गौरव को जोड़ेंगी। हाल ही में, इस योजना के तहत डालमिया भारत ग्रुप द्वारा लाल किला को गोद लिया गया है।

44.4. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

अतुल्य भारत 2.0 अभियान (INCREDIBLE INDIA 2.0 CAMPAIGN)	• इस अभियान का उद्देश्य **विदेशी और घरेलू, दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या को दोगुना** करना है। • यह परंपरागत प्रचार साधनों के स्थान पर बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं एवं उत्पाद विशिष्ट रचनाओं की ओर स्थानान्तरण को चिह्नित करता है, इसके लिये डिजिटल उपस्थिति और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा रहा हैं। • यह अभियान प्रमुख मौजूदा बाजारों के साथ-साथ महत्वपूर्ण संभावित बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। विरासत पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, कल्याण और चिकित्सा पर्यटन, MICE, गोल्फ इत्यादि जैसे अग्रणी पर्यटन रूपों को अतुल्य भारत 2.0 अभियान के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है।

45. जनजातीय कार्य मंत्रालय

(MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS)

45.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

(Eklavya Model Residential School: EMRS)

उद्देश्य	अपनाई गयी रणनीति	विशेषताएं
• दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति (ST) विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करना;	• प्रत्येक EMRS में नामांकित सभी छात्रों का व्यापक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक विकास। • कक्षा 9वीं से 10वीं के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सहायता पर ध्यान	• 50% से अधिक जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों वाले सभी जनजातीय ब्लॉक में 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) की स्थापना की जाएगी।

VISION IAS

• उन्हें उच्च और पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों में तथा सरकारी और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नौकरियों हेतु प्राप्त आरक्षण का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना; • अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को गैर-जनजातीय आबादी के समान शिक्षा में सर्वोत्तम अवसरों तक पहुंच प्रदान करना।	केंद्रित करना, ताकि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। • विद्यार्थी के जीवनकाल की शैक्षिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अवसंरचना के निर्माण में सहायता करना। • वार्षिक व्ययों का इस प्रकार समर्थन करना, जो कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक प्रदान कर सके और उनकी सुविधाओं को बनाए रखने में सक्षम हो।	• जनजातीय विद्यार्थियों को आवास और भोजन की सुविधाएं। • ये जवाहर नवोदय विद्यालयों के समान हैं (इन विद्यालयों का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को महत्व दिए बिना उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है)। • इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त स्थानीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने हेतु विशेष सुविधाएं होंगी।

45.2.जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की योजना

(Scheme Of Ashram Schools In Tribal Sub-Plan Areas)

उद्देश्य	विशेषताएं
• PTGs (आदिम जनजातीय समूह) सहित अनुसूचित जनजातियों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देना।	• यह जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में संचालित एक केंद्र प्रायोजित योजना है • गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित नक्सल प्रभावित जिलों में बालिकाओं और बालकों के लिए आश्रम विद्यालयों के निर्माण हेतु समय-समय पर 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है तथा गैर-नक्सल प्रभावित जिलों में बालकों के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु गृह मंत्रालय द्वारा सम्पूर्ण अनुमानित लागत की केवल 50% धनराशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णत: या निश्चित अनुपात में भागीदारी के रूप में केवल निर्माण लागत ही प्रदान की जाती है। • सरकार द्वारा इस योजना को 2018-19 से समाप्त करने तथा इसके तहत किये जा रहे हस्तक्षेपों को 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to TSS/TSP)' योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया है। SCA to TSP को केंद्र द्वारा 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। • ये विद्यालय मांग आधारित हैं और प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करते हैं।

45.3. वनबंधु कल्याण योजना

(Vanbandhu Kalyan Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
• जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। • शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। • आदिवासी परिवारों के लिए गुणवत्तापूर्ण और सतत रोजगार सुनिश्चित करना। • गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अवसंरचनात्मक अंतर को समाप्त करना। • जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना।	• यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। • यह वास्तव में एक प्रक्रिया है (योजना की अपेक्षा) जो परिणाम-आधारित दृष्टिकोण और अभिसरण रणनीति का उपयोग करती है। • यह योजना सुनिश्चित करती है कि **जनजातीय उप-योजनाओं** के अंतर्गत कवर की गयी सभी केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं के सभी अपेक्षित लाभ उपयुक्त अभिसरण के माध्यम से वास्तव में उन जनजातियों तक पहुंच सकें। • इस योजना के अंतर्गत विकास हेतु **निम्न साक्षरता मानदंड** के आधार पर **अनुसूचित क्षेत्रों** (पांचवीं अनुसूची के तहत) वाले सभी 10 राज्यों से प्रखंडों (ब्लॉक्स) का चयन किया जाता है।

VISION IAS

46. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION)

46.1. नमामि गंगे योजना

(Namami Gange Yojana)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• गंगा नदी को व्यापक रूप से **स्वच्छ और संरक्षित** करना। • गंगा नदी बेसिन का जलसंभर प्रबंधन (वाटरशेड मैनेजमेंट) करना; तथा अपवाह (रनऑफ) और प्रदूषण को कम करना। • गंगा नदी की मुख्य धारा पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटन संबंधी महत्त्वपूर्ण गांवों का विकास करना। • नदी तट प्रबंधन। • जलीय जीवन का संरक्षण करना। • विभिन्न संलग्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना।	• परियोजना के तहत 8 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, 47 कस्बों और 12 नदियों को कवर किया जाएगा। • **स्वच्छ गंगा निधि** की स्थापना। • इस परियोजना में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) और राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (SPMGs) के अंतर्गत **राज्य, शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं शामिल** होंगी। • घाट और नदी तटों में हस्तक्षेप के माध्यम से, नागरिकों की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नदी केंद्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। • **आरंभिक अवधि की गतिविधियां:** तैरते हुए ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने के लिए नदी की सतह की सफाई; ग्रामीण सीवेज नालियों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण (ठोस और तरल) को रोकने के लिए ग्रामीण स्वच्छता एवं शौचालयों का निर्माण। • **मध्यम अवधि की गतिविधियां:** ○ गंगा के तट पर स्थित 118 शहरी आवासीय क्षेत्रों में सीवरेज अवसंरचना के कवरेज का विस्तार। ○ जैव-उपचार विधि, इन-सीटू उपचार, नगरपालिका सीवेज और दूषित जल उपचार संयंत्रों का प्रयोग कर जल निकासी के अपशिष्ट जल के उपचार द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी। ○ औद्योगिक प्रदूषण का प्रबंधन। ○ जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, और जल की गुणवत्ता की निगरानी। • **दीर्घ अवधि की गतिविधियां:** पारिस्थितिक-प्रवाह का निर्धारण, जल उपयोग दक्षता में वृद्धि और सतही सिंचाई की दक्षता में वृद्धि।

- गंगा कायाकल्प की चुनौती की बहु-क्षेत्रीय, बहु-आयामी और बहु-हितधारक प्रकृति को चिह्नित करते हुए (a) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (WR, RD&GR), (b) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, (c) जहाजरानी मंत्रालय, (d) पर्यटन मंत्रालय, (e) शहरी विकास मंत्रालय, (f) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय इत्यादि प्रमुख मंत्रालय एक साथ कार्य कर रहे हैं।
- गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, एवं धार्मिक और/या पर्यटक महत्व के गांवों को विकसित करने के लिए MoWR द्वारा नमामि गंगे योजना के तहत 2016 में **गंगा ग्राम योजना** आरम्भ की गयी थी।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) के सहयोग से 2017 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने एक अन्य **गंगा ग्राम परियोजना** प्रारंभ की है।

(परियोजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया MDWS के अंतर्गत उल्लिखित योजनाएं देखें)।

VISION IAS

46.2. जल क्रांति अभियान

(Jal Kranti Abhiyan)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं
• जल सुरक्षा में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों सहित सभी हितधारकों की जमीनी स्तर पर सहभागिता को सुदृढ़ करना। • सहभागी सिंचाई प्रबंधन (Participatory Irrigation Management: PIM) • जल संसाधन संरक्षण और उसके प्रबंधन में परम्परागत ज्ञान को अपनाये जाने / उसके उपयोग को प्रोत्साहित करना; • ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा में संवर्धन करना।	• जल सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्थानीय/क्षेत्र विशिष्ट नवाचारी उपाय विकसित करने हेतु **परम्परागत ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना भी** शामिल है। • जल क्रांति अभियान के चार महत्वपूर्ण घटक हैं- ○ **जल ग्राम योजना:** जल संकट का सामना कर रहे दो गांवों को **"जल ग्राम"** के रूप में चयनित किया जाता है। ▪ प्रत्येक जल ग्राम से, पंचायत के एक निर्वाचित प्रतिनिधि और जल प्रयोक्ता संघ के एक प्रतिनिधि की **जल मित्र/नीर नारी** के रूप में पहचान की जा रही है और जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ▪ प्रत्येक जल ग्राम में किए जा रहे विभिन्न कार्यों पर व्यय केंद्रीय/ राज्य सरकारों की पहले से विद्यमान योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मनरेगा (MGNREGA), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापना (Repair, Renovation and Restoration: RRR), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) इत्यादि से से प्राप्त होगा। ○ **मॉडल कमांड क्षेत्र का विकास:** राज्य में लगभग 1000 हेक्टेयर के मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की जाएगी। मॉडल कमान क्षेत्र का चयन राज्य सरकारों की सलाह से मंत्रालय द्वारा राज्य की एक वर्तमान/जारी सिंचाई परियोजना से किया जाएगा जहाँ विभिन्न योजनाओं से विकास के लिए निधि उपलब्ध हो। ○ **प्रदूषण न्यूनीकरण** और ○ **जन जागरूकता कार्यक्रम।** • प्रत्येक जल ग्राम के लिए **सुजलम कार्ड** (लोगो: 'जल बचत, जल निर्माण') नामक एक जल स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। यह गाँव के लिए उपलब्ध पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में वार्षिक सूचना प्रदान करेगा। • केन्द्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। • राज्यों को राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के अनुसार राज्य जल नीति निर्माण हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

46.3. राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना

(National Hydrology Project: NHP)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• **विश्वसनीय और समयबद्ध तरीके से जल संसाधनों से जुड़े आंकड़ों** के अधिग्रहण, भंडारण, संयोजन और प्रबंधन हेतु एक प्रणाली स्थापित करना। • सूचना प्रणाली के उपयोग और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी	पूर्व की जलविद्युत परियोजनाएं 13 राज्यों तक ही सीमित थीं। NHP को संपूर्ण **देश** में लागू किया जाएगा।	• यह एक **केंद्रीय क्षेत्र** की योजना है (2016)। • यह परियोजना **विश्व बैंक** द्वारा सहायता प्राप्त (50% ऋण) है। परियोजना के घटक निम्नलिखित हैं: (a) स्व-स्थाने जल-मौसम निगरानी प्रणाली तथा जल-मौसम डेटा अधिग्रहण प्रणाली (In Situ Hydromet Monitoring System and Hydromet Data Acquisition System)। (b) राष्ट्रीय जल सूचना केन्द्र (National Water Informatics Centre: NWIC) की स्थापना। (c) जल संसाधन संचालन तथा प्रबंधन प्रणाली।

VISION IAS

जैसे- रिमोट सेंसिंग को अपनाकर राज्य और केंद्रीय क्षेत्रकों के संगठनों में जल संसाधन प्रबंधन में क्षमता निर्माण करना। • बाढ़ के पूर्वानुमान में 1 दिन से कम से कम 3 दिन तक लीड टाइम।		(d) जल संसाधन संस्थान तथा क्षमता निर्माण। • NHP से **जल-मौसम विज्ञान (Hydro-meteorological) संबंधित डाटा** एकत्रित करने में सहायता मिलेगी और इसका रियल टाइम के आधार पर विश्लेषण किया जाएगा तथा किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। • यह जल-मौसम विज्ञान संबंधी डेटा के संयोजन और प्रबंधन के माध्यम से **नदी बेसिन एप्रोच को अपनाकर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन** की सुविधा प्रदान करेगा। यह जल संसाधन मूल्यांकन में भी सहायता प्रदान करेगा।

46.4. बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना

(Dam Rehabilitation And Improvement Project: DRIP)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• चयनित मौजूदा बांधों और इनसे सम्बद्ध उपकरणों की **सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में स्थायी रूप से सुधार करना, • प्रतिभागी राज्यों/ कार्यान्वयन एजेंसियों (CWC) की **बांध सुरक्षा संस्थागत व्यवस्था को सुदृढ़ करना।**	भारत के **सात राज्य,** मुख्यतः झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड	• यह एक **बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना है** क्योंकि सम्पूर्ण परियोजना का 80% **विश्व बैंक** द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है और शेष 20% राज्य / केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके तहत **225 बांधों की मरम्मत और पुनर्वास का कार्य किया जाएगा।** • DRIP की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों में अनुमानित जटिलताओं के मद्देनजर **जून 2020 तक दो वर्ष की अवधि के लिए DRIP का विस्तार करने का प्रस्ताव है।** • बांधों के लिए **आपातकालीन कार्य योजना (EAP)** प्रस्तावित है, जो एक बांध से सम्बंधित संभावित आपातकालीन स्थितियों की पहचान करती है और जीवन एवं संपत्ति की हानि के न्यूनीकरण हेतु प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है।

बांध स्वास्थ्य और पुनर्वास निगरानी एप्लीकेशन (DAM HEALTH AND REHABILITATION MONITORING APPLICATION: DHARMA)	यह DRIP के अंतर्गत तिरुवनंतपुरम (केरल) में **प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन - 2018** के दौरान लॉन्च किया गया एक **सॉफ्टवेयर प्रोग्राम** है। DHARMA बांध संबंधित सभी डेटा के प्रभावी ढंग से डिजिटलीकरण हेतु आरंभ किया गया एक वेब टूल है। **यह देश में बड़े बांधों से संबंधित प्रामाणिक परिसंपत्ति तथा स्वास्थ्य सूचना के प्रलेखन** में सहायता करेगा और आवश्यकता आधारित पुनर्वास सुनिश्चित करने में भी सक्षम बनाएगा।

46.5. राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार योजना

(National Groundwater Management Improvement Scheme: NGMIS)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	विशेषताएं
• भूजल के उपभोग को कम करने के लिए आपूर्ति के साथ-साथ मांग पक्ष को सम्बोधित कर **भूजल का संधारणीय**	• इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, परन्तु **विशेष ध्यान 'डार्क जोन' (अत्यधिक शोषित) वाले राज्यों**	• कुल लागत का आधा भाग **विश्व बैंक** द्वारा ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। • इसमें चार घटक शामिल हैं: (i) भूजल प्रबंधन के लिए निर्णय समर्थन उपकरण; (ii) संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए राज्य विशिष्ट संस्थागत और कानूनी ढांचा;

प्रबंधन। • परियोजना का उद्देश्य कुओं में भूजल के तीव्रता से सूखने के दुष्प्रभावों के संदर्भ में **किसानों के मध्य जागरूकता उत्पन्न करना है।**	**पर केन्द्रित होगा।** इन क्षेत्रों में जल की निकासी पुनर्भरण से अधिक होती है। • इन राज्यों में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग) और मध्य प्रदेश (बुंदेलखंड क्षेत्र) शामिल हैं।	(iii) भूजल पुनर्भरण में वृद्धि और जल उपयोग दक्षता में सुधार; तथा (iv) प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए समुदाय आधारित संस्थानों को सशक्त करना। • इसमें दो परिणामी क्षेत्रों (Results Areas) को शामिल किया गया है, जो योजना के चार घटकों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। ○ सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाओं (Water Security Plans :WSPs) के माध्यम से भूजल प्रबंधन हस्तक्षेपों का बेहतर नियोजन और कार्यान्वयन। ○ सुदृढ़ संस्थागत ढांचा और प्रभावी भूजल डेटा निगरानी तथा प्रकटीकरण। • संभावित निवेश श्रेणियां NGMIP से बाहर रखी जाएंगी। इनमें शामिल हैं: (i) प्रमुख बांधों और नई बड़े पैमाने की सिंचाई प्रणालियों का निर्माण; और (ii) अंतः क्षेपण के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक अपशिष्ट जल संग्रहण, उपचार और पुनर्भरण व्यवस्था।

46.6. अटल भूजल योजना

(Atal Bhujal Yojana)

उद्देश्य	विशेषताएं
सामुदायिक भागीदारी के साथ मांग पक्ष हस्तक्षेप पर बल देने के साथ संधारणीय भूजल प्रबंधन।	• 2018 में प्रस्तावित यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है और इसे **विश्व बैंक की सहायता** से क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखा गया है। • इसे प्रारंभ में सामुदायिक भागीदारी के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 78 चिह्नित जिलों में लागू किया जाएगा।

46.7. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (National Aquifer Mapping and Management :NAQUIM)	• जलभृत (एक्विफ़ायर) मानचित्रण कार्यप्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य **"अपने जलभृत को जानें, अपने जलभृत को प्रबंधित करें" (Know your Aquifer, Manage your Aquifer)** के रूप में समझा जा सकता है। • इस कार्यक्रम को उन्नत तकनीकों के माध्यम से जलभृत का मानचित्रण करने हेतु आरंभ किया गया था। यह जलभृत पुनर्भरण एवं नदी तट निस्यंदन के प्रबंधन तथा अत्यधिक संकटग्रस्त ब्लॉक एवं दूषित ब्लॉक्स की पहचान में सहायता करेगा। • यह भूजल अभिगम्यता और गुणवत्ता पहलुओं के साथ भूजल उपलब्धता को एकीकृत करने में मदद कर सकता है। यह **राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम (NGMIP)** का सबसे बड़ा घटक है।
भारत जल सप्ताह 2017	इसे 10-14 अक्टूबर, 2017 से आरंभ किया गया। इसकी थीम "समावेशी विकास हेतु जल एवं ऊर्जा" थी।
जल मंथन IV	**जल क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों के समाधान हेतु नए विचारों** पर मंथन के प्रति विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक परामर्श के लिए CWC से तकनीकी सहायता के साथ MOWR का दो दिवसीय कार्यक्रम।
जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS)	INDIA-WRIS WebGIS भारत के जल संसाधनों तथा उनसे सम्बद्ध प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक एवं

VISION IAS

	प्रामाणिक आंकड़ों के लिए एक सिंगल विंडो समाधान है। यह समेकित जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) के लिए आंकड़ों की खोज, पहुँच तथा विश्लेषण के उपकरणों के साथ एक मानकीकृत राष्ट्रीय GIS फ्रेमवर्क से अनुरूप है। इस परियोजना को संयुक्त रूप से CWC, MoWR और NRSC, ISRO, DoS द्वारा वर्ष 2009 में प्रारम्भ किया गया है।
माजुली द्वीप की सुरक्षा	यह असम में माजुली द्वीप की ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ और क्षरण से सुरक्षा के लिए एक नई योजना (2017) है। इस योजना के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं: • 14 स्थानों में 27 किमी लंबी पहुँच के लिए मृदा/रेत से भरे GEO बैग के साथ तटों पर तटबंध का निर्माण, • 41 स्थानों में RCC पॉर्क्यपाइन (RCC porcupine) कार्य, • एक नहर का निर्माण और • 3.50 किमी की लंबाई के लिए एक पायलट चैनल का निर्माण। यह ब्रह्मपुत्र बोर्ड का एक प्रयास है। परियोजना के लिए वित्तपोषण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

47. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

47.1.एकीकृत बाल विकास सेवाएं

(Integrated Child Development Services)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• छोटे बच्चों में अल्पपोषण (अल्प वजनी 0-3 वर्ष के बच्चों का प्रतिशत) को 10 प्रतिशत से कम करना एवं रोकना, • बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, • मृत्यु, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने संबंधी घटनाओं को कम करना; • बाल विकास प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना; तथा • उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता में वृद्धि करना।	• यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। • इसमें संबंधित गांव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक को शामिल किया जायेगा। • यह एक सार्वभौमिक और आत्म-चयन आधारित योजना है अर्थात कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर इन सेवाओं हेतु नामांकन करा सकता है। • छह सेवाओं का पैकेज इस प्रकार है: ○ पूरक पोषण कार्यक्रम ○ पूर्व स्कूली शिक्षा ○ स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, ○ टीकाकरण, ○ स्वास्थ्य जांच और ○ लाभार्थियों को निर्दिष्ट सेवाएं **अम्ब्रेला ICDS के तहत उप-योजनाएं** • **आंगनवाड़ी सेवाएं** - यह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के समग्र विकास के लिए है। • **बाल संरक्षण सेवाएं** - इसका उद्देश्य क़ानूनी विवाद में संलग्न बच्चों एवं देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सकुशल व सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सुभेद्यता को कम करना है। • **राष्ट्रीय क्रेच (creche) सेवा** - इसका उद्देश्य काम करने वाली माताओं के बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करना है। इस प्रकार यह उन्हें रोजगार प्राप्ति करने **के लिए सशक्त बनाती है।** • **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** • **पोषण अभियान** • **किशोर लड़कियों के लिए योजना**

47.1.1. राष्ट्रीय पोषण मिशन

National Nutrition Mission (Poshan Abhiyaan)

मिशन के बारे में	लक्ष्य	प्रमुख विशेषताएँ
• **राष्ट्रीय पोषाहार रणनीति** ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की स्थापना के लिए रोडमैप निर्धारित किया है। • यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ नोडल मंत्रालय के रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) के द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा।	• इस मिशन में प्रतिवर्ष ठिगनेपन (स्टंटिंग) या अल्पविकास, अल्पपोषण और जन्म के समय अल्पभार वाले बच्चों में 2% और एनीमिया में 3% तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है। • इसका उद्देश्य मुख्य रूप से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों पर ध्यान केंद्रित करना है। • यह 2022 तक ठिगनेपन या अल्पविकास के मामलों में 38.4% (NFHS -4) से 25% तक कमी लाने का प्रयास करेगा (2022 तक मिशन 25)। • यह तीन चरणों में लागू किया जाएगा: 2017-18, 2018-19 और 2019-20)। 'अत्यधिक बोझ वाले' 315 जिलों को पहले चरण, 235 को अगले और शेष को आखिरी चरण में शामिल किया जाएगा।	• NNM एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में जीवन चक्र अवधारणा (life cycle concept) के साथ पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण एवं लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करेगा। • कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के योगदान का प्रतिचित्रण। • ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) आधारित वास्तविक समय (Real Time) निगरानी प्रणाली। • लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना। • आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) को IT आधारित उपकरणों का उपयोग करने और रजिस्टरों के प्रयोग की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना। • आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की लम्बाई का मापन। • बच्चों की स्वास्थ्य प्रगति की निगरानी हेतु सामाजिक लेखा परीक्षा। • पोषण संसाधन केंद्र की स्थापना।

47.1.2. किशोर लड़कियों के लिए योजना

(Scheme For Adolescent Girls)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• किशोर लड़कियों को स्व-विकास और सशक्तिकरण के लिए सक्षम करना। • उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। • स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, किशोरावस्था, प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) तथा परिवार और बाल देखभाल के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ावा देना। • शिक्षित करना, कौशल निर्माण और उन्हें जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना।	• किशोर लड़कियों (देश में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चयनित 200 जिलों में सभी ICDS परियोजनाओं के तहत 11-18 वर्ष की आयु की लड़कियां)।	• पोषण संबंधी प्रावधान • लौह और फोलिक एसिड (IFA) पूरकता • स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं • पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा (NHE) • परिवार कल्याण, ARSH, बाल देखभाल प्रथाओं और गृह प्रबंधन पर परामर्श/मार्गदर्शन। • घरेलू कौशल विकास, जीवन कौशल में सुधार करना तथा इसे राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के साथ व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने के लिए एकीकृत करना। • मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं जैसे PHC,CHC, डाकघर, बैंक, पुलिस स्टेशन इत्यादि के बारे में जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान करना।

VISION IAS

47.1.3. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

(Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएँ
• काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। • नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW&LM) के स्वास्थ्य में सुधार।	• सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएँ,सिवाय उन्हें छोडकर जो केंद्र या राज्य सरकारों या PSU में नियमित रोजगार में हैं या जहाँ किसी अन्य कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं।	• तीन किस्तों में 5000 रुपये का नकद प्रोत्साहन जिसमें गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 1,000 रुपये की पहली किस्त प्रदान की जाएगी, 6 महीने की गर्भावस्था के बाद 2,000 रुपये की दूसरी किस्त प्रदान की जाएगी और जब बच्चे के जन्म का पंजीकरण हो जाता है तथा साथ ही बच्चे का BCG, OPV, DPT और hepatitis-B सहित पहला टीका चक्र पूर्ण हो जाता है तो 3,000 रुपये की तीसरी किस्त प्रदान की जाएगी। • योग्य लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के लिए जननी सुरक्षा योजना (JSY) के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त होगा और JSY के तहत प्राप्त प्रोत्साहन राशि मातृत्व लाभों की प्राप्ति के लिए होगी। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6000 रूपए प्राप्त होंगे। • एनीमिया और आयरन एवं फोलिक एसिड (IFA) सप्लीमेंट, गर्भावस्था में कैल्शियम सप्लीमेंट, गर्भावस्था में कृमि मुक्ति (Deworming) हेतु गर्भवती महिलाओं की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग।

47.2. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

(Beti Padhao Beti Bachao)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल।

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएँ

• पक्षपातपूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया का उन्मूलन करना।
• बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना।
	• इस योजना के **दो प्रमुख घटक हैं**:
	  ○ बेटी बचाओ-बेटी पढाओ के लिए समर्थन एवं जन संचार अभियान।
	  ○ प्रतिकूल CSR वाले 100 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुक्षेत्रीय कार्यवाही करना।
	• बालिकाओं को समान महत्व एवं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु निरंतर सामाजिक संगठनात्मकता एवं संचार अभियान।
	• यह योजना जिला / ब्लॉक / ज़मीनी स्तर पर अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-संस्थागत अभिसरण (convergence)को संभव बनाएगी।
	• यह एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, जो केंद्र 100% सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
	• इसमें व्यक्तिगत नकद हस्तांतरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
	निगरानी योग्य लक्ष्यों में शामिल हैं-
	• चयनित प्रतिकूल CSR वाले जिलों में जन्म के समय लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth: SRB) में 2 अंकों का सुधार लाना।
	• पांच वर्ष से कम आयु के बाल मृत्यु दर में लिंगअंतराल को 2014 के 7 अंक (नवीनतम उपलब्ध SRS रिपोर्ट के अनुसार) से प्रति वर्ष 1.5 अंक कम करना
	• संस्थागत प्रसव में प्रति वर्ष कम से कम 1.5% की वृद्धि।
	• 2018-19 तक माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन में 82% तक वृद्धि करना।
	• चयनित जिलों के प्रत्येक स्कूल में बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालयों (functional toilet) की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
	• 5 वर्ष से कम उम्र के अल्पभार और रक्ताल्पता से ग्रसित बालिकाओं की संख्या में कमी लाकर

	बालिकाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाना। • ICDS का सार्वभौमिकरण सुनिश्चित करना • प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंसेस (पोक्सो) एक्ट, 2012 के कार्यान्वयन के माध्यम से कन्या शिशु हेतु एक सुरक्षात्मक वातावरण को बढ़ावा देना • CSR (child sex ratio) में सुधार करने और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु समुदायों को एकजुट करने के लिए कम्युनिटी चैंपियंस के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधियों /ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। • राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, और ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर BBBP योजना की निगरानी। BBBP से सम्बंधित सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) सामग्री के प्रसार हेतु **डिजिटल गुड्डी-गुड्डा बोर्ड** एक प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म पर जन्म से सम्बंधित मासिक आंकड़े को अपडेट किया जाता है। इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना के तहत सर्वोत्तम व्यवहार के रूप में अपनाया गया है।

47.2.1. सुकन्या समृद्धि योजना

(Sukanya Samruddhi Yojana)

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय

(Ministry of Women and Child Development and Ministry of Finance)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• माता-पिता को एक लड़की के नाम पर खाता खोलने और उसके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी अधिकतम बचत को इसमें जमा करने हेतु प्रेरित करना। • लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकता को पूरा करना।	• यह एक अल्प बचत योजना है। यह बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना का एक भाग है। • सुकन्या समृद्धि खाता 1,000 रुपये की न्यूनतम जमा और अधिकतम 1.5 लाख रुपये के साथ लड़की की शिक्षा और विवाह के व्ययों के भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए खोला जाता है। • माता-पिता या कानूनी अभिभावक लड़की के दस वर्ष की आयु के होने के पूर्व उसके नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। • बालिका 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि निकाल सकती है। यह 18 वर्ष की समय सीमा बाल-विवाह को रोकने में भी मदद करेगी। • वार्षिक जमा (योगदान) धारा 80C के तहत लाभ के लिए अर्ह है तथा परिपक्वता लाभ गैर-कर योग्य होते हैं। • यह कम उम्र में लड़कियों के विवाह को हतोत्साहित करती है और संसाधनों तथा परिवार की बचत में एक लड़की के लिए न्यायसंगत हिस्सा सुनिश्चित करेगी, जिसमें सामान्यतः लड़के के तुलना में इनके प्रति भेदभाव किया जाता है।

47.3. उज्ज्वला योजना

(Ujjawala Scheme)

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• तस्करी की रोकथाम और सीमा-पार के पीड़ितों के उनके मूल देश में बचाव, पुनर्वास, पुन: एकीकरण एवं प्रत्यावर्तन के लिए।	• महिलाएं और बच्चे जो सुभेद्य हैं तथा मानव तस्करी से पीड़ित हैं।	पुनर्वास केंद्रों को आश्रय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं, जैसे: • खाद्य, वस्त्र, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता; • यदि पीड़ित बच्चे हैं तो शिक्षा, • पीड़ितों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और आय सृजन गतिविधियां।

VISION IAS

47.4. किशोर लड़कों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना- सक्षम

(Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Boys-SAKSHAM)

उद्देश्य	लक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• किशोर लड़कों (ABs) को आत्मनिर्भर, लिंग-संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनाने हेतु उनका सर्वांगीण विकास करना।	• 11 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर (स्कूल जाने वाले और स्कूल से बाहर दोनों)।	• लड़कों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सम्बोधित करना तथा उनके स्वच्छता, पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। • राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (NSDP) के माध्यम से 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। • एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के तहत निर्मित संरचनाओं का उपयोग मंच के रूप में किया जाएगा। यह केंद्र और राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निर्मित एक समर्पित सक्षम इकाई द्वारा समर्थित होगा।

47.5. स्वाधार गृह योजना

(Swadhar Greh Scheme)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह स्थापित करना। इनके कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: ○ इस योजना के तहत महिलाओं की आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा उपचार जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कठिन परिस्थितियों से पीड़ित तथा सामाजिक एवं आर्थिक सहायता से वंचित महिलाओं की देखभाल करना। ○ उन्हें परिवार/समाज में पुनः समायोजन के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने हेतु कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। ○ उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्स्थापित करना। ○ उन्हें अपने जीवन को दृढ़ विश्वास व गरिमा के साथ पुनः आरंभ करने में सक्षम बनाना।	18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की वैसी महिलाएं: • जो परित्यक्ता हैं, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित हैं, जेल से मुक्त हुई महिला कैदी हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, पारिवारिक तनाव या विवाद से परेशान हैं अथवा तस्करी की गयी महिलाएं/लड़कियां- जो वेश्यालयों या अन्य स्थानों से भागी हुई या बचाई गयी हैं। • उपर्युक्त श्रेणियों की महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी अपनी मां के साथ स्वाधार गृह में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी (18 वर्ष की आयु तक की बालिकाएं और 8 वर्ष तक की आयु के बालक)।	• कोई भी सरकारी या सिविल सोसायटी संगठन इस योजना के तहत सहायता ले सकता है। • उद्देश्यों को निम्नलिखित रणनीतियों के अंतर्गत प्राप्त किया जाएगा- ○ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाओं आदि की उपलब्धता के साथ रहने के लिए अस्थायी आवास ○ ऐसी महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए व्यावसायिक और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण ○ परामर्श, जागरूकता सृजन और व्यावहारिक प्रशिक्षण ○ कानूनी सहायता और मार्गदर्शन ○ टेलीफोन के माध्यम से परामर्श

47.6 जेंडर चैंपियंस योजना

(Gender Champions scheme)

यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• युवा लड़के और लड़कियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील	• शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 16	• जेंडर चैंपियंस की ऐसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कल्पना की गयी है, जो अपने स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर

(जेंडर सेंसिटिव) बनाकर एक ऐसे सकारात्मक सामाजिक मानदंडों का निर्माण करना, जो महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करते हैं।	वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियाँ, दोनों जेंडर चैंपियंस बन सकते हैं।	एक ऐसे सक्षम परिवेश का निर्माण करेंगे, जिसमें लड़कियों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो। • यह योजना लैंगिक समानता का समर्थन करने और लैंगिक न्याय की दिशा में होने वाली प्रगति की निगरानी करने के लिए युवा लड़कियों और लड़कों की क्षमता को मज़बूत बनाएगी।

47.7 सखी वन स्टॉप सेंटर

(Sakhi One Stop Centres)

उद्देश्य	लाभार्थी	मुख्य विशेषताएं
• निजी या सार्वजनिक स्थानों, परिवार, समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना। • महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के किसी भी स्वरूप से निपटने के लिए एक ही स्थान पर चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित कई अन्य प्रकार की सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना।	• जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना, हिंसा से पीड़ित 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों सहित सभी महिलाएं।	• इसे निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। • केंद्र सरकार इस योजना के तहत राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राज्य सरकार / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन।

47.8. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

पहल	विशेषताएं
महिला ई-हाट (Mahila E-Haat)	• यह महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन विपणन मंच है। • **लाभार्थी-** 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी भारतीय महिला नागरिक और महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) • यह महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल है। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों के द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बिक्री योग्य उत्पादों के प्रदर्शन लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। • यह मंच महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत निकाय, राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय महिला कोष के साथ अधिकतम 10 लाख रुपये के निवेश के साथ स्थापित किया गया है।
प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK)	• ग्रामीण महिलाओं की सरकार तक पहुँच बनाने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है ताकि वे अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें और उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाया सके। • PMMSK ब्लॉक स्तरीय पहल: इसके तहत, छात्रों (स्वैच्छिक सहायक के रूप में) के माध्यम से 115 सबसे पिछड़े जिलों में सामुदायिक भागीदारी की परिकल्पना की गई है। • यह छात्र स्वयंसेवकों (Volunteers) को राष्ट्र विकास प्रक्रिया में भाग लेने और पिछड़े जिले में लैंगिक समानता लाने का अवसर प्रदान करेगा।

VISION IAS

नारी (NARI) पोर्टल	• विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं/कानूनों के बारे में सूचनाएँ एक स्थान पर उपलब्ध न होकर बिखरी हुयी हैं जिसके कारण लोगों के मध्य इस सन्दर्भ में जागरूकता का अभाव है। • इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न महिला केंद्रित योजनाओं/कानूनों सम्बन्धी सूचना और सेवाओं तक सिंगल विंडो पहुंच के रूप में नारी पोर्टल का शुभारम्भ किया है
ई-संवाद पोर्टल	• यह गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक मंच है, जिसके माध्यम से वे महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ अंतःक्रिया कर अपने फीडबैक, सुझाव, शिकायतों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों (Best Practices)आदि को साझा करते हैं।
खोया पाया पोर्टल	• यह गुमशुदा या कहीं मिले बच्चे के सम्बन्ध में सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए नागरिक आधारित वेबसाइट (citizen-based website) है। • इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - DeITY (वर्तमान में इस विभाग को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) का दर्जा प्राप्त है) द्वारा विकसित किया गया था।
जन संपर्क प्रोग्राम	• **उद्देश्य**: सामान्य जन को गोद लेने से संबंधित जानकारी मांगने एवं अपनी चिंताओं को साझा करने हेतु संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाना। • इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के **केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)** द्वारा शुरू किया गया है। • यह भावी दत्तक माता-पिता (prospective adoptive parents-PAPs) को अधिक उम्र के बच्चों को अपनाने के लिए परामर्श देने और प्रेरित करने के एक मंच के रूप में कार्य करेगा।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) हेतु समर्थन	• महिलाओं को स्व-नियोजित/उद्यमी बनने हेतु सक्षम बनाने के लिए सामर्थ्य और कौशल प्रदान करता है। • इस योजना का उद्देश्य देश भर में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभान्वित करना है।
राष्ट्रीय महिला कोष (RMK)	• निर्धन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु सूक्ष्म वित्त सेवाओं का विस्तार करना।
महिला पुलिस वालंटियर स्कीम	• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल। • यह कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस और समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

48. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS)

योजना	विवरण
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme: TOPS)	• वैसे खिलाडियों की पहचान कर समर्थन प्रदान करना जिनके आगामी ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने की संभावना है। • इसके अंतर्गत- ○ विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उत्कृष्ट एथलीटों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप विशेषीकृत प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ○ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एथलीटों के चयन के लिए एक बेंचमार्क उपलब्ध कराया जाएगा। ○ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और वे फेडरेशन जो 'मिशन ओलंपिक सेल' (MOC) के सदस्य हैं, फंड के लिए वितरण एजेंसियां होंगी।

VISION IAS

	○ प्राधिकरण एथलीटों की ओर से "संबंधित व्यक्ति और संस्था" को सीधे भुगतान करेगा। • टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत 2020 और 2024 ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक विजेताओं की पहचान और समर्थन के लिए अभिनव बिंद्रा कमेटी का गठन किया गया था।
राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram)	• यह राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में परिभाषित किये गए 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं पर केंद्रित है। • इसमें निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है - नेशनल यंग लीडर प्रोग्राम (NYLP), नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS), राष्ट्रीय युवा कोर (NYC), राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD), राष्ट्रीय अनुशासन योजना (NDS), और स्काउटिंग एवं गाइडिंग संगठनों की सहायता के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। • सूचना प्रसार के लिए, युवाओं को इस नई अम्ब्रेला योजना के बारे में जानकारी IEC सामग्री के वितरण के माध्यम से दी जाएगी।
खेलो इंडिया- खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (Khelo India- National programme for development of sports)	• यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र स्तरीय मंच प्रदान कर ज़मीनी स्तर की प्रतिभाओं का विकास करना है। • यह गुजरात के **"खेल महाकुंभ"** के मॉडल पर आधारित है, जिसमें देश भर के स्कूल और कॉलेज 27 भिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। • इसमें राजीव गांधी खेल अभियान (RGKA), शहरी खेल बुनियादी ढांचा योजना (USIS), और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना (NSTSS), नामक तीन योजनाओं का विलय किया गया है। • इस कार्यक्रम के तहत **खेलो इंडिया स्कूल गेम्स (KISG)** लॉन्च किये गए हैं। • यह पहल अखिल भारतीय खेल छात्रवृत्ति योजना, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और शारीरिक स्वास्थ्य (फिजिकल फिटनेस) अभियान पर आधारित है।
मिशन XI मिलियन (Mission XI million)	• भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय खेल बनाना। • इस पहल में इस खेल के ऐसे स्वरूपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें विभिन्न आकार के मैदानों और परिस्थितियों में अपनाया जा सकता हो; विशेष रूप से ऐसे संस्करणों पर जिनको खिलाड़ियों की कम संख्या वाली टीमों के बीच खेला जा सके।
राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme : NSS)	• इसका उद्देश्य युवा छात्र वर्ग में **स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा** की भावना को विकसित करना है। • NSS का आदर्श वाक्य **"मैं नहीं, बल्कि आप (NOT ME, BUT YOU)"** है। एक NSS स्वयंसेवक 'स्वयं' से अधिक 'समुदाय' को महत्व देता है • कार्यों की निगरानी नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) करता है। • NSS, **परिसर (कैंपस) और समुदाय**, कॉलेज और गाँव तथा ज्ञान एवं कार्यवाही के मध्य सार्थक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है।

49. नीति आयोग

(Niti Ayog)

49.1. अटल नवोन्मेष मिशन

(Atal Innovation Mission)

VISION IAS

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• आगामी वर्षों में भारत की नवाचार और उद्यमशीलता आवश्यकताओं पर विस्तृत अध्ययन और विचार-विमर्श के आधार पर देश में **नवाचार पारितंत्र** को पर्याप्त बढ़ावा देना तथा उद्यमशीलता की भावना को उत्प्रेरित करना। • **इसकी परिकल्पना एक अम्ब्रेला नवाचार संगठन के रूप में की गई है,** जो केन्द्रीय, राज्य और क्षेत्रकीय नवाचार योजनाओं के मध्य नवाचार नीतियों के संरेखण (alignment) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।	• इसके दो प्रमुख कार्य हैं- ○ **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU)** योजना के माध्यम से **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन**, जिसमें इन्नोवेटर (innovators) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा। ○ **नवाचार को प्रोत्साहन:** नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना। • समग्र रूपरेखा में निम्नलिखित शामिल हैं- ○ **अटल टिंकरिंग लैब (ATLs):** यहाँ छठी से बाहरवीं कक्षा तक के छात्र नवाचार कौशलों को सीखते हैं तथा विचारों का विकास करते हैं। ○ **अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs):** इन्हें विश्वविद्यालयों तथा उद्योगों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन, लघु एवं मध्यम उद्यम (SME) तथा कॉर्पोरेट उद्योग स्तरों पर स्थापित किया जाएगा। ○ **अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रैंड चैलेंज:** सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव हेतु प्रौद्योगिकी चालित नवाचारों तथा उत्पाद सृजन को प्रोत्साहन। ○ **"मेंटर इंडिया" अभियान:** यह देश के अग्रणी लोगों (जो छात्रों का मार्गदर्शन और उन्हें परामर्श प्रदान कर सकते हैं) को शामिल करने हेतु एक **रणनीतिक राष्ट्र निर्माण पहल है।** उद्योग, शैक्षणिक समुदाय, सरकार और वैश्विक सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

49.2. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम (साथ)

{Sustainable Action For Transforming Human Capital (SATH) Programme}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रक का कायाकल्प करना। • इसका लक्ष्य भविष्य के 'रोल मॉडल' राज्यों का चयन और निर्माण करना है।	• नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य मशीनरी के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करेगा। इसके माध्यम से हस्तक्षेपों के लिए एक सुदृढ़ रोडमैप तैयार करने, कार्यक्रम कार्यान्वयन के ढांचे के विकास, निगरानी एवं अन्वेषण तंत्रों की स्थापना करने व कार्यान्वयन के दौरान राज्य की संस्थाओं को सहारा देने के लिए सहयोग किया जाएगा। साथ ही अनेक अन्य संस्थागत उपायों को भी समर्थन प्रदान किया जाएगा। • स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक का जबकि शिक्षा क्षेत्रक हेतु मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा ओडिशा का चयन किया है।

49.3 आकांक्षी जिला कार्यक्रम

(Aspirational Districts Programme)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• देश के कुछ अत्यंत अल्पविकसित जिलों का **तीव्र और प्रभावी रूप से** कायाकल्प।	• यह 28 राज्यों के ऐसे 115 जिलों के कायाकल्प पर ध्यान केन्द्रित करता है, जिनमें निश्चित विकास मापदंडों के अनुरूप कम प्रगति हुई है। • कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा में शामिल हैं- **सम्मिलन (convergence)** [केंद्र और राज्य योजनाओं का], **सहयोग (collaboration)** [केंद्र और राज्य स्तर के **प्रभारी** अधिकारियों और जिलाधीश का]

	तथा जिलों के मध्य **प्रतिस्पर्द्धा(competition)**। • **पांच मुख्य आयामों** में से **49 संकेतक** चयनित किए गए हैं: **स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कृषि और जल संसाधन, कौशल विकास तथा आधारभूत अवसंरचना।** • जिलों में रियल-टाइम प्रगति की निगरानी हेतु डैशबोर्ड। • **सहकारी संघवाद:** जिलों का विकास करने हेतु उपायों की अभिकल्पना, क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए केंद्र, राज्य तथा स्थानीय प्रशासन एक साथ कार्य करेंगे।

50. प्रधानमंत्री कार्यालय

(Prime Minister's Office)

50.1. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति)

(Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI)

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
• सामान्य जन की शिकायतों का निवारण और साथ ही साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी एवं समीक्षा करना।	• एक बहु-उद्देशीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफोर्म, जो विशिष्ट रूप से **तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों** को समूहबद्ध करता है: ○ डिजिटल डेटा मैनेजमेंट ○ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा ○ भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी • इसमें एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें प्रधानमंत्री, केन्द्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव सम्मिलित हैं। • यह **सहकारी संघवाद** को सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर लाता है। • यह शिकायतों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRMS), परियोजना निगरानी समूह (PMG) तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के डेटाबेस को सशक्त बनाएगा एवं तकनीकी रूप से उन्नत करेगा। • प्रधानमंत्री द्वारा एक मासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें वे केंद्र सरकार के सचिवों तथा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वार्ता करते हैं। • यह एक सार्वजनिक वेब प्लेटफार्म (public web platform) नहीं है।

50.2. अन्य योजनाएं

(Other Schemes)

राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund)	• इस निधि को एक कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष के रूप में), रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री (अन्य सदस्यों के रूप में) शामिल होते हैं। • इस निधि का कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री होता है तथा इसके खाते (accounts) की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है। • यह निधि पूर्णतः जनता के स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। • इसका उपयोग सशस्त्र बलों (अर्ध-सैनिक बलों सहित) के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण हेतु किया जाता है। • इस निधि के उपयोग से सशस्त्र बलों एवं अर्ध-सैनिक बलों के दिवंगत सैनिकों की विधवाओं तथा आश्रितों हेतु तकनीकी एवं स्नातकोत्तर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए '**प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति**

VISION IAS

	योजना' नामक छात्रवृत्ति योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।
परियोजना निगरानी समूह (Project Monitoring Group)	• यह एक संस्थागत तंत्र है जो सार्वजनिक, निजी तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) संबंधी बड़ी परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन सहित विभिन्न मुद्दों का समाधान करेगा। • घरेलू निवेश के सन्दर्भ में 1000 करोड़ रुपये और FDI परियोजनाओं में 500 करोड़ का अनुमानित निवेश करने वाले परियोजना प्रस्तावक यदि सरकारी अधिकरणों द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने में विभिन्न बाधाओं जैसे विलंब इत्यादि का सामना कर रहे हो तो वे इस प्रकार के सभी मुद्दों को PMG के ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। • उपर्युक्त दी गई मौद्रिक सीमा से कम प्रत्याशित निवेश वाली परियोजनाओं को उन संबंधित राज्य सरकारों के PMG पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है जहाँ इस प्रकार की परियोजनाएं पहले से ही मौजूद हों।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister National Relief Fund)	• इसका गठन पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता हेतु 1948 में किया गया था। अब इसका उपयोग बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु किया जाता है। • इसके अतिरिक्त, हृदय शल्य-चिकित्सा, कैंसर के इलाज तथा एसिड अटैक इत्यादि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता प्रदान की जाती है। • इस कोष में केवल जनता द्वारा दिया गया अंशदान सम्मिलित है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है। • समग्र कोष की राशि का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में विभिन्न रूपों में निवेश किया जाता है। • प्रधानमंत्री द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही कोष से धनराशि का वितरण किया जाता है। • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है। • इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय प्रयोजनों हेतु प्रधानमंत्री अथवा विविध नामित अधिकारियों द्वारा किया जाता है। • प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (G) के तहत कर योग्य आय से 100 % छूट हेतु अधिसूचित किया गया है।

51. अंतरिक्ष विभाग

(DEPARTMENT OF SPACE)

51.1. भुवन- इसरो का भू-पोर्टल

(Bhuvan- ISRO's Geo-Portal)

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• उपयोगकर्ताओं द्वारा पृथ्वी की सतह के 2D/3D प्रतिरूप का अन्वेषण करने हेतु एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विकसित करना।	• यह 350 से अधिक शहरों के लिए 1 मीटर रेज़ोल्यूशन वाले उपग्रह आँकड़ों के साथ प्रयोक्ताओं को उनकी सुदूर संवेदन अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है।
	• विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसकी सेवाओं का उपयोग:
	  ○ पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का **एनविस (ENVIS)** कार्यक्रम।
	  ○ **'भुवन पंचायत'** नामक वेब पोर्टल जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना निर्माण सुलभ करता है।
	  ○ **भुवन गंगा** मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल, स्वच्छ गंगा परियोजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
	• यह पोर्टल क्रमश: जिला एवं ग्रामीण स्तर पर घरों में उपलब्ध सुविधाओं संबंधी आँकड़े एवं जनगणना आँकड़ों के विषय में विस्तृत सूचना प्रदान कराता है।
	• यह आपदा प्रबंधन के साथ-साथ सरकार के अन्य **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों** जैसे समेकित जलसंभरण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, अमृत आदि हेतु सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है।

VISION IAS

51.2. साकार

(SAKAAR)

मुख्य विशेषताएं	• साकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा एंड्राइड उपकरणों हेतु डिज़ाइन की गई ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एप्लीकेशन है। • इस एप्लीकेशन में मार्स ऑर्बिटर मिशन (Mars Orbitor Mission: MOM), रीसैट (RISAT), स्वदेशी रॉकेट, जैसे- PSLV, GSLV Mk-III इत्यादि के त्रिआयामी (3 Dimensional: 3D) मॉडल सम्मिलित हैं।

52. राज्य सरकार की योजनाएं

(STATE GOVERNMENT SCHEMES)

योजनाएं	राज्य	प्रमुख विशेषताएं
कन्याश्री प्रकल्प योजना	पश्चिम बंगाल	• यह 1,20,000 से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले परिवारों से संबंधित लड़कियों के लिए सशर्त नकदी हस्तांतरण योजना है। • इसका उद्देश्य सभी किशोरियों की स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करके बालिकाओं के कल्याण और उनकी स्थिति में सुधार करना और उनके विवाह को 18 वर्ष की आयु तक टालना है। • संयुक्त राष्ट्र द्वारा कन्याश्री योजना को जन सेवा हेतु प्रथम स्थान दिया गया है।
मिशन काकतीय	तेलंगाना	• इस मिशन का उद्देश्य लघु और सीमांत किसानों की कृषि आधारित आय में निम्नलिखित उपायों के माध्यम से वृद्धि करना है - ○ लघु सिंचाई अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देकर। ○ समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को सुदृढ़ बनाकर ○ तालाबों के पुनर्भरण के लिए वृहद कार्यक्रमों को अपनाकर।
मिशन भागीरथ	तेलंगाना	• इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों (प्रति व्यक्ति 100 लीटर) के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों (प्रति व्यक्ति 150 लीटर) के सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना है। • इसका उद्देश्य पाइपलाइनों के माध्यम से 25000 ग्रामीण और 67 शहरी अधिवासों को कवर करना है।
कृषि भाग्य योजना	कर्नाटक	• किसानों को जल संरक्षण संबंधी उपायों को अपनाने: जैसे कृषि भूमि में तालाबों के निर्माण और शुष्क अवधि के दौरान खड़ी फसलों की सुरक्षा के लिए वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को बचाने में सहायता करना।
सौभाग्यवती योजना	मध्य प्रदेश	• यह योजना राज्य में गरीबों को उनके विद्युत उपभोग से भिन्न एक नियत विद्युत बिल के आधार पर विद्युत प्रदान करती है।
भावान्तर भुगतान योजना	मध्य प्रदेश	• इसके अंतर्गत, उत्पादकों की सरकारी सहायता के तहत प्रत्यक्ष बाजार हस्तक्षेप को सम्मिलित नहीं किया जाता है। • बाजार सामान्य आपूर्ति और मांग के आधार पर कीमतें निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करता है, जबकि सरकार सामान्यतः MSP और बाजार-निर्धारित मूल्य के मध्य के अंतर का भुगतान करती है। • यह 8 खरीफ फसलों पर लागू होता है जिनमें मूंग,तूर, तिल इत्यादि शामिल हैं।

VISIONIAS

सौर सुजला योजना	छत्तीसगढ़	• मार्च 2019 तक किसानों को 3 HP और 5 HP क्षमता के सौर संचालित सिंचाई पंप वितरित किए जाएंगे।
सरन बाल्यम योजना (SARANA Balyam Scheme)	केरल	• इस योजना का उद्देश्य बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और उत्पीड़न से बच्चों की रक्षा और उनका पुनर्वास करना है।
भावांतर भरपाई योजना	हरियाणा	• इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिए उनकी उपज की उचित कीमतों को सुनिश्चित करना और फसलों के विविधीकरण पर बल देना है। • इसके अंतर्गत, फसलों का न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाता है और यदि किसान सूचीबद्ध फसलों के लिए निश्चित मूल्य से कम मूल्य प्राप्त करते हैं, तो सरकार उन्हें इसके लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। • किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाने वाला हरियाणा देश का प्रथम राज्य है।
GRAVIT योजना	हरियाणा	• **ग्रामीण विकास के लिए तरुण (GRAVIT)** योजना का उद्देश्य गांवों से 60000 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है और उन्हें एक सूक्ष्म व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए निःशुल्क प्रमाणन कार्यक्रम (certification programme) प्रदान करना है। इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने और कुछ सीमा तक गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना	राजस्थान	• यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत कवर किए गए चिह्नित परिवारों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है।

53. अन्य योजनाएं

(OTHER SCHEMES)

53.1 यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस प्रोजेक्ट

(Unified Payment Interface :UPI)

आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है।

उद्देश्य	अपेक्षित लाभार्थी	प्रमुख विशेषताएं
• देश को और अधिक कैशलेस मॉडल की ओर अग्रसर करना। • वित्तीय समावेशन • अगली पीढ़ी को ऑनलाइन तत्काल भुगतानों का लाभ उठाने के लिए व्यवस्था प्रदान करना जैसे स्मार्टफोन का उपयोग, इंडियन लैंग्वेज इंटरफेस, और	• अर्थव्यवस्था - कर अपवंचन और काला बाजारी को कम करना • आर्थिक विकास - धन के प्रवाह में वृद्धि • भारतीय वित्तीय बाजार - वर्तमान में अधिक परिपक्व, लचीले और अनुकूल बन गए हैं • ई-कॉमर्स	• UPI की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, (i) यह वर्चुअल एड्रेस के उपयोग के माध्यम से अकाउंट/लाभार्थी का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता को समाप्त कर ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है। और (ii) यह व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतान (पुश और पुल फैक्टर दोनों) की अंतःक्रियाशीलता की सुविधा प्रदान करता है। • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है। • **सरल** - एक खाताधारक अपने मोबाइल फोन के वर्चुअल एड्रेस (जैसे आधार संख्या, मोबाइल नंबर, रुपे कार्ड, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस भुगतान) के साथ सिंगल क्लिक में 'पे टू' या 'कलेक्ट फ्रॉम' से पैसा भेजने

VISION IAS

इंटरनेट और डेटा तक सार्वभौमिक पहुंच में वृद्धि।	• सामान्यतः उपभोक्ता	और प्राप्त करने में सक्षम होगा। • **नवाचारी** • अपनाने में सरल है। • **सुरक्षित -** UPI में सिंगल क्लिक-टू फैक्टर(single click-two factor) प्रमाणीकरण प्रणाली है जिसका अर्थ है कि एक क्लिक के साथ लेनदेन को दो स्तरों पर प्रमाणित किया जाता है। उपयोगकर्ता को मोबाइल फोन के साथ मोबाइल पिन जिसे MPIN कहा जाता है और प्रदाता द्वारा प्रदत्त आभासी आईडी की आवश्यकता होगी। क्लिक करने के साथ लेनदेन की जांच की जाती है यदि मोबाइल पिन, वर्चुअल एड्रेस के साथ मेल खाता है तो लेनदेन पूर्ण हो जाता है। • **कम लेनदेन लागत-** प्रमाणीकरण डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और थर्ड पार्टी पोर्टेबल प्रमाणीकरण योजनाओं जैसे आधार संख्या के उपयोग के द्वारा दोनों प्राप्ति पक्ष और जारी करने वाले पक्ष दोनों की लागत कम हो जाती है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS